गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी ( रजि. ) द्वारा प्रकाशित

संस्थापक संपादक
स्व. फतेहचंद

# SHODH SAMALOCHAN

# शोध-समालोचन ( त्रैमासिक )

**AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REREREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES QUARTTERLY RESEARCH JOURNAL**

**UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)**

वर्ष-12, अंक-4 अक्टूबर-दिसम्बर 2025 ( भाग-4 ) आईएसएसएन : 2348-5639

संपादक
- डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल' एडवोकेट

कार्यकारी संपादक
- डॉ. वर्षा रानी

प्रबंध संपादक
- डॉ. मुकेश 'ऋषिवर्मा'

सह-संपादक
- डॉ. लता एस. पाटिल,
- डॉ. सुलक्षणा अहलावत

अक्षर संयोजन
- मो. सलीम

कानूनी सलाहाकार
- डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट
- अजीत सिहाग, एडवोकेट

सलाहकार सम्पादक मंडल

- डॉ. निशीथ गौड, आगरा
- डॉ. ऊषा रानी, शिमला
- डॉ. गोविन्द सोनी, श्रीगंगानगर
- डॉ. सुषमा रानी, जीन्द
- डॉ. मुदस्सिर अहमद भट्ट, श्रीनगर
- डॉ. दीपशिखा, पटियाला
- डॉ. गौतम कुमार साहा, दरभंगा
- श्री राकेश शंकर भारती, युक्रेन
- डॉ. के.के. मल्होत्रा, कैनेडा
- डॉ. आशीष कुमार दीपांकर, मेरठ
- डॉ. कामिनी कौशल, गाजियाबाद
- डॉ. रवि शंकर सिंह, आरा
- डॉ. संजय कुमार, रांची
- डॉ. संतोष कुमार भगत, रांची

1. 'शोध-समालोचन' का प्रबंधन और संपादन पूर्णतः अवैतनिक है।
2. 'शोध-समालोचन' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। उनके प्रति वे स्वयं उत्तरदायी है।
3. पत्रिका से संबंधित प्रत्येक विवाद का न्याय क्षेत्र भिवानी न्यायालय ही मान्य होगा।
4. प्रकाशक/ स्वामी डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट ने सानिया पब्लिकेशन, दिल्ली-110094 से मुद्रित करवाया।

'शोध समालोचन' की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है—**बैंक :** PUNJAB NATIONAL BANK **Branch :** Yamuna Vihar, Delhi-110053 **IFSC :** PUNB0225600 **Account Holder :** SANIA PUBLICATION **Current Account No.** 2256002100405546 भुगतान की मूल रसीद, शोध -पत्र पत्रिका की ई-मेल पर भेजना अनिवार्य है।

नोट :- इस अंक की प्रिंट कॉपी खरीदने के लिए सानिया पब्लिकेशन, दिल्ली-110094 से सम्पर्क करें मो. 9818128487

मूल्य : 650/- रु. एक प्रिंट प्रति वार्षिक 2500/- रु.

**Editorial Board Member**

1. **Dr. Priyanka Ruwali**
   Dept. Of Sociology
   D.S.B. Campus, Kumaun University, Nainital, Uttrakhand
2. **Ashutosh Singh**
   Department of History,
   Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana
3. **Mansi Sharma**
   ICSSR- Doctoral Fellow,
   Department of Political Science,
   University of Lucknow, Lucknow, U.P.
4. **Kishor Kumar**
   Department of History,
   Kumaun University, Nainital, Uttarakhand.
5. **Vivek Kumar**
   Research Scholar,
   Department of Medivial and Modern History,
   University of Lucknow, U.P.

**विषय विशेषज्ञ सलाहकार समिति/ संपादकीय मंडल :**

- **Dr. Mudita Popli**
  Principal, Maa Karni B Ed College Nal, Bikaner
- **Dr. Tapasya Chauhan**
  Assistant Professor,
  Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra (Utter Pradesh)
- **Dr. AMBILI V. S.**
  Assistant Professor, Department of Hindi,
  N.S.S. College, Pandalam, Pathanamthitta Distt. University of Kerala.
- **Dr. Om Prakash Mehrara**
  Director, Shri Ramnarayan Dixit PG College, Srivijaynagar, Distt. Anupgarh (Rajasthan)
- **Dr. Anju Bala**
  Assistant Professor Hindi,
  Guru Nanak Girls College, Yamunanagar-135001
- **डॉ. श्रीमती अभिलाषा सैनी**
  प्राचार्य, स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका, जिला-बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़
- **डॉ. माया गोला,** असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा (उत्तराखंड)
- **डॉ. मोहित शर्मा**
  श्री सर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, निम्बार्क तीर्थ किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)-305815
- **रजनी प्रिया**
  राँगाटाँड़ रेलवे कॉलोनी, क्वार्टर सं. 502/136, तरुण संघ क्लब दुर्गा मंदिर, धनबाद, लैण्डमार्क - नियर श्रमिक चौक, पोस्ट जिला-धनबाद, झारखंड-826001

- **डॉ. आँचल कुमारी,** असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी
  राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज गाजियाबाद चौधरी चरणसिंह युनिवर्सिटी, मेरठ (उ. प्र.)
- **डॉ. सरिता भवानी मालवीय**
  असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ.,
  आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्यप्रदेश)
- **डॉ. संदीप कुमार,** असि. प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वि.वि., आगरा
- **डॉ. प्रमोद नाग**
  सहायक प्राध्यापक, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज, बेंगलुरु-560107
- **पल्लवी आर्य**
  असि. प्रोफेसर, भाषाविज्ञान विभाग, के.एम.आई. डॉ. भीमराव अम्बेडकर वि.वि., आगरा
- **डॉ. अमित कुमार सिंह**
  डी. लिट्., असि. प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, के.एम. आई., डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
- **कोकिला कुमारी**
  शोद्यार्थी, हिंदी विभाग, राँची वि.वि. राँची, झारखंड
- **गोस्वामी सोनीबाला**
  शोधार्थी - जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार
- **डॉ. करुणेन्द्र सिंह**, असिस्टेंट प्रोफेसर
  रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, गोरखपुर, बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीपीगंज, गोरखपुर
- **डॉ. मीरा चौरसिया**
  चमनलाल महाविद्यालय लंढौरा, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247664
- **Dr. Vimal Parmar**
  Assistant Prof. Rajasthan P.G. Law College, Chirawa , Rajasthan
- **डॉ. तनु श्रीवास्तव**
  असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), स्कूल ऑफ सोशल साइंस, देवी अहिला विश्वविद्यालय, इन्दौर
- **डॉ. कुमारी लक्ष्मी जोशी**
  उप-प्राध्यापक, केंद्रीय हिन्दी विभाग
  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू, नेपाल
- **Dr. Archana Tiwari** , Assistant Professor , History and Indian Culture, Uni. Rajasthan, Jaipur
- **डॉ. जगदीप दुबे**
  सहायक प्राध्यापक वाणिज्य (म.प्र.), शासकीय आदर्श महाविद्यालय, डीनडोरी (म.प्र.)
- **डॉ. चन्द्रशेखर सिंह**
  समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी
- **लेफ्टि. डॉ. सन्दीप भांभू**
  शारीरिक शिक्षा विभाग, टॉटिया वि.वि. श्रीगंगानगर

## *Request to Writers*

Send quality original and unpublished works written on language, literature, society, science and culture. For publication, along with the translated works, also send the letters of consent received from the original authors. Compositions should be typed in Hindi Unicode Mangal font, English Time Roman. At the beginning of the article, a summary of the article is required which should be between 150 to 200 words maximum. The abstract must reflect the purpose of writing the article. Also write 5 to 7 'key words' (seed words) according to the article.

Write the article by dividing it appropriately into subheadings. Be sure to give a conclusion at the end of the article. The word limit should be 2000 to 2500 words. List of bibliographies at the end of the article APA Be in the format of. While sending the article, please write your name, address, phone number and title of the article in the e-mail. Submit a declaration to the effect that the article is original, unpublished, the author and not the editorial board will be responsible for any dispute related to it in future.

At the end of the composition, mention your complete postal address, mobile number and e-mail address.

***- Editor***

## लेखकों से निवेदन

भाषा, साहित्य, समाज, विज्ञान एवं संस्कृति पर लिखी गयी स्तरीय मौलिक तथा अप्रकाशित रचनाएं भेजें। प्राकशनार्थ अनूदित रचनाओं के साथ मूल लेखकों से प्राप्त सहमति पत्र भी भेजें। रचनाएँ हिंदी यूनिकोड मंगल फान्ट अंग्रेजी टाइम रोमन में टंकित होनी चाहिए। लेख के प्रारंभ में लेख का सार अपेक्षित है जो अधिकतम 150 से 200 शब्दों के मध्य हो। सार में लेख लिखने का उद्देश्य अवश्य परिलक्षित होना चाहिए। लेख के अनुरूप 5 से 7 (की वर्ड) (बीज शब्द) भी लिखें। लेख को यथोचित उपशीर्षकों में विभाजित करके लिखें। लेख के अंत में निष्कर्ष अवश्य दें। शब्द सीमा 2000 से 2500 शब्दों की हो। आलेख के अंत में संदर्भ ग्रंथों की सूची ए.पी.ए. के प्रारूप में हो। लेख भेजते समय अपने नाम, पता, फोन नंबर एवं लेख का शीर्षक ई-मेल में अवश्य लिखें। इस आशय का एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर दें कि लेख मौलिक है, अप्रकाशित है, भविष्य में इससे संबंधित किसी भी विवाद के लिए लेखक उत्तरदायी होंगे संपादक मंडल नहीं।

रचना के अंत में अपना पूरा डाक पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता अंकित करें।

***-संपादक***

प्रकाशित पत्रिका प्राप्त करने के लिए संपर्क करे :

**सानिया पब्लिकेशन, दिल्ली-110094**

**मोबाइल : 9818128487, 8383042929**

ISSN : 2348-5639

# SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 105

**Table 2**

**Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score**

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc,.)

| S.N. | Academic/Research Activity | Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences | Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines |
|---|---|---|---|
| 1. | **Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals** | 08 per paper | 10 per paper |
| 2. | **Publications (other than Research papers)** | | |
| | **(a) Books authored which are published by ;** | | |
| | International publishers | 12 | 12 |
| | National Publishers | 10 | 10 |
| | Chapter in Edited Book | 05 | 05 |
| | Editor of Book by International Publisher | 10 | 10 |
| | Editor of Book by National Publisher | 08 | 08 |
| | | | |
| | | | |
| | **(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties** | | |
| | Chapter or Research paper | 03 | 03 |
| | Book | 08 | 08 |
| 3. | **Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula** | | |
| | **(a) Development of Innovative pedagogy** | 05 | 05 |
| | **(b) Design of new curricula and courses** | 02 per curricula/course | 02 per curricula/course |

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

# संपादकीय

प्रिय पाठको,

हर्ष और गर्व का विषय है कि शोध समालोचन पत्रिका का यह तिमाही अंक (अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर 2025) आपके हाथों में है। जब हम नए वर्ष की दहलीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, तब यह अंक न केवल समकालीन साहित्यिक विमर्शों का दस्तावेज़ है, बल्कि समय की चुनौतियों और संभावनाओं पर एक गंभीर चिंतन भी है।

आज का दौर तीव्र परिवर्तन का दौर है। समाज, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति और तकनीक - हर क्षेत्र में गहरे बदलाव हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के बीच साहित्यकारों और शोधकर्ताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। साहित्य केवल भावनाओं का संसार नहीं है, यह हमारे सामूहिक जीवन का दर्पण भी है। इसीलिए शोध समालोचन ने सदैव यह प्रयास किया है कि अकादमिक शोध, आलोचना और साहित्यिक रचनाओं को एक साथ लाकर पाठकों को सार्थक विमर्श उपलब्ध कराए।

इस अंक में शामिल शोध लेख विविध विषयों को स्पर्श करते हैं। कहीं परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन की खोज है, तो कहीं स्त्री विमर्श, पर्यावरण चेतना और सामाजिक न्याय की आकांक्षा। शोधकर्ताओं ने अपने लेखों में साहित्य और समाज के अंतर्संबंधों को रेखांकित किया है। यही अकादमिक विमर्श की सबसे बड़ी विशेषता है—वह केवल शब्दों का सौंदर्य नहीं, बल्कि विचारों का मंथन भी है।

आज हिंदी साहित्य में जो सबसे प्रमुख प्रश्न उभर रहा है, वह है—'यथार्थ की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो?' क्या साहित्य केवल आनंद देने का साधन है या वह परिवर्तन का औजार भी हो सकता है? समकालीन कवियों और आलोचकों ने यह सिद्ध किया है कि साहित्य दोनों है। वह संवेदना का भी स्रोत है और क्रांति का भी बीज।

हमारे समय में स्त्री विमर्श विशेष महत्व पा रहा है। स्त्री की स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मनिर्णय की आकांक्षा अब साहित्यिक विमर्शों में गहराई से उपस्थित है। इस अंक में प्रकाशित कई शोध लेखों ने स्त्री की बदलती भूमिका, उसकी चुनौतियों और संभावनाओं को केंद्र में रखा है। इसी प्रकार पर्यावरण विमर्श भी एक गंभीर मुद्दा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने साहित्य को भी झकझोरा है। कवि और लेखक अब प्रकृति को केवल सौंदर्य प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की मूलभूत शर्त के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

समकालीन हिंदी आलोचना भी इन विषयों से अछूती नहीं रही है। आलोचना की भूमिका केवल पाठ विश्लेषण तक सीमित नहीं है; वह समाज और साहित्य के संवाद को दिशा देने का कार्य करती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि साहित्य का मूल्यांकन समय के साथ बदलता है। आज की पीढ़ी जिस दृष्टि से साहित्य को देख रही है, वह बीते समय से भिन्न है। यही आलोचना की जीवन्तता है।

इस अंक का एक और विशेष आकर्षण है—नवीन लेखकों और शोधार्थियों को मंच प्रदान करना। शोध समालोचन सदैव यह मानती है कि साहित्य और शोध का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। इसीलिए युवा लेखकों की रचनाओं को यहाँ स्थान देकर उन्हें प्रोत्साहन देना हमारा दायित्व भी है और प्रतिबद्धता भी।

हम यह भी मानते हैं कि अकादमिक शोध केवल पुस्तकालयों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसका प्रत्यक्ष संबंध समाज से होना आवश्यक है। जब तक शोध समाज की ज्वलंत समस्याओं को नहीं छूता, तब तक उसका महत्व अधूरा है। इस दृष्टि से इस अंक में शामिल कई आलेख शिक्षा नीति, सामाजिक विषमताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे विषयों पर केंद्रित हैं।

संपादकीय के माध्यम से हम अपने पाठकों और लेखकों से यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि साहित्य को केवल अध्ययन का विषय न समझें, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक भी मानें। आज जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है—भ्रष्टाचार, असमानता, हिंसा और पर्यावरणीय संकट—तब साहित्य की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यह हमें संवेदनशील, मानवीय और जागरूक नागरिक बनाने का साधन है।

अंततः, यह अंक आप सभी के लिए एक चिंतन-यात्रा है। इसमें जहाँ शोध और आलोचना की गहराई है, वहीं रचनात्मक साहित्य की भावनात्मक ऊष्मा भी है। हम आशा करते हैं कि यह अंक आपके अध्ययन, अध्यापन और शोध में सार्थक योगदान देगा।

आप सभी पाठकों, लेखकों और समीक्षकों का सहयोग ही हमारी शक्ति है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी यह पत्रिका हिंदी साहित्यिक आलोचना और शोध की गंभीर परंपरा को और समृद्ध करेगी।

सादर,

संपादक

**डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट**

# विषयानुक्रमणिका


**संपादकीय** 6

Home Science Innovations in Sustainable Living 11
**Dr. Poonam Soni**
**Dr. Trupti Khanang**

Effect of Pleasant Human Relationships on Stress Management 20
**Dr. Poonam Soni**
**Dr. Trupti Khanang**

भारतीय संस्कृति और साहित्य में परिवर्तन: पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव पर 24
**डॉ. जोनटि दुवरा**

अष्टछाप संगीत एवं उसके वाद्य यन्त्र 27
**Kunwarpreet Singh**

बहुमुखी प्रतिभा के धनी रातनजनकर जी 31
**Dr. Gauri Khanna**

पर्यावरण विमर्श : प्रकृति, समाज और साहित्य का समकालीन संवाद 35
**Dr. Anupama**

तमिल साहित्य के प्रसिद्ध महिला साहित्यकार 42
**डॉ. एन. लावण्या**

डिजिटल युग में चुनावी राजनीति और मतदाता व्यवहार 46
**डॉ. अभिलाषा आबूसरिया**

स्वामी विवेकानन्द के विचारों की समीक्षा 51
**लोकेश कुमार**
**डॉ. गोपेश कुमार शर्मा**

न्यीशी समुदाय में प्रचलित जन्म और मृत्यु से संबंधित अनुष्ठान 56
**डॉ. ङूरी शांति**

प्राचीन भारतीय साहित्य में अयोध्या का सांस्कृतिक इतिहास 60
**अनूप कुमार जायसवाल**

The Interregnum Anarchy: A Political Study of the Chalukyan Succession Crisis between Mangalesa and Polekesi II 65
**Aniket Singh**

दया प्रकाश सिन्हा व्यक्तित्व एवं कृतित्व 70
**एकता प्रियदर्शिनी**
**डॉ. रीता दुबे**
सामुदायिक पुनरुत्थान में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका : प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के प्रभाव का अध्ययन 75
**शशांक शेखर वर्मा**
**डॉ. आशीष शुक्ला**
जादू टोना : एक सामाजिक समस्या 83
**डॉ. अर्चना गोदारा**
हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले के विवाह गीतों में कथ्य (एक लोक-सांस्कृतिक अध्ययन) 87
**श्रीराम**
**शिवचरण शर्मा**
Cultural Differences in Nonverbal Communication: A Comparative Study of India and Western Cultures 92
**Dr. Swati Sharma**
डॉ. विवेकी राय के उपन्यासों का अध्ययन : ग्रामीण परिवेश एवं सामाजिक-राजनीतिक जनजीवन के संदर्भ में 99
**विजय बहादुर पाल**
**डॉ. हिमांशु शेखर सिंह**
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण के सम्बन्ध अध्ययन 104
**डॉ. ऋतु बाला**
**अम्बिका पारीक**
समकालीन राजस्थान की कवयित्रियों की दृष्टि में नारी का चित्रण 109
**ममता पुरी**
**डॉ. कृष्ण कुमार**
उसने कहा था और पुरस्कार कहानी में वर्णित प्रेम का तुलनात्मक अध्ययन 112
**ज्योति राय**
मेहरुन्निसा परवेज़ के कोरजा उपन्यास में चित्रित नारी जीवन की त्रासदी 116
**डॉ. देवेन्द्र कुमार सिंह**
जैसलमेर की वास्तु विरासत 120
**डॉ. ममता भाटी**
भक्तिकालीन संत साहित्य में दलित चेतना 125
**सीमा कुमारी**
Feminist Political Thought in India 130
**Deepika Singh**
वर्तमान समय और कबीर की कविता 136
**प्रो. जगदेव कुमार शर्मा**

दहेज-हिंसा के मामलों में महिलाओं की न्यायिक पहुँच : झारखण्ड के हजारीबाग जिले का समाजशास्त्रीय विश्लेषण 140
**अंजना कुमारी**
**डॉ. राज कुमार**

वृद्धावस्था की बैसाखी - मल्यालम उपन्यास 'नम्मुडे किड़क्का आके पच्चा' (हमारी शय्या पूरी तरह समृद्ध है) के संदर्भ में 147
**पुष्पा सी. वी.**
**प्रो. डॉ. वि.के. सुब्रमण्यन**

The integration of Geographical Information System with Transport Planning and Road Safety 153
**Etender Singh**

शेखावाटी क्षेत्र में सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की बालिकाओं की संवेगात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन 169
**अर्चना शर्मा**
**डॉ. अल्पना शर्मा**

साहित्य और सिनेमा में नारी 174
**डॉ. सुनीता**
**अमित कुमार**

वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में नारी विमर्श 178
**प्रोमिला**

साठोत्तरी हिंदी कहानी और ज्ञानरंजन : मध्यवर्ग का संवेदनात्मक यथार्थ 182
**पंकज कुमार सिंह**

A Comparative Study of Two Different Cultures: The Gaddi and the Khasi Tribes 185
**Suresh Kumar**
**Teiborlang Dkhar**

Skilling and Entrepreneurship Development in India: A Review of Government Initiatives 196
**Boby**
**Dr.Vandana Kumari**

Vastu Shastra's Influence on Workplace Productivity 202
**Dr. Khushbu Jain**

भारतीय लोक संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति 205
**अरुणा कुमारी**

छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों का सरकार गठन में भूमिका एवं आदिवासी उत्थान में योगदान पर एक अध्ययन (वर्ष 2003 से वर्ष 2023 के विशेष सन्दर्भ में) 209
**देवेंद्र गुलहरे**

आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता एवं अनुशासनात्मक स्थिति का अध्ययन 217
**पुर्नवसु चतुर्वेदी**
**डॉ. अल्पना शर्मा**

# Home Science Innovations in Sustainable Living

**Dr. Poonam Soni**
Guest lecturer, Govt. Danteshwri Mahila Mahavidyalaya Jagdalpur
**Dr. Trupti Khanang**
Guest Lecturer, Govt. Danteshwari PG Mahila Mahavidyalaya Jagdalpur C.G.

## Abstract

*Home Science as a discipline connects science with daily life. It offers practical tools for making homes, communities and institutions more sustainable. In recent years, concern about climate change, resource depletion, waste generation and unhealthy lifestyles has created a need to rethink routine household practices. This paper explores how Home Science contributes to sustainable living through innovations in food, textiles, housing, family resource management and community outreach. The study reviews theoretical perspectives, selected literature and policy directions, and then discusses the current scenario with reference to household energy use, waste management, nutrition and consumer behaviour. A short case study of a college based Home Science innovation programme is presented to show how small, locally designed interventions can create measurable environmental and social gains. The paper finally offers policy recommendations for curriculum planners, teacher educators and community organisations so that Home Science can play a stronger role in building sustainable lifestyles among students, families and neighbourhoods.*

***Keywords:*** *Home Science, sustainable living, household innovation, resource management, environmental education*

## 1. Introduction

Home Science has always focused on improving the quality of life of individuals and families. Traditionally, it combined knowledge from nutrition, textiles, human development, housing and resource management. Today, all these areas are directly linked with environmental concerns such as climate change, waste, pollution and the overuse of natural resources. Every home consumes water, energy, food and consumer goods every day. This means that household habits and decisions quietly shape a significant share of the ecological footprint of communities. Sustainable living refers to lifestyles that meet present needs while respecting the ecological limits of the planet and the rights of future generations. When people cook, shop, wash clothes, manage household budgets or design living spaces, they are making choices that can either support or weaken sustainability. For example, cooking methods can save or waste fuel. Shopping patterns can reduce or increase plastic waste.

The design of a house can support natural light and ventilation or depend entirely on artificial cooling. In this context, Home Science is not simply about homemaking. It becomes a powerful platform to develop sustainable habits, practical innovations and context specific solutions. Students of Home Science are trained to understand both science and human behaviour. They can translate technical information into simple, low cost practices that fit local culture. This makes them important agents for change in families, schools, self help groups and community projects.

The relevance of Home Science innovations has increased with the global emphasis on sustainable development and the introduction of Education for Sustainable Development in many national curricula. Home Science laboratories, fieldwork programmes and extension activities provide natural settings where students can experiment with eco friendly products, resource efficient techniques and socially responsible consumer practices.

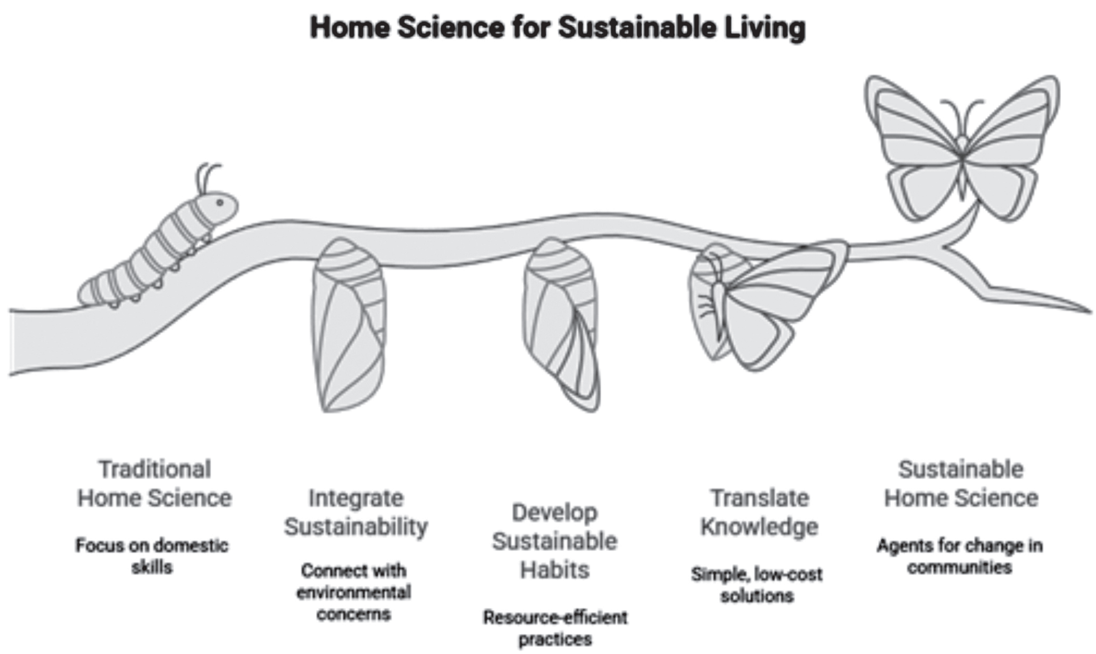


The main purpose of this paper is to explore how Home Science can support sustainable living through innovative practices and educational strategies. The discussion connects theory with practice, and personal behaviour with wider policy frameworks. By doing so, it aims to highlight Home Science as an essential discipline in the search for sustainable lifestyles rather than a purely traditional or domestic field.

## 2. Conceptual Framework or Theoretical Background

### 2.1 Definitions of key terms

- **Home Science:**

  Home Science is an interdisciplinary field that applies scientific knowledge to home and

family life. It includes areas such as food and nutrition, textiles and clothing, human development, family resource management and housing.

- **Sustainable living:**

  Sustainable living is a pattern of life in which individuals and families use natural resources wisely, minimise waste and pollution, support social justice and protect ecological systems so that future generations can also meet their needs.

- **Innovation:**

Innovation in this paper refers to any new or improved idea, technique, product or practice that leads to better use of resources, reduced environmental impact or improved well being in the context of home and community life. Innovations may be small and low cost, such as redesigning a kitchen for better ventilation, or more complex, such as developing a new energy efficient cooking device.

- **Household ecological footprint:**

  This refers to the total impact of a household on natural systems, including the amount of land and water required to produce the food, goods and services consumed, and to absorb waste and emissions.

### 2.2 Theories and models related to the title

Several theoretical perspectives support the link between Home Science and sustainable living.

First, the **Diffusion of Innovations theory** by Rogers (2003) explains how new ideas and practices spread through social systems. When Home Science students or teachers introduce eco friendly products or methods in homes and communities, they act as change agents. Their ability to demonstrate relative advantage, compatibility with local values, simplicity and trialability of innovations increases adoption of sustainable practices. Second, the **Theory of Planned Behaviour** suggests that human action is influenced by attitudes, subjective norms and perceived behavioural control. In sustainable living, positive attitudes towards environment friendly behaviour, social approval from family and community, and confidence in one's ability to perform the behaviour, together shape everyday choices such as waste segregation, energy saving or mindful consumption. Home Science education can influence all three components through information, role modelling and skill training.

Third, the **Family Resource Management model** views the family as a decision making unit that allocates scarce resources among competing needs. This model emphasises goal setting, planning, implementation and evaluation. When sustainability becomes an explicit goal of the family, resource management decisions can support eco friendly options such as shared transport, local food, minimal packaging and repair instead of replacement. Finally, concepts related to the **circular economy** and **life cycle thinking** are useful. They encourage households to view products in terms of their entire life span, from extraction of raw materials to disposal. Home Science students can apply life cycle thinking when they compare synthetic and natural fibres, or when they evaluate cleaning agents, packaged foods and household appliances.

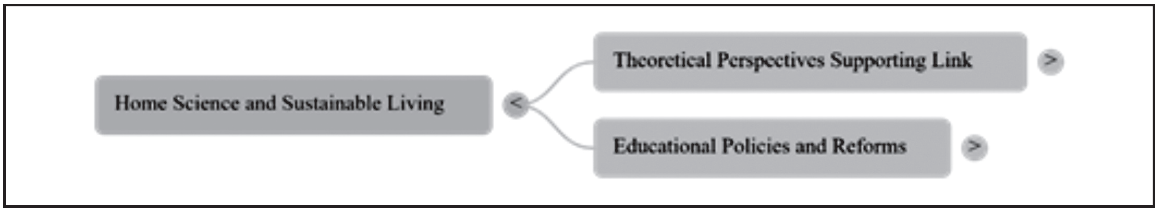


**2.3 Educational policies or reforms relevant to the topic**

At the global level, the United Nations declared the Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014) and encouraged countries to integrate sustainability themes into curricula at all levels. Many national education policies, especially after

2005, refer to environmental education, life skills, health and nutrition, and responsible consumer behaviour as key learning outcomes.

Within school and higher education systems, Home Science is often identified as a subject that naturally connects cognitive learning with daily life applications. Curriculum reforms since the early 2000s have introduced topics such as eco friendly housing materials, waste management at home, water conservation, green consumerism and balanced diets using local foods. Teacher education frameworks also encourage project based learning and community outreach in these areas.

## 3. Review of Literature

### 3.1 Sharma and Gupta (2005)

Sharma and Gupta (2005) examined how Home Science students in an urban university applied sustainability concepts in their hostels and homes. Through surveys and observation, they found that students who had completed practical modules in energy efficient cooking and waste segregation showed higher levels of pro environmental behaviour compared with others. The study concluded that participatory learning and demonstration based teaching were more effective than lecture based awareness programmes for promoting sustainable living habits among youth.

### 3.2 Rao (2008)

Rao (2008) focused on textile related innovations developed by Home Science departments for sustainable living. The study documented projects on natural dyes, recycled fabric products, eco friendly laundry methods and the use of traditional handloom textiles. It highlighted that knowledge of fibre properties, dye chemistry and consumer psychology allowed Home Science graduates to design products that were both environment friendly and attractive to consumers. However, the paper also noted that many such innovations remained within colleges and did not reach wider markets due to limited institutional support.

### 3.3 Thomas and Nair (2012)

Thomas and Nair (2012) investigated the role of Home Science extension activities in promoting nutrition and environmental awareness in rural communities. Using case studies from village nutrition camps and self help groups, they showed that women trained by Home Science students adopted kitchen gardens, fuel efficient stoves and low waste cooking methods. The authors argued that combining messages on health and environment made it easier to convince families to change their

behaviour. For example, the idea of using seasonal local vegetables appealed to both health related and ecological concerns.

### 3.4 Kulkarni (2017)

Kulkarni (2017) studied the perceptions of Home Science teachers regarding sustainable living. The research found that most teachers agreed that sustainability should be a central theme across all branches of Home Science, not just an optional topic. Teachers reported successful experiments with projects such as zero waste campus initiatives, upcycling exhibitions and "green home" competitions. At the same time, they mentioned constraints in terms of crowded syllabi, lack of financial resources for field trips and limited opportunities to update their own knowledge about new environmental technologies.

## 4. Current Scenario

- The present scenario of sustainable living shows a mix of progress and gaps. Many households are aware of environmental issues such as climate change, air pollution and plastic waste. Yet, daily practices often do not reflect this awareness. The demand for convenience, modern lifestyles and status based consumption patterns still drives choices in food, clothing, housing and consumer goods.
- In urban areas, the use of electrical appliances has grown rapidly. Refrigerators, washing machines, microwaves and air conditioners are now common in middle class homes. While these devices save time and physical effort, they increase household energy consumption. Home Science students are trained to study energy labels, star ratings and usage patterns. Through projects, they have shown that simple changes, such as adjusting refrigerator temperatures, using pressure cookers efficiently and reducing standby power, can bring down electricity bills and carbon emissions.
- Waste generation is another serious concern. Many families still mix wet and dry waste, making recycling difficult. Home Science innovations in this area include designing attractive, child friendly waste segregation bins, low cost composters and awareness campaigns on separating biodegradable and non biodegradable waste. Colleges that have tried these interventions in campus hostels report better compliance when students have been involved in designing the systems.
- Food choices also affect sustainability. Processed, packaged and imported foods carry a heavy environmental cost. At the same time, undernutrition and micronutrient deficiencies remain public health problems. Home Science work on nutrition sensitive agriculture, kitchen gardening and menu planning seeks to address both issues. Students have developed recipes using local millets, leafy vegetables and seasonal fruits, and have organised food festivals to promote these options. Feedback from participants suggests that taste, appearance and convenience are crucial for acceptance, along with health information.
- Water use in households continues to be wasteful in many settings. Long showers, frequent washing of small loads of clothes and high water use in dishwashing increase demand. Some Home Science departments have introduced observational studies where students monitor water use in their own homes for a week, and then design small interventions such

as aerators on taps, bucket based washing or reuse of grey water for gardening. These exercises make the abstract idea of water scarcity more concrete.

- Consumer behaviour related to textiles shows similar patterns. Fast fashion and synthetic fabrics are popular, yet they contribute to pollution and solid waste. Home Science curricula emphasise fabric care, durability and selection based on climate and activity. Practical sessions on mending, altering and upcycling garments encourage students to extend the life of clothing instead of discarding it quickly. In some institutions, students have set up small exhibitions of upcycled products like bags, cushion covers and accessories, which have attracted community interest.
- Data from student projects and small scale surveys generally show that when households receive personalised guidance, visual demonstrations and follow up support, they are more likely to adopt sustainable practices. On the other hand, one time awareness programmes without practical engagement lead to only temporary changes.
- Despite these positive examples, wide scale adoption of Home Science innovations remains limited. Many colleges still focus more on examination oriented teaching than on field based environmental work. Collaboration with local bodies such as municipalities, water supply departments or solid waste management agencies is rare. Industry linkages for eco friendly products made by students are also weak.
- The current scenario therefore presents a clear opportunity. Home Science has the knowledge, skills and community trust required to promote sustainable living, but it needs stronger institutional backing, better documentation of outcomes and integration with broader sustainability policies.

## 5. Key Issues and Challenges

- One major challenge is the perception of Home Science as a soft or secondary subject. This perception can reduce institutional willingness to invest in laboratories, field visits and innovation projects related to sustainability. When administrators and parents view Home Science only as a traditional domestic subject, they may not recognise its potential to address serious environmental problems.
- Another issue lies in the curriculum load. Many syllabi cover a wide range of topics within limited time. Teachers often rush to complete units and prepare students for examinations. As a result, there is little room for long term projects, community based learning or experimentation with new technologies. Sustainable living topics may be limited to a few theoretical chapters instead of being integrated across all branches of Home Science.
- Resource constraints also play a role. Setting up demonstration units such as solar dryers, rainwater harvesting models, compost pits or grey water treatment systems requires financial investment and technical support. Colleges in smaller towns or rural areas may find it difficult to access such resources. Teachers may lack opportunities for continuous professional development in environmental science and sustainability education.
- From the learners' perspective, lifestyle changes can be difficult. Students and families may understand the importance of sustainable living, but they face barriers such as convenience,

peer pressure and market forces. For example, eco friendly products are sometimes more expensive or less available than standard options. Social norms may favour fashionable, branded goods over simple durable products.

- In the educational context, evaluation systems rarely give weight to sustainable behaviour or innovation skills. Marks are usually based on written exams and standard practicals, not on long term implementation of sustainable projects in homes or communities. This weakens motivation for students to take sustainability work seriously.
- Finally, there is a gap in documentation. Many valuable Home Science innovations remain confined to local contexts and are not shared through publications, digital platforms or institutional networks. Without proper documentation and scaling mechanisms, successful practices cannot influence policy or reach larger populations.

## 6. Case Study: Green Home Initiative by a College Home Science Department

A useful example of Home Science innovations in sustainable living can be seen in the "Green Home Initiative" undertaken by a Home Science department of an urban college. Although the project was modest in scale, it illustrates how theory, practice and community engagement can be combined. The department first conducted a short survey among 60 students to understand patterns of energy use, waste management and food choices in their homes. The survey showed that most families used gas or electric stoves, owned multiple electrical appliances and generated significant amounts of mixed household waste. Only a small number practiced waste segregation or composting. Based on these findings, teachers and students jointly designed an intervention programme covering three main areas: kitchen practices, waste management and textile use. Workshops were organised in which students learned about fuel efficient cooking, pressure cooker optimisation, planning of weekly menus to reduce food waste, and safe storage of leftovers. Demonstrations were given on making simple composters from plastic buckets, creating cloth shopping bags from old garments and sorting waste into biodegradable, recyclable and hazardous categories.

Students were then asked to implement at least two innovations in their own homes for a period of two months. They were encouraged to involve family members in planning and to keep a simple record of changes in behaviour, resource use and costs. Some students introduced separate bins for wet and dry waste, while others started kitchen gardens using compost from household organic waste. A few experimented with line drying of clothes instead of using electric dryers, and with hand washing of lightly soiled garments using eco friendly detergents.

At the end of the programme, follow up data and reflections were collected. Many students reported a noticeable reduction in the volume of mixed waste sent to municipal collection and modest savings in electricity and gas bills. Families appreciated the freshness of vegetables from small kitchen gardens and expressed satisfaction in contributing to environmental protection. The case study shows that even simple, low cost innovations, when supported by structured guidance and reflection, can create positive changes in household behaviour. It also demonstrates the role of Home Science educators as facilitators who connect scientific concepts with everyday life, and who empower students to act as sustainability ambassadors within their families and communities.

## 7. Policy Recommendations

7.1. It is recommended that curriculum planners explicitly integrate sustainable living competencies across all branches of Home Science, including nutrition, textiles, housing, human development and resource management, rather than confining them to a single unit or elective.

7.2. It is recommended that universities and colleges allocate dedicated time and credit for project based learning in which students must design, implement and document sustainable innovations in homes, campuses or communities.

7.3. It is recommended that teacher education programmes for Home Science include regular training on recent developments in environmental science, climate change, waste management technologies and sustainable product design so that teachers feel confident to handle these topics.

7.4. It is recommended that institutional leaders provide financial and technical support for setting up demonstration units such as compost pits, solar dryers, rainwater harvesting systems and upcycling workshops within Home Science departments.

7.5. It is recommended that partnerships be developed between Home Science departments and local bodies such as municipalities, non governmental organisations and self help groups so that student innovations can be tested and scaled in real community settings.

7.6. It is recommended that evaluation systems give weight to long term implementation of sustainable living projects, including indicators such as reduction in waste, energy saving, improved diet quality or increased use of eco friendly products, and not only to written examinations.

7.7. It is recommended that digital platforms, newsletters and local exhibitions be used to document and share successful Home Science innovations, so that students and teachers from different institutions can learn from one another.

7.8. It is recommended that consumer education modules within Home Science give special attention to marketing strategies, labelling, life cycle costs and ethical aspects of products, enabling students to guide families towards responsible consumption choices.

## 8. Conclusion

Home Science, as a practice oriented and people centred discipline, has a unique capacity to support sustainable living. It operates at the interface between scientific knowledge and daily life, where decisions about food, textiles, housing and resource use are made every day. The discussion in this paper shows that Home Science innovations are already addressing key issues such as energy conservation, waste reduction, healthy and sustainable diets, and responsible consumer behaviour. Theoretical perspectives such as diffusion of innovations, planned behaviour and family resource management provide useful lenses to understand how sustainable practices can spread through households and communities. Policy frameworks on education for sustainable development further strengthen the case for integrating sustainability into Home Science curricula. The current scenario, though mixed, offers many examples of successful projects in campuses and communities. At the same time, challenges remain in the form of limited resources, traditional perceptions of Home Science, curriculum overload and weak documentation. Overcoming these barriers requires conscious

policy support, creative teaching strategies and stronger partnerships with community and government organisations. If these efforts are made, Home Science graduates will not only manage homes efficiently but will also contribute actively to ecological balance and social well being. Their innovations, whether small or large, can help households move steadily towards sustainable living, one practical step at a time.

## References


1. Kulkarni, P. (2017). Integrating sustainability into Home Science education: Teachers' perceptions and practices. Journal of Home Science Education, 16(2), 45–56.
2. Rao, S. (2008). Eco friendly textile practices in Home Science curricula. Indian Journal of Textiles and Clothing, 22(3), 101–110.
3. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York, NY: Free Press.
4. Sharma, R., & Gupta, M. (2005). Impact of Home Science practicals on environmental behaviour of college students. Journal of Family and Consumer Studies, 9(1), 23–31.
5. Thomas, A., & Nair, L. (2012). Home Science extension as a tool for sustainable community development. Rural Development Review, 14(4), 67–79.
6. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2005). United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005–2014: International implementation scheme. Paris, France: UNESCO.
7. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, NY: United Nations.
8. Verma, S., & Kapoor, N. (2010). Household waste management practices and the role of Home Science education. Environment and Home, 5(2), 39–50.
9. Wagle, D. (2004). Resource management for sustainable households: A Home Science perspective. Journal of Family Resource Management, 3(1), 11–20.
10. Yadav, K., & Singh, R. (2013). Youth, consumerism and sustainable lifestyles: Challenges for Home Science education. Asian Journal of Home Science, 8(1), 88–94.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# Effect of Pleasant Human Relationships on Stress Management

**Dr. Poonam Soni**
Guest Lecturer
Govt. Danteshwari P.G. Mahila Mahavidyalaya Jagdalpur C.G.
Email – poonamsoni14008@gmail.com
Mo No – 7974498504

**Dr. Trupti Khanang**
Guest Lecturer
Govt. Danteshwari P.G. Mahila Mahavidyalaya Jagdalpur C.G.
Email - khanangtrupti@gmail.com
Mo No - 9302921248

## Abstract

In the present scenario of modern life, an ordinary person goes through various forms of stress. Every day he faces new challenges, and in such circumstances, stress management becomes essential for everyone so that they do not drift toward mental depression. In managing stress, one's surroundings, relatives, neighbors, friends, life partner, classmates, beloved, lover, society, and colleagues at the workplace—all these pleasant human relationships contribute significantly to living a happy life and managing stress effectively.

This research paper substantiates this point.

Stress has become a significant challenge in modern life due to increasing workload, fast lifestyles, and emotional pressures. Pleasant human relationships—such as those with family members, friends, neighbors, colleagues, and life partners—serve as powerful resources for maintaining psychological well-being. This research paper examines the impact of positive interpersonal relationships on stress reduction, coping abilities, and overall mental health. The study concludes that healthy social support systems significantly decrease stress levels and enhance emotional resilience .

## 1. Introduction

In today's fast-moving world, people encounter various forms of stress daily, including emotional, social, economic, and professional stressors. Prolonged stress may lead to anxiety, depression, low productivity, and poor quality of life.

Pleasant human relationships, built on trust, empathy, and mutual respect, play a vital role in preventing mental burnout and promoting a balanced life. This research aims to explore how supportive relationships assist in stress management.

## 2. Review of Literature

Researchers across psychology and social sciences emphasize the importance of social support in

mental health.

Cohen & Wills (1985) stated that social support acts as a "buffer" against stress.

Taylor (2011) explained that emotional bonding reduces cortisol levels and improves coping mechanisms.

Studies in family psychology highlight that nurturing relationships increase happiness, self-esteem, and overall life satisfaction.

These studies collectively demonstrate a strong association between pleasant relationships and better stress management.

## 3. Objectives of the Study

1. To understand the role of pleasant human relationships in managing stress.
2. To examine how different forms of social support reduce emotional pressure.
3. To analyze the differences in stress levels between individuals with strong and weak social relationships.
4. To suggest strategies for improving interpersonal bonds for effective stress management.

## 4. Research Methodology

**Research Design:** Descriptive and analytical

**Sample Size:** 100 participants aged 18–45

**Sampling Technique:** Random sampling

**Tools Used:** Standard Stress Scale, Social Support Inventory

**Data Collection:** Questionnaire and interview methods

**Data Analysis:** Percentages, mean scores, and comparison charts

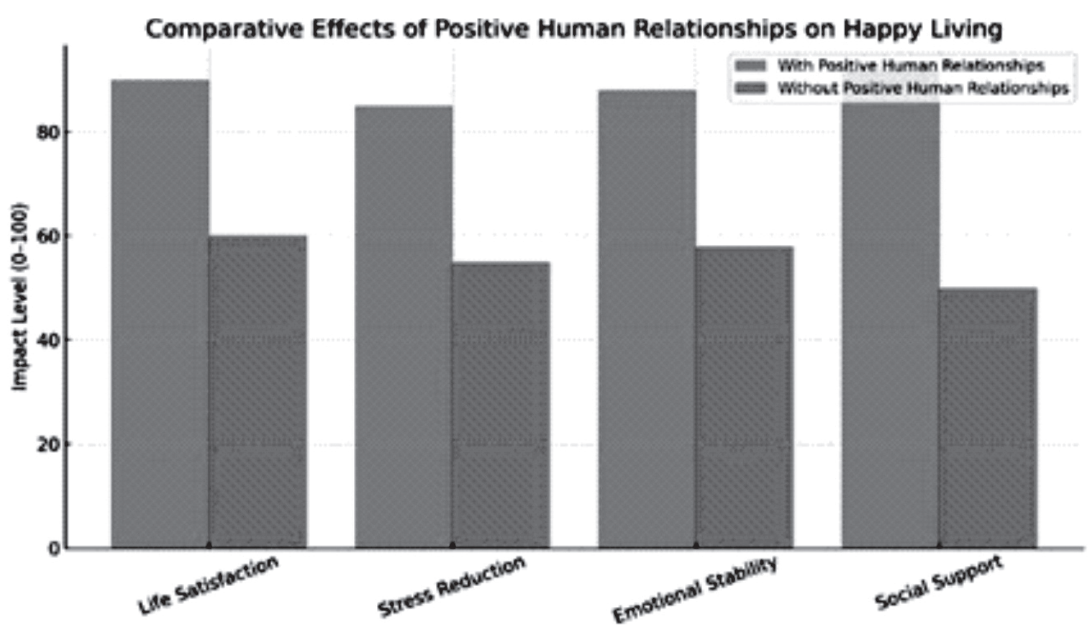

## 5. Results and Discussion

**The findings reveal that:**

**5.1 Emotional Support Reduces Stress**

Participants who had emotionally supportive relationships reported significantly lower stress levels. Empathy, understanding, and open communication help individuals manage emotional burden.

**5.2 Supportive Relationships Improve Coping Skills**

People with strong family or friendship networks showed better problem-solving skills during stressful situations. They expressed higher confidence and adaptive behavior.

**5.3 Positive Social Interaction Promotes Mental Wellness**

Regular interaction with caring individuals improves mood, reduces loneliness, and increases motivation. This lowers psychological strain.

**5.4 Weak or Negative Relationships Increase Stress**

Participants having conflict-ridden or distant relationships experienced higher stress, low self-esteem, and reduced productivity.

### Benefits of Having Positive Human Relationships in Stress Management

1. A person's decision-making ability improves.
2. Due to good relationships in society, overall personality development takes place.
3. A person does not feel disappointed when facing small or big problems.
4. Adjustment and harmony with one's family, spouse, and children leads to a happy family life.
5. A person is able to maintain his economic, social, physical, mental, educational, and creative qualities.

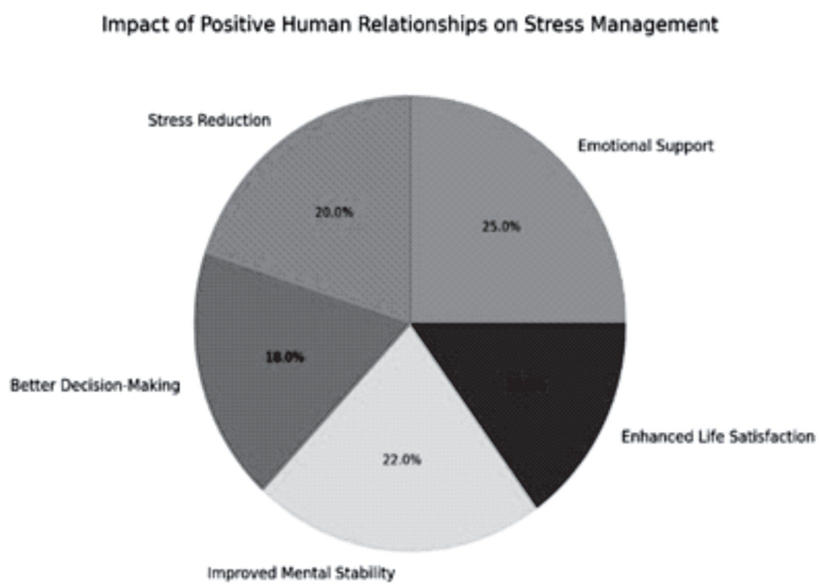

## 6. Conclusion

Pleasant human relationships significantly contribute to stress management by offering emotional comfort, guidance, motivation, and a sense of belonging. Strong interpersonal bonds protect individuals from anxiety, depression, and burnout. Therefore, promoting healthy communication, empathy, and trust within relationships is essential for mental well-being.

## 7. Suggestions

Encourage open conversations within families.

Build supportive friendships.

Practice empathy and active listening.

Strengthen marital and partner relationships.

Maintain a positive and cooperative social environment.

## References


- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis.
- Taylor, S. E. (2011). Social Support: A review.
- Journal articles on stress psychology and interpersonal communication

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# भारतीय संस्कृति और साहित्य में परिवर्तनः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव पर

**डॉ. जोनटि दुवरा**
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, हिंदी विभाग
गोलाघाट कॉमर्स कॉलेज (स्वायत्तशासी)
गोलाघाट-असम पिन-785621
मो.नं. 9854129483
ई-मेलः junti555@redffimail.com

**शोध सारः**

गोल्डन वाइजर के अनुसार, ''संस्कृति के अन्तर्गत हमारी धारणाएँ, विश्वास एवं विचार, हमारे निर्णय, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी संस्थाएँ, राजनीतिक तथा वैधानिक, धार्मिक तथा आर्थिक, हमारे विधान एवं शिष्टाचार, हमारी पुस्तकें और यंत्र, हमारा विज्ञान दर्शन और वह समस्त वस्तुएँ तथा प्राणी दोनों अपने-आप में अनेका-अनेक अंतर सम्बन्धों के रूप में सम्मिलित हैं।" संस्कृति हमारे साहित्य का आवश्यक अंग है। संस्कृति किसी भी व्यक्ति का उसके परिवेश से परिचय करवाती है। प्रायः सभी देशों तथा राज्यों की अलग-अलग संस्कृति होती है। पाश्चात्य साहित्य का भारतीय साहित्य पर बड़ा ही प्रभाव रहा है। पश्चिमी साहित्य की रोमांचवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषण आदि प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रभाव भारतीय साहित्य में उपन्यासों, कहानियों तथा नाटकों में दिखाई पड़ता है।

**बीज शब्दः** भारतीय, संस्कृति, साहित्य, पाश्चात्य, परिवर्तन।

## भूमिका

पाश्चात्य साहित्य का भारतीय संस्कृति पर बड़ा ही प्रभाव रहा है। पश्चिमी-साहित्य की रोमांचवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषण आदि प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रभाव भारतीय साहित्य में उपन्यासों कहानियों तथा नाटकों में दिखाई पड़ता है। काव्य में पश्चिम का प्रभाव अतुकांत और प्रगतिवादी कविताओं में देखा जा सकता है। पश्चिम के प्रभाव के कारण ही साहित्य में अनेक विचारधाराएँ तथा दृष्टिकोण सामने आए। साहित्य में छोटी कहानियों, एकांकी और नाटकों का प्राचार हुआ। इसके अतिरिक्त साहित्य में धर्मनिरपेक्षता, नास्तिकता, भोगवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद तथा स्वतंत्रता, समानता आदि प्रवृत्तियों पश्चिम-संस्कृति का ही प्रभाव है। जब साहित्यकार कोई रचना रचता है, तब वह समाज को साहित्य से जोड़ता है। समाज के जुड़ने से तीज-त्योहार, रीति-रिवाज, परम्पराएँ आदि उसमें अपने-आप शामिल हो जाती हैं और वही हमारी संस्कृति है।

संस्कृति हमारे साहित्य का का आवश्यक अंग है। संस्कृति किसी भी व्यक्ति का उसके परिवेश से परिचय करवाती है। प्रायः सभी देशों तथा राज्यों की अलग-अलग संस्कृति होती है। भारत में विविधता के कारण अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती है।

साहित्यकार जिस परिवेश से जुड़ा होता है, वहाँ की संस्कृति का प्रभाव उसके साहित्य में अवश्य दिखाई देता है। विदेशों में जो भी प्रवासी लेखक साहित्य लिखते हैं, उनके साहित्य में हमारे देश की संस्कृति की झलक अवश्य मिलती है।

## मूल विषय वस्तु

राष्ट्र की जीवंतता का बोध उसकी संस्कृति से ही प्राप्त होता है। भारतीय नागरिक अपनी संस्कृति की प्राचीनता और गौरव-गरिमा में मंडित रहे हैं, परन्तु वर्तमान साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय साहित्य में पाश्चात्य संस्कृति के प्रति अनुराग, विदेशी-वस्तुओं का लोभ, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, सांस्कृतिक आयात-निर्यात, वर्गसंकर संस्कृति का उदय, सांस्कृतिक दरिद्रता, नव्य विचार-चिंतन, दुःख-परोपकार, संस्कृति के बचाव के नाम पर लूट एवं कलाकारों की दयनीय स्थिति आदि विभिन्न पक्षों को उजागर किया जा रहा है। इस विषय में अधिक विस्तार में वर्णन करने की अपेक्षा इतना कह देना पर्याप्त होगा कि पश्चिमी साहित्य की प्रत्येक प्रवृत्ति अनुकरण भारतीय साहित्य में हो रहा है। हिंदी का साहित्य पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ओतप्रोत हो रहा है। वर्तमान में हिंदी भाषा में अधिकर अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जिससे शुद्ध हिंदी की जगह 'हिंग्लिश' का प्रभाव हमारें चारों ओर दिखाई दे रहा हैं यह पाश्चात्य प्रभाव का असर ही है। भारतीय रीति-रिवाजों के साथ ही भारतीय संस्कृति के अन्य अंगों पर भी पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। यह प्रभाव भाषा, साहित्य, संगीत, कला, धर्म, नैतिकता आदि में दिखाई पड़ता है।

हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल के साहित्य में भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। परन्तु रीतिकाल और आधुनिककाल में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव ने जोड़ पकड़ा है। पाश्चात्य प्रभाव के कारण जहाँ साहित्य में औद्योगिकरण, व्यवसाय, जाति-प्रभा, शिक्षा, सामाजिक जागृति, राजनीति, नारी स्वतंत्रता, नारी शिक्षा, आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास के साधन, संचार साधनों का विकास, भौतिकवादी संस्कृति का प्रचार-प्रसार, परंपरागत रूढ़िग्रस्त भारतीय आदर्शों में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। बीसवीं सदी में साहित्य और समाज में तथा भारतीय सोच पर पाश्चात्य सोच के नकारात्मक परिवर्तन ही नजर आए हैं। आज भारतीय समाज खान-पान, रीति-रिवाज तथा अपनी-अमूल्य धरोहर 'अपनी संस्कृति' को भूलता जा रहा है। हम पश्चिमी देशों के तौर तरीके अपनाने की होड़ में इस तरह लगे हैं कि अपनी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को भौतिक प्रधान संस्कृति मानी जाती थीं। जबकि हम पाश्चात्य संस्कृति को भौतिक प्रधान संस्कृति के रूप में देखते हैं।

हमारी संस्कृति में विश्वास, प्रेम-भावना, सहानुभूति, आदर, रीति-रिवाजों का अत्यधिक महत्व रहा है। धर्म प्रधान संस्कृति होने के कारण इसे आध्यात्मिक संस्कृति कहा जाता है। साहित्यकार समाज में होते हुए इस परिवर्तन को अपनी लेखनी के माध्यम से अपने साहित्य में प्रस्तुत कर रहा है। पाश्चात्य प्रभाव के साहित्य और समाज दोनों प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में मनुष्य अपनी देशी खानपान को छोड़कर बर्गर, पिज्जा खाना है। खादी-सूती कपड़ों की जगह वह डेनिम, वुडलैंड के ब्रांड पहनता है। लड़कियाँ सूट-सलवार, साड़ी की जगह जीन्स-टॉप, स्कर्ट आदि पाश्चात्य कपड़े पहन रही हैं। मनुष्य भौतिकवादी युग में जी रहा है। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागते-भागते वह इतना अंधा हो चुका है कि अपने भारतीय खानपान, अपनी वेशभूषा, रीति-रिवाजों को अपनाने में शर्म महसूस करता है और जो लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हैं उनको वे अनपढ़, गवार समझते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हैं, उन लोगों को पढ़ा-लिखा तथा समझदार माना जाना है। लेखक साहित्य में इन सभी परिवर्तनों को महसूस कर रहा है। देखा जाय कि 19वीं-20वीं शताब्दी में पश्चिमी-संस्कृति ने जिस प्रकार भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डाला, उसको देखकर अनेक साहित्यकारों ने साहित्य की प्रत्येक विधा में उसका चित्रण किया है। भारतेन्दु, जगमोहन सिंह, मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, प्रेमचन्द्र, अज्ञेय आदि अनेकों ऐसे नाम है, जिनके साहित्य में हमें पश्चिम सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी राष्ट्रीय रचना 'भारत-भारती' में भारत के अतीत का गुणगान किया है। उन्होंने भारतीय को बताया कि हमारे देश की संस्कृति कितनी पुरानी है। भारतीय संस्कृति को दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति माना जाता है। उसी के साथ उन्होंने

भारत-भारती में वर्तमान और भविष्य खंड का भी उल्लेख किया है। उन्होंने इस रचना में बताया है कि हमारे भारतीयों का अतीत कितना महान था और वर्तमान कैसा हो गया है, क्योंकि हमने अपनी सभ्यता और सेसकृति को भुला दिया है। हमने दूसरे देशों की संस्कृति को अपना लिया है।

मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में-"हम कौन थे क्या हो गए, जान लो इसका पता, जो ने कभी शुरू, न अब शिष्य की भी योग्यता, जो ये सभी से अग्रगामी, आज पीछे भी नहीं है दिखती संसार में, विपरीतता जैसी कहीं।" सभ्यता संस्कृति का आरंभ विकास हमारे भारत देश से होने के कारण भारत को संसार का 'सरमौर' कहा जाता था। भारत के पूर्वत गुणी, धैर्यशाली, बुराईयों से दूर, स्वच्छन्छ, धर्म-कर्म में निरत रहने वाले कहे गए हैं। भारतीय नागरिक अपनी संस्कृति की प्राचीनता और गौरव-गरिमा से मंडित रहे हैं। वर्तमान में हम भारतीय अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। यह वर्तमान समय में चिन्ता का विषय है।

भारतीय संस्कृति को विद्वानों ने 'देव संस्कृति' के समान मानते हैं। क्योंकि संसार की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति भारतीय संस्कृति है। भारतीय सांस्कृतिक पद प्रसिद्ध महिला लेखिका उषा प्रियंवदा ने अपने कला साहित्य में भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का मिलाजुला प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए 'चांद चलता रहा' कहानी में रहिणी के जीवन पर प्रकाश डाला है। रोहिणी अपनी शर्तों पर जिंदगी बसर करना चाहती थी। वह हर दिन नए पुरुष के साथ बिताती थी। जिज्ञासावश नहीं, आक्रोश और कुंठा के रूप में। लेखिका ने रहिणी के माध्यम से आधुनिक नारी के विचारों को दर्शाया है। 'ट्रिप' कहानी के माध्यम से लेखिका पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन जीने वाली 'सोनी' की विचारधारा को प्रस्तुत करती है। ऐसे बहुत उदाहरण हिंदी साहित्य में हैं, जिन्होंने (महिला लेखिकाओं ने) भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के बारे में लिखा है। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हर रूप-रंग में महसूस किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में रचे-बसे लोगों पर पश्चिमी सभ्यता का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। सिर्फ बोलचाल ही नहीं, बल्कि पहनावें, परंपरा, रीति रिवाजों को लेखक भी उनकी विचारधाराएँ बदल रही हैं।

## निष्कर्ष

उपरोक्त आलोचना के बाद हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साहित्य में पाश्चात्य प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय संस्कृति जहाँ पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को रखा करें। त्याग, संयम, सम्मान, सत्य, अहिंसा ये सभी हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें अपनी संस्कृति से अपनी आने वाली पीढ़ी को जोड़ना होगा। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व था, हमारी युवा पीढ़ी का मोह पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी का रहन-सहन तो पूरी तरह से बदल ही चुका है, अपने सिद्धान्तों और मूल्यों से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। विदेशों में हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, पर अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं; जो कि भारतीय होने के नाते प्रत्येक नागरिक के लिए चिंतन का विषय है। इसके लिए हम सभी को सजग भी रहना चाहिए।

## संदर्भ सूची

1. तोमर, राम बिहारी, समाजशास्त्र की रूपरेखा, श्रीराम मेहरा एंड कम्पनी, आगरा, 1979, पृ. 336.
2. चतुर्वेदी, ज्ञान, जो घर फूंके, राजकमल प्रकाशन, 2012, दिल्ली, पृ. 49.
3. गुप्त, मैथलीशरण, भारत भारती, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ. 27.
4. उषा प्रियंवदा, डॉ. सुभाष पवार, वधा प्रकाशन, कानपुर प्रथम संस्करण, 2010, पृ. 22.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# अष्टछाप संगीत एवं उसके वाद्य यन्त्र

**Kunwarpreet Singh**
Research Scholar
Banasthali Vidyapith, Banasthali
Mobile No 9988297069
Email- kunwarpreet69@gmail.com

संगीत की मधुर स्वर लहरी ऐसी सार्वभौम, सर्वग्राह्य, मोहक ध्वनि है जो देश, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म एवं अन्य समस्त लौकिक भेदों तथा मर्यादाओं को स्वीकार नहीं करती। इसीलिए भारतीय ऋषि-मुनियों एवं तपस्वी साधु सन्तों ने संगीत साधना को अध्यात्म विद्या की सरस ललित साधना बताते हुए उसमें आत्मा की झंकार के दर्शन किए हैं। कला और साहित्य में ध्वनित होने वाली भारतीय संस्कृति का मूलाधार धर्म है। धर्म और संगीत का अटूट संबंध वैदिक युग से चला आ रहा है।

संसार में संगीत के प्राचीनतम ग्रंथ सामवेद में 'स्वर' को 'यम' कहा गया है। छांदोग्योपनिषद का 'समनो गतिरति' (साम की गति क्या है?) स्वर इति हो वाच (साम का स्व अपनाना स्वर है) द्वारा प्रश्नोत्तर शैली में स्वर को समझाया गया, जिसमें साम का 'स्व' स्वर ही है। संगीत को परम तत्त्व की साधना मानने के कारण ही वैदिक युग से ही भारतीय संगीत कला के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। इसका आशय यही है कि मानव की इतनी उच्च कला को देवकृपा तथा प्रेरणा से ही प्राप्त किया जा सकता है, अपने बल पर नहीं।

वैदिक युग के पश्चात् भरत का नाट्यशास्त्र, ग्यारहवीं शती में मिथिला के राजा नान्यदेव का 'हृदयालंकार' पश्चिमी चालुक्य वंशज महाराज सोमेश्वर के 'अभिलषितार्थ चिन्तामणि', जगदेक मल्ल के 'संगीत चूडामणि, चालुक्यवंशीय सौराष्ट्र नरेश हरिपाल द्वारा रचित ' 'संगीत सुधाकर', सोमराजदेव कृत भारतीय संगीत, जयदेव रचित 'गीत गोविन्द', 'शार्गदेव रचित' 'संगीत रत्नाकर' आदि कुछ ऐसे बेजोड़ ग्रंथ हैं, जिनके आधार पर प्राचीन भारतीय संगीत की पूरी जानकारी हांसिल की जा सकती है। संगीत द्वारा ईश्वरीय उपासना को रेखांकित करते हुए शांगदेव संगीत रत्नाकर में लिखते हैं कि समस्त प्राणियों में चौतन्य ही जगत की आत्मा के रूप में प्रकट हुआ, नाद ब्रह्म है तथा आनन्द स्वरूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश नाद की उपासना द्वारा निश्चित रूप से पूजे जाते हैं, क्योंकि ये उसी के रूप हैं। अतः कवि और भक्त संगीतज्ञ संगीत के माध्यम से अपनी पद रचना को भावमय एवं रसमय बनाकर पदावली को दिव्यात्मकता प्रदान करके हृदयग्राही बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं।

भारतीय संगीत के उद्गम एवं विकास में भक्ति एक अविरल स्रोत शक्ति है एवं यही वह केन्द्र बिन्दु है, जिसमें संगीत की राग-रागिनियाँ, तालों एवं ध्रुपद, धमार आदि विभिन्न गेय विधाओं में उनका कलात्मक पक्ष सजीव एवं सारगर्भित रूप में उभरा है। मध्यकाल में भक्ति संगीत अत्यन्त तीव्रगति से विकसित एवं विस्तारित हुआ, क्योंकि इस समय भक्ति संगीत का आधार शास्त्रीय संगीत था। वैष्णव पुराणों के नाम तथा लीला कीर्तन प्रसंगों की प्रेरणा पाकर मध्ययुग के पुष्टिसम्प्रदाय के अष्टछाप बैग्यांकार संगीत आचार्यों ने रस की जो पावन मधुर मनोहर रसधारा देश में प्रवाहित की उसके आनन्ददायी अनुपम स्वरों में देश को डूबते देर नहीं लगी।

वल्लभाचार्य जी ने सं. १५५६ में ब्रज की दूसरी यात्रा के समय गोवरधन में श्रीनाथजी की सेवा का शुभारम्भ कर वहाँ कीर्तन के रूप में सुनियोजित व्यवस्था की तथा गोवर्धन के निकट जमुनावतौ ग्राम के निवासी साधारण किसान परन्तु महान् वांग्येकार कुम्भनदास को प्रथम कीर्तनियाँ नियुक्त किया। बल्लभाचार्य जी के सामने पौराणिक काल के वैष्णव महान् ग्रंथ थे, जिनमें भक्ति रस के सार्वजनिक प्रवाह के लिए प्रभु के लीला प्रसंग के गायन की मुक्त कंठ से हिमायत की गई थी। 'नारद - संहिता' में भगवान स्वयं नारद से कहते हैं- 'मैं न तो बैकुण्ड में बसता और न योगियों के हृदय में रहता हूँ, वरन मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, वहाँ पर ही मैं सतत निवास करता।' गीता में भी इसी सत्य की घोषणा करते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं—'यदि अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है।' 'शिव पुराण' का भी स्पष्ट मत है कि कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, तीन महान साधना है। इसी सत्य को महाकवि सूरदास ने अपने हृदय की अमरवाणी के काव्य रस में भिगोकर कहा कि श्रीगोपाल के लीला प्रसंगों को गाने में जो अपूर्व आनन्द मिलता है, वह संयमी तपस्वी जीवन यापन करने, करोड़ों तीर्थ स्नान में नहीं मिलता। रससक्ति श्रीकृष्ण के लीला प्रसंगों से नेत्र प्रेमाश्रुओं से भीग जाते हैं। ऐसे समय सारे संसार का सुख वैभव तिनके के समान सारहीन लगने लगता है।

महाकवि सूर ने प्रभु श्रीनाथजी के लीला प्रसंगों को कोरा कीर्तन के समय होने वाली तन्मय भक्ति के आन्ददायी क्षणों का अकाट्य प्रमाण कहाँ है। अस्तु, आचार्यजी ने कुम्भनदास जी के पश्चात् उनके सहयोग के लिए सूरदास और परमानन्ददास, श्रीनाथजी के कीर्तनियाँ नियुक्त किये। श्रीनाथजी के गोवर्धन के जतीपुरा ग्राम में स्थित देवालय में कीर्तन की यह व्यवस्था सुलतानों के मजहबी तास्सुव के काल में हुई थी और उस कठिन युग का अन्त होते-होते श्री बल्लभाचार्य जी का तिरोधान हो गया।

सम्वत् १५७२ में जन्म तथा सं. १६२४ में वैकुण्ठवासी हुए बल्लभाचार्य जी के यशस्वी पुत्र विट्ठलनाथजी ने सं. १६०२ में अपने पिता के चार शिष्य सर्वश्री कुम्भनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास एवं चार अपने शिष्य सर्वश्री गोविन्द स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और परमानन्द जैसे अपने युग के श्रेष्ठ वांग्येकार भक्ति गायक संगीतकारों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई जिसके कारण यह मण्डली अष्टछाप कहलाई तथा श्रीनाथजी की सेवा के अन्तरंग साथी होने के कारण साम्प्रदायिक भाषा में अष्टसखान के नाम से प्रसिद्ध हुई।

गोस्वामी विट्ठलनाथजी ने श्रीनाथजी की सेवा के दो क्रम निर्धारित किए थे। प्रातः काल से सांयकाल पर्यन्तक नित्य सेवा तथा बारह महीनों और छह ऋतुओं की वर्षोत्सव सेवा। उनकी कीर्तन विधि वृन्दगान के रूप में थी, जिसमें गायन-वादन की समुचित व्यवस्था की गई थी। सामान्यतरू सभी अष्टछापी महानुभाव उसमें योग देते थे, किन्तु प्रमुखतया एक-एक झाँकी के लिए एक-एक प्रधान कीर्तनकार और उसके आठ-आठ सहकारी नियुक्त थे। राजभोग की झाँकी में प्रायरू सभी कीर्तनकार एक साथ कीर्तन करते थे, उसके लिए भी एक प्रधान कीर्तनियां की व्यवस्था थी।

साम्प्रदायिक साहित्य के उल्लेख के अनुसार ठाकुर जी के शयन से जगाने की झाँकी मंगला के प्रधान परमानन्ददास, ललित, भैरव, विभास राग में जागरण, खंडिताभाव, अनुराग, दधिमंथन के पद, शृंगार के नन्ददास, विलावल, रामकली गुणकली राग में ठाकुर जी के नाना प्रकार के वस्त्राभूषण, साज-सज्जा विषयक पद, ग्वाल के गोविन्द स्वामी, रामकली, गुणकली, राग में वस्त्राभूषण धारण कर ग्वाल-वालों के साथ खेल के पद, राजभोग के कुम्भनदास, देवगंधार, रोडी, असावरी राग में छाक के पद, उत्थापन के सूरदास धनाश्री, भीमपलासी राग में दोपहर के शयन के पश्चात् ठाकुरजी के उठने पर वन लीला, गो टेरन के पद, संध्या भोग के चतुर्भुजदास, गौरी, पूरिया, पूर्वी राग में मुरली माधुरी, रूप माधुरी, गाय, गोप-गोपियों से सम्बन्धित पद, संध्या आरती के छीतस्वामी, श्री, जेतश्रीराग के गौचारण के पश्चात् ठाकुरजी के पधारने पर वात्सल्यभाव से यशोदा द्वारा बुलाना, श्रीकृष्ण की वन से वापिसी, गोदहन आदि के पद, शयन के कृष्णदास, यमन, कामोद, विहाग, केदारा राग के अनुराग, गोपीभाव, निकुंज लीला के पद गाने की व्यवस्था की गई, जो न्यूनाधिक रूप में आज भी नाथद्वारा के श्रीनाथजी के देवालय में आभास रूप में जीवित है। इनमें से प्रत्येक के आठ-आठ सहकारी होते थे जिन्हें झालरिया कहा जाता था। वे भी उत्कृष्ट गायक थे

और उनका कार्य प्रधान कीर्तनियां को उसके गायन में सहयोग देना था।

अष्टछापी कीर्तनकार कुशल संगीतज्ञ और सुरीले गायक होने के साथ-साथ आशु कवि भी थे। अष्टछाप के कवि अपने समय के अग्रणी संगीतकार रहे हैं। श्रीनाथजी की नित्यसेवा विषयक विभिन्न झाँकियों के अवसर पर प्रधान कीर्तनियाँ तथा झालरिया के वृन्दगान पर विभिन्न वाद्य यन्त्रों के प्रयोग से भक्तिरस की जो आध्यात्म धारा प्रवाहित होती थी, उसके कारण देश के कोने-कोने से आवागमन के साधनों का सर्वथा अभाव होते हुए भी हजारों की संख्या में भक्तगण गोवरधन की ओर खिंचे चले आते थे। उस समय के कीर्तनियाँ और झालरिया के वृन्दगान के साथ-साथ कोने-कोने से व्यक्तित्व वादक के रूप में श्रीनाथ के देवालय में ख्याति नामा थे, इसकी बहुत अल्प जानकारी है।

'चौरासी वैष्णव की वार्ता' तथा 'श्री गोवर्धन नाथजी' की प्राकट्य वार्ता' के अनुसार पखावज वादकों में श्याम कुम्हार, मृदंग में घोंधी, वीणा वादन में श्याम पखावजी की पुत्री ललिता तथा सारंगी वादन में क्षत्रिय जाति के ध्यानदास का नाम मिलता है। इन लोगों के अतिरिक्त अन्य वाद्यों को उस समय नित्य सेवा कीर्तन में कोन कोन बजाते थे, इसके विषय में जानकारी का अभाव है। यद्यपि अष्टछाप के सभी कीर्तनकारों ने अपने पदो में वाद्ययन्त्रों का उल्लेख किया है, तथापि सूरदास ओर कृष्णदास के पदों में बहुसंख्यक वाद्यों के नाम मिलते हैं। उस समय कोन कोन से वाद्य यंत्र काम में आते थे, यह कहना कठिन है। किन्तु पदों में आई हुई नामावली से यह पता अवश्य चलता है कि अष्टछाप के समय उक्त नामों के वाद्य प्रचलित रहे होंगे अथवा उनके विषय में इन कवियों को जानकारी रही होगी।

अष्टछाप के पदों में तीन स्थलों पर वाद्यों का वर्णन आता। 'कृष्णजन्मोत्सव', 'रास प्रकरण' और होली प्रकरण के कृष्णदास के 'चल री सिंह पौर चांचर मची जहँ खेलत तढोटा दोय' के धमार के एक पद में वाद्यों के नाम इस क्रम में आये हैं- १. बीना, २. रवाब, ३. किन्नरी, ४. अमृत कुण्डली, ५. यंत्र, ६. बांसुरी, ७. स्वर मण्डल, ८. पिनाक, ६. महुवरि, १०. जलतरंग, ११. मदनभेरी, १२. राय गिड़गिड़ी, १३. शहनाई, १४. कठताल, १५. ताल, १६. झांझ, १७. खंजरी, १८. झालर, १६. शृंगी, २० शंख, २१. मुखचंग, २२. डफ, २३. डिमडिम, २४. ढोल, २५. मृदंग, २६. निशान, २७. नगाड़ा, २८. दुदभि। सूरदास की सारावली में तत्कालीन २६ वाद्यों के नाम इस प्रकार आये हैं- १. रुंज, २. मुरज, ३. डफ, ४. ताल, ५. बांसुरी, ६. झालर, ७. बीन, ८. रवाब, ६. किन्नरी, १०. अमृत कुण्डली, ११. यंत्र, १२. स्वरमण्डल, १३. जल तरंग, १४. पखावज, १५. आवज, १६. उपंग, १७. शहनाई, १८. सारंगी, १६. कांस्य ताल, २०. कठताल, २१. शृंगी, २२. मुखचंग, २३. खंजरी, २४. पटह, २५. प्रणव, २६. नफीर। 'हरिराय जी द्वारा सम्पादित' खट ऋतु वार्ता में अष्टछापी कीर्तनिया चतुर्भुजदास के नाम से ३६ वाद्यों के नाम भी मिलते हैं जो इस प्रकार हैं - १. बीनाचीन, २. मुरली, ३. अमृत कुंडली, ४. जलतरंग, ५. मदनभेरी, ६. घोंसा, ७. दुंदभि, ८. निशान, ६. नगाड़ा, १०. शंख, ११. घण्टा, १२. मुखचंग, १३. शृंगी, १४. खंजरी, १५. ताल, १६. कठताल, १७. मंजीरा, १८. मुहवरि, २३. डिमडिम, २४. झाँझ, २५. मृदंग, २६. गिड़गिड़, २७. पिनाक, २८. १६. थाली, २०. झालर, २१. ढोल, २२. डफ रवाब, २६. यंत्र, ३०. स्वर मण्डल, ३१. शहनाई, ३२. सारंगी, ३३. दुतारी, ३४. करताल, ३५. तुरही, ३६. किन्नरी।

तार अथवा ताँत की तन्त्रियों से युक्त जिन वाद्यों को नख, मिजराव अथवा घोड़े की कमान से रगड़ कर बजाते हैं, तथा जिनसे सात स्वर, बाईस रुति, इक्कीस मूर्छना, तान और अलंकार आदि सभी प्रकट होते हैं ' ततवाद्य' कहलाते हैं। ततवाद्यों में वीणा प्रमुख है। मुगलकाल में यह बीन नाम से जाना जाता था।

अष्टछाप साहित्य में जहाँ बीन या बीना शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे रुद्रवीणा का द्योतक समझना चाहिए। 'खट ऋतु वार्ता में उद्धृत 'बिनाचीन' किस प्रकार की वीणा थी, इसके विषय में निश्चित जानकारी नहीं है। जब वीणा के स्वर मिलाने और उसका वादन करने में कठिनाई होने लगी, तब उसके स्थान पर सारंगी और रवाब का प्रचलन हो गया। सारंगी भारतीय वाद्य है जबकि रवाब विदेशी। रवाब तथा सारंगी को अष्टछाप के कवियों ने पर्याप्त प्रयोग किया है। सुषिर वाद्य फूँककर बजाये जाते हैं। अष्टछाप के साहित्य में सुषिर वाद्यों में से बांसुरी, शहनाई, महुविर, मुखचंग, सिंगी तथा शंख वाद्यों के नाम मिलते हैं। बांसुरी का प्रभाव इतना व्यापक माना जाता है कि सुर, नर, पशु, पक्षी तक इसके प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरी लम्बाई के के आधार पर मुरली, वेणु, बंशी आदि इसके अनेक नाम हैं। शहनाई मुसलमानी वाद्य है। शहनाई धतूरे के फूल आकार

की एक हाथ लम्बी लाल चन्दन की बनी होती है। आधे बेर के बीज के आकार वाले एक-एक अँगूठे के अन्तर से आठ छेद होते हैं। इसका मुख चार अंगुल लम्बा होता है, जिसमें शब्द उत्पन्न करने वाले दो इमली के पत्ते के आकार के हाथी दांत के पत्ते लगे रहते हैं।

'मुखचंग' नाम से संगीत ग्रंथों में किसी वाद्य का नाम नहीं मिलता। यह एक प्रकार का आनद्ध वाद्य है जो ख्याल गायकी में बजाया जाता है। महुवरि को संस्कृत में नागसर कहते हैं। देश के सपेरे लोग इसका प्रयोग करते हैं। मुहचँग मुख से बजाया जाता है। थोड़ा सा मोम लेकर मुँह चँग की पूछ पर चिपका देते हैं, जिससे इसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। सींग से निर्मित्त होने के कारण सिंगी वाद्य कंठ से उत्पन्न स्वर से ओठों पर रखकर बजाया जाता है। शंखमुख भी वायु से बजाया जाता है। यह सामुद्रिक जीव का ढाँचा है। दक्षिणावर्त नाम से इसके दो रूप मिलते हैं। वे वाद्य जो भीतर से पोले तथा चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और हाथ या किसी अन्य वस्तु के ताड़न से ध्वनि उत्पन्न करते हैं वे वाद्य यंत्र आनद्ध कहलाते हैं। आनन्द वाद्यों में अष्टछाप के कवियों ने मृदंग, पखावज, मादनिरालिरा, मुरज, रूंज, आवज, दुंदभी, निशान, पटह, ढोल, डमरू, डिमडिमी, चंग, डफ, खंजरी, उपंग का उल्लेख किया है। घन वाद्य ठोकर से बजाये जाते हैं। इस प्रकार के वाद्य प्रायः सभी ताल वाद्य हैं। वे वाद्य काँसे, पीतल या लकड़ी के बने हुए होते हैं। इसमें काँसे के बने हुए वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि निकलती है। लकड़ी के वाद्या से भी सुन्दर ध्वनि होती है।

धनवाद्य अपना पृथक अस्तित्त्व नहीं रखते। अन्य वाद्यों के साथ बजने पर ही सुन्दर लगते हैं। अष्ट छाप मनीषियों ने ताल, कठताल, झालरि, झाँझ, मंजीरा, मंजीर, घुंघरू, जलतरंग का घन वाद्यों। पुष्टि सम्प्रदाय में उल्लेख किया है। इन वाद्यों में झाँझ तथा मँजीरा का सर्वाधिक प्रयोग कीर्तन संगीत में होता आया के पदों में बहुसंख्यक वाद्यों का उल्लेख हुआ है तथापि अष्टछाप कीर्तनकार नित्य उत्सवों में थोड़े ही वाद्यों जैसे वीणा, मृदंग, बंशी और झाँझ का ही प्रयोग करते थे। विशेष उत्सवों पर अधिक वाद्यों का उपयोग किया जाता था। होली के अवसर पर सबसे अधिक वाद्य बजाये जाते थे। वल्लभाचार्य तथा विठ्ठलनाथ जी ने अपने युग के वैभवशाली दरबारी संगीत को लौकिक आमोद-प्रमोद तथा वैभव विलास से निकाल कर अध्यात्म के भक्तिरस का प्रमुख आश्रय बनाकर पौराणिक भारतीय संगीत के सच्चे करणीय को पुनः स्थापित करके हमारे देश के संगीत के गायन-वादन के क्षेत्र में जो अपूर्व सेवा की है, उसे शब्दों में रेखांकित करना असम्भव है।

अष्टछाप संगीतकारों की ध्रुपद धमार शैली द्वारा की गई भारतीय संगीत सेवा को क्या कभी भुलाया जा सकेगा और संस्कृत ध्रुपद ने लौकिक भाषा ब्रज में कवित्त छन्द का प्रणयन कर साहित्य क्षेत्र में जो अपूर्व क्रान्ति की है, वह तो एक अलग विषय हैं, जिसका यहाँ हम मात्र संकेत करना चाहते हैं। सूर के विष्णुपदों में सर्वथा नवीन छन्द घनाक्षरी का प्रयोग इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

## संदर्भ


1 प्रो. सत्यभान शर्मा , पुष्टिमार्ग्य मन्दिरों की संगीत परम्परा -हवेली संगीत, राधा पब्लिकेशन प्रथम संस्करण 1999

2. साक्षात्कार -पं. गिरधारी लाल शर्मा (परवावज वादक, मथुरा) प्रो.सत्यभान शर्मा (कलाकार हवेली संगीत एवं सेवानिवृत प्रोफेसर आगरा), पं. लाल जी प्रभाकर (तबलावादक आगरा)

3. दया प्रकाश सिन्हा, लोक रंग, उ.प्र. हिन्दी सस्थान संस्कृति कार्य विभाग, उतर प्रदेश

4. मधुमिता भाटाचार्य, उतर प्रदेश मैं शास्त्र्या एवं उपष्स्त्र्य संगीत के विकाश का अध्ययन

5. डॉ. शान्ति जैन ,लोक गीतों के सन्दर्भ और आयाम

6. साहित्य कोष पृ. ७६

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# बहुमुखी प्रतिभा के धनी रातनजनकर जी

**Dr. Gauri Khanna**
Assistant Professor,
P.G.Department of Music Vocal
G.S.S.D.G.S. Khalsa College, Patiala
Mobile No.- 9501522640
Email.- drgaurikhanna@gmail.com

रातनजनकर जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के अनन्य संगीत सेवी रहे हैं। उच्चादर्श, दार्शनिक आधार पर जिस भाव से संगीत के उदात्त स्वरूप को कायम रखने, शिक्षा का स्वस्थ रूप प्रतिष्ठित करने में अपने मार्गदर्शक गुरू पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी के निर्धारित लक्ष्य की ओर निस्वार्थ भाव से अग्रसर हुए, संगीत की शिक्षा के लिए उपर्युक्त उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तैयार करके, बहुमूल्य बन्दिशों की रचना करके तथा अनेक ऊँचे शिष्यों का निर्माण करके संगीत की अमर अनमोल सेवा की है। एक रचनाकार, एक गायक, एक अनुशासनप्रिय प्रधानाचार्य, एक प्रबुद्ध एवं विचारवान लेखक, एक सहज और सहृदय शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इनके व्यक्तित्व के जितने भी पहलू हैं वे कथक रूप से प्रशंसनीय हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पक्षों पर प्रकाश डाला जायेगा।

भारतीय संगीत के क्षेत्र में 'पद्मभूषण स्व आचार्य श्रीकृष्ण नारायण रातनजनकर का विशिष्ट स्थान है। संगीत के महान गायकों के गायक व श्रेष्ठ वाग्गेयकार के रूप में आचार्य रातनजनकर जी निर्विवाद रूप से सर्वमान्य हुये हैं आचार्य जी की गायकी में विशेष रंग ग्वालियर और आगरा घराना अधिक परिलक्षित होता था, आलापचारी में जोड़-आलाप, चार अंगों में राग की पूर्ण अभिव्यक्ति, गमक, जोरदार आवाज तथा तानों में उनका एक अलग रंग झलकता था, साथ ही तीनों सप्तकों में आसानी के साथ फिरना, तान में वैविध्य, लयकारी की सरगम, यह सब उनके लए सहज बात थी। बड़े-बड़े कलाकार उस जमाने में यह कहते थे कि रातनजनकर जी रागों के बगीचे लगाते हैं और उनकी गायकी के सम्बन्ध में वे कहते थे - जहाँ सुर, शब्द और लय दास हैं वहाँ और क्या चाहिए।''

रातनजनकर जी के गाने में सबसे महत्व की चीज थी, सुर का लगाव - एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरात्मक रागोच्चार। राग के अनुरूप भाव जहाँ होना चाहिए था, उसके अनुरूप स्वर का लगाव करना, यह सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी में थी। बन्दिशों के प्रस्तुतीकरण का भी उनका एक खास ढंग था - 'बनठन' के साथ बन्दिश प्रस्तुत करने का ढंग'। इसी में फैयाजखाँ साहब की बोलबनाव की शैली को स्थान मिला - बोलबनाव का अंग और लयकारी युक्त तानें आगरा घराने की खासियत थी। वे अपने गायन में अल्लादिया खॉ साहब की शैली में कूटतानों का भी काफी मात्र में प्रयोग करते थे। वे बन्दिशों के शब्दों का उच्चारण खास लहजे में करते थे, इससे उनके गान के सौन्दर्य में इजाफा हो जाता था, चाहे पंजाबी भाषा की बन्दिश हो या हिन्दी की। स्वर लगाव, शब्दोच्चारण आदि के साथ-साथ रातनजनकर जी का लय तत्व पर भी उतना ही अधिकार था। हम उनकी रची हुई बन्दिशों में लय का सौन्दर्य अनुभव कर सकते हैं।

रातनजनकर जी के पास रागों का भण्डार था। गायनाचार्य बालकृष्ण बुवा इचलकरंजीकर को 60-70 राग याद होगें,

लेकिन महफिल में वे उनमें से चन्द राग ही गाये थे। फैयाजखॉं जो इस शतक के महागायक समझे जाते थे उन्होंने भी 25-30 रागों से आगे गाया नहीं, लेकिन आचार्य रातनजनकर जी एक ऐसे गायक थे जो कि 250-300 राग इस प्रकार पेश करते थे मानों उन्हें उसकी पूरी तालीम मिली हो।

हिन्दुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत पद्धतियों में परस्पर समझ एवं सद्भाव बढ़ाने के उददेश्य से उन्होंने अनेक कर्नाटकीय रागों जैसे - हंसध्वनि, पूर्ण कल्याण, चारूकेशी, मलयमारूतम, नटभैरवी, बसन्तमुखारी, गोपीबसन्त, नारायणी, आभोगी में बन्दिशें कीं, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई हैं। रातनजनकर जी ने बहुप्रचलित रागों में जो गीत-रचना की, उन्होंने विशेष उन अल्प प्रचलित रागों की ओर ध्यान दिया कि जिनके स्वरूपों का मानकीरण नहीं हो सका था और जिनमें परम्परागत गीतों का अभाव था। ऐसे राग जैसे नट, कुकुभ, हेमनट, दीपक, शिवमत भैरव, आनन्द भैरव, प्रभात भैरव, मालवी, पंचम, बरवा, रवट आदि अनेक रागों में विभिन्न गीत प्रकार व बन्दिशों को रचकर, राग संगीत की धरोहर को लुप्त होने से उन्होंने बचाया , उन रागों के स्वरों को तो स्पष्ट किया ही, साथ ही विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त किया।

रातनजनकर जी ने अनेक रागों व तालों की रचना की। जिन श्रोताओं ने उनके द्वारा रचित राग वियोगवराली, सालगवराली, पीलू की मॉझ, मार्गबिहाग, सूररंजनी, गौरी-शंकर, जोगेश्वरी, रजनी कल्याण आदि नवीन राग सुने हैं वे उनकी कलात्मक पैंठ का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अनेक अप्रचलित हिन्दुस्तानी तालों एवं दक्षिणात्य तालों के ठेके भी प्रसिद्ध किये। रूपक ताल का विलम्वित ठेका, विक्रम ताल 12 मात्राऐं, ध्रुव ताल 17 मात्राऐं, हंसविलास ताल 16 मात्राऐं, गजमुख ताल 16 मात्राऐं, मणिताल 11 मात्राऐं आदि इस विभिन्न तालों हेतु उन्होंने ताल-लक्षण-गीतों की भी रचना की। इसका एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार है जिसके अन्तर्गत रातनजनकर जी ने सूररंजनी राग में हंसविलास ताल का प्रयोग किया है --

## राग सुरंजनी

### 1. राग में निहित शास्त्रीय तत्व का अध्ययन

रातनजनकर जी ने बताया है कि यह एक नया राग-स्वरूप दक्षिणात्य संगीत के 17वें 'सूर्यकान्त' मेलकर्ता से उत्पन्न हुआ है। भैरव एवम् मॉड इन दो रागों के मिश्रण से सुरंजनी राग की रचना की है। वादी स्वर मध्यम तथा संवादी षड्ज है। दिन के प्रथम प्रहर में गाये जाने वाला राग है। आरोह-अवरोह में मध्यम तथा धैवत की संगति बीच-बीच में दिखाई देती है। यह सम्पूर्ण जाति का राग है कोई भी वर्ज्य नहीं है। राग के पूर्वांग में कोमल रिषभ स्वर का प्रयोग किया है परन्तु उत्तरांग में शुद्ध धैवत का प्रयोग किया है। स्वर विस्तार - राग का संक्षिप्त स्वर विस्तार इस प्रकार है-

सा, ग म प, ग म, $^{\text{म}}$रे, सा, सा, रे ग म, म$^{\text{ग}}$प, प ध, प म, ध प म$^{\text{म}}$ रे, ग म प, गम $^{\text{म}}$रे सा,। सा, रे सा, ऩि ध़, म़ ध़ ऩि सा, रे ग सा, ऩि सा ग म, ध प, म, नि ध प, ध नि सां, म, सां, रें सां, नि ध, नि ध प, ध म, ग म प, ध नि सां, रें, रें सां , सां रें गं म $^{\text{म}}$ रें सां, नि ध प, नि ध म, रे, ग म ध प, म, ग, $^{\text{म}}$रे $^{\text{म}}$रे सा।

### 2. अन्य समप्रकृति रागों से तुलनात्मक अध्ययन

प्रस्तुत स्वर विस्तार के आधार पर सुरंजनी के पूर्वांग में भैरव राग पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है परन्तु रातनजनकर जी ने मॉड का भी मिश्रण किया है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। पध, निधप, म सां, पसं, गमधप को मॉड के अन्तर्गत रख सकते हैं। मॉड की वक्रगति भी इन स्वरों में दिखाई नहीं देती है। भैरव राग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह राग मधुर व नवीन है।

### 3. राग की प्रकृति व ताल के आधार पर

शोधकत्री को स्वर-विस्तार के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ सुरंजनी, भैरव राग की तरह गम्भीर नहीं है उसे थोड़ा कम

गम्भीर लगता है। भैरव को देखते हुए वीररस, शान्त रस के दर्शन होते हैं परन्तु मॉड भी है तो श्रृंगार रस की सम्भावना हो सकती है। द्रुत ख्याल में दक्षिण पद्धति की ताल हंस बिलास का प्रयोग किया है जो 16 मात्रा की ताल है जिसे 5, 2, 3, 3, 3 विभागों में विभक्त किया गया है।

## 4. बन्दिश के आधार पर साहित्य का विश्लेषण

इस राग के अन्तर्गत बन्दिश का साहित्य ब्रज भाषा में है जिसमें भैरव राग का वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार स्वरों के बीच में षड्ज सुन्दर है ठीक उसी प्रकार रागों के बीच में भैरव सुन्दर है। बन्दिश इस प्रकार है–

**स्थायी -**

[ग]प म ग रे सा। [म]ग म । [ग]म - - , । [म]ध प म । [म]प [म]ग म<br>
सु र न बि च। सो ऽ । हे ऽ ऽ , । प्र थ म । ख र ज<br>
x 2 0 3 4

[ग]प ध प म ग। [ग]म [ग]प। [म]रें ग म । [म]रे - [ग]रे । [नि]सा नि़ सा<br>
रा ग न बि च। भै ऽ। रों ऽ ग , । रा ऽ ग । प्र थ म<br>
x 2 0 3 4

[नि़]सा [म]ग म [ध]प ध। नि सां। [नि]ध म प , । [प]ध - प । [प]म [ग]रे -<br>
ध्रु प द, सो ऽ। हे ऽ , । स ब हुँ । गी ऽ न । न मों ऽ<br>
x 2 0 3 4

**अन्तरा -**

[नि]ध ध नि सां -। [नि]सां -। [ग]रें - सां ,। [सां]नि सां [नि]ध । - प प<br>
ख र ज सा ऽ। धे ऽ। सा ऽ धे ,। क ऽ ण्ठ । ऽ स्व र<br>
x 2 0 3 4

[प]म प प [नि]ध -। नि ध ,। [ग]म ग म। [ध]प ध नि । सां [नि़]रे सां<br>
सा ऽ धे, भै ऽ। रों ऽ ,। रा ऽ ग , । सा ऽ धे । ऽ स ब<br>
x 2 0 3 4

[सां]गं रें सां, [नि]ध -। प - । [प]नि ध प , । [ग]म - [ग]रे । ग [प]म प<br>
गी ऽ त, सा ऽ। धे ऽ , । ध्रु प द। सा ऽ ध । न सों ऽ<br>
x 2 0 3 4

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि संगीत जैसे विषद एवं जटिल विषय का शायद ही ऐसा कोई अंग रहा हो, जिस पर रातनजनकर जी ने प्रकाश न डाला हो। श्रुति जैसा उलझा एवं गाणिति विषय, लोकसंगीत, ठाठ रचना, जाति उद्भूत रागों की सृष्टि आर्श संगीत, रागदारी संगीत की पूर्वपीठिका और उसका भविष्य, संगीतिक परम्परा, कर्नाटक व हिन्दुस्तानी संगीत, प्राचीन और आधुनिक संगीत-शिक्षा, पाठ्यक्रम, राग का अर्थ व उद्देश्य आदि विषयों पर जिस रूप में उन्होंने प्रकाश डाला है उनकी 'महामानव' के विशद ज्ञान की अथाह सागर से तुलना की जा सकती है। उनकी 'अभिनव गीत मंजरी' में प्रकाशित रचनाएं उनके वाग्गेयकार के रूप में संगीत के लिए अत्यन्त श्रेष्ठ योगदान है। रातनजनकर जी महाविद्यालय के लिए तन मन धन से सेवा करने में तत्पर रहते थे। बस समय से शिक्षकों को वेतन मिल जाये और महाविद्यालय का शिक्षण-कार्य अवरूद्ध न हो इसलिए निजी सम्पत्ति को उत्सर्ग करने की उनकी मिसाल अकेली है।

हिन्दुस्तानी संगीत को समृद्धि प्रदान करने के लिए उन्होंने 'तन मन धन सब वारूं अपने को समर्पित किया। हिन्दुस्तानी

संगीत का सौभाग्य है कि उन जैसा श्रेष्ठ वाग्गेयकार, संगीतकार, कलाकार एवं गुरु इस शती में पैदा हुए। ऐसे गुणी एवं विद्वान आचार्य को नम्र भाव से प्रणाम ................।

## सन्दर्भ ग्रंथ सूची


1. आचार्य श्रीकृष्ण नारायण रातनजनकर 'सुजान' -- श्री रंगसंगोराम जीवनी तथा स्मृति संचय
2. अभिनव गीत मंजरी, भाग-3 -- श्रीकृष्ण नारायण रातनजनकर
3. श्री वाए.एम.म्हाले जी का साक्षात्कार।

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# पर्यावरण विमर्श : प्रकृति, समाज और साहित्य का समकालीन संवाद

**Dr. Anupama**
Assistant Professor, Department of Hindi
Mount Carmel College, Autonomous,
#58, Palace Road, Abshot Layout,
Vasanth Nagar, Bangalore-560032.
Phone Number-8105566341
Email.Id- pa.anupama09@gmail.com

**शोध सार**

मानव सभ्यता के विकास का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, उतना ही उसकी कीमत प्रकृति ने चुकाई है। 21वीं सदी मानव सभ्यता के लिए अभूतपूर्व तकनीकी और सामाजिक प्रगति का युग है, लेकिन इसी प्रगति के साथ पर्यावरणीय संकट भी गहराता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और जैव विविधता की हानि- ये सभी संकेत करते हैं कि, मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन भंग हो चुका है। ऐसे परिदृश्य में "पर्यावरण विमर्श" केवल वैज्ञानिक या राजनीतिक बहस नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण संवाद का आधार बन चुका है। यह विमर्श मनुष्य और प्रकृति के संबन्धों की पुनर्समीक्षा करता है और इस बात पर विचार करता है कि, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन के आधार के रूप में समझा जाए। प्रकृति, समाज और साहित्य- ये तीनों परस्पर जुड़े हुए घटक हैं, जिनके बीच निरंतर संवाद मानव चेतना को दिशा देता है। समाज की संस्कृति, जीवन-शैली और मूल्य प्रकृति के साथ उनके संबंधों को निर्धारित करते हैं और साहित्य इन परिवर्तित संबंधों का सशक्त प्रतिबिंब बनकर उभरता है। समकालीन साहित्य में पर्यावरणीय संकट, प्रकृति-चेतना, पारिस्थितिक असंतुलन और मानव-प्रकृति संघर्ष के विविध रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। साहित्यकार अपने शब्दों के माध्यम से न केवल पर्यावरण संकट को उजागर करते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संवेदनशीलता के लिए समाज को प्रेरित भी करते हैं। इसी संदर्भ में "पर्यावरण विमर्श : प्रकृति, समाज और साहित्य का समकालीन संवाद" विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह आधुनिक विश्व में प्रकृति और मानव के बीच बिगड़ते संबंध को समझने तथा उसके समाधान की दिशा में सार्थक चिंतन प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन पर्यावरणीय चेतना के बहुस्तरीय आयामों- दार्शनिक, सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय और साहित्यिक- को एक संगठित रूप में देखने का अवसर प्रदान करता है।

## पर्यावरण विमर्श का अर्थ और उद्भव

पर्यावरण विमर्श मूलतः पृथ्वी, प्रकृति और जीव-समुदाय के संरक्षण के लिए विकसित विचारधारा है। इसका उद्देश्य मनुष्य-केंद्रित विकास की आलोचना करते हुए एक ऐसे दृष्टिकोण को स्थापित करना है जिसमें प्रकृति को समान महत्व प्राप्त

हो। पृथ्वी की जलवायु तेज़ी से बदल रही है, प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं, जैव विविधता अभूतपूर्व गति से नष्ट हो रही है और प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए निरंतर खतरा बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में "पर्यावरण विमर्श" न केवल एक बौद्धिक आंदोलन है, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा गहन संवाद भी है। "पर्यावरण विमर्श का मूल उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच बिगड़े हुए संतुलन को पुनः स्थापित करना है।"[1] यह विमर्श प्रकृति और मनुष्य के संबंधों की पुनर्समीक्षा करता है, विकास की अवधारणाओं को चुनौती देता है और एक वैकल्पिक, न्यायपूर्ण तथा संतुलित विश्व व्यवस्था की कल्पना प्रस्तुत करता है।

पर्यावरण विमर्श, पर्यावरण और मानव समाज के बीच संबंधों पर विचारों, ज्ञान तथा दृष्टिकोणों का संरचित आदान-प्रदान है, जो पारिस्थितिक संतुलन, संसाधन संरक्षण तथा सतत विकास पर केंद्रित रहता है। यह भाषा, नीतियों तथा प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों को आकार देनेवाले विमर्श का अध्ययन भी करता है, जिसमें प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जैसे विषय प्रमुख हैं। हिन्दी साहित्यिक संदर्भ में यह प्रकृति संकट की चेतावनी के रूप में उभरता है, जहाँ मानवीय उपभोग और वैज्ञानिक प्रगति के दुष्परिणामों पर चर्चा होती है। "साहित्य में पर्यावरण विमर्श का अर्थ है—प्रकृति को संवेदनशील जीवन-सत्ता के रूप में देखना।"[2]

पर्यावरण विमर्श का उद्भव 20वीं शताब्दी के मध्यम से जुड़ा है, जब औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि तथा वनों की कटाई ने वैश्विक संकट उत्पन्न किया। 1960-70 के दशक में रेचल कार्सन की पुस्तक 'साइलेंट स्प्रिंग' तथा 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का रूप दिया, जो ओज़ोन क्षरण, ग्लेशियर पिघलाव तथा महामारियों पर केंद्रित हुआ। भारतीय परिप्रेक्ष्य में चिपको आंदोलन (1970) तथा हिन्दी साहित्य में कालिदासीय काव्यों से प्राचीन प्रकृति चेतना ने आधुनिक विमर्श को आधार प्रदान किया, जो मानव-प्रकृति संतुलन पर ज़ोर देता है।

## पर्यावरण विमर्श की सैद्धांतिक आधारभूमि

पर्यावरण विमर्श केवल पारिस्थितिकी या वैज्ञानिक चेतावनियों का परिणाम नहीं है, यह एक बहुआयामी बौद्धिक ढाँचा है, जो दर्शन, समाजशास्त्र, साहित्य, सांस्कृतिक अध्ययन, नारीवाद और राजनीतिक अर्थशास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों से निर्मित हुआ है। पर्यावरण विमर्श की सैद्धांतिक आधारभूमि हमें यह समझने का अवसर देती है कि, पर्यावरण संकट के मूल कारण क्या हैं और समाधान के विभिन्न दृष्टिकोण कैसे विकसित हुए हैं। इसकी आधारभूमि इको-क्रिटिसिज़म, डीप-इकोलॉजी, इको-फेमिनिज़म, इको-मार्क्सिज़्म और पर्यावरण न्याय जैसी अवधारणाओं पर आधारित है।

**इको-क्रिटिसिज़म :** ये पर्यावरण विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक सिद्धांत है। यह साहित्य में प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य-प्रकृति संबंधों का अध्ययन करता है। प्रकृति को केवल सौंदर्य या पृष्ठभूमि न मानकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करता है।

**डीप इकोलॉजी :** डीप इकोलॉजी का प्रतिपादन नॉर्वेजियन विचारक आर्ने नेस ने किया। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएँ निम्नलिखित है :

प्रकृति और मानव समान रूप से महत्वपूर्ण है।

प्रकृति के हर तत्व- पेड़, नदी, पर्वत, जीव-जंतु का अपना अस्तित्व और मूल्य है।

मनुष्य को अपने जीवन-शैली और उपभोग को सीमित करना चाहिए।

विकास का पैमाना मानव-कल्याण के साथ-साथ प्रकृति कल्याण होना चाहिए।

यह सिद्धांत पर्यावरण को केवल 'संरक्षण' नहीं बल्कि 'सम्मान' देने की बात करता है।

**इको-फेमिनिज़म :** इको-फेमिनिज़म यह मानता हैं कि, प्रकृति का शोषण और स्त्रियों का शोषण एक ही पितृसत्तात्मक संरचना का परिणाम है। पितृसत्ता प्रकृति और स्त्री दोनों को 'उपभोग की वस्तु' मानती है। स्त्रियों की पारंपरिक भूमिकाएँ- जल, जंगल, बीज, भोजन- प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। पर्यावरण न्याय की लड़ाई में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण

है। इको-फेमिनिज़्म पर्यावरण विमर्श में संवेदनशीलता, देखभाल, करुणा और मातृत्व जैसे मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करता है।

**इको-मार्क्सिजूम :** इको-मार्क्सिजूम यह समझाता हैं कि, पर्यावरण संकट का मूल कारण पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली है। अधिक से अधिक लाभ की खोज में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है। उद्योग, बाज़ार और वैश्वीकरण ने पृथ्वी को मुनाफे के साधन में बदल दिया है। यह सिद्धांत पर्यावरणवाद को वर्ग-संघर्ष, श्रम, भूमि और संसाधनों के प्रश्नों से जोड़ता है।

पर्यावरण विभाग की सैद्धांतिक आधारभूमि अत्यंत बहुआयामी है। इको-क्रिटिसिज़्म साहित्यिक संरचना देता है, डीप इकोलॉजी नैतिक आधार, इको-फेमिनिज़्म संवेदनशीलता, इको-मार्क्सिजूम आर्थिक विश्लेषण और पर्यावरण न्याय सिद्धांत सामाजिक सम्मेलन की मांग करता है। सतत विकास सिद्धांत भविष्य की दिशाएँ तय करता है, जबकि विज्ञान और संस्कृति अध्ययन इसे व्यावहारिक और मानवीय आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार, इन सभी सिद्धांतों के संयुक्त प्रभाव से पर्यावरण विमर्श एक व्यापक, प्रगतिशील और विश्व-मानवता के लिए अनिवार्य चिंतन के रूप में विकसित होता है।

## भारतीय और हिन्दी साहित्य में पर्यावरण विमर्श

भारतीय साहित्य में प्रकृति का स्थान प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वेदों, उपनिषदों लोकगीतों और भक्ति साहित्य में प्रकृति को देवत्व प्राप्त है। कबीर, तुलसी, सूफी संतों और संत कवियों ने प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से मानव-जीवन की व्याख्या की। आधुनिक काल में महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत आदि ने प्रकृति को आध्यात्मिक एवं मानवीय रूप में चित्रित किया। पंत स्पष्ट रूप से कहते है- "कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्माञ्चल प्रदेश को है। प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक ओर मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बनाया हैं वहीं दूसरी ओर जनभीरू भी बना दिया।"[3] समकालीन हिन्दी साहित्य में पर्यावरणीय संकट स्पष्ट रूप से उभरता है- कथाकारों, कवियों और नाटककारों ने नदी प्रदूषण, वन-विनाश, शहरीकरण और औद्योगिक प्रदूषण पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। क्षेत्रीय साहित्य जैसे मलयालम, बंगला, असमी, तमिल साहित्य- में पर्यावरण और जीवन-शैली के संबंधों को नए और प्रामाणिक रूप में व्यक्त किया गया है।

भारतीय और हिन्दी साहित्य दोनों में पर्यावरण विमर्श की जड़े अत्यंत गहरी हैं- प्राचीन ग्रंथों, लोक-साहित्य, मध्यकालीन काव्य, आधुनिक साहित्य और समकालीन लेखन तक। ये सभी रचनाएँ न केवल प्रकृति के सौंदर्य को उकेरती है, बल्कि मनुष्य द्वारा प्रकृति के दोहन व शोषण की आलोचना भी करती है। "आज का सबसे गहरा संकट पर्यावरण का है और साहित्य का धर्म है कि वह इस संकट को मनुष्य की चेतना का हिस्सा बनाए।"[4]

### 1. भारतीय साहित्य में पर्यावरण विमर्श की आधारभूमि

#### (क) वैदिक और उपनिषदकालीन परंपरा

भारतीय विचारधारा में प्रकृति को 'माता', 'देवी', 'चेतन शक्ति' और 'सृष्टि' का आधार माना गया है। ऋग्वेद में वायु, अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, जल आदि को देव रूप में पूजने की परंपरा रही। अथर्ववेद में पृथ्वी-सूक्त प्रकृति संरक्षण का सबसे प्राचीन उदाहरण है जिसमें पृथ्वी को "माता" और मानव को उसका "पुत्र" कहा गया है। उपनिषद मानव और प्रकृति के गहन एकात्म संबंध की बात करते हैंरू "सर्वं खल्विदं ब्रह्म"- अर्थात संपूर्ण अस्तित्व एक ही सार्वभौमिक चेतना का अंश है। यह विचार आधुनिक पर्यावरण नैतिकता की मूल प्रेरणा है।

#### (ख) लोक एवं आदिवासी साहित्य

भारत के आदिवासी समुदाय प्रकृति-केंद्रित जीवन शैली के प्रबल संवाहक है। उनके गीत, कथाएँ, मिथक और अनुष्ठान पर्यावरण-संरक्षण की शिक्षाओं से भरपूर है। जंगल, नदी, पर्वत, पशु-पक्षी उनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आधुनिक विकास परियोजनाओं द्वारा आदिवासियों के विस्थापन का दर्द साहित्य में पर्यावरण न्याय का स्वर बनकर उभरता है।

**(ग) मध्यकालीन भारतीय साहित्य :** भक्ति साहित्य में भी पर्यावरण संवेदना दिखाई देती है। कबीर, तुलसी, मीरा

सूरदास, नामदेव, नरसी मोहता आदि कवि प्रकृति को आध्यात्मिकता और मानव-कर्तव्य के रूप में देखते हैं। तुलसीदास के 'रामचरितमानस' में जंगल, नदी, पर्वत, वनस्पति और जीव-जंतुओं का सूक्ष्म वर्णन प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। सूफी और संत कवियों के लिए प्रकृति ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम है।

**(घ) आधुनिक भारतीय साहित्य**

19वीं-20वीं सदी में औद्योगीकरण और औपनिवेशिक प्रभावों के कारण साहित्य में प्रकृति के शोषण के आलोचना बढ़ती है। रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिमचंद्र, प्रेमचंद महादेवी वर्मा एवं निराला की रचनाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टि मिलती है। प्रेमचंद की कहानियों में किसान, भूख, सूखा और पर्यावरणीय संकट गहराते दिखाई देते हैं। टैगोर की रचनाएँ मनुष्य-प्रकृति के सौहार्दपूर्ण ताने-बाने की स्थापना करती है।

**2. हिन्दी साहित्य में पर्यावरण विमर्श**

हिन्दी साहित्य में पर्यावरण विमर्श आधुनिक और समकालीन दोनों स्तरों पर एक विस्तृत धारा के रूप में निरंतर विकसित हुआ है।

**(क) प्रकृति-काव्य परंपरा और पर्यावरण संवेदना**

छायावादी कवियों- सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला- ने प्रकृति को सौंदर्य, आत्मिक शांति और मानवीय संवेदना का आधार बनाया। पंत की काव्य-सृष्टि को 'प्रकृति का सौंदर्यवादी महाकाव्य' कहा जाता है। निराला की कविताएँ प्रकृति और सामाजिक यथार्थ को जोड़ती है। यद्यपि इनका प्रकृति-चित्रण सौंदर्यपरक है, पर यह पर्यावरण चेतना की नींव प्रस्तुत करता है।

**(ख) आधुनिक हिन्दी साहित्य में पर्यावरणीय यथार्थ**

नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध और केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवियों ने किसान जीवन, बाढ़-सूखा, ज़मीन और श्रम की समस्याओं के माध्यम से पर्यावरणीय यथार्थ को स्वर दिया। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएँ पूँजीवादी विकास और प्राकृतिक शोषण की आलोचना करती हैं।

**(ग) समकालीन हिन्दी कविता में पर्यावरण विमर्श**

समकालीन कवियों की रचनाओं में पर्यावरणीय संकट स्पष्ट रूप से उभरता है- केदारनाथ सिंह की कविता 'बाघ', 'पेड़ से बात', 'अच्छा लगता है' आदि मनुष्य प्रकृति संबंधों की सूक्ष्म व्याख्या करती है। अशोक वाजपेयी, विजय कुमार, मंगलाचरण, अनामिका, कात्यायनी, नई पीढ़ी के कवि- जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, नदियों का विनाश, पेड़ों की कटाई जैसे मुद्दों को प्रखर रूप से उठाते हैं।

**(घ) हिन्दी कथा-साहित्य में पर्यावरण समस्या**

समकालीन कहानी और उपन्यासों में पर्यावरणीय संकट वास्तविक जीवन के संघर्षों के रूप में उभरता है- निर्मल वर्मा की कहानियों में प्रकृति और मानव मन का गहरा संबंध दिखाई देता है। उदय प्रकाश की कहानियाँ 'पीली छतरी वाला आदमी', 'मोहनदास', पर्यावरण और सामाजिक अन्याय के गहरे संबंधों को उजागर करती हैं। नीरजा माधव, रमणिका गुप्ता, अशोक रावत आदि लेखकों ने वन, जल, भूमि खनन और आदिवासी अधिकारों पर केंद्रित साहित्य का सृजन किया।

**(ड़) स्त्री दृष्टि और इको-फेमिनिज़म**

हिन्दी साहित्य में स्त्री लेखन ने पर्यावरण को एक नई दृष्टि दी है- अनामिका, गीताश्री, कात्यायनी, मैत्रेयी पुष्पा आदि लेखिकाओं ने स्त्री-शरीर, प्रकृति और समाज के शोषण के बीच समानता दिखाई है। वंदना शिवा की विचारधारा हिन्दी आलोचना में इको-फेमिनिज़म को सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है।

**3. भारतीय और हिन्दी साहित्य में पर्यावरण विमर्श की विशेषताएँरू**

i. प्रकृति को जीवित, संवेदनशील और नैतिक सत्ता के रूप में स्वीकार करना।

ii. आदिवासी और हाशिए के समुदायों के पर्यावरण संघर्षों पर ज़ोर।

iii. जल-जंगल-ज़मीन के मुद्दों को साहित्यिक बहस में लाना।

iv. पर्यावरण न्याय और सामाजिक न्याय को जोड़ना।

v. पूँजीवादी और उपभोक्तावादी विकास मॉडल की आलोचना।

vi. जलवायु संकट को वैश्विक मानवीय संकट के रूप में देखना।

iiv. साहित्य में पर्यावरण को सौंदर्य से आगे बढ़कर "राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न" बनाना।

भारतीय और हिन्दी साहित्य में पर्यावरण विमर्श केवल प्रकृति-चित्रण की परंपरा नहीं, बल्कि बदलती सभ्यता, सामाजिक संघर्ष और पारिस्थितिक संकट का गहन विश्लेषण है। यहाँ प्रकृति-जीवन, संस्कृति और अस्तित्व का मूल आधार मानी जाती है। समकालीन समय में जब धरती अभूतपूर्व पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रही है, साहित्य मनुष्य को न केवल चेतावनी देता है बल्कि समाधान की ओर भी मार्गदर्शन करता है। "आधुनिक सभ्यता ने प्रकृति को संसाधन बना दिया, जबकि साहित्य उसे संवेदना मानता है।"(5)

## साहित्यकारों और रचनाकारों की भूमिका

साहित्य समाज का दर्पण और दिशा-निर्देशक दोनों होता है। साहित्यकार अपने लेखन के माध्यम से न केवल पर्यावरणीय संकट को उजागर करते हैं, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जागरुकता भी विकसित करते हैं। कविताएँ, कहानियाँ, नाटक, यात्रा-वृतांत, पत्रकारिता- ये सभी माध्यम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। रचनाकारों का दायित्व हैं कि, वे प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की संस्कृति को अपने लेख में स्थापित करें।

### 1. पर्यावरणीय चेतना का संवर्धन

साहित्यकार प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंधों के माध्यम से वे मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। समकालीन रचनाकार जैसे रघु नंदन, अरुण कमल आदि ने प्रदूषण, वनों की कटाई और जल संकट जैसी समस्याओं को साहित्य के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाया।

### 2. प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना जगाना

रचनाकारों का कार्य केवल समस्या बताना नहीं, बल्कि लोगों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी उत्पन्न करना भी है। कवि और लेखक प्राकृतिक सौंदर्य, मौसमी बदलाव, नदियों और पर्वतों की महत्व को अपने काव्य और कथानक में प्रस्तुत करते हैं।

### 3. सामाजिक जागरुकता और आंदोलन में योगदान

साहित्यकार और रचनाकार कई बार पर्यावरण आंदोलनों के प्रेरक बनते हैं। चिपको आंदोलन के समय कविताएँ, लेख और गज़लें लोगों में जागरूकता फैलाने का माध्यम बनीं। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' जैसे घटनाओं पर निबंध, पत्रिका और लेखन समाज में संवेदनशीलता पैदा करने में मददगार साबित हुए। इस प्रकार साहित्य और रचनाकार सामाजिक आंदोलनों में मानसिक और नैतिक सहारा प्रदान करते हैं।

### 4. पर्यावरणीय समस्याओं का विश्लेषण और आलोचना

साहित्यकार समाज में पर्यावरणीय संकटों की जड़ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। वे उपभोक्तावाद, उद्योगों की अंधाधुंध वृद्धि और तकनीकी विकास के दुष्परिणामों की आलोचना करते हैं। रचनाएँ केवल भावनात्मक संदेश नहीं देतीं, बल्कि तर्कपूर्ण विश्लेषण और चेतावनी भी देती हैं। उदाहरण स्वरूप, अज्ञेय और भगवती चरण वर्मा के लेखन में पर्यावरणीय असंतुलन और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान दिया गया है।

### 5. भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश देना

साहित्य रचनाकारों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुँचाता है। यह केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी चेतावनी और मार्गदर्शन प्रदान करता है। कहानी, कविता और नाटक के माध्यम

से बच्चों और युवाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव विकसित होता है। इस प्रकार साहित्यिक दृष्टि से रचनाकार समाज में स्थायी परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं।

**6. समकालीन वैश्विक और स्थानीय दृष्टिकोण को जोड़ना**

साहित्यकार और रचनाकार केवल स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं रहते। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता संकट को स्थानीय अनुभवों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह दृष्टिकोण पाठक को व्यापक स्तर पर सोचने और वैश्विक जिम्मेदारी समझने में मदद करता है। आज के समकालीन हिन्दी साहित्य में रघुनंदन और अरुण कमल ने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के वैश्विक और स्थानीय प्रभावों पर लेखन किया है।

साहित्यकार पर्यावरण विमर्श में केवल विचारक या लेखक नहीं, बल्कि समाज में संवेदना, चेतना और परिवर्तन के प्रेरक है। समकालीन समाज में जब प्राकृतिक संकट गहरा रहा है, तब साहित्यकारों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका योगदान यह दिखाता है कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानव जागरूकता का सशक्त उपकरण भी है।

## समकालीन साहित्य में पर्यावरण विमर्श की आवश्यकता

आज पर्यावरणीय संकट केवल वैज्ञानिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। बढ़ता तापमान, जल संकट, वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता इस बात को रेखांकित करती हैं कि, मानव सभ्यता की दिशा सुधारना आवश्यक है। पर्यावरण विमर्श इस संदर्भ में चेतना और परिवर्तन का माध्यम बनता है। समकालीन समाज में पर्यावरण विमर्श की आवश्यकता इसीलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल पर्यावरणीय समस्याओं की चर्चा नहीं करता, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक नीतियों, आर्थिक मॉडल, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और साहित्यिक अभिव्यक्तियों से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से यह केवल पर्यावरण का अध्ययन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की पुनर्परीकल्पना का प्रयास है। "समकालीन साहित्य में पर्यावरण विमर्श मनुष्य और प्रकृति के टूटते संबंधों की कथा है।"[(6)] आज अधिकांश लोग प्रकृति के महत्व को समझने में असफल हो रहे हैं। पर्यावरण विमर्श लोगों में जागरूकता लाकर यह बताता हैं कि, स्वस्थ पर्यावरण ही जीवन की नींव है। "पर्यावरण विमर्श केवल प्रकृति संरक्षण की अवधारणा नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक न्याय से जुड़ा व्यापक विमर्श है।"[(7)] पर्यावरणीय असंतुलन का सबसे अधिक प्रभाव गरीब, किसान, आदिवासी और श्रमिक समुदायों पर पड़ता है। पर्यावरण विमर्श इस कमज़ोर समूहों के पक्ष में न्याय की वकालत करता है।

आज हम जो पर्यावरण उपयोग कर रहे हैं, वह आनेवाली पीढ़ियों की धरोहर भी है। पर्यावरण विमर्श पर सुनिश्चित करता है कि, भविष्य का मानव सुरक्षित पर्यावरण में सांस ले सके। पर्यावरणीय मुद्दों को समझे बिना न तो संतुलित नीतियाँ बन सकती है और न ही समाज पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ सकता है। इसी कारण शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन और सरकारों में पर्यावरण नीतियों का महत्व बढ़ गया है।

समकालीन समाज में पर्यावरण विमर्श की आवश्यकता अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता हैं कि, प्रकृति को नष्ट करके मनुष्य स्वयं को भी नष्ट कर लेता है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्य शर्त है। आज की दुनिया को ऐसी सोच की आवश्यकता है जो विज्ञान, समाज, संस्कृति और साहित्य सभी को जोड़कर एक संतुलित और सुरक्षित भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करें।

**पर्यावरण विमर्श की चुनौतियाँ**

21वीं सदी में पर्यावरण विमर्श मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। पृथ्वी लगातार जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव-विविधता नाश और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे व्यापक संकटों का सामना कर रही है। यद्यपि पर्यावरण विमर्श ने समाज को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर भी इसका प्रभाव सीमित है। इसका मुख्य कारण यह हैं कि, इसके समक्ष अनेक जटिल चुनौतियाँ मौजूद है, जो पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता

और नीति-निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करती है। ये चुनौतियाँ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी स्तर पर इतनी बहुआयामी है कि, पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया जटिल होकर रह गई है :

**उपभोक्तावाद और पूंजीवाद**- आधुनिक समाज उत्पादन और उपभोग की ओर अत्यधिक केंद्रित है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। "उपभोक्तावाद ने मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते को बाज़ार में बदल दिया है।"[8]

**राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव**- आर्थिक और औद्योगिक हितों के कारण सरकारें पर्यावरण संरक्षण के निर्णयों में ढील बरतती है।

**वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी दुरुपयोग**- नयी तकनीकें जीवन को सुगम बनती है, लेकिन उनका अनियंत्रित उपयोग पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करता है।

**जनसंख्या वृद्धि**- बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है और प्रदूषण बढ़ाती है।

**पर्यावरणीय शिक्षा का अभाव**- समाज में पर्यावरणीय संवेदनशीलता पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है।

**औद्योगिक प्रदूषण और असंतुलित शहरीकरण**- शहरों का अनियोजित विस्तार और उद्योगों से उत्सर्जन पर्यावरण संकट को बढ़ाता है।

अतः पर्यावरण विमर्श के सफलता केवल सिद्धांत में नहीं, बल्कि समाज की सोच, नीतियों, व्यवहार और जीवनशैली में परिवर्तन पर निर्भर करती है। इन चुनौतियों के बीच भी आशा की किरण यह हैं कि, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चेतन बढ़ रही है और प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित हो रहा है।

## निष्कर्ष

समकालीन समाज में पर्यावरण विमर्श केवल प्रकृति के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव, समाज में संस्कृति के गहन संबंध को समझने और पुनः परिभाषित करने का माध्यम बन गया है। साहित्य और रचनाकार इस विमर्श में महत्वपूर्ण पुल का कार्य करते हैं। उनकी रचनाएँ न केवल पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करती है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच सह-अस्तित्व, संवेदना और संतुलन का संदेश भी देती है। कविता, कहानी, निबंध और नाटक के माध्यम से साहित्य समाज में जागरूकता और नैतिक जिम्मेदारी पैदा करता है। अतः पर्यावरण विमर्श का समकालीन संवाद- प्रकृति, समाज और साहित्य के बीच- हमें यह सीख देता हैं कि विकास और संरक्षण, विज्ञान और संवेदना, आधुनिकता और पारंपरिक मूल्य सभी का संतुलन आवश्यक है। यदि यह संवाद सतत रूप से जारी रखा जाए, तो यह न केवल वर्तमान संकटों का समाधान सुझा सकता है, बल्कि आनेवाली पीढियों के लिए सुरक्षित समृद्ध और संवेदनशील पर्यावरण की नींव भी रख सकता है।

## संदर्भ सूची


1. रामचंद्र गुहा, पर्यावरणवाद : एक वैश्विक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, पृ. सं-30
2. डॉ. चंद्रशेखर, साहित्य और पर्यावरण राजकमल प्रकाशन, पृ. सं-15
3. डॉ. कृष्णदेव शर्मा, कविवर सुमित्रा नंदन पंत और उनका रेशिमबंध
4. नामवर सिंह, समय, समाज और साहित्य, राजकमल प्रकाशन, पृ. सं-112
5. नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज, राजकमल प्रकाशन, पृ. सं-132
6. शिवमूर्ति, समय और समाज, राजकमल प्रकाशन, पृ. सं-67
7. रामचंद्र गुहा, पर्यावरणवाद : एक वैश्विक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली (हिन्दी अनुवाद : Environmentalism: A Global History) राजकमल प्रकाशन, पृ. सं-27
8. रामविलास शर्मा, भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य, वाणी प्रकाशन, पृ. सं-121

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# तमिल साहित्य के प्रसिद्ध महिला साहित्यकार

**डॉ. एन. लावण्या**
विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग
एतिराज महिला महाविद्यालय(स्वायत्तशासी)
चेन्नई -600 008
मोबाइल-9551781799
ईमेल-lavanyavarsha76@gmail.com

## सारांश

तमिल विश्व के प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। तमिलनाडु की राज्य भाषा तमिल है। तमिल साहित्य के विकास में प्रारंभ से ही महिला लेखिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन काल से लेकर अति आधुनिक काल तक तमिल महिला लेखिकाओं ने संमाज, स्त्री-जीवन, प्रेम, करुणा, विद्रोह और आत्मा सम्मान जैसे विषयों को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। अब ये महिला लेखिकाएँ तमिल साहित्य में कविता, कथा साहित्य, नयी कविता, हाइकू आदि विभिन्न विधाओं में अपने लिए अमिट स्थान प्राप्त कर लिया है। पारिवारिक विच्छेद करके परपुरुष से अवैध सम्बन्ध की स्थापना, देहवादी, भोगवादी धारणाएं आदि तमिल स्त्री लेखन में बिलकुल नहीं मिलती। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का अतिक्रमण, रिश्तों का अपमान तथा सामाजिक बंधनों का अतिक्रमण करनेवाली भावनाएं भी नहीं मिलती। पढ़ी लिखी महिलाओं की मानसिक तथा पारिवारिक संघर्ष, कार्यालयों में होनेवाले शोषण ,अस्तित्व का संघर्ष, समाज में हक् की मांग..आदि पर संघर्ष करनेवाली नायिकाएं, तमिल की लेखिकाओं के नारी चित्रण में मिलते हैं।

**बीज शब्द :** तमिल विश्व के प्राचीनतम भाषा, राज्य की भाषा, विकास के प्रारंभ में महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान, कविता, कथासाहित्य, नई कविता - भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का अतिक्रमण- संघर्षशील नारी।

## तमिल साहित्य के प्रसिद्ध महिला साहित्यकार

तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन है। इसकी शुरुआत ईसाई ५०० से पूर्व माना जा सकता है। तमिल साहित्य में महिला लेखन की परम्परा संगम साहित्य से आरम्भ हो चुका है। परंतु १५.१६.१७ सदी में महिला लेखन का विकास नहीं रहा। १८ सदी के उत्तरार्ध में नए सिरे से शुरू हुआ जो बीसवीं सदी में अधिक विस्तृत हुआ। तमिल साहित्य को समृद्ध बनाने में महिला लेखिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से लेकर अति आधुनिक काल तक तमिल महिला लेखिकाओं ने संमाज,स्त्री-जीवन, प्रेम, करुणा, विद्रोह और आत्मा सम्मान जैसे विषयों को सशक्त अभिव्यक्ति दी है।अब ये महिला लेखिकाएँ तमिल साहित्य में कविता, कथा साहित्य, नयी कविता, हाइकू आदि विभिन्न विधाओं में अपने लिए जगह बना लिया है।

प्राचीनतम संगम साहित्य काल में (ईसा पूर्व ५०० से) भी लगभग ४० प्रमुख कवयित्रियां रही। उनमे से संगवै वेल्लि, वीदियार, काक्कै पाडीनियर, नक्कणायार, अदिमति पारि मगलीर आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अव्वैयार इस काल के सबसे प्रसिद्ध

कवयित्री है। उनकी रचनाओं में नैतिकता, जीवन-दर्शन और मानवीय मूल्यों की स्पष्ट झलक मिलती है।उनकी रचनाएँ आतिचूड़ी और कोंड्रैवेदन आज भी लोकप्रिय है। उसके बाद तमिल के नीति काव्य, भक्तिकाल तक (सन ६००-१०००) प्राप्त रचनाओं में भी महिला कवयित्रियों का योगदान रहा हैं। ६३ शैव संत नायन्मारों में कारैक्काल -अम्मैयार, तथा १२ वैष्णव संत आलवारों में "आंडाल" आदि स्त्री संत कवियित्रियों ने अपने काव्य कौशल का परिचय दिया है। आण्डाल एक महान वैष्णव कवयित्री है जिनकी रचना तिरुप्पावै तमिल भक्ति साहित्य का अमूल्य रत्न है। उनकी कविताओं में कृष्ण -भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक बप्रेम का सुंदर वर्णन मिलता है।

**महिला कथा लेखन :** सन १८६७ से तमिल में महिला उपन्यासकार वै.मु कोदैनायकी अम्माल से शुरु हुआ जो पत्रिका चलाते हुए सफल उपन्यास की रचनाएँ करती थी। महिला उपन्यासकारो में "डॉ. लक्ष्मी'' उपनाम से लिखने वाली चिकित्सक डॉ.त्रिपुर सुन्दरी का नाम अत्यंत विख्यात हैं। मध्य वगीय शोषित नारी की पारिवारिक, सामजिक समस्याओं को कलात्मक रीति से प्रस्तुत करने में उनकी लेखनी सुप्रसिद्ध हैं-अत्तै, तंगऊसि, कांचेनेयिनकनवुगल वानाम्बाडिक्कु ओरु विलन्नु", मंगलाविन कणवर, पूक्कली, कडेसीवरे उरवुकल, पीरीणदिल्ले, कुंडू क्कु वेलिये, वैर मुक्कुत्ति, अवलताया गिराल, वेल्ले निरत्तिल, ओरु पूनै आदि कहानियाँ बहु चर्चित हैं। उसके बाद के महिला लेखिकाओं में राजमकृष्णन, चूड़ामणि, वसुमति रामस्वामी, अम्बुजम कृष्णन, विमला रमणी, कुयिली राजेश्वरी, कोमगल राजलक्ष्मी आदि प्रसिद्ध हैं। राजन कृष्णन अपने समय की एक सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। इन्होंने जो भी लिखा है अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। इन्होंने सिर्फ काल्पनिक कथाओं के आधार पर लेखन कार्य नहीं किया अपितु क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा भी समाज के निचले या हाशिये में जी रहे वर्ग के समाज के लोगों से मिलकर, उनके जीवन को निकटता से देखकर, उनकी समस्याओं का सही रूप से आंकलन कर उसे अपनी कहानियों में प्रकट करने की कोशिश की है। इस प्रकार के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर कार्य करके उपन्यास लिखने वालों में राजम कृष्णन का नाम सर्वोपरि है। अंबुजम कृष्णन ने हिंदी के प्रेमचंद के उपन्यासों का तमिल में अनुवाद करके अनुवादिका के रूप में ख्याति प्राप्त की। प्रगतिशील महिला लेखिकाओं में इंदिरा पार्थसारथी, अनुराधा रमणन, सुभाषिणी, रमणीचंद्रन आदि प्रमुख हैं।

तमिल की प्रत्येक लेखिका ने प्रत्येक समस्या को लेकर अपनी लेखनी को आगे बढाया। लक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी मध्य वगीय नारी के पारिवारिक शोषण तथा अपमानित नारी की भावनाओं का चित्रण करती हैं तो शिवशंकरी पढ़ी लिखी नोकरी पेशा नारी की ,तथा नशे से नष्ट होने वाली युवा पीढी का चित्रण करने में सफल हैं। तमिल की लेखिका रमणीचंद्रन द्वारा चित्रित नायक से आज भी कॉलेज की लड़कियाँ आकर्षित हैं।तमिलनाडु में शायद ही कोई लड़की होगी जो रमणी चंद्रन के उपन्यास से अपरिचित हो। लगातार तीन पीढ़ियों की किशोरी पाठकों को अपनी ओर खींचने की अदम्य शक्ति उनकी लेखनी में है। उनके प्रत्येक उपन्यास में अमीर नायक परिस्थितिवश नायिका को धोखा देता हैं लेकिन अंत में नायिका की सहनशीलता और अचल प्रेम को देखकर ग्लानी से वशीभूत होता है इस तरह नायिका के साथ-साथ पाठकों की भी संवेदना और प्रीति का पात्र बन जाता है। ग्रामीण युवतियों के साथ आजकल की अत्याधुनिक कालेज लड़कियों के भी मनपसंद नायक रमणीचन्द्रन के हीरो ही है।

पारिवारिक विच्छेद करके परपुरुष से अवैद सम्बन्ध की स्थापना, देहवादी, भोगवादी धारणाएं आदि तमिल स्त्री लेखन में बिलकुल नहीं मिलती। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का अतिक्रमण, रिश्तों का अपमान तथा सामाजिक बंधनों का अतिक्रमण करनेवाली भावनाएं भी नहीं मिलती। पढ़ी लिखी महिलाओं की मानसिक तथा पारिवारिक संघर्ष, कार्यालयों में होनेवाले शोषण, अस्तित्व का संघर्ष, समाज में हक् की मांग..आदि पर संघर्ष करनेवाली नायिकाएं, तमिल की लेखिकाओं के नारी चित्रण में मिलते हैं। अनुराधा रमणन के कथा साहित्य में दो नायिका एक नायक सहित त्रिकोण प्यार और संयुक्त परिवार की विशेषताएं मिलती हैं। वासंती एवं इंदुमती भी ख्याति प्राप्त लेखिकाएं हैं। सुभाषिनी एवं इंदुमती दोनों द्वारा रचित "तिमिर'' उपन्यास (जिनमें चित्रित चरित्रहीन पात्र एवं गैर संबंधों के कारण) तमिल महिला पाठकों के क्रोध का शिकार बना।

शिव शंकरी की विशेषता यह है कि उनके उपन्यासों में पात्रों के द्वारा ज़रूर हिंदी भाषा का प्रयोग जैसे हिंदी संवादों

का लिप्यान्तरण देखने को मिलता हैं। एक प्रमुख पात्र जरूर उत्तर भारतीय होता हैं उनकी रचना पालंगल, कट्टरवादी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुई तीन पीढ़ियों की महिलाओं के जीवन का सजीव चित्रण हैं। कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का प्रयोग अपने प्रमुख पात्रों द्वारा करवाना लेखिका शिव शंकरी के हिंदी प्रेम व ज्ञान का परिचायक है। शिवशंकरी के.मेल्ले मेल्ले, तुल्लमुडियाद पुल्लियान, इंदुमती की मणलवीडूगल, अनुराधा रमणन की साधारण मनिदरगल, उषा सुब्रहमण्यम की एत्तानियो मनम एत्तानियो निरम, आर. चूडामणि की कणनम्मा एन सहोदरी आदि उल्लेखनीय है। राजम्माल का नाग रत्न (१६०६), मीनाक्षी सुन्दर अम्माल का जयशीलन(१६१७) आदि उपन्यास उल्लेखनीय लेखिकाएं हैं। इन लेखिकाओं ने स्त्री उद्धार, स्त्री के नैतिक मूल्य को उजागर करना आदि विषयों को आगे बढ़ाया।

अन्य महिला उपन्यासकारों में गजाम्बिका अम्माल की रचना नन्ननपाल (१६०८) ,प्रमुख है।उनके बाद के उपन्यासकारों मे मीनाक्षी अम्माल (१६१२) वै. मु. कोदैनायकी (१६२७) डी.वी. राज्य दशमी (१६३१) सिस्टर गिरीजा देवी (१६३१), गुहप्रिया (१६३५), मूवलूर रामामृत मम्माल (१६३६), सरस्वती अम्माल आदि उल्लेखनीय हैं। उल्लेखनीय विषय यह है कि इनमे से कुछ लेखिकाओं पर ईसाई पादरियों का अधिक प्रभाव पड़ा। मूल रूप से स्त्री शिक्षा पर जोर, देवदासी प्रथा, सती प्रथा आदि के खिलाफ विषय वस्तु रही। मूवलूर रामचरितम्माल ने अपने उपन्यास में दासीगलीन मोसवले (दासियों का धोखा जाल) मतिपेट्रमैनर (सम्माननीय ज़मींदार पुत्र) आदि में उस समय की परस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है।

उत्तर आधुनिक कथाकारों में जी. तिलकवती (कवयित्री व कथाकार), ऐ. पी. एस अधिकारी का नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं।उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी होते हुए भी कहानियां उपन्यास आदि लिख कर अपने लिए विशिष्ट स्थान पा लिया। कहानी संग्रह तेयुमा सूरीयन (सूरज घट जाएगा?), अरसिगल आलुवदिल्लै उपन्यास ((रानियाँ शासन नहीं करती) १६८८-८६ में मद्रास सरकार द्वारा पुरस्कृत हुए है। दलित-पीड़ित, दोषी, दबी हुई नारियों की स्थितियों का वर्णन में तिलकवती कमाल करती हैं। परिस्थितिवश अपराधिनी और वेश्याएँ बनने वाली स्त्रियों की समस्याओं को चित्रित करना इनकी लेखनी की विशेषता है। उनकी रचना पत्तिनिप्पेण (पतिव्रता) १६८३ में फिल्म बन गयी। कई रचनाएँ टी.वी. में धारावाहिक बनकर सामने आईं। निषल कोडूगल (छाया की लकीरे) उदिरूम इलैगलिन ओसै (गिरते पत्तों की आवाज़) गोवर्धन राम आदि इनकी अनूदित रचनाएँ हैं। कल मरम (शीला वृक्ष)उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला।

बहुत अधिक अंतराल (संगम साहित्य) के बाद तमिल साहित्य में स्त्रीवादी कविता लेखन की परंपरा शुरू हुई। राष्ट्रीय कवि सुब्रह्मन्य भारती, भारती दासन, वैरामुतु आदि कि स्त्री मुक्ति रचनाओं से प्रेरणा पाकर कई महिला लेखिकाओं ने नारी समस्या पर साहित्य रचना की। नारी विमर्श पर स्त्रियों द्वारा अधिक रचनाएं होने लगी।शुरूआत में मकान, बच्चे, विवाह, विधवा समस्या आदि पर स्त्रीवादी लेखिकाओं ने अपनी कलम चलायी।बाद में सामूहिक चिंतन, स्त्री शिक्षा, वेतन भोगी नारी ,स्त्री अधिकार आदि विषयों पर लिखने लगी। सशक्त, रूप से आजकल की समकालीन कवयित्रियों की नज़र सहज यथार्थता से भरे विषयों पर पड गयी। तमिल की कुछ प्रमुख स्त्रीवादी कवयित्रियाँ है -पूरणी, आंडाल प्रियदर्शिनी, कृष्णांगिनी न.सुब्बू लक्ष्मी, पोन्नु मणि वैर मुत्तु, इलम पिरै, वत्सला, कुट्टी रेवती आदि। श्री लंका ईष (म्रीं)तमिल कवयित्रियाँ है शिव रमणी, सेल्वी, ओव्वाई, रंजनी, उर्वशी आदि।

तमिल नई कविता मे स्त्री वादी लेखिकाओ की संख्या दुर्लभ है।इसी कोटि मे हाईक्यू कवितायें तमिल मे लिखने वाली कवियित्रियां असंख्य है। तमिल के आधुनिक साहित्य जगत मे महिला वादी लेखन मे इन कवियित्रियों ने अपने लिए एक विशिष्ठ स्थान बना लिया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तमिल के महिला लेखन प्राचीन संगम साहित्य में उदित होकर आजतक निरंतर प्रवाहित होकर बहनेवाली साहित्य सरिता है।

## उपसंहार

तमिल साहित्य में महिलाओं की उपस्थिति और उनका योगदान न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और

समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेंगी। इनके माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण का महत्व भी समझ सकते हैं, जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। इस तरह, तमिल साहित्य में महिला लेखिकाओं का स्थान अनमोल है और यह भारतीय साहित्य की विविधता को दर्शाता है।

## संदर्भ ग्रंथ सूची


1. Contemporary women poets from Tamil-Nadu- Prof. RachelBari- Dept of Post Graduate Studies and Research in English-Kuvempu University-Shimoga - Karanataka .
2. Time Travels - Feminism, Nature , Power Durhan: Duke University press- 2005.
3. Philosophy in the Feminism- Whit ford, Margaret London and New York - Routledge - 1991.
4. तमिल साहित्य का इतिहास, मु. वरदराजन -साहित्य अकादमी -1994
5. www.Novelstamil.com
6. तमिल और उसका साहित्य, श्री पूर्ण सोमसुंदरम, राजकमल प्रकाशन
7. तमिल साहित्य और संस्कृति, अवधनन्दन - सातसाहित्य प्रकाशन -1958

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# डिजिटल युग में चुनावी राजनीति और मतदाता व्यवहार

**डॉ. अभिलाषा आबूसरिया**
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुन्झनू

**सार**

डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया ने चुनावी राजनीति और मतदाता व्यवहार को मौलिक रूप से बदल दिया है। ग्रामीण-शहरी भेद घट रहा है, भाषा-आधारित डिजिटल विस्तार राजनीति के क्षेत्र को व्यापक बना रहा है, और राजनीतिक दलों ने लक्षित डिजिटल रणनीतियों—माइक्रो-टार्गेटिंग, वायरल कंटेंट, व्हाट्सऐप ग्रुप्स और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो को अपनाया है। इससे राजनीतिक संचार तेज, किफायती और बहुत बार अधिक भावनात्मक हो गया है; पर साथ ही फेक न्यूज, मिसइनफॉर्मेशन और डिजिटल असमानता जैसे गंभीर जोखिम भी उभरे हैं। भारत में 2024 तक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सैकड़ों मिलियन तक पहुँच चुकी है और सोशल मीडिया-आधारित अभियानों का चुनाव परिणामों पर असर देखा गया है। इसलिए लोकतंत्र की गुणवत्ता बनाए रखने के लिये नियमन, साक्षरता और पारदर्शिता के नीतिगत उपाय अनिवार्य हो गए हैं।

**बीज शब्द -** डिजिटल लोकतंत्र, चुनावी संचार, मतदाता व्यवहार, सोशल मीडिया, माइक्रो-टार्गेटिंग, व्हाट्सऐप अभियान, डिजिटल असमानता, फेक न्यूज़, ध्रुवीकरण।

**प्रस्तावना**

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सूचना-प्रौद्योगिकी के आने के बाद राजनीति धीरे-धीरे परंपरागत साधनों से डिजिटल माध्यमों की ओर अग्रसर हुई; किन्तु 2010 के दशक के बाद स्मार्टफोन, सस्ती इंटरनेट और सोशल मीडिया के व्यापक प्रसार ने इस परिवर्तन को तीव्र कर दिया। भारत जैसे बहुभाषी, विविध और विशाल लोकतंत्र में यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि डिजिटल पहुँच ने अब तक बाहर रहे मतदाताओं, ग्रामीण आबादी और युवा वर्ग को सीधे राजनीतिक संवाद में शामिल किया है। 2014 के बाद से राजनीतिक दलों ने डिजिटल रणनीतियों में भारी निवेश करना शुरू किया और 2019 व 2024 तक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म चुनावी अभियानों के अनिवार्य स्तंभ बन गए। इस लेख का उद्देश्य डिजिटल युग में चुनावी राजनीति के स्वरूप, मतदाता व्यवहार पर इसके प्रभाव, प्रमुख चुनौतियाँ और व्यवहारिक सुझावों का व्यवस्थित वर्णन व विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

**1. डिजिटल पारिस्थितिकीरू प्लेटफार्म, पहुँच और पैमाना**

**इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रसार : बड़ी तस्वीर**

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है। IAMAI और Kantar के 2024/2025 के आंकड़ों के अनुसार 2024 में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 886 मिलियन तक पहुँच चुकी थी, और 2025 में

यह 900 मिलियन पार करने की सम्भावना बताई गई है; यह वृद्धि ग्रामीण भारत की भागीदारी से संचालित रही, जहाँ लगभग 55% इंटरनेट उपयोगकर्ता रहते हैं। इसी अवधि में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या भी सैकड़ों मिलियनों में रही DataReportal के अनुसार जनवरी 2024 में भारत में लगभग 462 मिलियन सोशल मीडिया उपयोगकर्ता थे। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि डिजिटल पहुँच अब चुनावी जनसंवाद के लिये एक विशाल मंच बन चुकी है।

### प्रमुख प्लेटफॉर्म और उनकी विशेषताएँ

राजनीतिक संचार में प्रमुख रूप से जिन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग होता है : WhatsApp (त्वरित संदेश/ग्रुप संचार), Facebook और Instagram (लंबे नेटवर्क व पेज-आधारित पहुँच), X/Twitter (तत्व-आधारित सार्वजनिक विमर्श), YouTube (लंबा वीडियो व भाषण-प्रसारण), और ShareChat/Regional apps (क्षेत्रीय भाषा में पहुँच)। WhatsApp के उपयोग की विशालता ने चुनावी संचार को 'नेटवर्क-आधारित' बना दिया जहाँ संदेश निजी-समूहों में तेजी से फैलते हैं और लोकमत निर्माण पर तात्कालिक प्रभाव डालते हैं। कुछ रिपोर्टों ने अनुमान लगाया है कि 2024-25 में भारत में WhatsApp उपयोगकर्ताओं की संख्या भी कई सौ मिलियनों में है, जो इसे चुनावी सूचनाओं के आदान-प्रदान का महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाता है।

## 2. चुनावी राजनीति : डिजिटल रणनीतियाँ और अभ्यास

### लक्षित (माइक्रो) टार्गेटिंग और डेटा-उन्मुख अभियान

डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने पाटीयों और उम्मीदवारों को छोटे-छोटे समुहों (उदाहरणः आयु, भाषा, लोकेशन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति) के अनुरूप संदेश भेजने की क्षमता दी है। इन्हें "माइक्रो-टार्गेटिंग" कहा जाता है— यह रणनीति पारंपरिक जनसभाओं और टेलीविजन विज्ञापनों की तुलना में ज़्यादा किफायती और परिनियोजनीय है। उदाहरणतः 2014 के बाद से कुछ प्रमुख दलों ने सोशल-मीडिया टीमों और डिजिटल डेटा एनालिटिक्स पर निवेश बढ़ाया; 2019 व 2024 में यह और भी व्यवस्थित हुआ और रिमोट-सेंटर से अभियान चलाने की प्रवृत्ति देखने को मिली।

### वाइरलिटी, कंटेंट-शॉर्टिंग और इमोशनल अपील

शॉर्ट वीडियो (उदा. YouTube Shorts, Instagram Reels, स्वतः चलने वाले वीडियो) और मीम-आधारित कंटेंट ने संदेश को भावनात्मक और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया है। राजनीतिक दल अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर भावनात्मक कहानियाँ, सरलीकृत स्लोगन और इमेज-आधारित संदेश बनाते हैं— जिससे जटिल नीतिगत विमर्श भी सरल और वायरल बन जाते हैं। यह शक्ति मतदाताओं के त्वरित निर्णय को प्रभावित कर सकती है, खासकर उन समूहों में जहाँ नीति-विश्लेषण के लिये समय या संसाधन कम हो।

### डिजिटल ग्राउंड गेम : व्हाट्सऐप व स्थानीय नेटवर्क

व्हाट्सऐप ने 'ग्राउंड-लेवल' डिजिटल पहुँच प्रदान की क्यूँकि यह सीधे व्यक्तिगत संपर्कों तक पहुँचता है और बड़े ग्रुप्स के माध्यम से सूचनाएँ तेजी से फैलती हैं। अध्ययन बताते हैं कि चुनावी संदर्भ में बहुत सी सूचनाएँ पहली बार व्हाट्सऐप पर ही साझा होती हैं कभी-कभी स्थानीय नेताओं या स्वयंसेवक नेटवर्क के माध्यम से। 2019 के चुनावों में यह 'व्हाट्सऐप-चुनाव' के रूप में प्रचारित हुआ और 2024 में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।

## 3. मतदाता व्यवहार पर प्रभाव : जागरूकता, मतनिर्णय और ध्रुवीकरण

### सूचना स्रोतों में बदलाव— पारंपरिक से डिजिटल की ओर

पारंपरिक सूचना स्रोत जैसे टीवी और समाचार-पत्र अब भी महत्वपूर्ण हैं, पर डिजिटल चैनल खासतौर पर सोशल मीडिया

ने प्राथमिक समाचार-स्रोतों के रूप में स्थान बना लिया है, विशेषकर युवा और शहरी मतदाताओं में। DataReportal & IAMAI के आँकड़ों के अनुसार सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और इंटरनेट की पहुँच का विस्तार इसका संकेत देता है कि मतदाता जमीनी सूचनाओं के अलावा ऑनलाइन सामग्री से प्रभावित होते हैं।

**राजनीतिक मतनिर्णय : सूचना, सामाजिक प्रभाव और इमोशन**

डिजिटल सामग्री अक्सर सूचना के साथ-साथ सामाजिक संकेत भी देती है उदाहरणतः किसी पोस्ट पर हजारों लाइक/शेयर होने से उसके संदेश को मान्यता मिलती दिखती है। सोशल नेटवर्क सिद्धांत भी बताता है कि मित्रों और परिवार से आने वाली राजनीतिक जानकारी अधिक विश्वसनीय रहती है; इसलिए व्हाट्सऐप या फेसबुक समूहों में पीयर-प्रेशर के प्रभाव से मतनिर्णय प्रभावित होता है। कई अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि भावनात्मक (विशेषकर भय/गुस्सा/ग्लोरीफिकेशन) संदेश मतदाता व्यवहार पर ज़्यादा असर डालते हैं।

**डिजिटल असमानता कौन प्रभावित**

लोकनीति(Lokniti/CSDS) सहित कई सर्वे बताते हैं कि सोशल मीडिया उपयोग असमान हैः उच्च जाति, उच्च शिक्षा और पुरुषों में सोशल मीडिया एक्सपोज़र अधिक पाया गया। इसका अर्थ यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाली सार्वजनिक भावना हर समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती; इसके विपरीत, कुछ समूहों की आवाज़ कम सुनाई देती है। इसलिए डिजिटल संचार के प्रभावों का विश्लेषण करते समय इसे ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि वही जो डिजिटल पर प्रबल दिखाई देता है, वह सार्वभौमिक नहीं होता।

**4. मिसइनफॉर्मेशन, राजनीतिक हिंसा और डिजिटल जोखिम**

**फैलाव और प्रकार**

WhatsApp जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें, विडियो और फॉरवर्डेड मैसेज का दोगुना प्रभाव देखने को मिला है; शोध ने दिखाया है कि राजनीतिक रूप से संबंधित साझा की गई तस्वीरों/इमेजों में लगभग 10-13% तक सामग्री गलत या भ्रामक पाई गई (विशेषकर 2019 चुनावी समय के डेटा पर)। फेक-इमेजेज, एडिटेड वीडियो, और कट-पेस्ट संदर्भों ने कई बार स्थानीय तनाव भी भड़काए।

**सोशल बबल और पोलराइज़ेशन**

ऑनलाइन एल्गोरिदमिक फीड और इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन से उपयोगकर्ता प्रायः उन्हीं संदेशों के संपर्क में आते हैं जो उनके पूर्व-रुझान के अनुकूल होते हैं इससे 'इको-चेम्बर' बनते हैं और ध्रुवीकरण (polarisation) बढ़ सकता है। राजनीति में यह खतरनाक है क्योंकि संवाद का स्थान घटता है और विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता कम हो जाती है।

**चुनावी प्रक्रिया व सुरक्षा पर असर**

डिजिटल अभियान तेज़ और प्रभावी हैं, पर डेटा-प्राइवेसी, लक्षित प्रचार (micro-targeting) और विदेशी/आक्रामक रणनीतियों का खतरा भी है जैसे किसी समुदाय को भ्रमित करने हेतु लक्षित संदेश भेजना। इस प्रकार के जोखिम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करते हैं। कई देशों और आयोगों ने इसे देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिये सख्त नियम या पारदर्शिता की माँग उठाई है।

**5. केस-स्टडी : 2019 और 2024 के चुनावी अनुभव**

**2019 : 'व्हाट्सऐप' का उल्लेखनीय रोल -**

2019 के लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया और विशेषकर व्हाट्सऐप का जबरदस्त प्रभाव सूचित किया गया था इसे कई विश्लेषकों ने 'व्हाट्सऐप-चुनाव' कहा। शोध व रिपोर्टों ने दिखाया कि राजनीतिक घोषणाएँ, स्थानीय अफवाहें और अभियान सामग्री बड़े पैमाने पर व्हाट्सऐप पर प्रसारित हुई; कुछ मामलों में यही संदेश मतदान व्यवहार और स्थानीय तनाव को प्रभावित करने वाले रहे। इस दौरान पार्टियों ने डिजिटल टूल्स और वॉट्सऐप-आधारित ग्रुप्स के जरिये गहराई से संदेश प्रसारित किए।

### 2024 : विस्तृत पहुँच, क्षेत्रीय भाषा और शॉर्ट वीडियो का उदय

2024 तक इंटरनेट और सोशल मीडिया पहुँच और भी व्यापक हुई : रूरल इंटरनेट उपयोग में वृद्धि और इंडिक भाषा सामग्री का उदय बढ़ा। राजनीतिक अभियान अब क्षेत्रीय-भाषा कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म वीडियो व ऑडियो मैसेजेस पर ज़ोर देते दिखे। CSDS/Lokniti व अन्य शोधों ने 2024 के डिजिटल अभियानों का विश्लेषण किया और पाया कि डिजिटल फैक्टर्स (पहुंच, भाषा, प्लेटफ़ॉर्म-विशेष रणनीतियाँ) ने स्थानीय मतदान व्यवहार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई हालाँकि पारंपरिक मीडिया और पार्टियों की मैदानों की गतिविधियाँ अभी भी निर्णायक थीं।

### 6. चुनौतियाँ और नीति-सम्बन्धी मुद्दे

**1. मिसइनफॉर्मेशन और वायरल अफवाहें**— एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग/ग्रुप्स पर नियंत्रण कठिन है; फॉरवर्डेड कंटेंट का जांच-नियम बनाना आवश्यक।

**2. डिजिटल असमानता (Digital Divide)**— इंटरनेट पहुँच का विस्तार हुआ है पर उपयोग और डिजिटल साक्षरता में असमानता बनी हुई है; इससे कुछ समूहों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ सकता है।

**3. डाटा प्राइवेसी और माइक्रो-टार्गेटिंग**— मतदाताओं के डेटा के उपयोग पर पारदर्शिता और नियम जरूरी हैं ताकि स्वचालित प्रोफ़ाइलिंग से मनोवैज्ञानिक या भेदभावपूर्ण लक्षित संदेश न फैलें।

**4. प्लेटफ़ॉर्म-पारदर्शिता**— ऐड-लिबरलिटी, विज्ञापन-फंडिंग स्रोत, बॉट-इन्फ्लुएंस इत्यादि पर रिपोर्टिंग आवश्यक है।

### सुझाव - नीति निर्माताओं के लिये सुझाव

**1. डिजिटल साक्षरता अभियान (Digital Literacy):** राष्ट्रीय व राज्य-स्तर पर लक्षित डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम चलाएँ विशेषकर ग्रामीण और महिलाऐं/कम पढ़े-लिखे क्षेत्रों में ताकि उपयोगकर्ता फेक न्यूज की पहचान कर सकें।

**2. प्लेटफ़ॉर्म पारदर्शिता नियम :** चुनावी विज्ञापनों, पेड प्रचार और राजनीतिक पेजों के वित्तीय स्रोतों की खुलासा नीति लागू हो। प्लेटफॉर्म्स को मतदान-विचलन वाले बड़े पैमाने के फ़ॉरवर्ड पैटर्न की सूचना चुनाव आयोग/नियामक को देनी चाहिए।

**3. डेटा प्रोटेक्शन और एथिकल गाइडलाइंस :** राजनीतिक डेटा-सर्वे और माइक्रो-टार्गेटिंग के लिये सख्त गोपनीयता मानक और सहमति-आधारित नीति होनी चाहिए।

**4. रैपिड-रिस्पॉन्स फैक्ट-चेक नेटवर्क :** चुनाव आयोग, मीडिया और स्वतंत्र फैक्ट-चेकर्स के बीच एक त्वरित सूचना-साझा तंत्र बनना चाहिए, ताकि वायरल दावों का शीघ्र सत्यापन हो।

### राजनीतिक दलों/अभियानकर्ताओं के लिये सुझाव

**1. नैतिक अभियान सिद्धांत अपनाएँ :** झूठी/भ्रामक जानकारी से परहेज़ और पारदशी संवाद अपनाएँ।

**2. क्षेत्रीय भाषा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री :** केवल वाइरलिटी पर नहीं, बल्कि सूचना-गुणवत्ता पर ध्यान दें—वोटरों को नीति-आधारित जानकारी दे।

**3. डेटा-सक्षम परन्तु जवाबदेह रणनीति :** मतदाता डेटा का उपयोग तभी करें जब पारदर्शिता और सहमति हो;

लक्षित संदेशों में सत्यापन और नैतिकता बनाए रखें।

नागरिक समाज और मतदाताओं के लिये सुझाव

**1. सूचना स्रोतों की जाँच की आदत डालें :** किसी भी वायरल संदेश को शेयर करने से पहले स्रोत देखना और दो स्वतंत्र स्रोतों से सूचनाओं की पुष्टि करना चाहिए।

**2. स्थानीय संवाद बनायें :** ऑफ़लाइन संवाद ग्रामीण बैठकें, पंचायत चर्चा, छात्र-समूह अभी भी महत्वपूर्ण हैं; इन्हें डिजिटल से जोड़ कर सुदृढ़ बनायें।

## निष्कर्ष

डिजिटल युग ने चुनावी राजनीति और मतदाता व्यवहार दोनों को गहराई से बदल दिया है यह परिवर्तन अवसर और जोखिम दोनों लेकर आया है। जहाँ इंटरनेट व सोशल मीडिया ने व्यापक पहुँच, कम लागत और लक्षित संवाद के माध्यम से लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने का अवसर दिया है, वहीं वही तंत्र सूचना विकृति, डिजिटल असमानता और पारदर्शिता की कमी के कारण लोकतंत्र के लिये चुनौती भी बने हुए हैं। भारत जैसे विविध लोकतंत्र में नीति-निर्माताओं, पार्टियों, प्लेटफ़ॉर्मों और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि डिजिटल तकनीक का उपयोग लोकतंत्र को समृद्ध करे, न कि उसे कमजोर। सही नियमन, व्यापक डिजिटल साक्षरता और प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही इसके प्रमुख स्तम्भ हैं।

## संदर्भ सूची


1. IAMAI, Kantar - 2024. Internet in India 2024 (Kantar_IAMAI Report). Internet and Mobile Association of India (IAMAI). Mumbai, pae-13.
2. DataReportal - 2024. Digital 2024: India. DataReportal (We Are Social / Hootsuite). London, page no-5.
3. Lokniti / CSDS - 2019. Social Media & Political Behaviour (रिपोर्ट). Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), Lokniti. नई दिल्ली, पृ. 8-20.
4. ISAS / Konrad Adenauer Stiftung - 2019. The Impact of Digital Media on the 2019 Indian General Election. Institute of South Asian Studies & Konrad Adenauer Stiftung. सिंगापुर, दिल्ली, पृ. 2-10.
5. Garimella, K. et al. - 2020. Images and Misinformation in Political Groups: Evidence from WhatsApp in India. Harvard Misinformation Review / Research Paper. Howard University, P. 1-12.
6. The Academic / अन्य समकालीन लेख - 2025. The Impact of Social Media on the 2024 Lok Sabha Election (आकस्मिक शोध पत्र) (प्रकाशक: The Academic). P. 2-9.

# स्वामी विवेकानन्द के विचारों की समीक्षा

**लोकेश कुमार**
शोधार्थी
प्रो. शिक्षा विभाग

**डॉ. गोपेश कुमार शर्मा**
शोध पर्यवेक्षक
लॉडर्स विश्वविद्यालय, अलवर

## भूमिका

शिक्षा मानव के विकास एवं प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से ही मानवीय समस्याओं का तथ्यपूर्ण एवं प्रभावी समाधान खोजा जाता है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा बालक की अन्तर्निहित योग्यताओं और शक्तियों को विकसित करके उसमें गुणों का विकास किया जाता है। शिक्षा ही किसी राष्ट्र, समाज एवं संस्कृति का संरक्षण, सम्वर्धन एवं सम्पोषण करती है। इसी पर किसी राष्ट्र की प्रगति की इमारत खड़ी की जा सकती है। यदि राष्ट्र ने उन्नति, शक्ति, साधन एवं ज्ञान-विज्ञान में ख्याति प्राप्ति की है तो इसमें उसकी शिक्षा व्यवस्था का अद्वितीय योगदान रहा है। शिक्षा न केवल ज्ञान एवं प्रगति की सूचक है, बल्कि यह संस्कारों के निर्माण तथा सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तान्तरण में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा के इन्हीं पक्षों का समर्थन आधुनिक भारतीय शिक्षा मनीषी, वेदान्ती एवं युगदृष्टा स्वामी विवेकानन्द ने किया। उनका विचार था कि- ''एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है।''

देश की शैक्षिक प्रगति में योगदान देने वाले महपुरूषों में स्वामी विवेकानन्द का उत्कृष्ट स्थान है। इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों एवं अनुभूति की गयी समस्याओं को ध्यान में रखकर ऐसी शैक्षिक प्रणाली की संकल्पना की जो देश की गरिमा एवं उसकी संस्कृति, उसकी प्रगति एवं आवष्यकताओं के अनुरूप हो। स्वामी जी ने अपने शैक्षिक चिन्तन से एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात किया जो न केवल तत्कालिक सामाजिक समस्याओं के लिए उपयोगी थी, बल्कि वर्तमान समाज की अधिकांश समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से किया जा सकता है। तत्कालीन परिस्थितियों में भी प्रभावी चिन्तन, उनकी दूरदृष्टि एवं पूर्वाभास के गुणों को सूचक है। उनका अभिमत था कि- ''किसी भी समस्या का तात्कालिक समाधान न खोजकर उसका स्थायी एवं दीर्घकालिक हल खोजने के विचार सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। उनका कहना था कि हम मानव के सर्वांगीण विकास की शिक्षा चाहते है।

युगदृष्टा स्वामी विवेकानन्द प्राच्य एवं पाश्चात्य तथा प्राचीन एवं नवीन व्यवस्था के संयोजक थे। वे समस्याओं के स्थायी समाधान के पक्ष में थे। स्वामी जी के विचारों में प्राचीन एवं नवीन का अदभुत समन्वय था जो हमें अन्य शिक्षाविदों एवं समाज सुधारकों में नहीं दृष्टिगत होता है। उनकी कथनी और करनी में एकरूपता थी। उनके शब्दों में जादू था, उनका राष्ट्र प्रेम अद्वितीय था और उनकी दूर दृष्टि अलौलिक प्रतिमा से सम्पन्न थी। उनके संदेश एवं कार्य जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर उनका कायाकल्प करने में सफल हुए। उनका संदेश अल्प काल के लिए नहीं वरन युग-युग के लिए था। वे केवल किसी राष्ट्र के लिए नहीं वरन् सम्पूर्ण मानवता के लिए हैं। उनका संदेश केवल आंषिक सामाजिक सुधार के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय

जीवन के सम्पूर्ण पहलुओं के पूर्ण पुनर्योजन के लिए है।

शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को जोड़े रखने का एक महत्वपूण साधन है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में गतिषीलता आती है और राष्ट्र समृद्धि की ऊँचाईयों को छूता हैं। इससे राष्ट्र के नागरिकों का जीवन स्तर एवं चिन्तन उच्च होता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के विकास का मूल साधन है। प्राचीन काल में विष्व के समृद्ध देशों में भारत का उच्च स्थान था क्योंकि इसकी शिक्षा प्रणाली अत्यन्त सुदृढ़ एवं समृद्ध थी। किन्तु औपनिवेषिक व्यवस्था ने हमारी संस्कृति एवं शिक्षा को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया और इसकी सर्वथा उपेक्षा कर देश को अधोगति में धकेल दिया। इस दुदर्षा से देश का प्रबुद्ध वर्ग आहत हुआ और शिक्षा की अनिवार्यता और इसके महत्व को पुनस्थापित करने का प्रयास किया। शिक्षा व्यवस्था को प्रवाभी ढंग से लागू किये जाने के पक्षधर शिक्षाशास्त्रियों में राजाराम मोहनराय, सर सैय्यद खां, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डॉ. एनीबेसेन्ट, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानन्द, गोपालकृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरबिन्द घोष, डॉ. राधाकृष्णन, विनोवा भावे, डॉ. जाकिर हुसैन, आचार्य कृष्णमूर्ति एवं आचार्य नरेन्द्रदेव आदि प्रमुख है। इनके विचारों से देश में पुनर्जागरण आया और अन्ततः देश ने पराधीनता की जंजीरों को काटकर स्वाधीनता की पावन वायु में श्वांस लिया।

भारत भूमि सदैव ही महापुरुषों की धरती रही है। आदि काल से ही यहाँ पर अनेकों महापुरुषों ने अपनी जीवन लीलाओं एवं कार्य व्यवहारो से जन मानस को प्रेरित किया, जिससे समाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं सांस्कृतिक गतिषीलता बनी रही। जहाँ देश में राम, कृष्ण, गौतम एवं साईबाबा तथा सूफी सन्तों ने अपनी जीवन लीलाओं से आदर्श स्थापित किया वहीं गांधी, टैगोर, विवेकानन्द एवं राजाराम मोहन राय आदि समाज सुधारकों ने अपने विचारों से जन मानस को बदलने का कार्य किया। भारतीय समाज में पुनर्जागरण लाने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानन्द का प्रमुख स्थान है। अतः इनके जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

स्वामी जी की विदेश यात्रा 31 मई 1893 ई. को बम्बई बन्दरगाह से प्रारम्भ हुई। उनका जहाज श्रीलंका के पेनांग एवं सिंगापुर होते हुए हांगकांग पहुँचा। संयोगवश यह जहाज इस बन्दरगाह पर तीन दिन तक रुका रहा जिससे स्वामी जी को चीन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला। इतने अल्प समय में उन्होंने चीन की संस्कृति का सूक्ष्म अध्ययन किया। जिसका वर्णन स्वामी जी ने अपने यात्रा संस्मरण में किया है। जहाज तीन दिन ठहरने के बाद जापान के किसी बन्दरगाह पर आ रुका। जापान की औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में स्वामी जी पहले सुन चुके थे। यह एक अद्वितीय अवसर था, जब कि स्वामी जी को जापान के प्रमुख औद्योगिक एवं तकनीकी षहरों- याकोहामा, ओसाका और टोकियो नगरो में घूमने का अवसर मिला। यहाँ की भौगोलिक एवं तकनीकी उन्नति से स्वामी जी इतने प्रभावित हुए कि वे ऐसी ही व्यवस्था भारत में करना चाहते थे। स्वामी जी का जहाज याकोहामा से बैंकुवर पहुँचा। यह जहाज की यात्रा का अन्तिम बन्दरगाह था। इसके बाद स्वामी जी रेल पथ द्वारा शिकागो शहर (संयुक्त राज्य अमेरिका) जहाँ विश्व धर्म-सम्मेलन आयोजित होने वाला था, पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर स्वामी जी को यह मालूम हुआ कि विश्व धर्म-सम्मेलन सितम्बर माह में होने जा रहा है। यह षहर सामान्य लोगों के रहने हेतु महंगा था। अतः वे बोस्टन षहर जो अपेक्षाकृत कम महंगा था, रेल पथ द्वारा लौट आये। रेल यात्रा के दौरान स्वामी जी का परिचय मिस केथरीन सन वार्न से हुआ जो आगे चलकर स्वामी जी को प्रथम स्तम्भ के रूप में सहायक सिद्ध हुआ।

## स्वामी विवेकानन्द एवं मानवतावाद

स्वामी जी का जीवन दर्शन मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त था। उन्होंने माना कि आज हमें आवष्यकता है वेदान्त युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, आदर्ष श्रद्धा और विश्वास की। स्वामी जी ने सृष्टि, ईश्वर, आत्मा, आत्मानुभूति, आत्म संयम, योग, भक्ति, धर्म, कर्म एवं पुर्नजन्म आदि समस्त पक्षों पर विशेष बल दिया और इनका मानवीय पक्ष से सम्बन्ध निरूपण किया। स्वामी विवेकानन्द का जीवन दर्षन लोग कल्याण की भावना से युक्त था। मानवतावाद के सम्बन्ध में स्वामी जी का कथन है—"मैं समाजवादी एवं मानवतावादी हूँ, इसका अभिप्राय समाज के सभी व्यक्तियो को धन, विद्या और ज्ञान का उपार्जन करने के लिए

एक समान अवसर मिलना चाहिए जो सामाजिक नियम इस स्वतन्त्रता के विकास के मार्ग में बाधक है, वे हानिकारक हैं और उनको नष्ट करने का उपाय शीघ्रता से करना चाहिए।"

स्वामी जी सम्पूर्ण मानवता का उद्धार करना चाहते थे। उनका विचार था कि- 'मेरे जीवन का व्रत क्या है? यह मैं स्वयं जानता हूँ। किसी जाति विशेष पर न मेरा तीव्र अनुराग है और न घोर विद्वेष ही। जैसे मैं भारत का हूँ, वैसे ही समग्र जगत का भी हूँ।'

स्वामी जी के इस वक्तव्य से साफ स्पष्ट होता है कि स्वामी जी सम्पूर्ण मानवता को ईश्वर के रूप में उनकी सेवा करना चाहते थे। अपने विचारों को कार्य रूप देने हेतु उन्होंने 19 विश्व के अनेक देशों में वेदान्त सोसाइटी की स्थापना की है, जो विभिन्न रूपों में मानव सेवा में रत है।

मानवतावाद एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जो मनुष्य और उसके हित को सर्वोच्च मानती है। औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं भौतिकतावादी विचारधारा ने मनुष्य के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। ऐसी परिस्थिति में मानवतावाद इन बाध्यताओं की प्रतिक्रियां स्वरूप उभर कर सामने आया है। मानवतावाद की रुचि ईश्वरीय सत्ता एवं चिन्तन की अपेक्षा मानव एवं उसकी नियति को जानने में होती है। उसकी आषाएं एवं आकाक्षाएं, उसके आदर्श तथा भय, उसकी उपलब्धियाँ तथा दुर्बलताएं चिन्तन की इसी श्रेणी में आती हैं।

स्वामी विवेकानन्द एक मानवतावादी चिन्तक एवं विचारक हैं। उन्होंने सम्पूर्ण दैवीय शक्तियों एवं भौतिक पदार्थों को मानवीय पक्ष से जोड़कर प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता थी कि मानव सेवा और ईश्वर सेवा, मनुष्यत्व और धर्म, सत्यनिष्ठा और आध्यात्मिकता में कोई भेद नहीं है। ईश्वर तो अनादि, अनन्त एवं अपौरुषेय है। मानव की आत्मा ईश्वर के उसी अंश से आविर्भूत है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही वह बन जाता है। वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वह नित्य प्रति अपने भावी कल के लिए चिन्तित एवं प्रत्यन्तषील रहता है, जिस व्यक्ति का कार्य एवं चिन्तन उत्कृष्ट होता है, उसकी आत्मा आनन्द से परिपूर्ण होकर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेती है, किन्तु यह कार्य अत्यन्त जटिल है क्योंकि इस पर माया का आवरण रहता है। व्यक्ति जिस क्षण त्याग एवं समर्पण के लिए तैयार हो जाता है, उसी क्षण उसको आनन्दात्मक स्थिति का आभास होने लगता है।' स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त दर्शन की आध्यात्मिक शक्तियों का मानवतावादी सन्दर्भों में व्याख्या की और उसे मानव निर्माण से जोड़कर प्रस्तुत किया। इसीलिए इनके दार्शनिक चिन्तन को नव्य वेदान्त के अन्तर्गत रखा जाता है। मानव को उसके यथार्थ का बोध कराने तथा आत्मानुभूति की ओर आकृष्ट करने हेतु स्वामी जी ने ज्ञान और शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया।

स्वामी जी की आध्यात्मिक मानवतावादी विचारधारा का अध्ययन करने के पूर्व मानवतावादी विचारधारा को जानना आवश्यक है।

### मानवतावाद एवं वैज्ञानिक संदर्भ

मानवतावाद के वैज्ञानिक सन्दर्भ में मानवतावाद का वैज्ञानिक परम्पराओं एवं प्रवृत्तियों के सापेक्ष विवेचना करता है। वैज्ञानिक मानवतावाद का यह मानना है कि विज्ञान से अलग हटकर मानवीय गरिमा में विश्वास करना और मानवीय अस्तित्व की परिकल्पना करना यथेष्ट नहीं है। इसलिए मानवीय गरिमा, विश्वास, मानवीय अस्तित्व की रक्षा करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि मानवतावाद और वैज्ञानिक परम्परा दोनों के समन्वय पर आधारित दृष्टिकोण को वैज्ञानिक मानवतावाद कहा जाता है। शिक्षा शब्दकोष में वर्णित है कि "वैज्ञानिक मानवतावाद आधुनिक विचार का एक आन्दोलन है, जिसमें मनुष्य की व्याख्या एक जैविक सामाजिक प्राणी के रूप में की जाती है, जो अपनी बुद्धि के प्रयोग के माध्यम से अपने संस्थानों के निर्देशन एवं मानव सभ्यता की रचना में समर्थ होता है।'' वैज्ञानिक मानवतावाद का मानना है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही मनुष्य प्रकृति की यथार्थता, उसकी रहस्यमयता का पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि ही एकमात्र विश्वसनीय विधि है क्योंकि यह मानव बुद्धि पर आधारित होती है।

मनुष्य वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा सर्वविधि अपने जीवन को प्रगतिशील एवं सुखी बना सकता है। वैज्ञानिक मानवतावाद सभी मानव-समस्याओं का निराकरण विज्ञान की विधियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोजता है। इसकी मान्यता है कि तथ्यों की सूचना ग्रहण करने की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग नहीं किया जायेगा तो ज्ञानार्जन की विविध योजनाओं और प्रयासों में आपत्तिजनक निष्कर्षो का सामना करना पड़ेगा।

## शिक्षा का सम्प्रत्य एवं मानवतावाद

मानवतावाद मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, नियन्ता और उद्धारक मानता है। मानव जीवन के बीच भ्रातृत्व का विकास करना इसका मूल ध्येय है। मानव व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना मानवतावाद का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए मानवतावाद के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र रूप से विकास करे, मानव कल्याण का प्रतिपादन करे, मानवीय मूल्यों का विकास करे और विश्व बन्धुता का पोषण करे। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को स्वतंत्रता प्रधान एवं उत्तरदायित्व प्रधान जीवन जीने का गुण विकसित होना चाहिए।

## शिक्षा के उद्देश्य एवं मानवतावाद

मानवतावाद सभी मनुष्यों को सुखी बनने, निरोगी, बनने, सभी को सुन्दरतम् बनने तथा सुन्दर देखने तथा दुःख मुक्ति का उपदेश देता है। ऐसी स्थिति में मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है–

1. मनुष्य के शारीरिक विकास एवं पुष्टता का वर्धन करना।
2. मानव को मानव के दुःख की अनुभूति कराना तथा संवेदनशीलता का विकास करना।
3. मनुष्य के व्यक्तित्व के विविध पक्षों का विकास करना।
4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुप्रयोग करने की क्षमता का विकास करना।
5. विद्यार्थियों में उच्चतम मानवीय मूल्यों का विकास करना।
6. विश्व शान्ति हेतु दृष्टिकोण का विकास करना।

## आध्यात्मिक मानवतावाद

आध्यात्मिक मानवतावाद एक ऐसा दार्शनिक चिन्तन है, जिसमें मानवीय गुणों, भावों एवं संवेदनाओं का विकास आध्यात्मिक पक्षों के अनुरूप होता है। जीवों पर दया, मन, वचन एवं कर्म से अहिंसक तथा सत्य एवं सद्विचार, व्यक्ति में मनन, चिन्तन, ध्यान, धारणा आदि से ही विकसित हो सकता है। आध्यात्मिक मार्गो से सद्विचारों एवं सद्मार्ग का अन्वेषण करना सरल है। स्वामी जी का विचार था कि व्यक्ति में निहित अनन्त ज्ञान एवं षक्ति का पुंज तभी विकसित हो सकता है, जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्गो का अनुसरण करे। जब व्यक्ति मानवमात्र से प्रेम करने लगे, समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की झलक देखने लगे, सृष्टि की प्रत्येक कृति को सुन्दर एवं ईश्वर का उपहार मानने लगे, जीवों पर दया एवं उनकी रक्षा हेतु प्रयास करने लगे और मानव सेवा को ही ईश्वर आराधना मानने लगे तो इसे ही आध्यात्मिक मानवतावाद की श्रेणी में रखा जायेगा।

स्वामी जी ने वेदान्त दर्शन को पुनर्व्यवस्थित करते हुए मानवीय पक्षों एवं भौतिक आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। मानव एवं मानवता के विकास तथा निर्माण हेतु आध्यात्मिक पक्षों का विकास आवश्यक है। अध्यात्म व्यक्ति में स्व का बोध, स्वत्व का बोध कराने के साथ-साथ उसमें विश्व बोध भी कराता है तथा सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर की झलक दिखाता है। भौतिकता की दौड़ में घट रही मानवीय संवेदनाओं, मानवीय गुणों, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि के लिए आध्यात्मिक, धार्मिक तथा 14 नैतिक पक्षों पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। आध्यात्मिक मानवतावाद में मनुष्य को ईश्वर की सृष्टि समझने, उसकी सेवा एवं सहायता के लिए तत्पर रहने, मनुष्य को सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य एवं

नैतिकता जैसे गुणों से सम्पन्न बनाने की संकल्पना निहित है।

**निष्कर्ष**

स्वामी विवेकानन्द ने सभी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने की विधि मन की 'एकाग्रता' को माना है। उन्हीं के शब्दों में- ''मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का सकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरम्भ करनी हो और यदि इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूँ। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति की सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरणों के पूर्णतया तैयार होने पर उससे इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करता। हमें चाहिए। कि मन को वस्तुओं पर नियोजित करें, न कि वस्तुएँ हमारे मन को खींच ले। मन को वष में करने के लिए, अभीष्ट स्थान पर लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पडती है। एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है। इससे इन्द्रियाँ नियंत्रित होती हैं, मन की चंचलता कम हो जाती है तथा स्मृति शक्ति का विकास होता है। अतः बालकों को ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए।''

स्वामी विवेकानन्द ने पुस्तकीय शिक्षा तथा ज्ञान को दूसरों के द्वारा थोपे जाने को महत्व नहीं दिया है वरन् आत्मप्रेरित ज्ञान जो स्वयं चिन्तन-मनन के द्वारा सीखा जाय, उस पर अत्यधिक बल दिया है। उनके विचार से- ''बालक दिव्य शक्ति का भण्डार है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसे जगा दे। बालकों को शिक्षा देते समय ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उनकी मौलिक चिन्तन क्षमता जागृत हो सके। कोई भी दूसरों को नहीं सिखा सकता, बालक की उन्नति उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार होती है, शिक्षक उसकी सहायता मात्र करता है।''

स्वामी विवेकानन्द पुस्तकीय शिक्षा को अच्छा शिक्षण नहीं मानते थे। उनका मानना था कि पुस्तक सजीव नहीं है। इसलिए उससे सजीव ढंग से सीखा नहीं जा सकता है। पुस्तकें मौलिकता को न तो उद्घाटित करती है न ही प्रेरणा देती है, वे तथ्यों को केवल उसी प्रकार रख देती हैं जैसा एकत्रित रहता है।

जन साधारण को शिक्षा देने के लिए भ्रमण विधि बहुत ही व्यावहारिक है। स्वामी जी का विचार था कि दरिद्रता के कारण गरीब बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, वे अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय को उनके पास पहुँचना है। अत संन्यासियों को चाहिए कि नैतिक एवं धार्मिक उपदेशों के साथ-साथ शिक्षा देने का भी कार्य करें। स्वामी जी कहते है- ''मान लो इसमें से कुछ मनुष्य सन्ध्या समय किसी गांव में मैजिक लैण्टर्न, दुनिया का गोला और कुछ नक्शे लेकर गये तो अनजान मनुष्यों को बहुत सा ज्योतिष और भूगोल सिखा सकते है। भिन्न-भिन्न देशों की कहानियां बताकर वे गरीबों को जन्मभर में पुस्तकों द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती उससे कई सौ गुना अधिक कानों के द्वारा सिखा सकते हैं। आधुनिक विज्ञान की सहायता से उनके ज्ञान को प्रज्वलित कर दो।''

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# न्यीशी समुदाय में प्रचलित जन्म और मृत्यु से संबंधित अनुष्ठान

**डॉ. ङूरी शांति**
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग
देरा नातुङ शासकीय महाविद्यालय ईटानगर
जिला - पापुम पारे-791113
अरुणाचल प्रदेश
फोन नम्बर -9774549899
ई-मेल ngurishanti1@gmail.com

**प्रस्तावना :** पूर्वोत्तर भारत में स्थित अरुणाचल प्रदेश अपने असीम प्राकृतिक सौंन्दर्य और संस्कृति, वनाच्छादित पर्वत्मालाओं, बहुजातीय समाज, समृध्द लोक- साहित्य एवं भाषायी वैविध्य और नयनाभिराम वन्य - प्राणियों के कारण अब देश का सबसे रोमांचक एवं लोकप्रिय स्थल की उपाधि प्राप्त कर चुकी है। अरुणाचल जनजातीय प्रदेश है। साहित्य में लोक शब्द विशेषण के रूप में जुड़ जाने से लोक-साहित्य शब्द की रचना होती है। लोक-साहित्य शब्द-युग्म दो शब्दों- लोक और साहित्य के मेल से बना है, जिसका अर्थ हुआ- लोक का साहित्य। लोक-साहित्य युग्मपद में भी साहित्य शब्द ही प्रमुख है, पर यह साहित्य लोक का साहित्य है। लोक अर्थात आम जनता, सर्वसामान्य जन। किसी क्षेत्र, समाज, समुदाय विशेष के लोगों के बीच में प्रचलित एक ऐसा साहित्य है, जिसको वे अपना मानकर अकुंठ भाव से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते है। जिसमें उनके सहज मनोभाव प्रतिबिम्बित होते हों। जिससे वे अपने लिए जीवन-रस की प्राप्ति करते है। जो उनके मनोरंजन का साधन है। जो उनके सुख-दुख का साथी है। जिसमें उनके जीवन-मूल्य झलकते है। जिससे उनको जीवन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश प्राप्त होते है, और जो आशा-निराशा के क्षणों में उनके लिए जीवन-दीप का कार्य करता है।

'लोक' शब्द अत्यन्त प्राचीन है। यह शब्द "आर्षग्रन्थों से लेकर निरंतर मिलता है। ऋग्वेद में 'देहि लोकम' (स्थान दो) के अनुसार लोक का अर्थ 'स्थान' सिद्ध होता है। 'श्रीमद्भगवदगीता' में अनेक स्थलों पर लोक तथा लोक संग्रह शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ लोग, समाज, संसार दिया हुआ है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के 'लोअप्पवाय' (लोकप्रवाद) 'लोक जत्ता' (लोक-यात्रा) शब्द भी इन्हीं अर्थों के द्योतक हैं। श्रीरामचरितमानस में 'लोक' शब्द कई स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है और उसका तात्पर्य भी संसार एवं समाज ही है। हिन्दी शब्दकोश में भी 'लोक' का अर्थ 'लोग' दिया गया है। इसके उपरान्त 'तीन लोक' और 'चौदह लोक' के रूप में लोक शब्द का प्रयोग हुआ हैं। 'लोक'शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कतिपय अध्येता संस्कृत के आधार पर लोक शब्द का निर्माण 'लोकृदर्शने' धातु से 'घञ' प्रत्यय के संयोग से मानते हैं और कुछ 'रुचदीप्तो' से व्युत्पन्न मानते हैं।"।[1]

डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय भी लिखते हैं कि "'लोक' शब्द संस्कृत की 'लोकृदर्शने' धातु से 'घञ' प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। इस धातु का अर्थ देखना है, जिसका लट् लकार में अन्य पुरुष के एक-वचन का रूप 'लोकते' है। अतः 'लोक'

शब्द का अर्थ हुआ देखने वाला। इस प्रकार वह समस्त जन-समुदाय जो इस कार्य को करता है, 'लोक' कहा जा सकता है। 'लोक' शब्द से ही हिन्दी के लोग शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है जिसका तात्पर्य है सर्वसाधारण जनता। अतः 'लोक' शब्द का अभिप्राय उस समस्त जनसमूह से है जो किसी देश में निवास करता है"।[2]

**न्यीशी जनजाति का परिचय :** अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में 'न्यीशी' जनजाति संख्या एवं क्षेत्रफल की दृषिट से सबसे बड़ी है। इस जनजाति के लोग कुल पाँच जिलों में बसे हुए है। जिसमें ईसट कामेङ, पाक्के केसाङ, करा-दादी, कुरुङ कुमे, पापुम-पारे, केयि पान्योर, अपर सुबनसिरी तथा असम के उत्तरी लखिमपुर के कुछ इलाके में बसे हुए है।

न्यीशी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, 'न्यी' और 'शी' 'न्यी' का अर्थ है 'मनुष्य' और 'शी' का अर्थ है 'संसार'। अर्थात संसार में बसे हुए मनुष्य को 'न्यीशी' कहते हैं।

न्यीशी समाज में तीन तरह के मुख्य त्यौहार मनायी जाती है न्योकुम यूलो, लोङ्ते हाते और बूरी यूलो। जो कि विशेष संदर्भ और पारंपरिक तौर पर मनायी जाती है। न्यीशी जनजाति में सबसे बड़े पैमाने पर न्योकुम युलो त्यौहार मनायी जाती है। सभी जनजातियो में लिपि का अभाव है। न्यीशी जन स्वयं को 'आबोतान्यी' का वंशज मानते हैं। वे 'दोन्यी-पोलो' अर्थात सूर्य देवी एवं चन्द्र देव की आराधना करते हैं। वे 'आने दोन्यी' को अपनी कुल देवी मानते हैं। लोक कथाओं में आबूतान्यी और उनके साथियों के कारनामों द्वारा जीवन के मूल्यों समझाया जाता है। न्यीशी समाज में अन्य समाजों की तरह बच्चे को लेकर जो सपने संजोए जाते हैं वह बड़े प्यारे होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसके सुरक्षित भविष्य के लिए घर वालों- खासकर माँ के घरवालों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। न्यीशी समुदाय में यह मान्यता है कि यदि माँ के भाई या मौसी या फिर नाना जी कोई गलत काम कर दें तो उससे बच्चे के शरीर पर गंदा दाग रह जाता है या उसका व्यवहार सामान्य नहीं होता है। यहाँ तक कि वर्जित की गयी वस्तु को खा लें तो जन्म के बाद बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इसे दोच-मचि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित रोक-टोक करने पर बच्चे को तकलीफ होती है-

1. बच्चे के जन्म से पहले यदि 'कोकाम/ कोखाम' नामक पत्ता या 'पेपी' पत्ता, कूलङ काटे तो जन्म की बाद बच्चे की 'नाभि' (किनह) बड़ी होती है और वहाँ से खून निकलने लगता है।

2. यदि कोई बच्चे के जन्म से पहले खासकर मामा जी या नाना जी रस्सी बाँधे तो बच्चे को बोलने में तकलीफ होती है।

3. यदि पिता बहुत चूहा मारे तो बच्चा रात में अधिक रोता है।

4. अगर माँ-बाप में से कोई भी बंदर का मीट खाएँ तो बच्चे को चोरी करने की आदत होती है।

5. यदि मेढक मारे तो बच्चे के मुँह से बार-बार झाग निकलता है।

6. साँप को मारने पर बच्चा बार-बार अपनी जीभ बाहर निकालता है।

7. लोहा जलाने पर बच्चे के गले के पीछे लाल निशान रह जाता है।

8. गर्भवती महिला किसी बीमार व्यक्ति को देखने नहीं जा सकती है।

9. गर्भवती महिला और उसके पति को 'मृत्यु-स्थान' पर जाना मना है। और तो और, यदि वे समाधि देख लें तो बुरा अपशकुन माना जाता है। यदि उसी घर पर हो तो दम्पति को 'नामङ' देना पड़ता है। 'नामङ' एक प्रकार की भेंट है। यदि ऐसा न किया जाए तो होने वाले बच्चे पर 'ऊयू' (प्रेत) का बुरा असर पड़ता है। जिनके कम उम्र के बच्चे होते हैं, वे भी नही जाते हैं। बच्चे के जन्म के समय लड़की की माँ के होने से, बच्चे का रास्ता बंद हो जाता है, ऐसा माना जाता है।

बच्चे के पैदा होने के बाद की रस्में- बच्चे के जन्म के साथ-साथ वहाँ उपस्थित औरतों को उस बच्चे को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जल्द-से-जल्द उस पर मानव जाति का हक यह कह कर जमाना पड़ता है कि यह हमेशा से मानव का बच्चा है; (सो ङूलू न्यीया कोङ)। फिर बच्चे की नाभिनाल को काटा जाता है। जिसे 'कीनू पीनाम' कहते है। उसके बाद बच्चे को नहलाया जाता है। बच्चे के नाल को एक साफ और तेज चाकू से काटा जाता है और साफ धागे से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। फिर अपने रिश्तेदारों को बुलाकर भोज कराया जाता है। छह-सात दिनों के बाद जब बच्चे की नाभि

सूख जाती है जिसको 'कीनह रिनाम' कहते हैं, इसके बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है। इस दौरान बच्चे और माँ का खास ख्याल रखा जाता है। बच्चे का नामकरण वंश के किसी वीर व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है या पिता के नाम में कुछ शब्द जोड़कर रखा जाता है। जैसे, यदि पिता का नाम तामिन हो तो उसके बच्चे का नाम मिनाम या तनाम रखा जाता है। कभी गलत नाम रखने पर वह हर रात को रोता रहता है; जब तक उसका नाम न बदल दिया जाए तब तक। बाद में 'न्यीबू' द्वारा नाम बदलने पर सब ठीक हो जाता है। न्यीशी में नवजात शिशु से मिलने आने वाले सारे लोग बच्चे को ले तासङ (माला) देते हैं। यदि कन्या हो तो माला के अलावा जुंगहङ, होक्सी देते हैं। और लड़का हुआ तो सफेद रंग की माला 'सङपुङ' या 'सङू' देते हैं। नामकरण को न्यीशी में अमीन पैनाम कहा जाता है। नवजात शिशु को बुरी नजरों से बचाने के लिए कलाइयों पर काला धागा बांधा जाता है और गले में खास मोती पहनाया जाता है। न्यीशी में यह माना जाता है कि बच्चे की मौसियाँ पहले उसे 'डूम्सो' बांधती हैं, नहीं तो उसे बुरी नजर लगती है, चाहे वह मोती हो या सिर्फ काला धागा। इसे 'दूमसो सोनम' कहते हैं। और खास मामियाँ जिन्हें आयू कहते हैं यह उनके द्वारा पहनाया जाना भी अनिवार्य है। यदि मौसी या आयू इस रस्म को किए बिना बच्चे को गोद में ले, तो उसका पेट खराब हो जाता है। यह तब तक ठीक नहीं होता, जब तक वह व्यक्ति जिसने उसे पकड़ा था आकर डूम्सो न बांधे तब तक उसका पेट दर्द ठीक नहीं होता है। इसे जोजुक कहा जाता है। न्यीशी समाज में नवजात शिशु से संबंधित ये रस्में होती हैं।

**शव को दफनाने की रस्में** - न्यीशी समुदाय में यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो गाँव के सारे लोग खेती नहीं जाते हैं। जब तक शव को दफनाया नहीं जाता तब तक सारे लोग अपने काम-काज को बंद रखते हैं। जिस घर में मृत्यु होती है वह एक महीने तक खेत नहीं जाता है। शव को दफनाने से पूर्व घर के बड़े-बूढ़े घर के आस-पास एक अच्छी जगह चुनते हैं, फिर उस मिट्टी की जाँच-पड़ताल करते हैं। जहाँ की मिट्टी नर्म होती है, वहाँ दफनाया जाता है। शव को दोपहर से पहले या सूरज ढलने से पहले दफनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज के रहते ही शव की आत्मा अपने पूर्वजों के पास अच्छी तरह से पहुँच जाए तो अच्छा है। शव को दफनाने से पहले पुजारी 'न्यीबू' उस गड्ढे से थोड़ी मिट्टी लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस बुरी आत्मा को गाली देता है जिसके कारण मौत हुई हो। न्यीशी लोग 'L' आकार की समाधि बनाते है। परन्तु यह बड़े लोगों के शव के लिए होती है। बच्चों के शव को सामान्य तरीके से दफनाया जाता है। शव का सिर हमेशा सूर्य की ओर होना चाहिए, ताकि जब सूर्य उगता है तब वह जागे और शाम के ढलते ही वह भी अपने पूर्वजों के पास चला जाए। यदि किसी स्त्री की मौत हो जाए तो उसके लिए 'चीङतुम बोते' देवी की पूजा की जाती है। न्यीशी जनजाति में मृत्यु के बाद उससे संबंधित सारी वस्तुएं शव के साथ कब्र में दफन कर दी जाती हैं। ऐसा न करने पर मरने वाले की आत्मा बैचेन हो कर दुबारा लौट आती है, जो अपशकुन माना जाता है। न्यीशी जनजाति में कब्र को न्यीव्योङ/न्योबीयू कहते हैं। न्यीशी समुदाय के लोग शव का अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ करते हैं। न्यीशी समुदाय में शव को दफन करने के लिए कोई सामूहिक स्थान निर्धारित नहीं है। इसलिए अधिकतर लोग अपने घर के आस-पास ही दफना कर कब्र को सुन्दर ढंग से सजाते हैं। कब्र को बांस से बनी वस्तुओं से सुन्दर ढंग से सजाया जाता है। जैसे 'दफ' मायाप आदि से कब्र के चारो कोनों को घेर दिया जाता है। जो लोग शव को दफनाते हैं, वे पास के नदी या झरने में जाकर नहाते हैं और जब वे वापस लौटते हैं तो वे उस नदी को पीछे पलट कर नहीं देखते। वे सारी बुरी चीजों को वहीं छोड़ आए हैं, ऐसा माना जाता है। समाधि बनाने के दौरान मृतक के घर वाले मिथुन, सुअर की बलि देते हैं ताकि मरने वाले की आत्मा को ले जाने वाला भूत भी खुश हो जाए। उस बलि के पशु को, दफनाने आने वाले लोगों के बीच और रिश्तेदारों के बीच बाँट दिया जाता है। उस रात से लेकर एक सप्ताह तक मृतक के घर में उनके रिश्तेदार बारी-बारी से आते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं।

### विभिन्न प्रकार से होने वाली मृत्युओं के नाम और उनको दफनाने के विभिन्न तरीकेः

1. सामान्य मृत्यु को न्यीशी 'यानु सिनाम/सिगमाम' कहते हैं और इसमें शव के साथ एक चूजा को मारकर समाधि के अंदर डाल दिया जाता है। यह मान्यता है कि यह मुगी का चूजा शव पर लगने वाले कीड़े को खाकर उसे साफ रखेगा

और शव के साथ एक कुत्ता भी बलि के रूप में काटा जाता है जो उसे रास्ता दिखाता है। इस प्रकार समान्य तौर पर मृतक के शव को दफनाया जाता है।

2. दुर्घटनावश मरने वाले जैसे साँप के काटने पर, गर्भपात के दौरान, पानी में डूबने से या जंगली जानवर के खा जाने पर या किसी की आत्महत्या करने के कारण मौत हो जाए तो उसे 'गर सिन्यू लाई सिनङ' कहते है। ऐसे शव को गाड़ते वक्त थोड़ा खड़ा कर दफनाया जाता है और कब्र को अधिक गहरा किया जाता है। यहाँ 'सिन्यू' का अर्थ है प्रेत।

3. यदि कोई हत्या कर मार डाले तो उस मृत्यु को 'तालङ सिनङ /सिनाम' कहते हैं। इस तरह की मौत के दौरान मृतक के घरवालों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। शव को 'परे ईजी' में लपेटा जाता है और कब्र को बहुत साधारण सा बनाया जाता है। उस कब्र में मृतक की इस्तेमाल की गयी सारी वस्तुओं को रखा जाता है और शव को दोपहर या सूरज ढलने के पूर्व ही दफनाया जाता है, ताकि उसे अपनी परलोक-यात्रा के लिए आसानी हो। ऐसे मृतक के घर में छोटे बच्चों, गर्भवती औरतों का आना वर्जित है। वे शव को दफनाने के बाद आ सकते हैं और ऐसे शवों को घर से थोड़ी दूर जहाँ बच्चे आसानी से न पहुँच पाएँ, वहाँ दफनाया जाता है। जो अंतिम रस्म है उसे 'पाही हीनाम (शुद्धीकरण)' कहते हैं। ऐसे शवों को घर के ऊपर नहीं लाया जाता है। उन्हें घर के नीचे ही सारी रस्में कर दफना देते हैं।

इस प्रकार न्यीशी समाज में मृतक-शवों को बड़े ध्यान और सम्मान के साथ दफनाया जाता है चाहे वह व्यक्ति जीवित समय में कैसा भी क्यों न हो, परन्तु मरने के बाद उसकी आत्मा शांत रहे; इसी विचारधारा के चलते वे अपने परिवारवालों की सुरक्षा की खातिर सभी नियमों को पालन करते हैं। आज के जमाने में भी वे अपने पारम्परिक तरीकों का अच्छी तरह से पालन करते हैं। आज के युग में जो बदलाव आया है वह यह कि कब्र को बाँस की जगह पर आर्थिक सुविधा के अनुसार सिमेंट से पक्का कर दिया जाता है। उसके ऊपर टाइल्स अथवा मार्बल लगाकर सुन्दर तरीके से सजा दिया जाता है और मार्बल या टाइल्स पर मरने वाले का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और मरने की तिथि को सुन्दर तरीके से लिख दिया जाता है। न्यीशी समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति की पहली पुण्यतिथि पर मिथुन की भेंट चढ़ाई जाती है और प्रत्येक वर्ष मृत्यु के दिन रिश्तेदार आकर आत्मा-शांति की पूजा करते हैं।

## संदर्भ


1. पूर्वोत्तर का लोक साहित्यः राजीव गांधी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा संस्थान की एम. ए. (हिन्दी) की पाठ्यपुस्तक; पृष्ठ- 152.
2. न्यीशी वर्ल्डः दिवतीय संस्करण पृष्ठः 11.
3. वही.
4. स्रोत- कुरुङ कुमें में रहने वाले तागरू ताया 'न्यीबू' द्वारा प्रस्तुत आख्यान।
5. डॉ. नाबाम नका हिना; न्यीशी जनजाति के रीति-रिवाज (customary laws of nyishi tribe)।
6. कस्टमरी लॉज आफ न्यीशी ट्राइब; डॉ. नाबम नका हिना; पृष्ठ 67.
7. वही; पृष्ठ 64.

# प्राचीन भारतीय साहित्य में अयोध्या का सांस्कृतिक इतिहास

**अनूप कुमार जायसवाल**
शोधछात्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
संपर्क सूत्र-8604542904
Email : anoopkumarjais@gmail.com

**शोध सार**

अयोध्या प्राचीन भारत का एक महत्त्वपूर्ण नगर था। यह नगर वर्तमान रूप में फैजाबाद रेलवे स्टेशन से 3 मील दूर (26॰ 48'' उत्तरी अक्षांश से 82॰13'' पूर्वी देशांतर) पर स्थित है। यह नगर हिन्दू धर्म के साथ-साथ प्राचीन काल से ही जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रहा है। अयोध्या की महिमा का वर्णन प्राचीन भारतीय साहित्य (वेद, पुराण, महाकाव्य, एवं जैन, बौद्ध ग्रन्थों) में विस्तृत रूप से हुआ है। प्राचीन साहित्य के अतिरिक्त चीनी यात्री फाहियान एवं ह्वेनसांग ने भी अयोध्या का विस्तृत वर्णन किया है। प्राचीन साहित्य में उल्लिखित साकेत, इक्ष्वाकभूमि, रामपुरी और कोशल आदि नामों का समीकरण अयोध्या से किया जाता है। पुराणों मे इस नगर का कोई विशेष उल्लेख तो नहीं मिलता है, परन्तु इस नगर के शासकों की क्रमबद्ध वंषावलियाँ अवष्य मिलती है, जो इस नगर के प्राचीनता एवं महत्त्व के प्रमाणिक साक्ष्य हैं। अयोध्या नगरी प्राचीन काल से ही अपने व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध थी, एवं यहां बौद्ध काल के प्रसिद्ध व्यापारी निवास करते है।

प्रस्तुत शोध पत्र में हम प्राचीन भारतीय साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर अयोध्या के इतिहास का अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे।

**बीज शब्द-** इक्ष्वाकुभूमि, मत्स्याकार, महाकाव्य, पौराणिक, वंशावलियाँ, अनुयायी, साकेत आदि।

अयोध्या नगरी प्राचीन काल से ही भारत के प्रमुख नगरों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। महाकाव्यों में इस नगर का विषद वर्णन मिलता है। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कोशल जनपद की राजधानी के रूप में किया गया है।[1] राम के समय यह नगर अवध नाम की राजधानी से सुशोभित था।[2] बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार अयोध्या पूर्ववर्ती तथा साकेत परवर्ती राजधानी थी। हिन्दुओं के सात पवित्र स्थानों में इसका नाम मिलता है। फाहियान ने इसका 'षा-चें' नाम से उल्लेख किया है, जो कन्नौज से 13 योजन दक्षिण-पूर्व में स्थित था।[3] मललसेकर ने पालि-परम्परा के साकेत का सई नदी के किनारे उन्नाव जिले में स्थित सुजानकोट के खंडहरों से समीकृत किया है।[4] नलिनाक्ष दत्त एवं कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी इसका समीकरण सुजानकोट से किया है।[5] थेरगाथा अट्ठकथा[6] में साकेत को सरयू (सरजू) नदी के किनारे बताया गया है। अतः संभव है कि पालि का साकेत, आधुनिक अयोध्या का ही एक भाग रहा हो।

प्राचीन काल में इस नगर का उल्लेख साकेत, इक्ष्वाकुभूमि, रामपुरी और कोशल प्रभृति अन्य नामों से किया गया है।[7] इसका अन्य नाम विनीता भी था।[8] सरयू नदी के किनारे स्थित यह नगर 12 योजन की लम्बाई और 9 योजन की चौड़ाई

में फैला हुआ था।[9] स्कंदपुराण के अनुसार यह नगर मत्स्याकार था, जिसका विस्तार पूर्व- पश्चिम में एक योजन तथा सरयू से दक्षिण और तमसा से उत्तर में भी एक-एक योजन था।[10] भागवत पुराण[11] में इसका उल्लेख एक शहर के रूप में मिलता है। बुद्ध काल में कोशल दो प्रान्तों (उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल) में विभक्त हो गया। सरयू नदी दोनों प्रान्तों के मध्य विभाजक रेखा का काम करती थी, उत्तर कोशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण कोशल की राजधानी अयोध्या थी।[12]

अयोध्या एवं साकेत दोनों नगरों को कुछ विद्वानों ने एक ही माना है। कालिदास ने भी रघुवंश[13] में दोनों नगरों को एक माना है, जिसका समर्थन जैन साहित्य में भी मिलता है।[14] कनिंघम ने भी अयोध्या एवं साकेत को एक ही नगर से समीकृत किया है।[15] परन्तु साक्ष्यों के अवलोकन से दोनों नगरों के अलग-अलग अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध हो जाती है तथा साकेत के परवर्ती काल में विकास की बात सत्य के अधिक समीप लगती है।

कब पुरातत्वविदों यथा- प्रो0 ब्रजवासी लाल[16] तथा एच0डी0 साँकलिया[17] ने रामायण इत्यादि में वर्णित अयोध्या की पहचान नगर की भौगोलिक स्थिति, प्राचीनतम एवं सांस्कृतिक अवशेषों का अध्ययन किया; वरन रामायण में वर्णित उपर्युक्त विवरणों के अन्तर की व्याख्या भी प्रस्तुत की है तथा पुरातात्विक आधार पर प्रो0 लाल ने रामायण में उपर्युक्त स्थानों की प्राचीनता को लगभग सातवीं सदी ई0-पू0 में रखा। इस साक्ष्य के कारण रामायण एवं महाभारत की प्राचीनता का जो क्रम था, वह परिवर्तित हो गया तथा महाभारत पहले का प्रतीत हुआ। इनके अनुसार महाभारत में वर्णित स्थान एवं घटनाएं रामायण में वर्णित स्थान एवं घटनाओं के पूर्व की हैं।

श्री मुनीशचन्द्र जोशी ने प्रो0 लाल एवं संकालिया के इस मत की खुलकर आलोचना की तथा तैत्तिरीय आरण्यक[18] में उद्धत अयोध्या के उल्लेख का वर्णन करते हुए यह मत प्रस्तुत किया -

1. जब तैत्तिरीय आरण्यक की रचना हुई, उस समय मनीषियों की नगरी अयोध्या एवम् उसकी संस्कृति- अगर यह थी तो-को लोग पूर्णतः भूल गए।

2. अयोध्या पूर्णतः पौराणिक नगरी प्रतीत होती है।

3. आधुनिक अयोध्या और राम से इसका साहचर्य परवर्ती काल का प्रतीत होता है।

इन आधारों पर श्री जोषी ने कहा कि वैदिक या पौराणिक सामग्री के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्यों का समीकरण न तो ग्राह्य है न उचित। उनका यह भी कथन था कि अधिकतर भारतीय पौराणिक एवं वैदिक सामग्री का उपयोग धर्म एवं अनुष्ठान के लिए किया गया था तथा ऐतिहासिक रूप से उनकी सत्यता संदिग्ध है।

**महाकाव्यों में अयोध्या**

अयोध्या का उल्लेख महाकाव्यों में विस्तार से मिलता है। रामायण के अनुसार यह नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था तथा कोशल राज्य का सर्वप्रमुख नगर था।[19] इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि मानों मनु ने स्वयं अपने हाथों के द्वारा इसका निर्माण किया हो।[20] यह नगर 12 योजन लम्बाई मे एवं 3 योजन चौंड़ाई में फैला हुआ था। जिसकी पुष्टि बाल्मीकि रामायण में भी होती है।[21] एक परवर्ती जैन लेखक हेमचन्द्र ने नगर का क्षेत्रफल 12X9 योजन बतलाया है। जो कि निष्चित् ही अतिरंजित वर्णन है। साक्ष्यों के अवलोकन से नगर के विस्तार के लिए कनिंघम का मत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लगता है। उनकी मान्यता है कि नगर की परिधि 12 कोस (24 मील) थी, जो वर्तमान नगर की परिधि के अनुरूप है।

धार्मिक महत्ता की दृष्टि से अयोध्या हिन्दुओं और जैनियों का एक पवित्र तीर्थस्थल था। इसकी गणना भारत की सात मोक्षदायिका पुरियों में की गयी है।[22] इस नगर में कंबोजीय अश्व एवं शक्तिशाली हाथी थे। रामायण के अनुसार यहाँ चातुर्वण्य व्यवस्था थी-यथा- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। उन्हें अपने विशिष्ट धर्मों एवं दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता था। रामायण में उल्लेख है कि कौशल्या को जब राम वन गमन का समाचार मिला तो वे मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। उस समय कौषल्या के समस्त अंगों में धूल लिपट गयी थी और श्रीराम ने अपने हाथों से उनके अंगों की धूल पोंछी।[23] इस प्रसंग में एच0डी0 सांकलिया का विचार है कि कमरे की फर्श यदि पक्की रही होती तो ऐसा होना संभव नहीं था। अतः प्रकारांतर से यह निष्कर्ष निकाल

सकते हैं कि अयोध्या के भवन मिट्टी के बने थे। इस तथ्य की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी होती है। प्राचीन स्थलों की खुदाई में कच्चे भवनों के अवषेश कई स्थानों पर मिले हैं।

नगर में बस्ती बहुत ही सघन थी। यहां नागरिकों सहित दशरथ इस नगर में उसी प्रकार निवास करते थे, जिस प्रकार स्वर्गलोक में इन्द्र निवास करते थे। रामायण में यहां के नागरिकों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का आदर्श चित्रण मिलता है। निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों का सम्मान आदर करते थे। वहां के क्षत्रिय ब्राह्मणों के अनुयायी थे और वैश्य क्षत्रियों के अनुयायी थे। शुद्र अपने कार्य एवं सेवा के प्रति सजग रहना अपना कर्त्तव्य समझते थे। वे तीनों वर्णों की सेवा करते थे।[24] वहां के ब्राह्मण जितेन्द्रिय, अपने कर्मों में संलग्न, दानी, एवं स्वाध्यावसायी थे। महातेजस्वी दषरथ इन नागरिकों के बीच उसी प्रकार सुशोभित थे जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा सुषोभित होता है।[25]

अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं को इक्ष्वाकु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनु के वंशज है।[26] पुराणों में इन राजाओं की वंशावलियाँ मिलती है।

महाभारत[27] में सोलह राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कुछ अयोध्या से संबंधित थे। ये मांधातृ, सागर, भागीरथ, अंबरीश, दिलीप द्वितीय और राम दाशरथ थे। महाभारत में ही इक्ष्वाकु, ककुष्ठा, युवनाश्व, रघु और निमि का उल्लेख मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अयोध्या में दीर्घयग्न शासन कर रहे थे। इक्ष्वाकु, मनु वैवस्वत के नवें पुत्र थे, जिन्होंने अयोध्या में शासन किया।[28]

रामायण में उल्लिखित राजाओं की वंशावलि संदेह पैदा करती है। रामायण में राम के काल तक 35 राजाओं का उल्लेख है। जबकि पुराणों में 63 राजाओं का उल्लेख मिलता है।[29] पुराणों में दिलीप नामधारी दो राजाओं की चर्चा है, जिसमें एक भागीरथ के पितामाह तथा दूसरे रघु के पिता या पितामाह थे, जबकि रामायण में एक ही दिलीप की चर्चा मिलती है, जो भागीरथ के पिता और रघु के पितामाह थे।[30]

इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या के सिंहासन के उत्तराधिकार का प्रश्न सामान्यतः ज्येष्टाधिकार के नियम से निश्चित किया जाता था। अयोध्या के नरेश वरिष्ठ गोत्र से सम्बन्धित थे। वशिष्ठ उनके वंशानुगत पुरोहित थे।[31] अयोध्या युवनाश्व एवं उनके पुत्र मांधातृ के काल में ख्याति को प्राप्त हो गया था। कालांतर में अयोध्या के प्रभुत्व में ह्रास दृष्टिगत होता है। राजा जह्नु के राजत्व काल में कान्यकुब्ज हैहयों ने अयोध्या पर विजय प्राप्त की। यह नगर पुनः अंबरीश नाभागि के शासन काल में प्रसिद्ध को प्राप्त कर सका। दशरथ के शासन काल में हुए अश्वमेघ यज्ञ में पूर्वी तथा दक्षिणी देशों एवं सुदूर पंजाब प्रदेश के नरेश आमन्त्रित थे। पार्जिटर का विचार है कि तत्कालीन समय में अयोध्या एवं वषिशठों का सुसंस्कृत ब्राह्मण क्षेत्र से कोई विषेश संबंध नहीं था।[32]

## बौद्ध साहित्य में अयोध्या

बौद्ध साहित्य में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध का इस नगर से विशेष संबंध था। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध के अयोध्या से विशेष सम्बन्ध की ओर लक्ष्य करके मज्झिमनिकाय में उन्हें कोसलक (कोसल का निवासी) कहा गया है।[33] धर्म-प्रचारार्थ वे इस नगर में कई बार आये थे। एक बार गौतम बुद्ध ने अनुयायियों को मानव जीवन की निस्सरता तथा क्षण-भंगुरता पर व्याख्यान दिया था। अयोध्यावासी गौतम बुद्ध के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने उनके निवास के लिए वहां एक विहार का निर्माण करवाया था।[34] संयुक्तनिकाय में उल्लेख आया है कि बुद्ध ने यहां कि यात्रा दो बार की थी। उन्होंने यहां फेण सूक्त[35] और दारूक्खंध सुक्त[36] का व्याख्यान दिया था। इस सूक्त में भगवान बुद्ध को गंगा नदी के तट पर विहार करते हुए बताया गया है। इसी निकाय की अट्ठकथा में कहा गया है कि यहां के निवासियों ने गंगा के तट पर एक विहार बनवाकर किसी प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया था।[37] इस प्रकार पालि त्रिपिटक और अट्ठकथा दोनों साक्ष्यों में बुद्धकालीन अयोध्या की स्थिति गंगा नदी के तट पर वर्णित है। संभव है पालि साहित्यकारों ने दोनों नदियों को पवित्रता के आधार पर एक समझकर प्रयोग किया हो और इसी आधार पर अंतर स्थापित करने में असफल रहे होंगे। उल्लेखनीय है कि ह्वेनसांग

ने भी गंगा नदी पार कर अयोध्या में प्रवेश किया था जबकि वर्तमान अयोध्या नदी गंगा के तट पर स्थिति नहीं है।[38] अतः जब तक हम पालि विवरणों को गलत न माने, बुद्धकालीन अयोध्या का वर्तमान अयोध्या से समीकरण संभव नहीं है। बहुत संभव है कि पालि त्रिपिटक में वर्णित अयोध्या गंगा नदी के किनारे स्थित इसी नाम का कोई अन्य नगर रहा हो।[39]

पालि ग्रन्थों में अयोध्या के लिए 'अयोज्झा' तथा 'अयुज्झनगर' शब्द आते हैं। अयुज्झा (आयुज्झनगर) में अरिंदक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया था।[40] इसे कोशल में स्थित एक नगर से समीकृत किया गया है। घट जातक[41] में अयोध्या के कालसेन नामक नरेष का उल्लेख आया है। इसके शासनकाल में अंधकवेण्हु के दस पुत्रों ने इस नगर के बहुत क्षति पहुँचाई थी। उन्होंने आक्रमण करके इसके उद्यानों एवं प्रकारों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।[42]

परवर्ती बौद्ध ग्रन्थों में अयोध्या का वर्णन एक धार्मिक केन्द्र के रूप में मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में इसकी महत्ता का कारण सरयू के तट पर इसकी स्थिति तथा इक्ष्वाकु शासकों विषेशकर राम के जीवन के साथ इसका संबंध था। इसी कारण अयोध्या को इक्ष्वाकु भूमि तथा रामपुरी भी कहते हैं।[43]

## निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अयोध्या के इतिहास एवं उसकी संस्कृति के बारे में विषद विवरण प्राप्त होता है। वेदों से लेकर पुराणों तक में अयोध्या का उल्लेख विविध नामों से हुआ है। बौद्ध साहित्य में जहां गौतम बुद्ध और उनके उपदेशों से किस प्रकार अयोध्या नगर संबंधित था, इस बात की जानकारी मिलती है तो वहीं आम जनमानस की संस्कृति का भी विवरण मिलता है। रामायण में भी अयोध्या के राजाओं का वंशावली एवं वहां की संस्कृति का विषद वर्णन प्राप्त होता है एवं पुराणों में अयोध्या के राजाओं की क्रमबद्ध वंशावली का उल्लेख है।

## सन्दर्भ


1. एस0सी0 डे, हिस्टारिसिटी ऑफ रामायण एण्ड दि इंडो आर्यन सोसायटी इन इडिया एण्ड सीलोन (दिल्ली, अजंता पब्लिकेशंस, पुनर्मुद्रित, 1976), पृ0सं0- 80-81
2. नन्दलाल डे, दि जियोग्राफिकल डिक्षनरी ऑफ, ऐंष्येंट एण्ड मिडिवल इंडिया, पृ0सं0- 14
3. जेम्स लेग्गे, दि ट्रेवेल्स ऑफ फाहियान, (ओरियंटल पब्लिशर्स, दिल्ली, पुनर्मुद्रित, 1972) पृ0सं0- 54
4. जी0पी0 मललसेकर, डिक्षनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स, भाग-2, पृ0सं0- 86
5. नलिनाक्ष दत्त एवं कृष्णदत्त वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, लखनऊ, 1956, पृ0सं0- 7 एवं 12
6. थेरगाथा अट्ठकथा, भाग-1, पृ0सं0- 103
7. विविधतीर्थकल्प, पृ0- 24
8. आवस्सक कमेंटी, पृ0- 24
9. विमलचरण लाहा, इंडोलॉजिकल स्टडीज, भाग- 3, पृ0सं0- 7
10. स्कंद पुराण, अध्याय- 1, पृ0सं0- 64-65
11. अध्याय- 9, पृ0सं0- 8,19
12. नन्दलाल डे, दि ज्योग्रफिकल डिक्शनरी ऑफ ऐंश्येंट एण्ड मिडिवल इंडिया, पृ0सं0- 14
13. अध्याय- 5, "लोक 31
14. आदिपुराण- 12, पृ0सं0- 77
15. ऐलक्जेंडर कनिंघम, ऐंश्येंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 1976, पृ0सं0- 105
16. ब्रजवासी लाल, ऑर्कियोलॉजी एण्ड इंडियन इपिक्स, एनल्स ऑफ दि भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द 54, 1973 ई0

17. एच0डी0 सांकलिया, रामायण मिथ आर रियालिटी, नई दिल्ली, 1972 ई0
18. तैत्तिरीय आरण्यक, 1/27
19. कोसलों नाम मुद्रितः स्फीतो जनपदों महान्।
निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान्।।
रामायण, बालकाण्ड, सर्ग, 5, पंक्ति 5
20. 'मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्। तत्रैव, पंक्ति- 12
21. आयता दष च द्वि योजनानि महापुरो।
श्रीमती त्रीण विस्तार्णा सुविभक्तमहापथा।। तत्रैव, पंक्ति, 7
22. ये सात पुरियां निम्नलिखित थी-
अयोध्या माया मथुरा काषी कॉची अवंतिका।
पुरी द्वारावती चौव सप्तेते मोक्षदायिका।।
23. उपावृथ्योत्थितां दीनां वाडवामिव वाहिताम्।
पांसु गुंठित सर्वाङ्गगीविमवर्ष च पाणिनां।
रामायण, अयोध्या काण्ड, सर्ग 20, पंक्ति-34
24. छत्र ब्रह्ममुखं चासीद्वैष्याः क्षत्रमनुव्रता।
शुद्राः स्वकर्मनिरतास्त्रीचर्णानुपचारिणः।।
रामायण, बालकाण्ड, सर्ग-6, पंक्ति 22
25. ता पुरीन स महातेजा राजा दषरथो महान।
शषास रामितामित्रों नक्षत्राणीव चंद्रमा।।
तत्रैव, बालकांड, सर्ग- 6, पंक्ति 27
26. विष्णुपुराण (विल्सन संस्करण), भाग-3, पृ0सं0- 259
27. महाभारत, 4/55/2170
28. वायुपुराण, 85, 3-4
29. पार्जिटर, ऐंश्येंट इंडियन, हिस्टारिकल ट्रेडिषन, पृ0सं0- 91
30. विमलचरण लाहा, इंडोलॉजिकल स्टडीज, भाग- 2, (इलाहाबाद, 1954), पृ0सं0- 19
31. विष्णु पुराण, भाग- 4, पृ0सं0- 3,18
32. एफ0ई0 पार्जिटर, ऐंश्येंट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1962), पृ0सं0- 314
33. मज्झिम निकाय, भाग-2, पृ0सं0- 124
34. मललसेकर, डिक्शनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स, भाग-1, पृ0सं0- 165
35. संयुक्तनिकाय (पालि टेक्ट्रस सोसाइटी, भाग-3, पृ0 140 और आगे।
36. तत्रैव, भाग-4, पृ0सं0-179 और आगे।
37. सारत्थपकासिनी, भाग-2, पृ0सं0- 320
38. वाटर्स, ऑन युवॉन, च्वांग्स ट्रेवेल्स इन इंडिया, भाग-1, पृ0सं0- 354
39. विनयेद्रनाथ चौधरी, बुद्धिस्ट सेंटर्स इन ऐश्येंट इण्डिया (कलकत्ता, 1969 पृ0सं0- 81)
40. दीपवंश, भाग-2, पृ0सं0- 15
41. घट जातंक, संख्या- 454
42. जातक (फाउसबाल संस्करण), खण्ड-4, पृ0सं0- 82-83
43. विमल चरण लाहा, इंडोलाजिकल स्टडीज, भाग-2, पृ0सं0- 7

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# The Interregnum Anarchy: A Political Study of the Chalukyan Succession Crisis between Mangalesa and Polekesi II

**Aniket Singh**
Research Scholar
Ancient Indian History And Archaeology,
University Of Lucknow, Lucknow

## Abstract

This Research article offers a political analysis of the stormy era in the history of the Chalukyas of Badami, more precisely the time of succession crisis and subsequent civil war between the reign of Mangalesa (c. 592-610 CE) and that of his nephew Polekesi II (c. 610-642 CE). The transition, overshadowed by the later magnificent rule of Polekesi II, was not peaceful but a bloody internecine war that essentially determined the destiny of the dynasty. Through a critical reading of primary epigraphic evidence, specifically the Aihole prashasti of Polekesi II and the Mahakuta Pillar Inscription of Mangalesa, and secondary academic literature, this thesis contends that the civil war was a crucible that hammered out Polekesi II's political and military skills. The war was because of Mangalesa's desire to turn the traditional order of succession in favor of his own son, and this resulted in a head-to-head confrontation with the rightful heir, Polekesi II. This Article argues that Polekesi triumph was not just an individual victory but a divinely ordained act of state unification which destroyed an alternate power base, reinforced the precept of primogeniture, and hence prepared him for the gargantuan task of consolidating the Chalukyas as the supreme power in the Deccan. The upheaval, thus, was an inaugural, however gory, chapter in the chronicle of Chalukyan dominance.

**Keywords-** Polekesi I, Polekesi II, Kirtivarman, Mangalesa, Badami, Mahakuta.

## 1. Introduction

In the sixth century CE, the dynasty of Vatapi Chalukya rose as a powerful political force in the Deccan and created an empire which ruled the region for two centuries. This empire was established by Polekesi I, who conducted the Ashwamedha Yajna, and grown by his sons, Mangalesha and Kirtivarman I. While there are detailed accounts of the rule of these early rulers and the renowned empire of Polekesi II, the era between Mangalesha and Polekesi II is a topic of serious historical exploration. This era was characterized by a profound political crisis, a civil war caused by a controversial succession—that posed to dissolve the new Chalukya state.

The research question of focus in this research paper is: What was the political path and consolidation of the Chalukya empire, affected by the struggle of succession between Mangalesa

and Polekesi II? One of the major sources of this era is the renowned Aihole inscription, a posthumous praise (prashasti) of Polekesi II by his court poet Ravikirti. The inscription, though precious, is biased since it is from the point of view of the conqueror and depicts Mangalesa as a jealous usurper and Polekesi II as a dutiful and fair king. The other inscriptions, including Mangalesa's Mahakuta pillar inscription, also describe a different picture of his reign, where he is shown to be a great and devout king. Analyzing these sources closely and reading through the work of historians like K.A. Nilakanta Sastri and D.C. Sarkar, and D.P. Dikshit in this article we will read the tale of the civil war. First, we shall explore Mangalesha's successful reign, next the reasons and outcome of the war of succession, and lastly, we shall analyze how the settlement of the war affected Polekesi II's statecraft and laid the foundation for the pinnacle of the power of Chalukyas. The work focuses on the fact that the turmoil of these years was a test, without which Polekesi II's imperial system would not have been so long-lasting.

## 2. The Regency and Reign of Mangalesa

When Kirtivarman I died around 591-92 CE, his son Polekesi II was still a minor and was considered too young to take over the throne. According to conventional practice, the regency fell to Kirtivarman's younger brother, Mangalesa. Mangalesa was no mere caretaker, he was an able and ambitious general who energetically pursued the expansionist course of action introduced by his predecessors. His period was characterized by his extensive military victories that extended Chalukyan power. The Mahakuta Pillar Inscription, dated to his fifth regnal year (c. 602 CE), is the contemporary source relating to his achievements. It attests to his triumph over Kalachuri king Buddharaja, an important victory that won the northern borders of the Chalukyan kingdom and placed the area of modern Goa and Gujarat under Chalukyan control. According to the inscription, Mangalesa "took hold of the pillar of victory in the fight with Buddharaja" and took away his entire treasury. In addition, the inscription refers to his conquest of Revatidvipa (Goa), a key coastal region. These campaigns show that Mangalesa was not a passive regent but an active empire-builder. He discharged his responsibility to defend and enlarge the kingdom that he held in trust. The Mahakuta inscription too points to his religious devotion, recording his dedication to Vishnu and grants to Mahakuteshvara's temple. According to this epigraph, Mangalesa was an ideal ruler: mighty, victorious, and devout. There is no suggestion of any forthcoming war or dynastic manipulation. He adorned himself with complete royal designations such as Prithvi-vallabha ("lord of the earth") and Satyashraya ("abode of truth"), establishing his kingly position. It is this very exercise of sovereignty, in combination with his battlefield victories, that most probably planted the seeds for the ensuing war. Leaving aside the morality of the question, it must be admitted that he was a chivalrous ruler with vision and was eager to extend the power and prestige of the Chalukyas in the Deccan.

## 3. The Genesis of Conflict: A Disputed Succession

With the coming of age of Polekesi II, the harmony outlined in the Mahakuta Pillar Inscription was disrupted.The protocol of succession followed in most ancient Indian kingdoms was that a regent (like a brother) would govern until the son of the king who had died would reach adulthood, upon which occasion succession would be transferred. The principal cause of the Chalukyan civil war was Mangalesa's apparent refusal to follow this protocol. The Aihole Inscription provides the sole detailed, though prejudiced, account of this crisis. Verse 7 of the inscription states that when

Polekesi II had become a man, Mangalesa was envious of his nephew's "graceful-pride" and "energy" (utsaha). The inscription accusingly attributes to Mangalesa openly harboring a desire to ensure the succession for his own son Sundaravarma, hence attempting to establish a new dynastic stock. Ravikirti the poet says Mangalesa's kingdom "was coveted by his son," which strongly implies that Mangalesa was plotting this dynastic change. This action was a grave political transgression. In attempting to displace the legitimate heir, Mangalesa was not only committing an act of family disloyalty but also threatening the political stability of the kingdom. This would have created a dangerous precedent, paving the way towards future succession troubles and undermining the policy of orderly succession. Polekesi II, depicted in the inscription as having been blessed with both wisdom (mantra-shakti) and royal energy (prabhu-shakti), was cognizant of this threat. He faced a more brutal alternative: accept his disinherision and remove himself from the stage, or take up weapons for what was his due. His refusal to yield was not personal ambition but a political necessity. The Aihole inscription sets out his actions as a virtuous response to usurpation. It reports that Polekesi II, reflecting on the situation, determined to become an exile, the stereotypical figure for a wronged prince rallying his strength. This exile visit was significant, as he began to build alliances and rally support for his faction and thus effectively had a counter power base in the Chalukya polity. The governors and feudatories of the realm had to choose between the established power of Mangalesa and the rightful claimant Polekesi II.

## 4. The Civil War and The triumph of Polekesi II

The political dissension necessarily developed into active hostilities. The Aihole Inscription gives a dramatic, if unextended, description of the military conflict. Polekesi II, having effectively employed his diplomatic tact (mantra-shakti) in gaining allies, set out for his campaign to regain the throne. Ravikirti tells us the strategic position in poetic language. He says that Mangalesa, "whose great army of elephants was like a cloud in autumn," beheld the whole kingdom "enveloped by the darkness that was his enemies," surrounded by Polekesi's troops. This implies a general rebellion against Mangalesa's rule, probably instigated by feudatories who regarded Polekesi II as rightful heir. The reference to Mangalesa's large army and elephant corps highlights the reality that this was no small skirmish but a full-blown civil war between two mighty contenders. The turning point of the war was the death and defeat of Mangalesa. The inscription says that Mangalesa, in the resulting battle, had to "abandon his great power, along with his own life." The Hyderabad Grant of Polekesi II also reaffirms the same, calling Mangalesa a man who was "slain in battle." The war was a decisive and brutal one.

## 5. The Political Consequences of Polekesi II victory

Elimination of Rival claimant: By slaying Mangalesa and likely his son, Polekesi II abolished the opposing branch of the family, which would have tried to overthrow him. By this act of violence, albeit brutal, he guaranteed his own hold on power and secured future dynastic security. Assertion of Legitimacy by Force: Polekesi II's legitimacy rested on heredity, but his power was confirmed on the battlefield. His triumph was seen as a mark of divine grace and evidence of his greater ability to reign (prabhu-shakti). In the ruthless arithmetic of 7th-century politics, success in battle was the final judge of legitimacy.

### 5.1. Consolidation of power:

The war forced the feudal lords to declare their allegiance. Those who sided with Mangalesha were punished, while those who sided with Polekesi II were rewarded. This practice enabled Pulakeshi II to remove disloyal officials from the administration and army and consolidate his hold on the entire Chalukya state apparatus. Pulakeshin received the greatest support in this succession struggle from his own brother, Kubja Vishnuvardhana, who later founded the separate Kalyani branch of the Chalukyas.

### 5.2. Aftermath: A Kingdom in Chaos and Pulakesi's Consolidation

Taking over the throne in 610 CE, Pulakesi II inherited a kingdom that was not peaceful or stable. He received one that had been devastated by the civil war. The Aihole Inscription explains the situation itself: "As soon as the kingdom was overpowered, the entire world was covered with the darkness embodied in the adversaries." The "darkness" here is the political disorder that had begun to set in during the interregnum Local neighbors and disloyal feudatories had taken advantage of the internal strife to resist Chalukyan dominance. The first job of Pulakesi II was to impose order on this anarchy. The inscription lists his initial military campaigns, which must be interpreted not as foreign invasions but as re-conquest and consolidation operations. He had to conquer leaders such as Appayika and Govinda, who had marched towards the northern Chalukyan border with their armies. He besieged and captured the Kadambas' capital, Vanavasi, who had presumably declared their independence. He compelled the Gangas of Talakad and Alupas of South Canara, who were in all probability his allies during the civil war, to acknowledge him formally as their suzerain. This early phase of his rule was an extension in a straight manner of the civil war. He was demonstrating to the feudatories and the Chalukya rivals that the internal strife had not diminished the potency of the state but had bred an invincible, battle-tested leader. The process of learning how to organize a rebellion, making allies, and leading an army against the powerful leader Mangalesa was an experience that taught Pulakesi II much about governing and warfare. This harsh baptism prepared him for his later, more famous achievements, including his celebrated defeat of Emperor Harshavardhana of Kanauj, for which he gained the honorific title Parameshvara ("Supreme Lord"), and his ongoing fight with the Pallavas of Kanchi.

## 6. Conclusion

Historians have generally accepted the account in the Aihole Inscription, seeing the war as a righteous battle by Pulakesi II against an usurping uncle. K.A. Nilakanta Sastri describes it as Mangalesa's "unnatural ambition" to leave the throne to his own son, which "cost him his life and throne" (Sastri, A History of South India). D.C. Sircar, noting the emphasis on the epigraphic record, warns us away from the panegyric tone of the Aihole prashasti and reminds us that we are not privy to Mangalesa's account. Perhaps Mangalesa thought he was doing the state a service, thinking that his own experienced line was better equipped to govern than his young nephew. But without countervailing evidence, the charge of usurpation provides the most plausible explanation for the disagreement. In brief, the period of Mangalesa to Pulakesi II was the zenith of the Chalukyas of Badami history. It was not a peaceful transition; it was a ruthless and redemptive civil war caused by Mangalesa's action to dethrone the line of succession. Mangalesa was an able king who expanded the empire, but ambition proved his undoing. The war that followed was a test for Pulakesi II, testing

his diplomatic, strategic, and military skills. His victory was politically decisive. His victory was politically conclusive. It removed the competing center of power, reiterated the law of primogeniture, and enabled him to re-establish strong control over the kingdom's vassals. In the immediate aftermath of the war, Pulakesi II converted the chaos of a split kingdom into a unified empire, set for expansion. The anarchy of the interregnum thus was no unfortunate break in the Chalukyan saga but a vital and essential lead-in to its most brilliant chapter. The civil war tempered the very strengths in Pulakesi II that would help him take the Chalukyas from a local kingdom to the paramount imperial authority of the Deccan.

## References

### Primary Sources (Inscriptions):

"The Aihole Inscription of Polekesi II", Fleet, J.F. Epigraphia Indica, Vol. VI.

"The Mahakuta Pillar Inscription of Mangalesa." In Fleet, J.F. Indian Antiquary, Vol. XIX.

"Hyderabad Grant of Polekesi II." In Epigraphia Indica, Vol. VI.

### Secondary Sources (Books):

Dikshit, D.P. (1958) Political History of The Chalukyas of Badami. Abhinav Publications

Chakravarti, Ranabir. (2016). Exploring Early India: Up to c. AD 1300. Primus Books.

Majumdar, R.C. (Ed.). (1954). The Classical Age (The History and Culture of the Indian People, Vol. III). Bharatiya Vidya Bhavan.

Nilakanta Sastri, K.A. (1955). A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford University Press.

Sircar, D.C. (1965). Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization, Vol. I. University of Calcutta.

Yazdani, Ghulam. (Ed.). (1960). The Early History of the Deccan. Oxford University Press.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# दया प्रकाश सिन्हा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

**एकता प्रियदर्शिनी**
शोधार्थी, विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग, ल.ना.मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
ईमेल- priyadarshiniekta-pu@gmail.com
**डॉ. रीता दुबे**
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, सी.एम.कॉलेज, दरभंगा

## व्यक्तित्व

संवेदना साहित्य सृजन की प्रेरणा है। अतः साहित्यकार मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर साहित्य जन करते हैं। एक अच्छे और सफल साहित्यकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने परिवेश और संस्कृत को समझने की क्ष्मता रखे। साहित्यकार दूरदृष्टा भी होता है। अतः उसकी दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। चिन्तन गहरा यथार्थ और मानवमूल्यों की उन्नति का प्रेरक होता है उतना ही टिकाऊ और लोकप्रिय होता है। वह अपने साहित्यकार की आवाज बनकर साहित्य के माध्यम से जन-जन तक पहुँचता रहता है। उसे किसी विशेष काल की आवश्यकता नहीं होती वह हर समय हर मनुष्य के लिए समान होता है क्योंकि उसके पदचिन्हों पर इतिहास गतिशील है और उसमें साहित्यकार को जीवन सनिहित है।

दया प्रकाश सिन्हा वास्तव में जीवन की आस्था और हास्य व्यंग्कार के नाटककार है। उन्होंने पारंपरिक नाटकीय और पौराणिक प्रसंगों तथा चरित्रों के माध्यम से नाट्यानुभूति और संवेदना को संप्रेषित किया है। कथ्य के रूप में एक व्यापक जीवन स्थिति या जीवन सत्य को शाश्वत जीवन-मूल्यों को जोड़ने की कोशिश की है।

## जन्म

समाकालीन हिंदी नाट्य साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार दया प्रकाश सिन्हा का जन्म ब्रिटिश भारत के तत्कालीन संयुत प्रांत आगरा एवं अवध (वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रवेश) में एटा जिले के कासगंज 2 मई 1935 ई0 को हुआ। उनके पिता का नाम अयोध्यानाथ सिन्हा व माता का नाम स्नेहलता था। दया प्रकाश सिन्हा के पिताजी अयोध्यानाथ सिन्हा भी एक कुशल अभिनेता थे।

अतः नाट्याभिरुचि उन्हें पुरतैनी देन के रूप में प्राप्त हुई।

## बचपन एवं शिक्षा

दया प्रकाश सिन्हा के पिता सरकारी सेवा में होने के कारण उनका तबादला होता रहता था। इसलिए बचपन में दया प्रकाश सिन्हा कही भी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहें। बच्चों की शिक्षा में व्यावधान न आए यह सोचकर उनके पिताजी ने दया प्रकाश सिन्हा की प्रारंभित शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया बाद में चौथी कक्षा में मैनपुरी के एक विद्यालय में

नियमित रूप से पढ़ने का अवसर मिला। सन् 1947 में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब वे बारह वर्ष के थे। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा फैजाबाद में पाई तथा इंटरमीडिएट इलाहबाद से किया। 1954 में बी.एस.सी इलाहबाद विश्वविद्यालय से करने के पश्चात् पिता पुत्र के विचारो में संघर्ष हुआ। दया प्रकाश ने अपने पिताजी से कहा कि मैं हिंदी से एम.ए. करुंगा। उनके सामने धर्मवीर भारती से लेकर निशल पंत महादेवी वर्मा लक्ष्मीनारयण लाल जैसे उनेक आदर्श थे। लेकिन उनके पिताजी गुस्सा गए और कहें- ''तुम्हें शर्म नहीं आती हिंदी में एम ए करना चाहते हो लड़कियोंवाले विषय में ... जैसा चाहो करो। हिंदी क्या मुडिया में एम. ए. करोगे मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।'' यह कहने पर दया प्रकाश सिन्हा ने दूसरे विकल्प के रूप में अंग्रेजी में एम. ए. के लिए फॉर्म भर दिया। बी. एस-सी में उनके पास अंग्रेजी भाषा के रूप में नहीं था। इसलिए उनहें वहाँ प्रवेश नहीं मिला। तब उन्होंने इतिहास में एम. ए. के लिए प्रवेश लिया इतिहास उनका प्रिय विषय था। 1956 ई. में इलाहबाद विश्वविधलय ये प्राचीन इतिहास में उन्होंने एम. ए. किया। एम. ए. करने के दौरान ही उन्होंने चित्रकला में पार्ट-टाईम डिप्लोमा भी कर लिया।

उनके पिता दया प्रकाश सिन्हा पर आई ए. एस की परीक्षा में बैठने के लिए दवाब डाल रहे थे। लेकिन दया प्रकाश सिन्हा को लगता था कि वहाँ रहकर वह साहित्य और रंगमंच की सेवा नहीं कर पाएँगे। मानसिक मंथन की प्रक्रिया से गुजरते वह दिग्भ्रमित से किसी की तलाश में थे कि अचानक एक दिन पान की दुकान पर वे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थ। वहाँ पर विषय चल रहा था केरियर का चुनाव। वहाँ चर्चा में शामिल एक वकील सहब ने कहा है- ''देखो भाई किसी भी प्रोफेशन में उँचे बैठने की सीमा आकाश तक है। लेकिन उसमें पाँव जमाने में वक्त लगता है-चाहे तुम लेखक बनना चाहो या फिर अभिनेता या कुछ और। लेकिन अगर किसी कम्पटीशन में आ जाओं तो रातो रात तुम्हारा स्टेटस ही बदल जाता है।'' वकील साहब की अत्यंत सामान्य ढंग से कही बात उन्हें भीतर तक छू गई। उन्होंने उसी दिन निर्णय कर लिया कि वे आई.ए. एस. की तैयारी करेंगे। परीक्षा में बैठने के दो अवसर वे गँवा चुके थे। एक अंतिम अवसर उनके पास बचा था। दया प्रकाश सिन्हा तैयारी में जुट गए और तीन महीने तक घर से बाहर नहीं निकले।

आई. ए. एस की परीक्षा में आखिर पर्चा विश्व इतिहास का था। छः सात महीने की अचछी तैयारी के कारण उन्होंने पुरी तैयारी की थी। फिर भी किसी के कहने पर रात में नींद न आनेवाली गोली खा ली। रात भर जागकर उन्होंने पढ़ाई की लेकिन अगले दिन जब परीक्षा देने गए तो परीक्षा में नींद आ रही थी और नाक से खून बहने लगा। नतीजे यह हुआ कि पेपर खराब हो गया और आई.ए.एस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से रह गए।

सन् 1958 में इलाहबाद विश्वविद्यालय के सी. एम. पी. डिग्री कॉलेज के प्राचीन इतिहास विभाग में लेक्चरर पद पर नियुत्त हुए। जीवन में कुछ स्थानीयत्व के कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश पी. सी. एस की परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में उनका पी. सी. एस. में चयन हो गया। इसी साल दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विधालय प्रारंभ हुआ था। यहाँ उन्होने आवेदन किया था यहाँ भी उनका चयन हो गया। इसके अलावा उन्होंने लंदन की ब्रिटिश ड्रामा लोग में प्रवेश के लिए आवेदन किया था इसी वर्ष उन्हें लोग में स्कॉलरशिप के साथ चुने जाने की सूचना मिली। दया प्रकाश सिन्हा की सफलता चारों दिशाओं में चमकने लगी।

## नौकरी

इलाहबाद विश्वविद्यालय के सी. पी. एस डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के रूप में दया प्रकाश सिन्हा से अपनी प्रारंभिक नौकरी शुरु की। सन् 1960 में उत्तर प्रदेश पी. एस. की परीक्षा उत्तीर्ण किए और एक साल के प्रशिक्षण के बाद सरकारी नौकरी में आए। उनकी पहली नियुत्ति बहराइच में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में हुई। वहाँ 1961 से 1964 तक कार्य किया। इन्हीं दिनों उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिप्लोमा की उपाधि पाई। सन् 1965 में उनकी नियुत्ति फूलपुर

के रुरल इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट में हो गई। फूलपुर प्रोजेक्ट भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रय श्रम मंत्रालय (आई. एल. ओ.) के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय चल रहा था। समझौता से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ काम करने का यह अच्छा अनुभव रहा।

सन् 1968 में दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी सन् 1971 में साहित्य कला परिषद के सचिव सन् 1976 में पुनः दिल्ली के साहित्य कला परिषद के सचिव सन् 1984 में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के निदेशक और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहबाद के निदेशक सन् 1991 में भारत भवन भोपाल के निदेशक इत्यादि अनेकानेक उच्च और दायित्वपूर्ण पदों पर विराजमान होकर सन् 1933 में सेवानिवृत हो गए।

सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे निरंतर अनेक संगठनों से सक्रिय कार्यरत रहे। सन् 1997 में उत्तर प्रदेश नाटक के अध्याय रहे। स्न् 2003 से सन् 2006 ई0 तक भारतीय सांस्कृतिक परिषद आई. सी. आर के अध्याक्ष रहें। सन् 2006 ई0 से 2008 ई० तक भारत भवन ट्रस्ट नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे।

**विवाह**

नाट्य प्रेमी तथा कुशल अभिनेत्री प्रतिभा जी से दया प्रकाश सिन्हा का विवाह 1962 में हुआ। प्रतिभा संवेदनशील अभिनेत्री थी। दया प्रकाश सिन्हा का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और अपने नाट्य जगत की प्रेरणा स्त्रोत अपनी पत्नी को बहुत मानते हैं। प्रतिभा जी ने विवाह पूर्व कोलकाता में रेडियो नाटकों में अभिनय भी किया है। प्रतिभा जी के याथ दया प्रकाश सिन्हा की पहली भेंट को लेकर अनिल गोयल के विचार द्रष्टव्य है—

''सन् 1959 ई0 में जब डी. पी. सिन्हा संगीत नाटक अकादमी की नाट्य प्रमियोगिता के लिए अपना नया नाटक साँझ-सवेरा लेकर दिल्ली गए थे तब प्रतिभा भारतीय भी अनामिका की तरफ से विनोद रस्तोगी के नाटक नए हाथ में बतौर अभिनेत्री दिल्ली आई थीं लेकिन उस समय इन दोनों की मूलाकात बस वहीं तक रह गई थी। एक अनुशासनप्रिय आदर्शवादी परिवार से आये अपने कैरियर के प्रति चिंतित आत्म संशथ डूबें इस युवक की विगाह शायद इधर-उधर कहीं नहीं रखी थी।''

एक कलाकार पत्नी का संग पाकर दया प्रकाश सिन्हा का मन उछाह से भर गया था। विवाद के कुछ महीनों बाद उन्होंने 1963 में अपने अपने दाँव नाटक लिखा। इस नाटक को उन्होंने बोलकर लिखवाया था। वह बोलते थे और प्रतिभा भी उसे लिखती थीं। नाटक पूरा होने पर प्रतिभा जी ने दावा कि नाटक कि असली लेखक तो वह है दया प्रकाश सिन्हा तो केवल बोलक है। इस प्रकार वैवाहिक जीवन को लेकर दया प्रकाश सिन्हा सौभाग्यशाली थे।

**साहित्यकारों का प्रभाव**

दया प्रकाश सिन्हा पर हिंदी के महान साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला धर्मवीर भारती गिरिजा कुमार माधुर महादेवी वर्मा केशवचंद्र वर्मा दुश्यंत कुमार कमलेश्वर विजयदेव नारायण साही मार्कण्डेय अमृत राय तथा जैनेन्द्र कुमार जैसे साहित्यकारों का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है।

**विविध संगठनों से संबंध**

सन् 1968 में प्रशासनिक अधिकारी सन् 1971 में साहित्य कला परिषद के सचिव सन् 1976 में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र फिजी के निदेशक सन् 1979 में पुनः दिल्ली के साहित्य कला परिषद के सचिव सन् 1984 में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के निदेशक और मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहबाद के निदेशक सन् 1989 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक सन् 1991 में भारत भवन भोपाल के निदेशक इत्यादि अनेक उच्च और दायित्वपूर्ण पदों पर विराजमान रहकर सन् 1993 में वे सेवानिवृत्त हुए।

## सम्मान एवं पुरस्कार

दया प्रकाश सिन्हा कभी पुरस्कारों के पीछे नहीं भागे पर पुरस्कार उनके महत्तवपूर्ण कार्य के चलते स्वयं प्राप्त हुए। इनको नाट्य लेखन उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हिंदी अकादमी हारा साहित्य सम्मान तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण एवं लोहिया सम्मान मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा के उर्मिला साहित्य सम्मान भुवनेश्वर शोध संस्थान का भुवनेश्वर सम्मान तथा केन्द्री संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के राष्ट्रीय अकादमी सम्मान से भी विभूषित हुए हैं।

## निधन

प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का 7 नवंबर, 2025 को 90 साल की उम्र में निधन हो गया। नोएडा में उनके आवास पर शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सॉस ली। सिन्हा एक आई.ए.एस अधिकारी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने रंगमंच और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्व्पूर्ण योगदान दिया। अनिल रस्तोगी ने कहा, “दया प्रकाश जी ने रंगमंच और संस्कृति को बढ़ावा देने में बहुत योगदान दिया और वे रंगमंच, संगीत और नृत्य्य की प्रगति के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनका जाना पूरे रंगमंच जगत के लिए असहनीय क्षति है।

## कृतित्व

नाटककार दया प्रकाशन सिन्हा हिंदी के वरिष्ठ नाटककार है। इन्होंने अपने नाटकों की रचना की है। इसके पंद्रह नाटक एवं हास्य एकांकियों का भी एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। हिंदी नाट्य साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित नाटककार दया प्रकाश सिन्हा की रंगमंच के प्रति बहुआयामी प्रतिबधता दिखई पड़ती है। पिछले कई वर्षो से ये अभिनेता नाटककार निदेशक नाट्य अध्येता के रूप में भारतीय रंग विधा को समृद्ध किया है। इनकी रचनाओं को आज कई विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढाया जा रहा है। इनके नाटकों का सक्षित्र परिचय प्रकार से है-

‘साझ-सवेरा’ (1958 ई0) दया प्रकाश सिन्हा हारा सन् 1958 में लिखा नाटक साँझ- सवेरा महत्वपूर्ण नाटक है। यह नाटक आस्था अनस्था पर आधारित सामाजिक नाटक है। इस नाटक में विरोधी विचारों के कारण दो पीढियो में होने वाले संघर्षो को दिखाया है।

‘मन के भँवर’ (19960 ई.) यह नाटक मन के विकार स्व उत्पन्न होनेवाली विभिन्न मानो- दशाओं को प्रस्तुत करता है जिस्में मनोवॅज्ञानिक रूप से आधुनिक मानव की जीवनदशा को प्रस्तुत किया गया है।

‘अपने- अपने दाँव’ (1963 ई.) आधुनिक समाज की मनोवृत्ति किस प्रकार से धनलोलुपता में डूब गई कि मनुष्य किसी भी कार्य को केवल अपने स्वार्थ और लोभ के लिए करता है। वर्तमान समय में यह नाटक वास्तविक समाज का प्रतिबिधि है।

‘दुश्मन’ (1965 ई.) यह नाटक हास्य व्यंय प्रधान नाटक है। दुश्मनी एक ऐसा अवगुण है जिसको जितना आगे बढाएँगे वह उतना ही आगे बढ़ते जाएगी। यह समाज का नुकसान करती है साथ ही व्यक्ति अपने बनाए जाल में ही उलझकर रह जाता है।

‘मेरे भाई मेरे दोस्त’ (1971 ई.) यह नाटक हिंदू- मुस्लिम की समस्या। धर्म निरपेक्ष हिंदुस्तान और इस्लामिक राज्य पाकिस्तान का वैज्ञानिक संधर्ष पर आधारित है।

‘इतिहास-चक्र’ (1972) यह नाटक समाज की जीवन परिस्थिति सामाजिक राजनीतिक ढाँचा को प्रस्तुत करता है। राजा

और राजनीतिक सत्राधारी को प्रतीक के रूप में सभी राजनेता पूँजीपति नौकरशाही बुद्धजीवी गणिका अनामी आदि को आज के संदर्भ में जोड़कर देखा गया है। इस नाटक में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संघर्ष को दिखाया गया है।

'ओह अमेरिका' (1973) नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण कि समस्या के निरंतर बढते संत्रास को इस नाटक में दिखाने का प्रयास किया है।

'कथा एक कंस की' (1974) इस नाटक में नाटककार ने पौराणिक और आधुनिक का नया स्वरुप प्रस्तुत किया है जियमें दया प्रकाश सिन्हा ने नाटक के कंस के बचपन से विद्रोही होने के कारण एवं परिस्थिति कस आकलन किया है।

'सादर आपका' (1982 ई.) इस नाटक में नाटककार ने आधुनिक शहरी जीवन में रहने वाले परिवार का जीवन प्रस्तुत किया है। किस प्रकार लोग शहर में रहतें है जहाँ पति-पत्नी में तनाव है उनके बीच रिश्ते केवल मजेबूरी में निभा रहें है। घर में बेटी का व्यवहार ठीक नहीं है पत्नी परपुरुष के प्रति आकर्षित है इस प्रकार की समस्या शहर में निरंतर चल रही है।

'सीढियाँ' (1990 ई.) इस नाटक में नाटककार ने मोहम्मदशाह रंगीला के शासन के अंतर्गत मुगल शासन के अंतिम चरण में व्याप्त भ्रष्टाचार नैतिक अवमूल्यन और सामाजिक पतन का चित्रण हमारे आधुनिक सामाजिक अवमूल्यन की ओर संकेत करता है।

'इतिहास' (1998 ई.) इस नाटक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चित्रन मिलता है। 1857 ई. से लेकर 1947 ई. तक की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख मिलता है। यह वृत्त नाटक है।

'रक्त-अभिषेक' (2005 ई.) इस नाटक में राज्य अधिकार और राज्य की सुरक्षा के प्रति सेनापति पुष्यमित्र शुंग के राजधर्म कतर्वय का उल्लेख किया गया है।

'सम्राट-अशोक' (2014 ई.) इस नाटक में नाटककार ने सम्राट अशोक के ऐसे रुप- रंग और छवियों को उसके है कि वह सुदूर अतीत का अशोक न होकर आज के किसी भी राजनीतिक प्रकाशक अथवा शासक का सहज ही प्रतिविंधि जान पड़ता है।

## निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दया प्रकाश सिन्हा हिंदी नाट्य जगत के एक सशत्त रंगकर्मी निदेशक एवं अभिनेता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी दया प्रकाश सिन्हा को नाटकों में बहुत रुची थी। रंगमंच संबंधी अभिरुची तो पिता हारा दान में मिली थी। इन्होंने समाज को ध्यान में रखकर नाटकों की रचना की। वे एक ओर समाज की विडंबनाओं को दर्शाने का कार्य करते है तो दूसरी तरफ भारतीय इतिहास के स्वर्णिम क्षाणों को भी जीवंत रखने का कार्य करते है। इन्होंने सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के माध्यम से अनेक पहलुओं को सामने लाने का कार्य किया है। इतिहास पुराण मिचक एवं परिवारिक संबंधों के महत्व को स्थापित करते हुए यथार्थ पर दृष्टिपात करते है। इनके नाटकों में प्रस्तुत व्यंग्य समाज को बदलने में सशत्त है। इस प्रकार हम देखते है कि दया प्रकाश सिन्हा के नाटक वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से मील के नाटक पत्थर साबित होते है।

## सहायक ग्रंथ-सूची

1. समीक्षायन- संपादक रविद्रनाथ बहोरे, पृ.- 313
2. समीक्षायन- संपादक रविन्द्रनाथ बहोरें, पृ.- 316

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# सामुदायिक पुनरुत्थान में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका : प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के प्रभाव का अध्ययन

**शशांक शेखर वर्मा**
शोध छात्र (वाणिज्य विभाग), नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, कोटवां प्रयागराज
**डॉ. आशीष शुक्ला**
सह आचार्य वाणिज्य, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, कोटवां प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

## सारांश

भारत के ग्रामीण समाज के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में वित्तीय समावेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रयागराज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंकों ने न केवल वित्तीय पहुँच का विस्तार किया है, बल्कि स्थानीय समुदायों में आत्मनिर्भरता और सामाजिक पुनरुत्थान की भावना को भी बल प्रदान किया है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि सार्वजनिक बैंकों द्वारा संचालित योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना तथा स्वयं सहायता समूह बैंक संबंध कार्यक्रम किस प्रकार ग्रामीण समाज की आर्थिक गति, सामाजिक स्थिरता और वित्तीय चेतना को प्रभावित कर रहे हैं।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रयागराज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा ऋण वितरण और बीमा कवरेज के स्तर पर निरंतर सुधार देखने को मिला है। साथ ही, डिजिटल बैंकिंग अपनत्व और वित्तीय साक्षरता के विस्तार ने ग्रामीण नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा है। हालांकि, डिजिटल अवसंरचना की सीमाएँ, नेटवर्क की अनुपलब्धता तथा परिचालन लागत जैसी चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।वित्तीय समावेशन केवल बैंकिंग सुविधा की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामुदायिक सशक्तिकरण, रोजगार वृद्धि और सामाजिक पूँजी के निर्माण का माध्यम भी है। सार्वजनिक बैंकों द्वारा अपनाई गई नीति-दृष्टि और ग्रामीण समाज की सहभागिता ने मिलकर प्रयागराज में एक ऐसी आर्थिक चेतना उत्पन्न की है, जो सामुदायिक पुनरुत्थान की दिशा में स्थायी परिवर्तन का संकेत देती है।

**मुख्य शब्द :** सार्वजनिक बैंक, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण पुनरुत्थान, सामाजिक पूँजी, ऋण वितरण, डिजिटल साक्षरता, आत्मनिर्भरता

## परिचय

भारत के ग्रामीण जीवन की आत्मा सदैव उसकी कृषि, सामाजिक एकता और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में निहित रही है। यह सत्य है कि देश की आर्थिक संरचना का आधार आज भी ग्रामीण भारत ही है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या अपनी

आजीविका के लिए कृषि और लघु उद्योगों पर निर्भर करती है। किंतु इन ग्रामीण समाजों की सबसे बड़ी समस्या सदैव औपचारिक वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच रही है। इस स्थिति में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका केवल आर्थिक संस्था के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के संवाहक के रूप में देखी जानी चाहिए।

इसी दृष्टिकोण से ग्रामीण शाखाओं का विस्तार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थापना और विभिन्न समावेशन योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। इन योजनाओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, विशेषकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को, बैंकिंग सेवाओं तक समान अवसर प्राप्त हो।

प्रयागराज जनपद का ग्रामीण क्षेत्र इस प्रक्रिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह क्षेत्र गंगा-यमुना के दोआब में स्थित है, जहाँ कृषि के साथ-साथ हस्तशिल्प, पशुपालन और कुटीर उद्योगों का भी गहरा प्रभाव है। यहाँ सार्वजनिक बैंकों की शाखाएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी हैं। वर्ष 2015 में प्रयागराज जिले के ग्रामीण भाग में औसतन प्रत्येक 20 वर्ग किलोमीटर पर एक बैंक शाखा थी, जो 2022 तक घटकर 15 वर्ग किलोमीटर पर एक शाखा रह गई। यह परिवर्तन केवल आँकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज की नई वित्तीय चेतना का परिचायक है।

सार्वजनिक बैंक, निजी बैंकों से भिन्न, अपने संचालन में सामाजिक दायित्व को सर्वोपरि मानते हैं। उनका उद्देश्य केवल लाभ अर्जन नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना भी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और स्वयं सहायता समूह बैंक संबंध कार्यक्रम जैसे प्रयासों ने प्रयागराज के गाँवों में आर्थिक सक्रियता को नए आयाम दिए हैं।[2]

वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल खाता खोलना या ऋण प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है— प्रत्येक नागरिक का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेना। जब कोई ग्रामीण परिवार बैंकिंग सुविधाओं का निरंतर उपयोग करता है—जमा करता है, ऋण लेता है, बीमा करवाता है या डिजिटल माध्यमों से भुगतान करता है—तभी वास्तविक समावेशन होता है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि उसके परिवार और समुदाय की आर्थिक स्थिरता को भी सुदृढ़ करती है।[3]

सार्वजनिक बैंकों ने प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविरों, जन-जागरूकता अभियानों और मोबाइल-बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों में बचत और निवेश की संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन, ग्रामीण युवाओं को मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराना तथा किसानों के लिए लघु और मध्यम अवधि के ऋणों की सुविधा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है।[4]

वर्तमान शोध इस परिप्रेक्ष्य में यह विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि सार्वजनिक बैंक किस प्रकार से वित्तीय समावेशन के माध्यम से न केवल आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं, बल्कि ग्रामीण समाज के भीतर विश्वास, सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना को भी सशक्त बना रहे हैं। इस अध्ययन की प्रासंगिकता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नीतिगत दोनों स्तरों पर है, क्योंकि यह उन अनुभवों और प्रमाणों को उजागर करता है जो नीति-निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं।

## साहित्य समीक्षा

वित्तीय समावेशन की अवधारणा पर हुए पूर्ववर्ती अध्ययनों और सरकारी रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण पुनरुत्थान में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी अत्यंत निर्णायक रही है। विभिन्न विद्वानों, संस्थानों और सरकारी निकायों द्वारा किए गए अनुसंधानों ने यह प्रतिपादित किया है कि वित्तीय पहुँच, ऋण वितरण और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से ग्रामीण समाज में आर्थिक स्थायित्व एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार निर्मित हुआ है।

### (1) भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशितवित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय रणनीति रिपोर्ट (2020-2025) में कहा गया है कि वित्तीय समावेशन को सामाजिक न्याय का अंग मानते हुए बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ ऋण, बीमा, पेंशन और डिजिटल भुगतान सेवाएँ उपलब्ध कराने से सामाजिक असमानता में कमी आती है।[6]

### (2) नाबार्ड के राज्य फोकस पत्र

नाबार्ड केराज्य फोकस पत्र, उत्तर प्रदेश (2023) में यह पाया गया कि प्रयागराज सहित कई जिलों में शाखा घनत्व में वृद्धि और स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता ने ग्रामीण वित्तीय व्यवहार में उल्लेखनीय सुधार किया है। इन पत्रों में यह भी उल्लेख है कि ग्रामीण ऋण वितरण में महिलाओं की भागीदारी 2015 की तुलना में 35 प्रतिशत बढ़ी है।[8]

### (3) विश्व बैंक की वैश्विक रिपोर्ट "ग्लोबल फिनडेक्स"

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित "ग्लोबल फिनडेक्स आंकड़ोंबेस (2021)" के अनुसार भारत में ग्रामीण खाताधारकों की संख्या तो तेजी से बढ़ी है, परंतु खाता-उपयोग की निरंतरता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। यह अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि केवल खाता खोलने से समावेशन नहीं होता, जब तक व्यक्ति नियमित रूप से बचत और ऋण सेवाओं का उपयोग न करे।[9]

### (4) भारतीय अनुसंधानों का दृष्टिकोण

डॉ. आर. शर्मा एवं सहयोगियों (2020) द्वारा "ग्रामीण वित्तीय समावेशन एवं सामुदायिक सशक्तिकरण" नामक अध्ययन में यह पाया गया कि बैंक शाखा विस्तार, ऋण-वितरण, और बीमा योजनाओं की पहुँच में सुधार से ग्रामीण जीवन स्तर में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई।[10] इसी प्रकार, डॉ. एस. वर्मा (2019) के अध्ययन "ग्रामीण आजीविका हेतु बैंक-नेतृत्व मॉडल" में औसत ऋण-वापसी दर 85 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक-नेतृत्व कार्यक्रम वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करते हैं।[14]

### (5) नीति आयोग की रिपोर्टें

नीति आयोग द्वारा प्रकाशित "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (2022)" में यह बताया गया है कि मुद्रा योजना के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को उपलब्ध कराए गए ऋणों ने ग्रामीण युवाओं में रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाए हैं। विशेष रूप से प्रयागराज जैसे जिलों में लघु उद्योगों और महिला उद्यमिता को इससे अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है।[15]

### (6) स्वयं सहायता समूहों (SHG) पर अध्ययन

स्वेन एवं वालेंटिन (2009) के अध्ययन "माइक्रोफाइनेंस एंड विमेन्स एम्पावरमेंट" में यह पाया गया कि स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता ने महिलाओं की निर्णय-शक्ति, सामाजिक पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता में अभूतपूर्व वृद्धि की।[16] नाबार्ड कीवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट (2022) में भी यही पुष्टि की गई कि SHG-बैंक संबंध मॉडल में ऋण-वापसी दर 95 प्रतिशत से अधिक रही है, जिससे यह मॉडल ग्रामीण वित्तीय स्थायित्व का मजबूत उदाहरण बन गया है।[17]

### (7) डिजिटल बैंकिंग पर अध्ययन

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की "भारत डिजिटल वित्तीय समावेशन रिपोर्ट (2023)" में कहा

गया है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लेन-देन की पारदर्शिता और गति में सुधार हुआ है। हालाँकि रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि नेटवर्क की कमी और डिजिटल प्रशिक्षण के अभाव के कारण कई उपभोक्ता अब भी इस सुविधा से पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।[18]

## शोध पद्धति

अध्ययन मेंमिश्रित शोध-पद्धति अपनाई गई है — जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है। अध्ययन का स्वरूपवर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक है। अध्ययन प्रयागराज जिले की चार प्रमुख ग्रामीण तहसीलों, बारा, हंडिया, कोरांव, और फूलपुर पर केंद्रित है। इन तहसीलों में कुल 320 ग्राम हैं, जिनकी औसत जनसंख्या 1.5 लाख है। अध्ययन में लक्षित जनसंख्या उन ग्राहकों की रही जिन्होंने , मुद्रा योजना या SHG कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकिंग सुविधा का उपयोग किया। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए एस.पी.एस.एस.नामक सांख्यिकीय संगणक-सॉफ़्टवेयर का प्रयोग किया गया। मुख्य रूप सेवर्णनात्मक आँकड़ों (औसत एवं मानक विचलन), 'टी-परीक्षण' (t-परीक्षण), कारक विश्लेषण तथा सहसंबंध विश्लेषण की विधियों का उपयोग किया गया।

## समंक विश्लेषण

वित्तीय समावेशनके विभिन्न संकेतकों और सामुदायिक पुनरुत्थान के घटकों के बीच सहसंबंध का विश्लेषण किया गया। इसका उद्देश्य था यह निर्धारित करना कि वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और विश्वसनीयता किस प्रकार ग्रामीण सामुदायिक विकास को प्रभावित करती हैं।

**तालिका 1. वित्तीय समावेशन संकेतकों एवं सामुदायिक पुनरुत्थान के बीच सहसंबंध**

| क्र. | वित्तीय समावेशन संकेतक | सहसंबंध गुणांक (r) | सांख्यिकीय महत्त्व (p-value) | संबंध का प्रकृति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शाखा घनत्व | 0.63 | < 0.01 | मजबूत धनात्मक संबंध |
| 2 | क्रेडिट-डिपॉज़िट अनुपात | 0.72 | < 0.01 | अत्यधिक धनात्मक संबंध |
| 3 | जनधन खाते संख्या | 0.66 | < 0.01 | धनात्मक संबंध |
| 4 | डिजिटल बैंकिंग अपनत्व | 0.58 | < 0.05 | मध्यम धनात्मक संबंध |
| 5 | महिला SHG भागीदारी | 0.74 | < 0.01 | अत्यधिक मजबूत धनात्मक संबंध |
| 6 | बीमा कवरेज | 0.60 | < 0.05 | मध्यम धनात्मक संबंध |
| 7 | वित्तीय साक्षरता | 0.69 | < 0.01 | मजबूत धनात्मक संबंध |
| 8 | समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक | 0.68 | < 0.01 | मजबूत धनात्मक संबंध |

स्रोत : लेखक द्वारा संकलित प्राथमिक सर्वेक्षण और द्वितीयक आँकड़े (RBI, NABARD, PIB, 2023)

## व्याख्या के मुख्य बिंदु

### 1. सामान्य रुझान

तालिका से स्पष्ट है कि सभी संकेतकों का सामुदायिक पुनरुत्थान सूचकांक से धनात्मक संबंध ($r > 0.5$) दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन के प्रत्येक घटक — शाखा-विस्तार, ऋण-वितरण, बीमा, डिजिटल लेन-देन — ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को सीधे सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

**2. क्रेडिट-डिपॉज़िट अनुपात का प्रभाव**

CD Ratio का सहसंबंध ( r = 0.72 ) सबसे ऊँचा मिला। यह दर्शाता है कि जब स्थानीय जमा की तुलना में ऋण-वितरण बढ़ता है, तो ग्रामीण समुदायों में उद्यमिता, रोज़गार और आय के अवसर भी बढ़ते हैं। इससे आर्थिक स्वावलंबन में सीधा वृद्धि होती है।

**3. SHG भागीदारी का सशक्त प्रभाव**

महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी का सहसंबंध (r = 0.74) सभी संकेतकों में सबसे उच्च था। यह सामाजिक पूँजी के निर्माण का स्पष्ट संकेत है — समूह-आधारित वित्तीय लेन-देन विश्वास, सहयोग और पारस्परिक जवाबदेही को सुदृढ़ करते हैं।

**4. डिजिटल अपनत्व का मध्यम संबंध**

डिजिटल बैंकिंग अपनत्व (r = 0.58) मध्यम धनात्मक संबंध दर्शाता है। यह संकेत करता है कि हालाँकि डिजिटल वित्त का प्रभाव बढ़ रहा है, किन्तु इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी विश्वास की कमी इसके व्यापक प्रयोग में अवरोध है।

**5. वित्तीय साक्षरता का स्थायी प्रभाव**

वित्तीय साक्षरता (r = 0.69) का मजबूत सहसंबंध यह दर्शाता है कि ग्राहकों के ज्ञान, प्रशिक्षण और सूचनात्मक सक्षमता से वित्तीय उत्पादों का सार्थक उपयोग बढ़ता है। यह दीर्घकालीन समावेशन के लिए केंद्रीय कारक है।

**6. बीमा कवरेज और जोखिम-सुरक्षा**

बीमा कवरेज (r = 0.60) का मध्यम परंतु महत्त्वपूर्ण संबंध दर्शाता है कि वित्तीय जोखिम से सुरक्षा की व्यवस्था ग्रामीण आर्थिक स्थिरता में योगदान दे रही है। जो परिवार बीमित थे, उनकी आर्थिक संवेदनशीलता कम दिखी।

**7. समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक**

कुल सहसंबंध गुणांक (r = 0.68, च ढ 0.01) से यह स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन और सामुदायिक पुनरुत्थान के बीच मजबूत सकारात्मक संबंध विद्यमान है। यह परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टि से सार्थक दोनों है।

## सांख्यिकीय विश्लेषण

### i) वर्णनात्मक विश्लेषण

तालिका 1 से स्पष्ट है कि प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संकेतकों में 2015-2023 के बीच उल्लेखनीय सुधार हुआः

| संकेतक | 2015 | 2023 | प्रतिशत वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| शाखा घनत्व (प्रति 15 वर्ग किमी) | 1 | 1.33 | 33 |
| जनधन खाते (लाख में) | 15.5 | 27.0 | 45 |
| क्रेडिट-डिपॉज़िट अनुपात (%) | 40 | 65 | 25 |
| मोबाइल बैंकिंग अपनत्व (%) | 22 | 51 | 29 |
| बीमा कवरेज (%) | 10 | 45 | 35 |

इन आँकड़ों से यह प्रमाणित होता है कि सार्वजनिक बैंकों के प्रयासों से वित्तीय पहुँच में संरचनात्मक सुधार हुआ है।

ii) समूहों के बीच अंतर (t-test)

शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के बीच वित्तीय पहुँच के स्तर की तुलना हेतु ज-जमेज किया गया। परिणाम इस प्रकार रहेरू

$t = 4.21,\ p < 0.01$

यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण है, जो यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी वित्तीय पहुँच का अंतर विद्यमान है। हालांकि, यह अंतर तेजी से घट रहा है।

**iii) कारक विश्लेषण**

वित्तीय समावेशन के चार प्रमुख कारक निकले –

1. सुलभता कारक : शाखा घनत्व, ATM, और BC केंद्र
2. साक्षरता कारक : प्रशिक्षण और जागरूकता
3. डिजिटल कारक : मोबाइल/नेट बैंकिंग उपयोग
4. सामाजिक पूँजी कारक : SHG भागीदारी, ऋण वापसी दर

इन चारों कारकों का समेकित योगदान 78% विचरण की व्याख्या करता है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण वित्तीय समावेशन इन्हीं कारकों पर आधारित है।[7]

**iv) विश्वसनीयता एवं वैधता**

क्रोनबाक अल्फ़ा ( $\alpha$ = 0.87) ने प्रश्नावली की विश्वसनीयता को प्रमाणित किया। Factor Loadings 0.65 से 0.88 के बीच रहे, जिससे मापन की वैधता सिद्ध होती है। साक्षात्कार आंकड़ों की त्रिकोणीयकरण से यह सुनिश्चित किया गया कि मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों में सामंजस्य विद्यमान है।

**v) नीतिगत निहितार्थ**

**1. डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार**

ग्रामीण क्षेत्रों में 'फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर' स्थापित किए जाएँ, जहाँ ग्राहकों को मोबाइल-बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की जानकारी दी जाए।

**2. महिला-केंद्रित वित्तीय मॉडल**

SHG और महिला जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन में स्थायित्व लाया जा सकता है। छ।ठ।त्क की 2022 रिपोर्ट में बताया गया कि महिला-नेतृत्व वाले SHG की ऋण-वापसी दर 97% रही।[8]

**3. आउटरीच बैंकिंग मॉडल**

परिचालन लागत घटाने हेतु 'Mini Branches' और 'Mobile Vans' के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ दूरस्थ गाँवों तक पहुँचाई जा सकती हैं।

**4. सामाजिक पूँजी को नीति में सम्मिलित करना**

सार्वजनिक बैंकों को केवल वित्तीय उत्पादों पर नहीं, बल्कि समुदाय में सहयोग और विश्वास निर्माण की प्रक्रियाओं पर भी निवेश करना चाहिए।

**5. सतत निगरानी और सूचकांक**

वार्षिक "ग्रामीण वित्तीय समावेशन सूचकांक" विकसित किया जाए ताकि प्रगति को मापा जा सके।

## निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रयागराज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंकों ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में ठोस, प्रभावी और स्थायी परिवर्तन किए हैं। बैंकिंग सेवाओं की पहुँच, ऋण-वितरण, महिला सशक्तिकरण तथा डिजिटल लेन-देन की सुविधा ने ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा की नई दिशा प्रदान की है।इस शोध के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा घनत्व में वृद्धिके परिणामस्वरूप ग्राहकों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच लगभग 33 प्रतिशत तक बढ़ी, जिससे ग्रामीण समाज में औपचारिक वित्तीय प्रणाली के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ।

2. क्रेडिट-डिपॉज़िट अनुपात में 25 प्रतिशत सुधारसे स्थानीय पूँजी प्रवाह को बल मिला और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश तथा उद्यमिता के अवसरों का विस्तार हुआ।

3. महिला-केंद्रित योजनाओंने सामाजिक पूँजी, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि की। इससे स्वयं सहायता समूहों (SHG) की भूमिका अधिक प्रभावशाली बन सकी।

4. डिजिटल बैंकिंग अपनत्व में दोगुनी वृद्धि से ग्रामीण उपभोक्ताओं का वित्तीय व्यवहार अधिक पारदशी, त्वरित और आधुनिक हुआ। इससे बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और सुविधा में भी सुधार आया।

5. स्वयं सहायता समूह-बैंक सहयोग प्रणालीके सशक्तीकरण से ऋण-वापसी दर 95 प्रतिशत से अधिक बनी रही, जो वित्तीय अनुशासन और सामाजिक विश्वास का प्रमाण है।

## सुझाव

1. ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए — बैंकिंग सेवाओं की सुचारु उपलब्धता हेतु नेटवर्क, इंटरनेट और उपकरणों में निवेश बढ़ाया जाए, ताकि ग्रामीण ग्राहक डिजिटल बैंकिंग के लाभों से पूर्णतः जुड़ सकें।

2. मोबाइल-बैंकिंग प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जाए — प्रत्येक बैंक शाखा में ग्रामीण ग्राहकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित हों, जिससे वे मोबाइल अनुप्रयोगों का सुरक्षित और प्रभावी प्रयोग कर सकें।

3. बैंक कर्मियों के लिए स्थानीय भाषा-संचार प्रशिक्षण — ग्रामीण ग्राहकों से व्यवहार में सहजता और समझ के लिए बैंक स्टाफ को स्थानीय बोली एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाए।

4. स्वयं सहायता समूह-बैंक समन्वय समितियाँ गठित की जाएँ — प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर समितियाँ बनाकरै भ्ळ समूहों और बैंक अधिकारियों के बीच सतत संवाद और समीक्षा की व्यवस्था हो।

## सन्दर्भ सूची


1. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। (2023)। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2022-23।
2. नाबार्ड। (2021)। राज्य फोकस पत्रः उत्तर प्रदेश।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। (2023)। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - वार्षिक रिपोर्ट 2022-23।
4. प्रेस सूचना ब्यूरो। (2023)। प्रधानमंत्री जनधन योजना - प्रदर्शन सांख्यिकी।
5. प्रेस सूचना ब्यूरो। (2023)। प्रधानमंत्री जनधन योजना - प्रदर्शन सांख्यिकी।
6. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। (2023)। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2022-23।
7. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। (2023)। भारत डिजिटल वित्तीय समावेशन रिपोर्ट।
8. नाबार्ड। (2022)। स्वयं सहायता समूह - बैंक संबंध वार्षिक समीक्षा।
9. दैनिक जागरण। (2023)। ग्रामीण बैंकिंग में डिजिटल अवसंरचना और परिचालन लागत।
10. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। (2020)। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2020-25।
11. नाबार्ड। (2023)। राज्य फोकस पत्रः उत्तर प्रदेश।
12. विश्व बैंक। (2021)। ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस रिपोर्ट।
13. शर्मा, आर. एवं सहयोगी। (2020)। ग्रामीण वित्तीय समावेशन एवं सामुदायिक सशक्तिकरण। भारतीय ग्रामीण विकास पत्रिका, 12(3), 45-60।

14. वर्मा, एस. (2019)। ग्रामीण आजीविका हेतु बैंक-नेतृत्व मॉडल। विकास अध्ययन जर्नल, 15(1), 78-95।
15. नीति आयोग। (2022)। प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट।
16. स्वेन, आर. बी., एवं वालेंटिन, एफ. वाई. (2009)। स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण।
17. नाबार्ड। (2022)। SHG-बैंक संबंध वार्षिक समीक्षा।
18. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। (2023)। भारत डिजिटल वित्तीय समावेशन रिपोर्ट।
19. FHI360A (2022)। भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन का प्रभाव अध्ययन।
20. ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं नाबार्ड। (2022)। ग्रामीण सामाजिक पूँजी और वित्तीय समावेशन रिपोर्ट।

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# जादू टोना : एक सामाजिक समस्या

**डॉ. अर्चना गोदारा**
सहायक आचार्य - समाजशास्त्र
राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़
Email - archanamps@gmail.com

**सार**

जादू-टोना मानव सभ्यता के प्रारम्भिक चरणों से ही समाज का हिस्सा रहा है। अज्ञान, भय, असुरक्षा और प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक समझ के अभाव में मनुष्य ने अनेक अलौकिक विश्वासों को जन्म दिया, जिनमें जादू-टोना, टोटका, झाड़-फूँक, तंत्र-मंत्र आदि प्रमुख रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में भी जादू-टोना एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में। यह केवल एक विश्वास प्रणाली नहीं, बल्कि सामाजिक शोषण, लैंगिक हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और कानूनी अव्यवस्थाओं से जुड़ा विषय है। इस शोध पत्र में जादू-टोना की अवधारणा, उसके सामाजिक कारण, प्रभाव, पीड़ित वर्ग, कानूनी प्रावधान तथा इसके उन्मूलन के उपायों पर विस्तार से समझा गया है।

**बीज शब्द** - जादू-टोना, अंधविश्वास, सामाजिक शोषण, महिला उत्पीड़न, मानवाधिकार, वैज्ञानिक चेतना

## प्रस्तावना

जादू-टोना को सामान्यतः अलौकिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को प्रभावित करने की प्रक्रिया माना जाता है। भारतीय समाज में इसे तंत्र-मंत्र, टोना-टोटका, ओझागिरी, झाड़-फूँक, डायन-प्रथा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह विश्वास प्रणाली सदियों से समाज में व्याप्त रही है और समय के साथ इसमें अनेक रूढ़ियाँ जुड़ती चली गईं। दुर्भाग्यवश, शिक्षा, विज्ञान और कानून के विकास के बावजूद जादू-टोना आज भी समाज के एक बड़े वर्ग के जीवन को प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जादू-टोना केवल धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण और शोषण का एक उपकरण भी बन गया है। पहले यह ग्रामीण इलाकों में ही प्रचलित परंतु वर्तमान में यह शहरी और पढ़ी-लिखे लोगों के बीच में भी बहुत अधिक प्रचलित हो गया है। यह उन लोगों के बीच में अधिक प्रचलित हुआ है जो संघर्ष नहीं करना चाहते बल्कि चमत्कार स्वरूप अपने कार्य को करना चाहते हैं। अनेक स्थानों पर महिलाओं को डायन घोषित कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उन्हें सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक हिंसा और यहाँ तक कि हत्या का भी शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार जादू-टोना सामाजिक अन्याय और असमानता को बनाए रखने का माध्यम बन जाता है।

## जादू-टोना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

जादू-टोना की जड़ें मानव इतिहास में अत्यन्त प्राचीन हैं। जब मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और मृत्यु के

वैज्ञानिक कारणों को समझने में असमर्थ था, तब उसने इन घटनाओं को अलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया। धीरे-धीरे कुछ व्यक्तियों ने स्वयं को इन शक्तियों का जानकार बताकर समाज में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक, तांत्रिक और लोक परंपराओं के मिश्रण से जादू-टोना की अनेक मान्यताएँ विकसित हुई। लोककथाओं, मिथकों और जनश्रुतियों ने भी जादू-टोना को सामाजिक स्वीकृति प्रदान की। कई समुदायों में ओझा, गुनिया या तांत्रिक को रोग निवारण और संकट समाधान का प्रमुख माध्यम माना जाता रहा है। समय के साथ यह विश्वास इतना गहरा हो गया कि तर्क और विज्ञान भी इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए। इसीलिए यह अभी भी समाज में उसी रूप में विद्यमान है।

## जादू-टोना के सामाजिक कारण

जादू-टोना के प्रसार के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। अशिक्षा और वैज्ञानिक चेतना का अभाव इसका प्रमुख कारण है। जब व्यक्ति तर्कसंगत सोच विकसित नहीं कर पाता, तब वह भय और अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। गरीबी और बेरोज़गारी भी लोगों को ऐसे विश्वासों की ओर धकेलती है, क्योंकि जब समाज के लोगों और विज्ञान द्वारा उन्हें अपनी समस्याओं को समाधान नहीं मिलता है तब वे अपनी समस्याओं का समाधान चमत्कारों में खोजने लगते हैं। इसका फायदा जादू, तंत्र-मंत्र करने वाले उठाने लगते हैं।

इसके अतिरिक्त सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और पितृसत्तात्मक संरचना भी जादू-टोना को बढ़ावा देती है। कई बार समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर विधवाओं, वृद्ध महिलाओं या सामाजिक रूप से अलग-थलग व्यक्तियों को डायन घोषित कर उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। इस प्रक्रिया में जादू-टोना सामाजिक नियंत्रण और दमन का हथियार बन जाता है।

## महिलाओं पर जादू-टोना का प्रभाव

जादू-टोना और डायन-प्रथा का सबसे क्रूर और अमानवीय प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है। भारतीय समाज के कई हिस्सों, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को अंधविश्वास के आधार पर डायन घोषित किया जाता है। किसी गाँव में यदि अचानक बीमारी फैल जाए, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए, फसल नष्ट हो जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसके लिए अक्सर किसी न किसी महिला को दोषी ठहरा दिया जाता है। यह आरोप बिना किसी तर्क, प्रमाण या जांच के लगाए जाते हैं और समाज भी चुपचाप इसे स्वीकार कर लेता है। इस प्रक्रिया में महिला की पहचान एक व्यक्ति के रूप में समाप्त हो जाती है और उसे "अशुभ", "खतरनाक" या "अलौकिक शक्तियों वाली" मान लिया जाता है।

डायन घोषित की गई महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उन्हें गाँव के कुएँ से पानी भरने, मंदिर जाने, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने या यहाँ तक कि सामान्य बातचीत करने से भी रोका जाता है। कई मामलों में उन्हें शारीरिक हिंसा, अपमानजनक व्यवहार, बाल मुंडन, जबरन जुलूस निकालना, मारपीट, यौन हिंसा और कभी-कभी हत्या तक झेलनी पड़ती है। मानसिक रूप से यह उत्पीड़न इतना गहरा होता है कि अनेक महिलाएँ भय, अवसाद और आत्मग्लानि की स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हो जाती हैं। इस प्रकार जादू-टोना महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा पर सीधा आघात करता है।

महिलाओं पर जादू-टोना के आरोप अक्सर किसी अलौकिक कारण से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित होते हैं। संपत्ति विवाद, जमीन पर कब्ज़ा, विधवा होने की स्थिति, सामाजिक ईर्ष्या, व्यक्तिगत दुश्मनी या महिला का मुखर और आत्मनिर्भर होना—ये सभी कारण जादू-टोना के आरोप लगाने की पृष्ठभूमि बनते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में ऐसी महिलाओं को कमजोर करने और उनके अधिकारों को कुचलने के लिए अंधविश्वास एक प्रभावी हथियार बन जाता है। जब किसी महिला पर जादू-टोना का ठप्पा लगा दिया जाता है, तो वह न्याय, संपत्ति और सम्मान की मांग करने की स्थिति में

नहीं रह जाती।

जादू-टोना केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि महिलाओं के विरुद्ध संरचनात्मक हिंसा का रूप है। यह लैंगिक असमानता को और गहरा करता है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन करता है। जब समाज किसी महिला को बिना अपराध के दंडित करता है, तो वह न केवल उस महिला के मानवाधिकारों का हनन करता है, बल्कि पूरे समाज की नैतिक चेतना पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। इसलिए महिलाओं पर जादू-टोना के प्रभाव को केवल सांस्कृतिक समस्या न मानकर, इसे गंभीर सामाजिक, कानूनी और मानवाधिकार संबंधी मुद्दे के रूप में समझना और संबोधित करना अत्यंत आवश्यक है।

## स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर प्रभाव

जादू-टोना और अंधविश्वास समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बीमारियों और मानसिक समस्याओं के वैज्ञानिक उपचार के स्थान पर झाड़-फूँक, तंत्र-मंत्र और ओझागिरी पर निर्भरता के कारण समय पर इलाज नहीं हो पाता, जिससे रोग जटिल हो जाते हैं और कई बार मृत्यु तक हो जाती है। विशेषकर ग्रामीण और गरीब समुदायों में यह प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अंधविश्वास बच्चों की तर्कशक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को बाधित करता है, जिससे वे प्रश्न करने और तार्किक सोच अपनाने के बजाय परंपरागत रूढ़ धारणाओं को ही सत्य मान लेते हैं। परिणामस्वरूप समाज में वैज्ञानिक चेतना का अभाव बना रहता है।

विकास की दृष्टि से जादू-टोना समाज को आधुनिकता और प्रगतिशील सोच से दूर रखता है। जब लोग अपनी समस्याओं का समाधान शिक्षा, नीति और विज्ञान में खोजने के बजाय चमत्कारों और अलौकिक शक्तियों पर छोड़ देते हैं, तब सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। संसाधनों का अवैज्ञानिक उपयोग, मानव क्षमता का क्षरण और निर्णय प्रक्रिया में तर्क का अभाव समाज को पिछड़ेपन के दुष्चक्र में बनाए रखता है, जिससे सतत विकास के लक्ष्य प्रभावित होते हैं।

## कानूनी प्रावधान और सरकारी प्रयास

भारत में जादू-टोना, डायन-प्रथा और अंधविश्वास से जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए कई राज्यों में विशेष कानून बनाए गए हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों में लागू इन कानूनों का उद्देश्य जादू-टोना के नाम पर होने वाले शोषण, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा को दंडनीय अपराध घोषित करना है। इन प्रावधानों के माध्यम से राज्य ने यह स्पष्ट किया है कि अंधविश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं, के साथ अन्याय स्वीकार्य नहीं है।

केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासनिक इच्छाशक्ति, सामाजिक जागरूकता और समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। कई बार पीड़ित सामाजिक दबाव, भय और बहिष्कार के डर से शिकायत दर्ज नहीं करा पाते, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। इसलिए कानूनी प्रयासों के साथ-साथ जनजागरूकता, शिक्षा और पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

## जादू-टोना उन्मूलन के उपाय

जादू-टोना जैसी गहरी सामाजिक समस्या का समाधान केवल दंडात्मक या कानूनी उपायों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए समाज की सोच और चेतना में परिवर्तन आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच के प्रसार की है, ताकि लोग प्राकृतिक घटनाओं, बीमारियों और सामाजिक समस्याओं को अंधविश्वास के बजाय तर्क और विज्ञान के आधार पर समझ सकें। शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक चेतना, विवेकशील सोच और प्रश्न करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना इस दिशा में एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इसके साथ ही अंधविश्वास विरोधी अभियानों, जनसंवाद

कार्यक्रमों और मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों तक सही जानकारी पहुँच सके। साथ ही, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण जादू-टोना उन्मूलन की प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। जब महिलाएँ शिक्षित, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति सजग होती हैं, तब उन्हें अंधविश्वास के नाम पर शोषण का शिकार बनाना कठिन हो जाता है। सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर विश्वास और संवाद के माध्यम से ही जड़ जमाए अंधविश्वासों को चुनौती दी जा सकती है।

## निष्कर्ष

जादू-टोना एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जो केवल अंधविश्वास तक सीमित न होकर सामाजिक शोषण, लैंगिक असमानता और मानवाधिकारों के उल्लंघन से गहराई से जुड़ी हुई है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में भी इसका अस्तित्व यह स्पष्ट करता है कि समाज के एक बड़े वर्ग तक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और विकास के लाभ समान रूप से नहीं पहुँच पाए हैं। जादू-टोना के नाम पर होने वाली हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार न केवल पीड़ित व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं, बल्कि समाज की नैतिक, बौद्धिक और मानवीय प्रगति को भी बाधित करते हैं।

इस समस्या के प्रभावी समाधान के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें शिक्षा, कानून, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सशक्तिकरण को समान रूप से महत्व दिया जाए। सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक की यह साझा जिम्मेदारी है कि वे अंधविश्वासों के विरुद्ध संगठित होकर खड़े हों और तर्क, विज्ञान तथा मानवता के मूल्यों को व्यवहार में उतारें। जब तक समाज भय, अज्ञान और रूढ़ियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक जादू-टोना जैसी कुप्रथाएँ किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी। इसलिए एक जागरूक, शिक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण ही इस सामाजिक समस्या का स्थायी और सार्थक समाधान है।

## सन्दर्भ सूची


1. शर्मा, रामनाथ (2012) : भारतीय समाज में अंधविश्वास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 45-62
2. सिंह, योगेन्द्र (2010) : समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 110-128
3. वर्मा, प्रभा (2015) : महिला और समाज, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 89-105
4. मिश्रा, केदारनाथ (2008) : ग्रामीण भारत की सामाजिक समस्याएँ, साहित्य भवन, इलाहाबाद, पृ. 150-170
5. दुबे, एस.सी. (2004) : भारतीय ग्रामीण समाज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 200-218
6. कुमार, अरविंद (2016) : अंधविश्वास और विज्ञान, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 33-54
7. चटर्जी, इरा (2014) : मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, ओरिएंट ब्लैकस्वान, कोलकाता, पृ. 140-160
8. गुप्ता, मीना (2018) : लैंगिक असमानता और कानून, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 75-92
9. दैनिक भास्कर (2020) : ''डायन-प्रथा और समाज'', भोपाल संस्करण, 12 मार्च 2020, पृ. 6
10. द हिन्दू (2019) : "Superstition and Social Violence", चेन्नई संस्करण, 18 जुलाई 2019, पृ. 9

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले के विवाह गीतों में कथ्य (एक लोक-सांस्कृतिक अध्ययन)

**श्रीराम**
शोधार्थी - खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़
**शिवचरण शर्मा**
शोध निदेशक - हिन्दी विभाग, खुशाल दास विश्वविद्यालय

**सार (Abstract)**

बीकानेर संभाग के दो जिले हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित हैं, इन जिलों में राजस्थानी की उपबोली बागड़ी, पंजाबी और हरियाणवी लोकसंस्कृतियों का समन्वय दिखाई देता है। इस क्षेत्र के लोकगीत, विशेषतः विवाह गीत, लोकजीवन की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराओं और स्त्री-संवेदनाओं को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करते हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर अंचल के विवाह गीतों के कथ्य का विश्लेषण करते हुए उनके सामाजिक, भावनात्मक एवं सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया गया है।

**मुख्य शब्द (Key Words)**

हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, विवाह गीत, लोकगीत, कथ्य, स्त्री-संवेदना, लोकसंस्कृति, भाषा।

## 1. प्रस्तावना

लोकगीत किसी क्षेत्र की सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान के सशक्त माध्यम होते हैं। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले, जो ऐतिहासिक रूप से बीकानेर रियासत और सिंध-पंजाब क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, एक विशिष्ट लोकसंस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ प्रचलित विवाह गीत लोकपरंपराओं, सामाजिक मूल्यों और ग्रामीण जीवन की भावनात्मक अनुभूतियों को सहज रूप में अभिव्यक्त करते हैं।

## 2. हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

इस क्षेत्र में जल परियोजनाओं (गंग नहर, भाखड़ा नहर तथा इंदिरा गांधी नहर) के कारण विभिन्न जातीय एवं सांस्कृतिक समूहों का आगमन हुआ। इस क्षेत्र के मूल लोगों और प्रवासियों के बीच में अंतर करना संभव ही नहीं है। ये सभी कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई जातियां हैं। इन विशिष्ट जातियों की बड़ी बड़ी संख्या इस क्षेत्र के गांवों में निवास करती है। परिणामस्वरूप यहाँ के विवाह गीतों में इन सभी जाति समुदाय की सांस्कृतिक विशेषताएं भी आपस में मिलकर, एक नयी संस्कृति को जन्म दे रही है। इसी नयी संस्कृति को हम कृषि आधारित संस्कृति समुदाय कह सकते हैं।

हनुमानगढ़ जिला पूर्व की ओर से हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, तथा पश्चिम की ओर चुरु जिले से सीमाएं

साझा करता है। इस कारण भी यहां एक मिश्रित संस्कृति पनप चुकी है।इस क्षेत्र के लोग अपने विवाह आदि भी हरियाणा और चुरु जिलों में करते हैं, जिसके कारण भी सांस्कृतिक मिश्रण हुआ है।[1]

श्रीगंगानगर जिला उत्तर की ओर पंजाब से सीमा साझा करता है, वहीं दक्षिण की तरफ मारवाड़ी बाहुल्य बीकानेर से सीमाएं मिलती है,तथा कुछ क्षेत्र हरियाणा से भी सीमा साझा करता है। इस जिले की बहुसंख्यक जनसंख्या पंजाब से आए हुए किसानों और उन आश्रित मजदूर वर्ग के लोगों की है। इस कारण यहां के विवाह गीतों पर पंजाबी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है।

### 3. इस क्षेत्र के विवाह गीतों में कथ्य की विशेषताएं

**1- लोकराग का प्रयोग** - इस क्षेत्र के विवाह गीतों में एक विशेष 'लोकराग' प्रयुक्त हुई है। 'लोकराग' का अर्थ है कि, इस क्षेत्र के गीतों में कोई शास्त्रीय राग प्रयुक्त नहीं हुई है, अपितु इस क्षेत्र की महिलाओं ने अपने ही हिसाब से , अपने भावों को 'ढाळ' दे दी है, यही 'ढाळ' ही लोकराग है ; जिसमें कभी कभी तो कुछ फिल्मों की धुन जैसा आभास भी मिलता है। इसका कारण है, कुछ गीतों को भावनाओं के अनुसार वैसा ही ढाल दिया गया।

**2. किसानी संस्कृति की झलक**- इस क्षेत्र के गीतों में किसानी संस्कृति प्रत्यक्ष हो रही है। इस क्षेत्र के विवाह गीतों में मुंगदणां रस्म में एक जेई पर, हरे केर की डालियां फंसाकर,उनके ऊपर खेजड़ी के लूंग रखकर,उसकी पूजा की जाती है। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, उनमें किसानी संस्कृति ही है। जेई (कृषि उपकरण), केर, खेजड़ी आदि सब किसानों से संबंधित वस्तु और पदार्थ हैं।

देखिए उदाहरण

''पैली कुवाड़ी डाळां विच जे मारी-खड़-खड हांस्यो हरियो रुंखड़ो।''[1]

**3. हरियाणवी लयात्मकता**- इस क्षेत्र के गीतों पर हरियाणवी संस्कृति और बोली का बड़ा प्रभाव है। यहां वैवाहिक संबंधों का आदान-प्रदान हरियाणा के साथ होता रहा है,तो वहां की लड़कियों ने यहां की भाषा में, कुछ अपने शब्दों को मिक्स करके गीत बना दिये। एक विवाह गीत देखिए

रोटी पोऊं बगड़ ग बीच
पेड़ा पकड़ाइये नणंद गा बीर!! [2]

**4. मारवाड़ी प्रभाव**- चूंकि ये दोनों जिले पुराने राजस्थान के बीकानेर रियासत के भाग हैं, अतः इस क्षेत्र में आज भी एक बड़ी आबादी पुराने लोगों की आबाद है,जो कि मूलतः इसी क्षेत्र के निवासी हैं, तथा उनके सभी रीति-रिवाज और नेगचार पुराने ढंग के मारवाड़ी ही है, अतः ये लोग मारवाड़ी संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए,अपने विवाह आदि में मारवाड़ी संस्कार तथा मारवाड़ी गीतों को ही महत्व देते रहे हैं, अतः इस क्षेत्र के गीतों पर मारवाड़ी बोली का भी बड़ा प्रभाव है।

इस क्षेत्र की गीतों की बोली में हरियाणवी, पंजाबी तथा मारवाड़ी का मिश्रण होकर बागड़ी के रूप में नयी बोली देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के गीतों में सामाजिक सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह बहुसांस्कृतिक प्रभाव विवाह गीतों के कथ्य को और अधिक व्यापक बनाता है।

### विवाह गीतों के प्रकार और अवसर

हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले में विवाह के विभिन्न अवसरों पर अलग-अलग गीत गाए जाते हैं, जैसे–

क-विनायक गीत - ये गीत विवाह की सबसे पहली रस्म शुरू करने के लिए गाए जाते हैं। इस अवसर पर एक प्रसिद्ध गीत रणतभंवर स्यूं आविया ओ बाबा धुंधाळा तो गाया ही जाता है, इसके अलावा कुछ और गीत भी गणपति वंदन के लिए गाए जाते हैं।

**थे कठस्यूं आया हो**
**बिनायक धुंधाळा!!**
**म्हे पहांडां स्यूं आया ऐ**
**सुहागण चुड़ला ळी!!**

**ख-पीठी गीत** - पीठी और बान के गीत भी विवाह के समय गाए जाते हैं। ये गीत सौंदर्य, शुद्धि और पारिवारिक सहभागिता आदि के लिए गाए जाते हैं।

**ग-भात गीत** - मायरा या भात के समय ये गीत गाए जाते हैं। मायके के सहयोग और भाई-बहन के स्नेह का चित्रण। इस अवसर पर चूंदड़ी गीत भी गाया जाता है।

**घ-तोरण गीत** - वर के आगमन पर वधु के घर पर तोरण रस्म के अवसर पर यह गीत गाए जाते हैं।

**तोरण आयो**
**राईवर थररर थररर कांप्यो राज!!**

**ड़-फेरे गीत** - फेरों के समय के ये गीत, प्रत्येक फेरे का वर्णन करते हुए गाए जाते हैं।

**पेल तो फेर लाडेली**
**जामीं जी गी बेटी**
**दूज तो फेर लाडली**
**काकोसा गी भतीजी!!**
**चौथ तो फेर लाडली होई**
**रे परायी!!**

**च-विदाई गीत** - करुणा, विरह और भावनात्मक बिछोह के गीत हैं।

**जामी जी गा ढोला बडबोर**
**बाई गी भिज बोरंग चूंदडी**
**चढंत जंवाई गो मैंमंद मोळियो म्हारा राज!!3**

### 4. विवाह गीतों का कथ्य

**(क) मंगलभाव और धार्मिक आस्था**

विवाह के प्रारंभिक गीतों में गणेश, और अन्य लोकदेवताओं का स्मरण किया जाता है। इन गीतों का कथ्य विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित करता है।

**(ख) पारिवारिक और सामाजिक संबंध**

**मायरा और भात से जुड़े गीतों में—**

ये गीत परिवार को महत्व देने से जुड़े हुए हैं। इन गीतों के द्वारा भाई और बहन के दोनों परिवारों को जोड़ने की भावनाओं का प्रकटीकरण होता है। इस गीतों में बहन के घर भाई का स्वागत किस तरह से करना है तथा स्वागत के लिए भाई। और उनके साथ अन्य आगंतुकों के लिए विशेष व्यवस्था की बातें भी की जाती है। ये व्यवस्था रिश्तों की मजबूती का अनिवार्य हिस्सा है।

भाई-बहन का प्रेम, मायके का सामाजिक दायित्व, सामूहिक सहभागिता का सजीव चित्रण मिलता है। ये गीत संयुक्त परिवार की अवधारणा को पुष्ट करते हैं।

**(ग) स्त्री-मन की संवेदनाएँ**

इस क्षेत्र के विवाह गीतों में ही नहीं ,सभी देशों के लोकगीतों में नारी-संवेदना अत्यंत प्रमुख है। इस संदर्भ में डाक्टर

मंजु तंवर का कथन महत्वपूर्ण हैं, ''इन गीतों में स्त्री की स्वयं को खोजने की बहुत ही आतुर कोशिश है। उसमें लोकमन की रवानगी,उसका ठाठ, उसके भीतर की ताजगी और जीवंतता है, जिंदगी जीने का अदम्य साहस और लालसा भी है। यहां फकीरी का रोना नहीं, बल्कि उसका उल्लास है। भीतर की उमंग ऐसी कि लाख गरीबी के बावजूद ऐसे अवसरों पर नाचते-गाऐ बिना काम नहीं चलता।''[4]

विशेषतः विदाई गीतों में। विदाई गीतों के गायन के समय जो गीत उगेरे जाते हैं,उनको सुनकर कभी कभी तो वरपक्ष के लोगों के नेत्र भी सजल हो जाते हैं।

**साथणं चाल पड़ी ओ**
**मेरा डबडब भरी आया नैणं।**[5]

विवाहोपरांत बेटी का मायके से बिछोह, माता-पिता की चिंता, ससुराल पक्ष के लोगों के प्रति आशा और भय का मार्मिक चित्रण होता है। करुण रस इन गीतों की प्रधान विशेषता है।

**हरख पधारो लाडली सासरे**
**काकोसा र काळजी री कोर**
**काकीसा थानैं सीख सुणावें ओ राज!!**[6]

**(घ) ग्रामीण जीवन और लोकाचार**

इन गीतों में ग्रामीण जीवन के देवी-देवता और उनकी स्तुति का चित्रण बहुत मिलता है। विवाह गीतों के कथ्य में खेत-खलिहान, पशुधन, नहरें, ग्रामीण परिवेश, वेशभूषा और आभूषणों का उल्लेख मिलता है। इससे इस क्षेत्र के लोकजीवन की यथार्थ झलक प्राप्त होती है। इन गीतों में कृषि और उससे जुड़े हुए यंत्रों, उपकरणों, कार्यों, फसलों आदि का जिक्र बहुत मिलता है।

**आछा तो सुगन बता ए म्हारी कोयलड़ी**
**डाव तो बोल ए बाई कोचरी**
**जींवणं तो बोल कोयल!!**

## 5. भाषा और शैली

हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर के विवाह गीतों की भाषा मिश्रित रूप में मिलती है—

इस क्षेत्र के गीतों की भाषा मूलतः मारवाड़ी है, जो हरियाणवी, पंजाबी भाषा के शब्दों और टोन के मेल से बनी है,जिसे बागड़ी भाषा कहते हैं। यह भाषा मारवाड़ी के आधार को लेकर बनी हुई है, हनुमानगढ़ क्षेत्र की भाषा में थोड़ा खड़ापन है, वहीं श्रीगंगानगर क्षेत्र की भाषा में पंजाबी शिष्टता देखने को मिलती है।

जैसे हनुमानगढ़ जिले की भाषा

किंन्नं दरड़ मं पड़सी?? अर्थात किस गढ्ढे में गिरोगे??

वहीं श्रीगंगानगर के लोगों की भाषा में कोमलता देखी जा सकती है।

इस क्षेत्र के विवाह गीतों की बोली में पंजाबी, हरियाणवी शब्दावली, स्थानीय बोली के मुहावरे मिलते हैं।

शैली सरल, लयात्मक और सामूहिक गायन के अनुकूल होती है। उपमा, प्रतीक और लोकबिंब कथ्य को प्रभावशाली बनाते हैं।

## 6. सांस्कृतिक महत्व

ये लोकगीत अपने में सांस्कृतिक धरोहर को छुपाए हुए हैं। इसी कारण इन गीतों के द्वारा सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये—सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के संवाहक,स्त्री-जीवन के कोमल और कठोर व्यापारों की अभिव्यक्ति,लोकसंस्कृति के

संरक्षण के माध्यम हैं। इस संदर्भ में चंद्रकांता व्यास का कथन है, ''लोकजीवन का रसमय,सादगी में गरिमामय सांस्कृतिक -सौदर्य इन लोकगीतों में छलका पड़ रहा है। परिवार में स्नेह -प्रेम का सघन रूप, एक-दूसरे के प्रति त्याग और सम्मान का भाव,जीवन की उमंग, वस्त्र आभूषण , नृत्यादि के प्रति उत्कट आकर्षण, कर्मठता और राग-द्वेष के बीच भी परिवार की अखंडता, एकता, राजस्थान की लोक-संस्कृति की परिचायक है।''[7]

आधुनिक परिवर्तनों के बावजूद ग्रामीण अंचलों में इनकी परंपरा आज भी जीवंत है।

## 7. निष्कर्ष

हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले के विवाह गीतों का कथ्य लोकजीवन की भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से अभिव्यक्त करता है। इनमें स्त्री-संवेदना, पारिवारिक संबंध, धार्मिक आस्था और ग्रामीण जीवन का समन्वित स्वरूप दिखाई देता है। अतः ये गीत इस क्षेत्र की लोकसंस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इनके संरक्षण की आवश्यकता है।

## संदर्भ ग्रंथ (References)


1- राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना
2- पारीदेवी से सुना
3- भागवंती देवी से सुना
4- भारतीय लोकमन और स्त्री -राजस्थानी के लोकगीत, मंजु तंवर, पृष्ठ 21
5- गूजरी देवी से सुना
6- यूट्यूब
7- राजस्थानी लोकगीत, साहित्य, समाज और संस्कृति, चंद्रकांता व्यास, पृष्ठ 89

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# Cultural Differences in Nonverbal Communication: A Comparative Study of India and Western Cultures

**Dr. Swati Sharma**
Department of Languages, Faculty of Arts and Social Sciences,
Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, U.P
Mo. 9027453071
Email- sharmaswati236@gmail.com

## ABSTRACT

Nonverbal communication encompassing body language, facial expressions, gestures, proxemics, and paralinguistics constitutes 65-93% of interpersonal communication yet remains substantially culture-specific, often creating misunderstanding in cross-cultural interactions. This study examines fundamental differences in nonverbal communication patterns between Indian and Western cultures, analyzing how culturally-specific nonverbal codes shape meaning-making, relationship dynamics, and professional effectiveness. Through literature review, comparative analysis of nonverbal communication research, and examination of cultural values underlying communication patterns, the paper identifies systematic differences: Western cultures (individualistic, low-context) employ direct eye contact, expansive personal space, animated facial expressions, and explicit emotional expression; Indian cultures (collectivistic, high-context) emphasize respectful gaze avoidance, closer proxemics, controlled expressions, and hierarchical deference signaling. These differences reflect underlying cultural values—individualism vs. collectivism, power distance, uncertainty avoidance, masculinity/femininity dimensions. The paper demonstrates that misinterpreting culture-specific nonverbal codes frequently produces miscommunication, misattribution of emotion and intent, and damaged relationships in multicultural professional environments. Providing comprehensive framework for understanding cultural nonverbal differences, the paper contributes to intercultural communication scholarship and offers practical guidance for professionals navigating cross-cultural interactions. Understanding these differences proves essential for effective global communication, organizational diversity management, and international business relationships.

**Keywords:** Nonverbal communication; Cultural differences; India; Western cultures; Body language; Proxemics; Intercultural communication; Cross-cultural understanding; Gesture; Eye contact

## INTRODUCTION

Nonverbal Communication's Prevalence and Cultural Specificity**-** Communication scholars consistently identify nonverbal behavior as comprising 65-93% of all interpersonal communication,

with some research suggesting that when verbal and nonverbal messages conflict, receivers prioritize nonverbal information, trusting bodily signals over words. Yet despite this prevalence, nonverbal communication remains profoundly culture-specific: behaviors universally meaningful in one culture may be entirely meaningless, neutral, or even offensive in another. The gesture meaning "OK" in America (thumb and forefinger circle) is insulting in numerous cultures. Prolonged eye contact signals confidence and honesty in Western cultures yet disrespect toward authority in many Asian cultures. These differences reflect deeper cultural values, communication norms, and social hierarchies embedded in societies.

Globalization has intensified cross-cultural interaction: multinational corporations employ diverse workforces; international education brings students from varied backgrounds; digital communication connects people worldwide. Yet inadequate intercultural communication competence frequently produces misunderstanding, stereotype formation, and damaged relationships. A Western professional maintaining eye contact with an Indian colleague might be perceived as aggressive or disrespectful rather than confident. An Indian professional's respectful gaze lowering might be misinterpreted as lacking confidence or engagement. These misattributions, rooted in nonverbal code differences, highlight critical need for intercultural understanding.

**India and Western Cultures: Strategic Comparison-** Comparing Indian and Western cultures provides particularly valuable lens for examining nonverbal communication differences because these cultures differ substantially on Hofstede's cultural dimensions, individualism/collectivism, power distance, uncertainty avoidance, masculinity/femininity, dimensions fundamentally shaping nonverbal communication patterns. Western cultures (particularly North American, Northern European) tend toward individualism, lower power distance, lower uncertainty avoidance, and assertive communication. Indian culture (influenced by philosophical traditions emphasizing harmony, hierarchy, and collective welfare) tends toward collectivism, higher power distance, greater uncertainty avoidance, and deferential communication. These cultural differences predict and explain nonverbal communication variations.

Additionally, India's increasing global business prominence and educational exchanges intensify cross-cultural interaction between Indian and Western professionals, making this comparison practically significant for organizational effectiveness and international relationship management.

## RESEARCH OBJECTIVES

This paper aims to: (1) comprehensively identify systematic differences in nonverbal communication patterns between Indian and Western cultures; (2) explain how cultural values underlie these differences; (3) analyze how nonverbal code differences produce miscommunication in cross-cultural contexts; (4) provide framework enabling professionals to navigate cross-cultural nonverbal communication more effectively; (5) contribute to intercultural communication scholarship by establishing cultural foundations of nonverbal communication.

## LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK

**Nonverbal Communication: Definitions and Dimensions-** Nonverbal communication encompasses all communicative messages not involving spoken or written words: body language (posture, movement), facial expressions, eye contact (oculesics), hand gestures, proxemics (spatial

distance), haptics (touch), paralinguistics (vocal qualities, tone), chronemics (time use), and artifacts (appearance, adornments). Each dimension carries meaning culturally constructed and culturally variable.

Ekman and Friesen's (1969) foundational research established that while some facial expressions (basic emotions: happiness, sadness, anger, fear, disgust, surprise) show universal recognition patterns across cultures, cultural display rules substantially modify expression frequency, intensity, and appropriateness. This distinction between universally-recognizable affect and culturally-variable expression norms remains central to intercultural communication scholarship.

**Cultural Dimensions and Communication Patterns-** Hofstede's (1980) cultural dimensions theory identifies patterns distinguishing cultures. Individualism-Collectivism (IDV) dimension ranges from individualistic cultures emphasizing personal goals, autonomy, and individual achievement (Western nations: USA IDV=91, UK=89, Australia=90) to collectivistic cultures emphasizing group goals, interdependence, and group harmony (India IDV=48, China=20, Indonesia=14). This dimension predicts nonverbal communication: individualistic cultures employ more animated, personally-expressive nonverbal behavior; collectivistic cultures employ more restrained, hierarchically-sensitive communication.

Power Distance (PDI) dimension measures cultural acceptance of authority inequality. High power distance cultures (India PDI=77, Malaysia=104) accept substantial inequality and hierarchical deference; low power distance cultures (Denmark PDI=18, Australia=36, USA=40) expect relatively equal treatment. This dimension predicts nonverbal behavior: high power distance cultures employ postural deference, respectful gaze avoidance, and hierarchical positioning; low power distance cultures employ more egalitarian positioning and direct engagement.

Uncertainty Avoidance (UAI) reflects tolerance for ambiguity and unknown situations. High uncertainty avoidance cultures (India UAI=40, Greece=100, Belgium=75) prefer clear rules, explicit communication, and formal structure. Low uncertainty avoidance cultures (Singapore UAI=8, Denmark=23, USA=46) accept ambiguity and informal communication. This dimension predicts nonverbal explicitness: high uncertainty avoidance cultures employ more formal, rule-governed nonverbal communication; low uncertainty avoidance cultures employ more flexible, contextual nonverbal patterns.

**Specific Nonverbal Differences: Eye Contact and Gaze-** Eye contact represents primary differentiator between Western and many Eastern cultures. Western communication norms (particularly North American) emphasize direct eye contact as signaling confidence, honesty, engagement, and respect. Eye contact avoidance signals deception, lack of confidence, or disinterest. Educational and professional training in Western contexts frequently emphasizes maintaining eye contact.

Conversely, many Asian cultures, including Indian traditions, emphasize respectful gaze avoidance particularly toward authority figures or social superiors. Prolonged eye contact toward elders, teachers, or superiors is considered disrespectful, suggesting challenge to authority or inappropriate familiarity. This pattern reflects high power distance values where hierarchical respect supersedes egalitarian engagement. Indian professional communication frequently features respectful gaze lowering during listening, especially when recipient holds higher status or authority.

Research by Argyle and Dean (1965) established "intimacy equilibrium" model: individuals adjust eye contact based on relationship intimacy and interaction context. However, this model requires cultural calibration: what constitutes "appropriate" intimacy varies culturally. Western professionals might interpret Indian colleague's gaze avoidance as disengagement or dishonesty; Indian professionals might perceive Western counterpart's sustained eye contact as aggressive or inappropriately intimate.

**Personal Space and Proxemics-** Hall's (1966) proxemics research identifies four distance zones: intimate distance (0-18 inches), personal distance (18 inches-4 feet), social distance (4-12 feet), and public distance (12+ feet). However, these distances reflect primarily North American norms and prove culturally variable.

Collectivistic, high-contact cultures (including India, Mediterranean, Latin American cultures) employ closer physical proximity individuals comfortable with reduced interpersonal distance, frequent touch, and close positioning. Western individualistic cultures employ greater interpersonal distance, preferring personal space and less frequent touch. Indian communication contexts often feature closer proximity, with colleagues standing nearer and physical contact (arm touching, back patting) more frequent and acceptable than Western norms. This reflects collectivistic values emphasizing connection and interdependence.

Western professionals might interpret close proximity as threatening, invasive, or inappropriately intimate. Indian professionals might perceive Western distance-maintenance as cold, rejecting, or lacking warmth. These proxemic differences, rooted in cultural values, frequently produce discomfort or misattribution without intercultural understanding.

**Gesture and Hand Movement-** Gesture meanings vary dramatically across cultures, with systematic differences between Western and Indian traditions. Western cultures employ relatively animated hand gestures, expansive arm movements, and frequent illustrative gestures accompanying speech. Gesture frequency increases with emotional involvement and emphasis. Indian communication employs more controlled gestures, with hand movements often expressing respect or deference (folded hands *namaste* indicating greeting, respect, gratitude, or apology).

Specific gestures carry different meanings: thumbs-up gesture positive in Western contexts but potentially offensive in parts of India; head wobble (side-to-side head movement) common in Indian communication but ambiguous to Western observers (meaning agreement, understanding, or acknowledgment). Indian culture features elaborate hand gestures in classical dance and traditional communication, yet professional communication often displays more controlled gesture use, particularly in hierarchical contexts.

Western expansive gesture use reflects individualistic, low power distance values emphasizing personal expression and egalitarian engagement. Indian controlled gesture use reflects collectivistic, high power distance values emphasizing hierarchical respect and group harmony.

Facial Expression and Emotional Display

While basic emotions show universal facial expression recognition, cultural display rules substantially modify emotional expression appropriateness. Ekman and Friesen's (1969) display rules framework identifies cultural prescriptions regarding when, where, and how intensely emotions should be expressed.

Western cultures (particularly Northern European, North American) employ relatively animated,

expressive facial displays. Emotional expression, particularly positive emotion (smiling, laughing), is encouraged and frequent in professional and social contexts. Emotional restraint may be interpreted as coldness or lack of engagement.

Indian culture, influenced by philosophical traditions emphasizing harmony and emotional control, frequently displays more restrained emotional expression, particularly in formal professional contexts. Emotional restraint reflects respect for hierarchical relationships and group harmony values. Excessive emotional display may be perceived as unprofessional or lacking emotional control. Additionally, Indian cultural contexts emphasize stoicism and emotional tolerance, particularly among males, reflecting traditional gender role expectations.

This difference frequently produces misattribution: Western professionals might perceive Indian colleagues' emotional restraint as coldness or lack of enthusiasm; Indian professionals might perceive Western counterparts' emotional expressiveness as unprofessional or emotionally unstable. Understanding these cultural display rules prevents misattribution.

## COMPARATIVE ANALYSIS: INDIA VS. WESTERN CULTURES

Analysis: Indian culture emphasizes emotional restraint reflecting stoicism values and hierarchical formality. Western culture emphasizes emotional expressiveness reflecting individualistic authenticity values. Western culture employs monochronic time conception (time as linear, measurable, sequential; punctuality highly valued). Meetings start on time; schedules are rigid; multitasking is efficient. This reflects individualistic, task-focused values.

Indian culture often employs polychronic time conception (time as flexible, relational, context-dependent; relationships supersede schedules). Flexibility regarding meeting start times; schedule adjustments for relationship maintenance; sequential focus on relationships. This reflects collectivistic, relationship-focused values.

These temporal differences frequently produce professional friction: Western professionals may perceive Indian colleagues as unreliable or uncommitted; Indian professionals may perceive Western counterparts as rigid or relationship-indifferent.

## UNDERLYING CULTURAL VALUES AND EXPLANATORY MECHANISMS

Hofstede's cultural dimensions fundamentally predict nonverbal communication patterns. Individualism-Collectivism dimension explains divergent behaviors: individualistic Western cultures emphasizing personal autonomy and self-expression predict expansive gestures, sustained eye contact signaling personal confidence, greater personal space reflecting individual autonomy, and animated emotional expression demonstrating authentic self-presentation. Conversely, collectivistic Indian culture emphasizing group harmony and interdependence predicts controlled gestures prioritizing group harmony, respectful gaze avoidance reflecting hierarchical deference, closer proximity facilitating group connection, and restrained emotional expression maintaining professional boundaries.

Power distance dimension reveals hierarchical differences: high power distance Indian culture (PDI=77) accepts substantial authority inequality, prescribing hierarchical deference through postural yielding, gaze avoidance, deferential gestures (folded hands), and formal distance. Low power distance Western culture (USA PDI=40) expects egalitarian treatment through upright posture, direct eye

contact, informal proximity, and equal spatial positioning.

Uncertainty avoidance dimension distinguishes communication formality: high uncertainty avoidance cultures prefer explicit, rule-governed communication minimizing ambiguity, predicting formal nonverbal codes and consistent expectations. Low uncertainty avoidance cultures accept ambiguity and contextual variation, enabling flexible nonverbal patterns and situational adjustment.

## COMMUNICATION BREAKDOWNS AND MISATTRIBUTION IN CROSS-CULTURAL CONTEXTS

Cross-cultural nonverbal misunderstandings frequently occur through systematic misattribution. In eye contact scenarios, Western managers interpreting Indian gaze avoidance as lacking confidence or dishonesty, while Indian candidates perceive sustained eye contact as aggressive, create mutual negative impressions despite genuine respect and qualifications. Proxemics miscommunication emerges when Indian colleagues' culturally-comfortable close proximity (12-18 inches) triggers Western discomfort interpreted as invasion, causing Indians to feel rejected. Emotional expression differences produce performance evaluation damage when Western managers perceive Indian team members' professional restraint as apathy rather than cultural composure norms. These breakdowns—rooted in nonverbal code differences demonstrate why cultural understanding proves critical. Recognizing gaze avoidance as respectful deference, accepting culture-specific proximity zones without personalization, and interpreting emotional restraint as professional formality prevents misattribution and enables authentic cross-cultural connection despite behavioral differences.

## PRACTICAL IMPLICATIONS, THEORETICAL CONTRIBUTIONS, AND FUTURE RESEARCH

Practical Implications: Western professionals should recognize Indian gaze avoidance as respectful deference, accept closer proximity without misinterpretation, interpret emotional restraint as professional composure, respect hierarchical positioning, allow schedule flexibility, use explicit communication, and acknowledge hierarchy verbally. Indian professionals should increase eye contact, maintain greater personal space, employ animated gestures, express emotions openly, maintain punctuality, use direct communication, interpret expressiveness as authenticity, and demonstrate confidence through sustained engagement. Organizations should implement nonverbal communication training, provide cultural education, conduct simulation exercises, establish mentor programs, create multicultural communication norms, and offer conflict resolution training.

Theoretical Contributions: This analysis demonstrates systematic relationships between cultural dimensions (individualism-collectivism, power distance, uncertainty avoidance) and nonverbal communication patterns, providing predictive frameworks explaining how cultural values shape communicative behavior and produce cross-cultural miscommunication.

Future Research Directions: Investigation should examine third-culture individuals' code-switching, generational differences in nonverbal patterns, intercultural training effectiveness, diaspora communication patterns, gender differences in cross-cultural nonverbal communication, virtual communication impacts, longitudinal competence development, and industry-specific applications. These directions advance theoretical understanding and practical guidance for professionals navigating multicultural environments.

## CONCLUSION

Nonverbal communication, comprising majority of interpersonal communication, remains profoundly culture-specific. Comparing Indian and Western cultures reveals systematic differences in eye contact, proxemics, gesture, emotional expression, and temporal orientation—differences reflecting underlying cultural values, particularly individualism-collectivism, power distance, and uncertainty avoidance dimensions.

These nonverbal differences, while culture-specific and meaningful within cultural contexts, frequently produce miscommunication and misattribution in cross-cultural interactions when individuals lack cultural competence. A Western professional's direct eye contact intended to signal confidence may be perceived as aggressive. An Indian professional's respectful gaze avoidance intended to show respect may be misinterpreted as dishonesty. These misunderstandings, rooted in nonverbal code differences, damage relationships and organizational effectiveness in increasingly multicultural environments.

Understanding cultural foundations of nonverbal communication proves essential for: (1) developing intercultural communication competence; (2) reducing miscommunication and misattribution; (3) building effective cross-cultural relationships; (4) managing organizational diversity effectively; (5) succeeding in global professional environments.

As globalization intensifies cross-cultural interaction, recognizing that communication behaviors are culturally constructed rather than universal becomes increasingly critical. Professionals who develop cultural awareness—understanding how their own culture shapes nonverbal communication and recognizing diverse cultural patterns as alternative rather than deficient—build bridges across cultural divides and enable genuine connection transcending cultural difference.

The research establishes that effective cross-cultural communication requires not abandoning one's cultural patterns but rather developing flexibility understanding one's own cultural norms, recognizing diverse patterns, and adapting behavior appropriately to cultural context while maintaining authentic engagement.

## REFERENCES


Argyle, M., & Dean, J. (1965). Eye contact, distance and affiliation. *Sociometry*, 28(3), 289-304.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding. *Semiotica*, 1(1), 49-98.

Hall, E. T. (1966). *The hidden dimension*. Doubleday.

Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences: International differences in work-related values*. SAGE Publications.

Knapp, M. L., & Hall, J. A. (2010). *Nonverbal communication in human interaction* (7th ed.). Wadsworth.

Ting-Toomey, S., & Chung, L. C. (2012). *Understanding intercultural communication* (2nd ed.). Routledge.

Triandis, H. C. (2001). Individualism and collectivism. *Current Directions in Psychological Science*, 10(3), 139-142.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# डॉ. विवेकी राय के उपन्यासों का अध्ययन : ग्रामीण परिवेश एवं सामाजिक-राजनीतिक जनजीवन के संदर्भ में

**विजय बहादुर पाल**
शोधार्थी, हिन्दी विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ० प्र०
संपर्क - palvijay7695@gmail.com, मो० ८७५६२३७६४६
**डॉ. हिमांशु शेखर सिंह**
शोध-निर्देशक, सह- आचार्य एवं अध्यक्ष -हिन्दी विभाग,
नेहरू ग्राम भारती भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ० प्र०

**शोध सार**

विवेकी राय जी ने ग्रामीण जीवन के प्रति जो मनोभाव व्यक्त किया है उसे पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि उनका जीवन ग्रामीण परिवेश में अधिक रमा है। इस कारण से कहा जाता सकता है कि गाँव के विषय में गांधी जी ने कहा था- देहात की ओर चलों सही हिन्दुस्तान देहातों ( गाँवों ) में बसा है। यह बात सौ फीसदी सत्य है किन्तु बड़े पदों पर आसीन जिम्मेदार लोग वह चाहे राजनेता हो या अधिकारी- गण जिन्होंने गाँवों की ओर उपेक्षा के भाव से देखा एवं राजनैतिक रोटियाँ सेकने का प्रयास किया न कि गाँव के उत्थान को ओर तनिक भी ध्यान दिया। जिस कारण से ग्रामीण समाज में लगातार जीवन मूल्यों में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है। आजकल शहरों और महानगरों की अपेक्षा की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र राजनीति के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। इस कारण ग्रामीण राजनीति अधिक विषाक्त हो चुकी है। जिससे लोग में आपसी सौहार्द में निरंतर ह्रास हो रहा है। जिस कारण से ग्रामीण आज बिछड़ते और पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसी कारण से वें शहरी जीवन के बनावटी एवं आडंबरपूर्ण रहन-सहन को नहीं भोगना चाहते थे। क्योंकि शहर में एक-दूसरे से नजदीक होने पर भी वह आत्मीय लगाव नहीं हो पाता जो लगाव गाँव में स्वतः हो जाता है। गाँवों में आते- जाते लोग एक-दूसरे को स्वतः ही राम- राम कर लेते हैं। एक तरफ कृषकों की अदम्य जिजीविषा को भी उकेरा रहा है। इसी प्रकार आस पड़ोस के सभी कृषक एक दूसरे के लिए सुख दुख के साथी होते हैं यही भाव है जो विवेकी राय जी को ग्रामीण जनजीवन से जोड़े रखती है वे गांव के विकास के लिए एक सूत्र बताते हैं कि ना होने वाली चीजें शिक्षा होने होने लगे और होने वाली अर्थात गंदी राजनीति न हो तो गांव का विकास का रथ है स्वतः ही चल पड़ेगा। आज की आधुनिकता वादी सोच जो शहरों में हावी है इस पर डॉक्टर राय का मानना है कि गांव छोड़ कर गए लोग गांव लौटकर इस की कायापलट कर सकते हैं परन्तु आज के गांवों की पकड़ो बहुत जटिल हो गयी इस कारण गांव ना गांव रह गए और ना शहर बन पाए। परन्तु आज भी डॉक्टर विवेकी राय की रचनाओं में गांव से जीवंत संपर्क बना हुआ है वे अपनी रचनाओं के माध्यम से गांव के उन अनछुए पहलुओं को पाठक वर्ग के बीच में पूरी तटस्थ था उनके साथ प्रस्तुत करते हैं जिनमे गांवों में होने वाले हैं विभिन्न क्रियाकलापों को पूरी यथार्थ के साथ प्रदर्शित करते हैं जिनमे गांव में होने वाले सामाजिक संबंधों आर्थिक तथा राजनैतिक, धार्मिक आडम्बरों तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार

करते हैं।

**बीज शब्द** - विवेकी राय कथा साहित्य, ग्रामीण परिदृश्य, सामाजिक एवं राजनीति जीवन, आर्थिक , धार्मिक, सांस्कृतिक समाज में व्याप्त हैं भ्रष्टाचार।

**मूल आलेख**

ग्रामीण जीवन एवं लोक संस्कृति के प्रति गहरी रागात्मकता उनके लेखन की अपनी खास पहचान है जीवन के प्रति आत्मीय जुड़ाव होने के कारण वे स्वयं को किसान साहित्यकार मानते हैं। गांव की माटी में रहकर उनके जीवन का तीन चौथाई भाग बीता। उनकी साहित्य में पूर्वांचल के गांवों का बड़ा सजीव चित्रण है। गाजीपुर और उसके आसपास के गांवों की माटी की सौंधी खुशबू उनकी साहित्य में बिखरी पड़ी है जो अंकुर गांव की मिट्टी से निकला और उसी की सुगंध और हवा से पल्लवित पुष्पित हो कर इतनी विशाल साहित्यिक वट वृक्ष की भाँति शीर्ष पर पहुंचा। गांव की डोर पल भर के लिए भी उनसे संपृक्त नहीं हो पाती। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने कहा है– “मेरी लेखन की पृष्ठभूमि ग्राम्य जीवन है वास्तव में वही मेरा जीवन भी है। लगभग आँधी उम्र धुर देहात के एक गांव में गुजारने के बाद एक अत्यंत पिछड़े और छोटे शहर में आया भी तो मैं शहरी नहीं बन पाया। खेती बारी से लेकर परिवार के कुछ ऐसी स्थिति है की सप्ताह में एक- दो दिन गांव ज़रुर ले लेता हूँ। इस प्रकार एक पैर गाजीपुर में रहता है तो एक पैर सोनवानी में रहता है।”[1]

यही कारण है कि उनके सम्पूर्ण लेखन में ग्रामीण जीवन के प्रति गहरी लोक संस्कृति है। उन पर ग्राम सम्मोहन इस कदर छाया हुआ था कि वे एक पल के लिए भी गांव से दूर नहीं होते हैं उनके केंद्र में सदैव गांव ही रहते है बबूल से लेकर देहरी के पार तक वे कहीं भी अपने गांव एवं गवाही मोह को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ पाते जीवन के प्रति उन के जैसे आत्मीयता और उनमें गठित होने वाले बदलावों का वैसा सूक्ष्म चित्रण केवल फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में ही देखा जा सकता है।

विवेकी राय पूर्वांचल की जातीय कथाकार कहे जाते हैं। शिव प्रसाद सिंह के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक तालिबानी को इतनी व्यापक ढंग से अपनी कथा साहित्य में प्रस्तुत किया जिनमें ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है - स्वतंत्रता पश्चात गांव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जनसमुदाय लोक जीवन की सांस्कृतिक बनावट, ग्रामीण मानसिकता में व्याप्त रूग्णता, शोषक एवं शोषितों का संघर्ष, प्रजातांत्रिक मूल्यों में गिरावट, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास है, सरकारी योजनाओं में पर्याप्त भ्रष्टाचार किसान समस्या का चित्रण वे अपने ‘लोकऋण’ उपन्यास में जिसे ढंग से करते हैं उससे लगता है कि जो गांव स्वतंत्रता के पूर्व एक दूसरे के सुख-दुख, आपसी मेल-मिलाप तथा भाई-चारे का जो प्रगाढ़ संबंध दिखाई पड़ता है। वह स्वतंत्रता के बाद गांव में होने वाले पंचायत चुनावों के कारण आपसी वैमनस्य में बदलता जा रहा है इसका चित्रण वे अपने उपन्यास लोकऋण में त्रिभुवन नाथ के माध्यम से करते है त्रिभुवन नाथ गांव का सभापति बन जाता है अपने पिता द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों में किए गए दान को पुनः अपनी संपत्ति बताकर हड़प लेता है। जिसका विरोध उसका बड़ा भाई धरमू स्वयं करता है जो कि गाँधीवादी सुराजी है परन्तु बड़े भाई को भारी पंचायत में जलील कर हटा देता है, जहाँ गांव में एक तरफ भाई - भाई के प्रति प्रेम, समर्पण एवं त्याग की भावना दिखाई पड़ती थी उसमें भी आज लोभ लिप्सा की बू आती है जहाँ एक ओर गांव के उत्थान के लिए सरकारे प्रयास करती है परन्तु वो ही गांव में व्याप्त गंदी राजनीति के द्वारा ऐसे ताने बाने बुने जाते हैं जिनमे गांव के उत्थान के लिए आने वाले धन का गलत तरीके से उपयोग कर वह केवल अपनी निजी संपत्ति बनाने का प्रयास करता है। गांव में बने पुस्तकालय को जब ग्राम प्रधान स्वयं कब्जा कर लेता है तो हरिहर पुस्तकालय को पुनः संचालित करने के लिए एक पंचायत बुलाता जिसमे वह प्रस्ताव रखता है कि पुस्तकालय गांव में पढ़ने के लिए कितना जरूरी है परन्तु इस मुद्दे पर चर्चा न होकर अन्य तरफ मुड़ जाती है। वही त्रिभुवन का भाई गिरीश चंद, जो इलाहाबाद में एक शिक्षक हैं गांव आते हैं तथा वे चाहते हैं कि गांव में मनसा नदी पर एक पुल बने परन्तु त्रिभुवन कहता है कि पानी में हेल- हेल कर आने से गांव का मिज़ाज ठंडा रहेगा। सौदागर तिवारी इस घात

में है की इस बात का नारा देकर मैं अगले चुनाव में त्रिभुवन को चित कर दूंगा वे कहते हैं— "...तो, ऐसे गांव को पुस्तकालय चाहिए? नहीं, अब उसे सिर्फ सरकारी ऋण, खाद, यूरिया, डाई, चीनी ,डीजल,सस्ता गल्ला, बढ़िया चक , बोरिंग पंपिंग सेट और वीडियो की दोस्ती चाहिए। कितना दूर छूट गया पुस्तकालय? बीस- पच्चीस वर्ष दूर की उसकी झलक सपने की तरह लग रही है। क्या हो गया गांव को? यह कैसा ग्राम विकास है।"[२]

'लोकऋण' उपन्यास में वे त्रिभुवन के माध्यम से कहते हैं, भ्रष्टाचार की जड़ें आज इतनी तेजी से पैठ बना चुकी है कि आज क्या शहर क्या गांव हर जगह व्यक्ति एक दूसरे के हक को मारने को आतुर है जहाँ एक ओर त्रिभुवन बरगंगी महादेव के चबूतरे एवं सार्वजनिक पोखरे का दस बीघा रकबा को कब्जा कर लेता है। इसमें उसे चकबंदी अधिकारियों को रिश्वत के दम पर अपने पक्ष में कर लिया और वह अपने दोनों भाईयों तक को इससे वंचित कर स्वयं सम्पूर्ण अधिकार रखता है परंतु आज भी गांव में सामाजिक सौहार्द्र पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। "यह कहना बेकार है कि गाँव मर गया है। गाँव आज भी पूर्ण रूप में जीवित है। हाँ, वह विक्षिप्त और बेचैन है। अविश्वास, वैमनस्य और द्रोह की दुष्प्रवृत्तियाँ भड़क उठी है और अशांति ही अशांति दिखाई पड़ रही है। लेकिन यह सब होते हुए भी सुलह संभव है! शांति संभव है। ग्राम विकास संभव है।"[३]

ग्राम विकास के इस अंधानुकरण पर विवेकी राय जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं- गांधीजी भी गांव के विकास सत्य के मार्ग पर चलकर करने के लिए कहते हैं गाँव की आत्मा में सत्य का निवास होता है। अपना विकास तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा सरकार थोड़े ही विकास करने आयेगी। "आज जानते हैं कि गौरमिंट वह है जो मिंट— मिंट पर गौर करती है। तो हम लोगों की गौरमिंट इसी जगह बैठी है।"[४] गिरीश रास्ते में गाँव के उत्थान के विषय में विचार करते हुए स्वयं से कहता है कि सारा क़सूर हम शिक्षित लोगों का ही तो है अब गाँव ऐसे ना हो तो कैसे बन जाए? उन्हें बनाने सुधारने का दायित्व जिन लोगों पर था जब वही अपने दायित्वों का सही से निर्वाह नहीं कर रहे। जब तक आवश्यकता थी गांव से जुड़े रहे, शहरों में जा बसे परन्तु जब गांव को सुधारने का समय आया तो उससे अपना नाता ही तोड़ दिया जैसी उनका कोई संबंध ही न हो तो त्रिभुवन जैसे लोगों कूटनीति एवं प्रपंचों के द्वारा सभापति बन कर गांव के लोगों के संसाधनों का स्वयं अधिकारियों के माध्यम से भोग करते हैं, और पढ़े लिखे नागरिक होकर नगरों की सेवा में रत हो और नगर के ऊंचे मंचों से कहते हैं गांव मर रहा है। "पहले गांव वाले गांव सुधार करते थे अब सरकार अपने हाथों में ले लिया है। ए०डी०ओ०, बी०डी०ओ० और ग्राम सेवक आये। तो इन लोगो को नौकरी करना है या ग्राम सुधार?.... गांव की अशिक्षा, मूर्खता, स्वार्थपरता, दुरावस्था और संकुचित वृत्तिशीलता बढ़ती गयी। नए आर्थिक सुधार का युग उन पर अभिशाप बनकर घहराया। उसने उनके समूची सांस्कृतिक ग्राम में मन को तोड़ कर बिखरा दिया।"[५]

चुनावों के दौरान निकलने वाले पैम्फलेट में एक पैम्फलेट 'बनगंगी मुक्ति मोर्चा ' नाम से किसी ने लेखक में हरनारायण राय लिखकर निकलवा दिया। अब यह पर्चा पूरे गाँव के चुनाव का विषय बना हुआ है दोनों पक्षों में लगातार बहस का मुद्दा गरमा गया है इस पर्चे से त्रिभुवन को न दुख है, न क्षोभ है और वह कहता है कबीर दास ने कैसा लिखा है कि निंदकों को नियरे रखना चाहिए। वही दूसरी तरफ सौदागर तिवारी लगातार त्रिभुवन के विरोध में उस पर्चे को गाँव में सब लोगों घर-घर तक पढ़ते हैं कि पूर्व सभापति ने किस प्रकार गाँव में भ्रष्टाचार किया है अब तो एक तरफ लाल सलाम बोलकर खलिहानों से सब कुछ उठा ला रहें हैं तो वही दूसरी तरफ आज भी गांधीजी जी आदर्श आज भी लोगों में व्याप्त है -

**"कैसा बेड़ा पार लगेगा रामपुर का भाई,**
**जहाँ सभापति की कुसी पर त्रिभुवन नाथ कसाई।**
**बाप सुधर्मी पोखरा खुदवाया जो प्रेम समेत,**
**पुत्र कुकर्मी सभा बीच कहता यह मेरा खेत।"[६]**

सामाजिक असमानता एवं गरीबी आज भी जिस कदर हावी है उसमें कहीं न अशिक्षा एवं अंधविश्वास व्यापक तौर पर परिलक्षित होता है। जहाँ विवेक की राय 'बबूल' उपन्यास में महेशवा के माध्यम से कहते हैं कि गरीबी साक्षात् नरक है और

गरीबी में ही सच्चा सुख है। परन्तु यहाँ संदेश अप्रत्यक्ष रूप से यही है कि गांवों में न रखा है तथा वहाँ रहने वाला साक्षात नरक में है इसका वर्णन उन्होंने अपने 'बबूल' अपनी आज मैं बहुत ही संजीदगी एवं संवेदना को साथ किया। यह संदेश हमें गोदान, मैला आंचल, अलग अलग वैतरणी, में दिखाई पड़ता है। जहाँ गोदान में दो वर्ग हैं- ज़मींदार वर्ग व कृषक वर्ग, मैला आंचल में भी विभिन्न टोलियों के माध्यम से वर्ग संघर्ष एवं आर्थिक विषमता का ढांचा खड़ा किया गया है ठीक उसी तरह बबूल में धुरबिन, महेशवा के माध्यम से ये कृषक एवं मजदूर वर्ग की दयनीयता का बहुत मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है जिसमें घुरबिन कहता है— "आदमी नहीं, मालिक हम, तो आपके पैरों की जूती है। जाति की अछूत एवं कर्म के हीन है। आपकी चरणों की धूर बुहारते पीढ़ियां गल गई।"[७]

'बबूल' उपन्यास में वे जिक्र करते हैं कि सामाजिक असमानता एवं गरीबी के बीच ही पनपता है अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड, आडंबर। जिसमें फंसकर गरीब और अधिक गरीब बनता जाता है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी मनुष्य को तोड़ देती है जो बाढ़, सूखा जैसे घटनाओं से कृषकों को साहूकारों के कर्ज जाल में फंसने का पूरा मौका देती है जिसकारण से कृषक अपनी भूमि से भी हाथ धो लेते हैं एवं उनके मजदूर बनकर रह जाते हैं किसी का शिकार धुरबिन और महेशवा होते हैं। सरकार कहती है की गांव में गरीबी का मूल कारण है— "बाढ़ विप्लव, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएँ परन्तु इससे भी बड़ा कारण है सामाजिक विषमता।"[८] इन सब में जब गंगा में बाढ़ आती है तो पूरी फसल डूब जाती है तो धुरबिन बहुत ही करुण गुहार लगाता है। संझा माई की, कालीमाई की, गंगा माई की। ऐसी दारूण करुण गुहार जिस किसी के कानों को सुनाई पड़ते हैं वे भी झनकने लगते हैं। "हे संझा माई! गरीब कऽ अरज तू सुनिहऽ! अरे का हो गंगा माई? अब तऽ खेत छू दिल? अब चलऽ। दोहाई भगवान के! ईहे दू मुट्ठी अन्न जीये के अलम बा त्राहि- त्राहि३.।"[९] शायद गंगा माई ने तो गुहार सुन ली पर जब वह सुबह जाकर देखता है तो उसके पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है कोई उसके फसलों को पूरा रौंद डाला है या चोरी कर ली वह अपनी हालत से संघर्ष करते हुए कहता है- "का कही बाबू?.... बाढ़ खातिर त गंगा माई के गोहरवली अब एह लोगन खातिर के के गहराई?"[१०]

बाढ़ के उपरांत सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले राहत सामग्री के वितरण में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो सरकारी भोजन व कपड़ों वितरित किए जाते हैं उन में इतना भ्रष्टाचार है कि सुबह से लाइन में लगा हुआ है व्यक्ति का जब शाम तक उसका नंबर आता है तो पता चलता है कि न भोजन बचा न कपड़े। ऐसी भोजन एवं कपड़े को प्राप्त करने हेतु महेशवा 5 रुपये लेकर पहुँचता है। उसे अपने लिए कपड़े एवं अपनी माँ के लिए साड़ी लेना था। कार्ड भी बन गया जब उस का नंबर आता है तो बाबू कार्ड को लाल रोशनाई से काट दिया तो महेशवा चिल्ला उठा। हम जलीय आदमी नहीं है। हमको कपड़ा मिलें। यह हालत सिर्फ इसलिए है कि बाबू बिना कमीशन कपड़े देने को तैयार नहीं यह सिलसिला नीचे से ऊपर तक एक श्रृंखला बनाकर अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर लिया है। जिस कारण से— "बाबू लोग आज भी चैन की बंसी बजाते है। यह तो हम है कि यहाँ कुत्ते की मौत मरने जा रहे हैं इससे बढ़िया सरकार के जेल है।"[११] वहाँ कपड़ा न मिलने की झूठी ख़बर से महेशवा की माँ की मौत हो जाती है, वह कपड़ा उसके लिए कफ़न बन जाता है। अर्थात् असमानता इस कदर व्याप्त है कि जहाँ एक वर्ग के शानों- शौकत में कोई कमी नहीं वही मजदूर वर्ग को खाने को छोडिये, पहनने को तन पर एक वस्त्र नहीं जिससे वह अपनी मर्यादा की रक्षा कर सके।

इन सब के बीच महेशवा अदम्य जिजीविषा शक्ति एवं पौरुष के बदौलत सदा प्रसन्न रहता है। कौन कहता है कि वह गरीब है? ऐसा कहने वाला परम गरीब है जरा उसके मन के महल मे झांककर देखिये आनंद के नैसर्गिक ऐश्वर्य को देखें। परंतु इन सब के बीच आर्थिक विपन्नता के कारण उसकी पत्नी मियादी बुखार से चल बसी। जिसका ईलाज न करा सका। सामाजिक बंधनों के कारण भोज— भात के लिए 25 रुपये उधार ले लेता है। उसको लगता था कि उसकी पत्नी की मृत्यु ऊपर के चक्कर से हुई है। तंत्र- मंत्र, भूत-प्रेत जैसे अंधविश्वास के कारण ओझा- सोखा द्वारा उसका आर्थिक दोहन होता है। जिसमें उससे गांजा, शराब, कपूर एवं अन्य सामानों की मांग की जाती है। पत्नी सुनती के क्रिया-कर्म के कुछ समय बाद महेशवा का दूसरा विवाह रुपवती पलकी के साथ होता है। इस विवाह में दहेज प्रथा का सूक्ष्म वर्णन एवं आर्थिक दोहन

का चित्रण है।

'आम' प्रकरण में रचनाकार पर्दा प्रथा पर करारा प्रहार करता है। जिसमें उच्च वर्ग में व्याप्त पर्दा इस कदर है कि पति अपनी पत्नी को नहीं देख पाता इसका सुंदर छटा दिखलाई पड़ती है। घूरा कहता है- "वास्तव में उन्होंने अपनी स्त्री को देखा या पहचाना न था। कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया। बड़े लोगों में परदा है, परदे के एक ओर पुरुष और दूसरी ओर स्त्री। एक घर में दूसरा घर के बाहर। पुरुष के घर में घुसने की आहट पाते ही स्त्री लगाकर किसी कोने में छिप गई।"[१२] साथ ही साथ भुखमरी, गरीबी की भयावहता तथा जहालत का मर्मस्पर्शी चित्रण साथ ही साथ महेशवा की नग्नता का यथार्थ परक अंकन करते हुए कहते हे– " महेशवा नग्न है तो कौन कहता है देश का तन ढंका है? महेशवा भूखा है तो समुचा भारत खाली पेट है। भरे पेट वाले चोर है, पापी हैं।"[१३] विपन्नता इतनी की न पेट भर भोजन न तन ढकने का वस्त्र इसके बावजूद इसके त्योहारों में उत्साह एवं प्रसन्नता को देख कर लगेगा ही नहीं कि स्थिति क्या है-

**"घर में भूंजी भांग नहीं, बिजली का अंजोर।**
**पेट भीतर चूहा कुदे, ऑखिया में लोर।।"[१४]**

कटिया एवं होली जैसे त्योहारों के वर्णन के द्वारा जहाँ प्राकृतिक वातावरण की भीनी रंगीनी उमड़ी है, वही पलकी की लावण्यता एवं सौंदर्य की घटना द्वारा गरीबों की आर्थिक मजबूरी का नाजायज फायदा उठा कर उनकी बहू- बेटियों के साथ चारित्रिक भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास। सरकारी बाबू एवं उच्च वर्ग के लोगों द्वारा भी ग्रामीणों का ही शोषण धन, आबरू, पौरुष के रूप में करता है। पुलिस एवं अधिकारी वर्ग भी इन्ही को हेय व घृणा की नज़र से देखता है। डॉ० विवेकी राय अपने लेखनी से कथा साहित्य में जिस यथार्थपरता एवं साफगोई में ग्रामीण जनजीवन में व्याप्त कुरीतियों एवं विसंगतियों पर प्रहार किया है जिसे पढ़कर पाठक वर्ग को भी सोचने पर विवश होना पड़ता है।

## संदर्भ सूची


१. सं. राम प्रवेश शास्त्री, डॉ० चंद्रशेखर तिवारी- 'हिन्दी साहित्य की किसान कलम', विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी, प्रथम संस्करण– २०१३ ई०, पृ. १२
२. डॉ० विवेकी राय– 'लोकऋण', विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी, संस्करण- २०१८ ई०, पृ. ४
३. वही– पृ. १७
४. वही– पृ. १८
५. वही– पृ. २६
६. वही– पृ. १०२
७. डॉ० विवेकी राय– 'बबूल', अनुराग प्रकाशन, चौक, वाराणसी, संस्करण– २००१ ई०, पृ. ८
८. वही– पृ. ४
९. वही– पृ. ११
१०. वही– पृ. १३
११. वही– पृ. ४१
१२. वही– पृ. ७६
१३. वही– पृ. ७८
१४. वही– पृ. ८०

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण के सम्बन्ध अध्ययन

**डॉ. ऋतु बाला**
आचार्य
टांटिया विश्वविद्यालय
श्री गंगानगर

**अम्बिका पारीक**
पी.एच.डी. शोद्यार्थी
टांटिया विश्वविद्यालय
श्री गंगानगर

## सारांश

प्रस्तुत शोध में "उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण के सम्बन्ध अध्ययन" किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। प्रस्तुत शोध में बीकानेर जिले के राजकीय व गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 600 विद्यार्थियों को वर्गीकृत क्रम में यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है। "उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता अभिवृति मापने के लिए डॉ. नागाप्पा पी. एवं डॉ. सी. आर. राव, तथा विद्यालयी वातावरण मापने के लिए स्वयं द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

**मुख्य शब्द-** उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी, वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि, शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण।

## प्रस्तावना

वर्तमान शताब्दी का समाज पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पर्यावरण में जी रहा है। वर्तमान समय मे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का विज्ञान अनिवार्य अंग बन गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विश्व के सभी क्षेत्रों और विचार की हर गति मे विज्ञान है। मानव-जीवन के प्रत्येक पहलू को विज्ञान ने बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। जैसे - उद्योग, संचार, कृषि, ट्रांसपोर्ट, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्तमान मे समाज की कल्पना विज्ञान के बिना नहीं की जा सकती है। विज्ञान ने केवल आधुनिक वैश्विक पर्यावरण को ही परिवर्तित नहीं किया है, बल्कि इसके प्रभाव ने पूरे विश्व में एक नव वैज्ञानिक अभियोग्यता को स्थापित किया है। जिससे विश्व के लगभग सभी देश अपने जनसमुदाय के व्यवहार में इस वैज्ञानिक अभियोग्यता बढ़ाने के लिये प्रयासरत् है क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में किसी देश के विकास की गति को उस देश की वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर जाना जाता है।

आधुनिक विश्व का जन समुदाय नित्य प्रतिदिन अपने पर्यावरण में अनेक वैज्ञानिक घटनाओं को देखता है। इन घटनाओं के शृंखलाबद्ध, सुव्यवस्थित व गहन चिंतन एवं सूक्ष्म सामान्यीकरण के फलरूवरूप उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने की इस औपचारिक प्रक्रिया के क्रम में, व्यक्ति के व्यवहार में वैज्ञानिक अभियोग्यता विकसित हो जाती है।

वैज्ञानिक अभियोग्यता विज्ञान में भविष्य की उपलब्धियों की क्षमता है। एक व्यक्ति विज्ञान के प्रति उचित अभियोग्यता के साथ में उत्तम वैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त करता है, जो कि व्यवसाय चयन में बहुत उपयोगी है। किसी विषय के प्रति बिना उचित अभियोग्यता के कोई भी निपुण नहीं हो सकता और विषय में कोई सफल प्रदर्शन नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक व्यक्ति बिना उत्तम वैज्ञानिक अभियोग्यता के विज्ञान मे अधिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके लिये अध्यापक मनोवृत्ति एवं विद्यालयी पर्यावरण निश्चित रूप से विद्याथियों की वैज्ञानिक अभियोग्ता पर अपना प्रभाव डालते है। क्योकि मनोवृत्ति का आशय किसी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने की मानसिक तत्परता या मनः स्थति से है। अतः इस संदर्भ मे डॉश के विचार है कि ''मनोवृत्तियो से तात्पर्य उन अर्जित व्यवहार या प्रतिक्रियाओ से है जो व्यक्ति को निश्चित व्यक्तियो, वस्तुओ या विचारो के प्रति एक विशिष्ट ढंग से क्रिया हेतु तैयार करती है।''

इस प्रकार विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में अध्यापक मनोवृत्ति निश्चित तौर पर प्रभावी है। जिसके लिये उचित विद्यालयी पर्यावरण की आवश्यकता है। क्योंकि पर्यावरण से आशय उन सभी बाहय शाक्तियों प्रभावों तथा अवस्थाओ के समूह से है जो जीवित प्राणीयो के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। अनुकूल पर्यावरण ना मिलने की वजह से न जाने कितने लोग जिनमें बहुत सारी जन्मजात क्षमताओ के होते हुये भी कुछ नहीं कर पाते। यदि उनके पास उचित विचार, मार्गदर्शन और पर्याप्त साधन होते तो आज हमारे देश से कई वैाज्ञनिकों का जन्म होता और उनका व्यक्तिव इतना महान प्रमाणित होता कि हमारा देश भी समृद्धशाली देशों के समकक्ष होता।

## प्रस्तुत शोध का महत्व

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति में ऐसे परिवर्तन लाना है, जो सामाजिक विकास और व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति मुख्य रूप से शिक्षा की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि शिक्षा की प्रक्रिया मजबूत और प्रभावी है, तो व्यक्ति के लिए उसके माध्यम से उपरोक्त वांछनीय परिवर्तन लाना आसान और संभव होगा। इसलिए, शिक्षा की मुख्य समस्या यह है कि इसकी प्रक्रिया को दृढ़ता से प्रभावी और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। इस समस्या को हल करने के लिए अनुसंधान आवश्यक है।

वैज्ञानिक अभियोग्यता विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है और जो हमें तर्कसंगत रूप से सोचने में सक्षम बनाता है। यह कई गुणों का संयोजन है जो व्यक्ति के व्यवहार और कार्ये के माध्यम से परिलक्षित होता है। वैज्ञानिक अभियोग्यता एक संज्ञानात्मक अवधारणा है जो निश्चित तरीके से लगातार प्रतिक्रिया करने के लिए कई मानसिक आदतों या प्रवृत्तियों का एक संयोजन है। इन आदतों या प्रवृत्तियों में सटीकता, बौद्धिक ईमानदारी, स्वतंत्र विचार, निश्चित निर्णय, आलोचना कार्यकारण के बीच प्रभाव संबंधों की समझ आदि गुण शामिल है। ये आदतें उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अग्रगामी जीवन का महत्वपूर्ण पहलु हैं। प्रस्तुत शोध में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में अध्यापकों की मनोवृति और विद्यालय के पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि व्यवहार मे शोधाकत्री ने पाया कि सभी विज्ञान के विद्यार्थियों मे वैज्ञानिक अभियोग्यता समान नहीं पायी जाती है क्योंकि वे विज्ञान के प्रति अनुकूल रवैया नहीं रखते हैं इसलिए वे लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए शोधकत्री ने विद्यालय के विद्यार्थियों के विज्ञान में वैज्ञानिक अभियोग्यता और अध्यापक मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वार्तावरण के बीच के संबंध को जानने के लिए उत्सुक हैं। अतः शोधार्थी ने इस विषय को शोध अध्ययन के लिए आवश्यक माना।

**समस्या कथन :** "उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्वि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण के सम्बन्ध अध्ययन"

## अध्ययन में प्रस्तुत तकनीकी शब्दों की व्याख्या

**वैज्ञानिक अभियोग्यता** - सामान्यतः वैज्ञानिक अभियागे यता का अर्थ कुछ मानवीय गुणों से युक्त उस अभियोग्यता से लिया गया है जो लगभग सभी वैज्ञानिकों में पाया जाता है एवं जिसके द्वारा वे मानव कल्याण के लिये उपयोगी अनुसंधान कार्य में सतत् प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आमतौर पर सभी वैज्ञानिक अपने शोध कार्य में समान रूप से सोचते हैं एवं कार्य करते हैं। उनके सोचने एवं कार्य करने की पद्धति में विश्वास को वैज्ञानिक अभियोग्यता कहते है। अर्थात् विज्ञान के प्रति सच्चा दृष्टिकोण वैज्ञानिक चिन्तन स्वतंत्र विचारण एवं अटूट विश्वास उत्पन्न होना ही वैज्ञानिक अभियोग्यता है।

**मनोवृत्ति** - मनोवृत्ति किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से कार्य करने की एक मानसिक अभियोग्यता होती है। मनोवृत्ति में व्यक्ति में अनुकूलन-प्रतिकूलन की दिशा पर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति प्रतिक्रिया करने की इच्छा पायी जाती है। मनोवृत्ति की एक विशेष गुण, यह है कि मनोवृत्ति अर्जित होती है।

**विद्यालयी वातावरण** - विद्यालयी वातावरण वह वातावरण होता है जिसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है जहाँ उसका सर्वागींण विकास होता है साथ ही उसे विशिष्ट क्रियायों तथा ज्ञान से प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यालयी वातावरण का तात्पर्य न केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित है बल्कि उन सभी प्रक्रियायों को समाहित किया जाता है जो बालक के सर्वागींण विकास से जुड़ी होती है।

जॉन डीवी के अनुसार- ''विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो।''

## अध्ययन के उद्देश्य

(1) राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(2) राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

## अध्ययन की परिकपनाएँ

(1) राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

(2) राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श :-प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में बीकानेर जिले के राजकीय व गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 600 विद्यार्थियों को वर्गीकृत क्रम मे यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि से चयनित किया गया है।

**शोध में प्रयुक्त उपकरण**

1. वैज्ञानिक अभियोग्यता अभिवृति (डॉ. नागाप्पा पी. एवं डॉ. सी. आर. राव)

2. विद्यालय वातावरण मापनी (स्वनिर्मित )

**प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन -**

(1) राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी संख्या - 1

| चर | संख्या | मध्यमान | प्रमाप | टी मूल्य | सार्थकता का स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की वैज्ञानिक अभियोग्यता | 300 | 53.48 | 5.689 | | |
| | | | | 3.145 | अस्वीकृत |
| गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता | 300 | 54.17 | 5.248 | | |

व्याख्या :- परिकल्पना संख्या 1 के राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता में अन्तर देखने हेतु विश्लेषित आकड़ों के आधार पर टी का मान ज्ञात किया गया जिसके अनुसार राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता के मध्यमान व प्रमाप विचलन के आधार पर प्राप्त टी मान सार्थकता के स्तर 0.01 के सारणी मान से अधिक है। अतः यहाँ पर निर्धारित परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है और निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

(2) राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी संख्या - 2

| चर | संख्या | मध्यमान | प्रमाप | टी मूल्य | सार्थकता का स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय वातावरण | 300 | 20.91 | 2.601 | | |
| | | | | 8.776 | अस्वीकृत |
| गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण | | | | 300 | 19.03 2.638 |

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण में अन्तर देखने हेतु विश्लेषित आकड़ों के आधार पर टी का मान ज्ञात किया गया जिसके अनुसार राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण के मध्यमान व प्रमाप विचलन के आधार पर प्राप्त टी मान सार्थकता के स्तर 0.01 के सारणी मान से अधिक है। अतः यहाँ पर निर्धारित परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है और निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

## शैक्षिक सुझाव

1. जब विद्यार्थी अपना विकास निश्चित वैज्ञानिक पद्धति से करेगें तो उनका भविष्य उज्जवल होगा क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से निश्चित सत्य की प्राप्ति होगी।
2. जिज्ञासा व खोजपरक दृष्टिकोण का संवर्धन होगा
3. विद्यार्थियों में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना।

4. विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ना।

5. समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

## भावी शोध हेतु सुझाव

1. प्रस्तुत शोध में मात्र 600 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। इससे बड़ा न्यादर्श भी लेकर अध्ययन किया जा सकता है।

2. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने राजकीय व निजी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों व शिक्षकों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों व शिक्षकों को लेकर शोध कार्य किया जा सकता है।

3. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने राजकीय व गैर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभियोग्यता वृद्धि में शिक्षकों की मनोवृत्ति एवं विद्यालयी वातावरण के सम्बन्ध को लेकर भी लिया जा सकता है।

## सन्दर्भ सूची


1. आर्य पी. के. ''आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी है'' हिन्दी पुस्तिका कक्षा 6, राजस्थान पुस्तक मण्डल
2. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
3. गुप्ता, मीरा (2010), उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण में प्रभावी एव अप्रभावी अध्यापकों की मनोवृत्ति तथा व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन, पीएच डी. शोध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. गुप्ता, एम.पी. (2007), धामिर्क अभिवृत्ति, वैज्ञानिक अभियोग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में किशोरों की पर्यावरणीय जागरूकता का अध्न, पीएच.डी. शोध, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
5. डॉ. शर्मा, वी. एस. ''शिक्षा मनोविज्ञान'' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
6. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) '' शिक्षा मनो विज्ञान एवं सांख्यिकी'' शिक्षा प्रकाशन जयपुर पृश्ठ संख्या (407-430)
7. गर्ग, के.पी. (1990): डेवेलपमेन्ट ऑफ एबीलिटी दू रिजनिंग इन स्कूल, न्यू दिल्ली कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ संख्या-30
8. डॉ. एम पन्नीर सेल्वम डॉ. एम मुतमीज सेल्वन, "वैज्ञानिक अभियोग्यता के संबंध में माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की विज्ञान में उपलब्धि स्तर में अंतर का अध्ययन", जर्नल ऑफ रिसर्च एंड मेथडइन एजुकेशन, पृष्ठ संख्या 5-8.
9. सिंह, रामपाल और शर्मा, ओ.पी. (2008), शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय, आगरा अग्रवाल पब्लिकेशन।
10. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर।
11. वर्मा, अरूण, मालवीय, डी.एस., निगम, भूपेन्द्र (2008), उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की विज्ञान में उपलब्धि पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा 2008 पृष्ठ संख्या 88.95

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# समकालीन राजस्थान की कवयित्रियों की दृष्टि में नारी का चित्रण

**ममता पुरी**
शोधार्थी (विषय-हिंदी)
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर राजस्थान
मो.-9252531996
ई. मेल- पता-mamtapuri1975@gmail.com

**डॉ. कृष्ण कुमार**
शोध निर्देशक, सहायक आचार्य, (हिन्दी)
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान

**प्रस्तावना**- साहित्य की कोई भी विद्या किसी भी भाषा में रची जाए उसकी समकालिता कालबद्ध भी है और कालमुक्त भी।समय परिवर्तनशील है लेकिन यह परिवर्तन पुरातन को नष्ट नहीं करता वरन्, उसी को साथ लेकर नव धारा में फिर बहता है और यह रूप जब हम साहित्य में भी देखते हैं तब साहित्य में इस बदलते समय को कलखंड़ों में बाँटकर उस वाड्मय को समझना अध्ययन करना सहज और संभव बना पाता है। स्त्री विमर्श भारतीय समाज और साहित्य में उभरे सबसे महत्वपूर्ण विमर्शों में से एक है स्त्री जीवन, स्त्री मुक्ति, स्त्री अधिकार, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री अभिव्यक्ति, मर्दवाद और पितृ सत्ता से स्त्री संघर्ष को राजस्थान की हिन्दी कविता ने एक अरसे से अपना आधार बनाया हुआ है। समकालीनता के दौर में राजस्थान की महिला कविता स्त्री विमर्श के प्रत्येक पहलू को छूकर आदि आबादी की आवाज को बुलंद कर रही हैं। स्त्री विमर्श अनेक झंझावातों को सहता हुआ 21वीं सदी की राजस्थान की कवयित्रियों की कविता में अपना पृथक अस्तित्व बना चुका है।

**'अध्ययन क उद्देश्य'**—समकालीन महिला कविता में नारी चित्रण के अध्ययन का उद्देश्य यही है कि स्त्री की पहचान, उसकी मानवीय स्वरूप को जिंदा रखने की कवायत, समानता, सुरक्षा, स्त्री का प्रेम, सहनशीलता के साथ-साथ उसके साथ कार्य स्थलों, ऑफिस, समाज में हो रहे दोहरे व्यवहार को प्रस्तुत कर नारी जागृति हेतु क्या प्रयास किया जा सकते हैं। शोध का उद्देश्य यह भी है कि स्त्री सशक्तिकरण के मूल्य पाठकों के चिंतन और दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं।

**बीज बिंदु-** स्वतंत्रता, समानता, अस्मिता, स्वावलंबन, भेदभाव, आत्मसंवेदन, सामाजिक यथार्थ, स्त्री दृष्टि, सशक्तिकरण, समरसता।

## समकालीन राजस्थान की कवयित्रियों की दृष्टि में नारी का चित्रण

समकालीन राजस्थान की कवयित्रियों की रचनाओं में नारी का चित्रण परंपरागत रूढ़ छवियों से आगे बढ़कर एक सजग, संघर्षशील और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में उभरता है।पुरुष हो या स्त्री भीतर तो वह एक तत्व है जिससे यह सृष्टि रची गई है लिंग आधारित प्राणी से व्यवहार अब नहीं चलेगा तभी नारी कह उठी कि उसको उसका आधा आकाश दे दो वह अपनी हिस्से का आधा आकाश मांगती है तुम्हारी सत्ता तुम्हें मुबारक हो। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा रांघेय राघव पुरस्कार से सम्मानित श्रीगंगानगर जिले की वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती नील प्रभा जी अपने इन्हीं भावों को यूं मुखर करती हैं। “...मैं पुरुष विरोधी नहीं/दोनों पूरक है/आवश्यक घटक है धारा के/ मांग रही हूं/ सिर्फ अधिकार/..मांगती हूं अपने हिस्से का/आधा

आकाश/ सिर्फ आधा आकाश।[1] "आधा आकाश" काव्य संग्रह में श्रीमती नीलप्रभा जी ने युगों से पीड़ित और शोषण नारी को वाणी देने की प्रमुख चेष्टा की है। लेकिन ये क्या, यहां तो कवयित्री दुनिया में आने से पहले अपने अस्तित्व की गुहार करती है।कभी बाबुल कभी माँ को पुकार करती है "माँ बाबा ऐसा मत करना/ अम्मा! तुम तो समझो/बाबुल लौथ में ना बदलो/ याद करो.. तीसरे जन्म में/ आक का दूध पिलाकर सुला दिया था/ चौथे जन्म में /पानी की भरी बाल्टी में/ बाबुल/जीवन की भीख मांगती मैं/अनचाही मैं बाबुल 'मैं'।[2] स्त्रियों के न हारने की कथा को प्रस्तुत करता काव्य संग्रह "हारूंगी तो नहीं" की कवयित्री पद्मजा शर्मा जी, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार मीरां पुरस्कार से नवाजा गया स्त्री मुक्ति के लिए अपने स्वर को धार देती हैं।जो मानती है कि समाज में स्त्री का दोयम दर्जा है। भारतीय समाज में स्त्री जीवन की पीड़ा करुणा और असमानताओं विंडंबनाओं का चित्रण ही नहीं करती बल्कि वह अब सवाल भी करती है इस पितृ सत्तात्मक समाज से। वह बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि स्त्री सिर्फ पुरुष की पिपासा का यंत्र मात्र नहीं है। ..तुम्हें तो सुनना पड़ेगा/ क्यों!/ तुम औरत हो तो/.. सिर धड़ से अलग कर दूंगा/किसका/तुम्हारा/तुम तो यही चाहते हो,होता भी आया है, पर अब तुम्हारे चाहने मात्र से कुछ नहीं हो सकता, सुनो, तुम्हें धड़ चाहिए तो सोच लो साथ रहेगा सिर भी।"[3]

वह साफ-साफ कहती हैं-' मुझे वैसी देखो /जैसी मैं हूं। वैसी नहीं/जैसी तुम /चाहते हो।'[4] अब नारी ने जान लिया है कि अपनी अस्मिता को कैसे बचाना है। जो स्वयं को दूसरों की खुशी के हेतु मारती रही पर अब नहीं मरेगी। ..मेरी जीत हो ना हो/अब हारूंगी तो नहीं/ अब तक मारा खुद को/..परअब मरूंगी तो नहीं।[5] पद्मजा जी के समस्त काव्य संग्रह, "इस जीवन के लिए", हो चाहे "हारूंगी तो नहीं", "मैं बोलूंगी", "खामोशी", "दुख लिखना", "सदी के पार", आदि में नारी मन की बात है। नारी ऐसी ही है हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेती है कभी भावों से टूटी हुई पतझड़ से बन जाती है कभी खुशी आनंद में सावन की बारिश सी बरसती है। ऐसे ही विविध भावों का चित्रण हमें प्रगति गुप्ता जी के काव्य संग्रह "सहेजे हुए एहसास" की कविता 'नारी मन' में देखने को मिलता है. कविता की अंतिम पंक्तियां ..चारों ऋतुओं को समेट स्वयं में/ यह नारी मन/ हर दिन हर पल देखो/ कैसे बिखर बिखर जाए...।[6] वहीं नारी अपने साथ धोखे छल को देख भी विदिर्ण पुकार साथ रो उठती हैऔर समाज की खोखली परंपराओं को धिककारती है। ऐसी ही एक कविता "कन्या भ्रूण की माँ" में एक ऐसी स्त्री का चित्रण है जिसकी कोख में बेटी का भ्रूण था पर उसे धोखे से परिवारजनों ने दवा पिलाकर मार दिया..खोखला है समाज/खोखली है मानसिकताएं/जिनकी बलिवेदी पर/मासूम कन्याएं/ औरतें चढ़ती हैं/तुझसे दूर होकर तो/तेरी ही तरह/ मेरी नींद भी/ मुझसे रूठी रूठी रहती है..।[7] राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पत्रिका मधुमती द्वारा सम्मानित संग्रह 'सहेजे हुए अहसास'की बात करें या हिंदी लेखिका संघ मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वासुदेव प्रसाद खरे के सम्मानित संग्रह 'तुम कहते तो' की बात हो कवयित्री प्रगति गुप्ता जी ने जीवन के विविध रंगों को अपने संग्रहों में समेटा है, वहां प्रकृति इंसान, कानून, संबंध, प्रेम आदि पर तो लिखा ही है परंतु स्त्रीत्व के हर रंग को बहुत ही सुंदर और गहन अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। स्त्री का सबसे सुंदर एहसास है मां होना और मां की ममता उसका अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम,उनके बिन कहे एहसासों को समझने की ताकत ईश्वर ने नारी को ही दी है। "मां एक तिजोरी" कविता में यही भाव कवयित्री उकेरती है। वह बच्चों की अनकही बातों को ही तिजोरी होती है। वह घर परिवार को बांधकर रखने वाली मजबूत डोर होती है'..बच्चों में-/प्रेम और साम्य बना रहे../ तभी तो-/समय-समय पर/गिनती की ही/ कुछ बातों का/ सोच समझकर /आदान-प्रदान/ किया करती है मां..।'[8]

प्रगति गुप्ता जी का अन्य काव्य संग्रह "शब्दों से परे" साथ ही ई काव्य संग्रह "मां तुम्हारे लिए", स्त्रीत्व के हर गुणधर्म से पाठक को रूबरू कराता है। है। संग्रह "मिलना मुझसे" मानवीय अनुभूतियों के प्रत्येक छोटे पलों का गुलदस्ता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की प्रसिद्ध कवयित्री मीनाक्षी अहूजा की कविताओं में स्त्री विमर्श की बानगी है। मीरां का प्रणय निवेदन है। कहीं घर गृहस्थी की समस्याओं से दो चार होती नारी है। .. तुम कितना समझाते हो/कि दुनिया गोल है/ पर मुझे कभी लगा ही नहीं/ घर के चार कोने/मेरी चार दिशाएं रही..।[9] अन्य समकालीन कवयित्रियों की फेहरिस्त में एक सम्मानजनक नाम है प्रीता भार्गव। चित्रकार, कहानीकार के साथ-साथ देश की पहली महिला जेल अधीक्षक रही कवयित्री के काव्य संग्रह

शीर्षक की कविता "यह फैसला मुझे खुद ही लिखना है" में कवयित्री प्रकृति के माध्यम से जीवन और कर्तव्य पथ के फैसलों की बात करती हैं.. ठहरो!फैसले से पहले/ मुझे समझ लेने दो /आसमान की चुप्पी के भेद/..अभी नहीं/अंकुरित/मेरा निर्णायक वर्तमान/ ठहरो!यह फैसला मुझे खुद ही लिखना है।(10)

"मुझे तो लिखना था" कविता में एक स्त्री की पीड़ा है। जो अभी तो उम्र की उस देहरी पर पहुंची थी जहां उसे मोहब्बत,प्यार भरी जिंदगी जीनी थी। लेकिन वह आज जेल की सलाखों के पीछे कैद हो गई। यह मन के भाव संवेदनशील पुलिस अधीक्षक कवयित्री प्रीता भार्गव ही पढ़ती हैंऔर उस पीड़ा को अपनी कलम देती हैं' ..मुझे तो लिखना था/मोहब्बत का भी गीत/उम्र की उस मुंडेर के कोरे कागज पर/ यह अतुकांत शब्द/ क्यों कर लिख डाले मैंने/कोयले की नोक से,जेल की दीवारों पर।'(11) प्रीता जी नारी मन क्या है? की बात करती हैं। वह पुरुष साथी को हर कदम पर साथ देती है,पर उसका साथी उसको उड़ने के लिए आकाश क्यों नहीं देता तभी वह कह उठती हैं कि-जितना मुझे देखते हो तुम/मैं उतनी ही तो नहीं/. .छू रहा था तुम्हें/वह मैं नहीं मेरा ना होना था/.. मैं,न होकर जो हूं, वह ही तो था मेरा मैं होना।(12) मोनिका गौड जी का काव्य संग्रह "राजमार्ग की भेड़े", राजनीति से ओत पोत संग्रह नहीं, बल्कि यह शीर्षक एक मुहावरे की तरह प्रयोग हुआ है जिसमें कवयित्री ने समय, समाज, सत्ता को ही नहीं अपितु संस्कृति रिश्ते नाते में निभती भेड़ चाल की अनुगामी प्रवृत्ति को शामिल किया है। मोनिका जी पुरुष सत्ता से प्रश्न करती कि मेरा बेबाक सच बोलना क्यों खटकता है उम्हें/ क्यों चाहते हो कि/ हर पल में हां में हां मिलाती रहूं..।(13) समकालीन स्त्री विमर्श की कवयित्रियों में अनुपम तिवाड़ी जी के काव्य संग्रह "आईना भीगता है", "चलो की घड़ी अभी रुकी नहीं है", "भरोसा भी बचा है", समाज को आईना दिखाने का काम बखूबी करता है तो कहीं कलम पर भरोसा रखे हुए भी हैं। इनकी कविताएं स्त्री को सिर्फ झेलना ही नियति नहीं लड़ना,जूझना,स्वावलंबी बनना और जो झेल रहे हैं उनका सहारा भी बनती दिखती है।

**सारांश**- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित राजस्थान की वरिष्ठ कवित्रियों तथा अपने साथ-साथ नई संवेदनाओं की आहट लाने वाली नई काव्य प्रतिभाओं ने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि हर युग में संघर्षरत यह आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्रियां काव्य एवं न केवल मात्रात्मक बल्कि गुणात्मक स्तर पर भी समृद्ध है। स्त्री लेखिकाएं हो या कवयित्रियां आम स्त्री जो चौथी पंक्ति में बैठी है,के जीवन को बड़ी बारीकी से देखती है अनुभूत करती है और शब्दों में पिरोकर समाज के समक्ष प्रस्तुत करती है।

## संदर्भ ग्रंथ


(1) काव्य संग्रह "आधा आकाश'', पृष्ठ संख्या 18/19,
(2) काव्य संग्रह, वही, "पृष्ठ संख्या 20/21
(3) काव्य संग्रह "हारूंगी तो नहीं, पृष्ठ संख्या 16,17
(4) काव्य संग्रह, वही, पृष्ठ संख्या 23
(5) काव्य संग्रह, वही, पृष्ठ संख्या 44
(6) काव्य संग्रह, वही, पृष्ठ संख्या 109/110
(7) काव्य संग्रह- "सहेजे हुए एहसास'', पृ. संख्या 107/108
(8) काव्य संग्रह, वही, पृ. सं. 97/98
(9) काव्य संग्रह- "छूटा हुआ कुछ'', पृष्ठ संख्या 130 /131
(10) काव्य संग्रह यह फैसला मुझे खुद ही लिखना है, पृष्ठ संख्या 112
(11) काव्य संग्रह, वही, पृष्ठ संख्या 70
(12) काव्य संग्रह, वही, पृष्ठ संख्या 83
(13) काव्य संग्रह "राजमार्ग की भेड़ें, पृष्ठ संख्या 16

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# उसने कहा था और पुरस्कार कहानी में वर्णित प्रेम का तुलनात्मक अध्ययन

**ज्योति राय**
शोधार्थी, हिंदी विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर
मोबाईल : 9935466435, ई-मेल : jyotiraihindi@gmail.com

**शोध-सार**

हिंदी कथा-साहित्य में प्रेम केवल निजी भावुकता या रोमानी अनुभूति तक सीमित नहीं रहा है बल्कि वह सामाजिक नैतिक राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों से गहरे रूप में जुड़ा हुआ रहा है। विशेषतः प्रेमचंद और उनके समकालीन रचनाकारों की कथाओं में प्रेम व्यक्ति से समाज भावना से कर्तव्य और आकांक्षा से त्याग की यात्रा करता हुआ दिखाई देता है। प्रस्तुत अध्ययन में दो कहानियाँ एक ओर उसने कहा था (प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में रचित) और दूसरी ओर पुरस्कार (प्राचीन भारतीय राज्य-व्यवस्था और राष्ट्र-संरक्षण के संदर्भ में) प्रेम की दो भिन्न किंतु अंततः समान दिशा में जाने वाली अवधारणाओं को प्रस्तुत करती हैं। इन दोनों कहानियों में प्रेम की अनुभूति अभिव्यक्ति और परिणति अलग-अलग रूपों में दिखाई देती है परंतु दोनों का अंतिम निष्कर्ष कर्तव्य राष्ट्रधर्म और नैतिकता की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार इनका तुलनात्मक अध्ययन प्रेम की बहुआयामी प्रकृति को समझने में सहायक सिद्ध होता है। युद्ध और प्रेम को प्रायः परस्पर विरोधी भाव माना गया है युद्ध जहाँ विनाश कठोरता और मृत्यु का प्रतीक है वहीं प्रेम जीवन संवेदना और सृजन का। किंतु उसने कहा था और पुरस्कार जैसी रचनाएँ यह स्थापित करती हैं कि युद्ध और प्रेम एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि अनेक बार एक-दूसरे के परिशोधक और निर्णायक बन जाते हैं। इन कहानियों में युद्ध प्रेम को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे त्याग नैतिकता और राष्ट्रधर्म के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करता है।

प्रेम सामान्यतः दो स्तरों पर देखा जा सकता है व्यक्तिगत प्रेम जो भावनात्मक कामनात्मक और आत्मीय होता है वही दूसरा सामाजिक-नैतिक प्रेम जो त्याग सेवा और कर्तव्य में रूपांतरित हो जाता है। कबीर अपने चिर परिचित तरीके से सबको सतर्क करते है–

"कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाहिं। सीस उतारै हाथि करि सो पैठे घर माहिं"

भारतीय परंपरा में प्रेम को कभी भी केवल भोगात्मक नहीं माना गया। हिंदी साहित्य भी इस परम्परा से अछूता नही रहा है यहाँ प्रेम के ऐसे रूप हैं जो त्याग और नैतिकता से ओत प्रोत हैं। तुलसी का समन्वयवादी दृष्टिकोण श्जग जाहिर है परन्तु जहाँ प्रेम की बात होती है ये अतिवादी हो उठाते है–

"चातक तुलसी के मतें स्वातिहुँ पिऐ न पानि। प्रेम तृषा बाढ़ति भली घटें घटैगी आनि ॥"

वही महादेवी उद्घोष करती है कि–

**"मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ!"**

प्रस्तुत दोनों कहानियाँ इसी भारतीय दृष्टि को आधुनिक कथा-साहित्य में पुनर्स्थापित करती हैं।

**बीज शब्द :** प्रेम राष्ट्रधर्म त्याग स्त्री-चेतना नैतिकता तुलनात्मक अध्ययन।

हिंदी कथा-साहित्य में तुलनात्मक अध्ययन का विशेष महत्त्व है क्योंकि इससे न केवल रचनाओं की वैचारिक गहराई स्पष्ट होती है बल्कि साहित्य में निहित सामाजिक और नैतिक प्रवृत्तियाँ भी उद्घाटित होती हैं। उसने कहा था और पुरस्कार दोनों कहानियाँ भिन्न कालखंडों और परिस्थितियों में रचित हैं किंतु दोनों का केंद्रीय सरोकार व्यक्ति और कर्तव्य के द्वंद्व से जुड़ा है। दोनों रचनाएँ प्रेम कर्तव्य राष्ट्रधर्म और नैतिकता जैसे मूलभूत मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखती हैं। यद्यपि दोनों की ऐतिहासिक, सामाजिक तथा शिल्पगत पृष्ठभूमि भिन्न है तथापि दोनों में प्रेम का अंततः कर्तव्य और राष्ट्रहित में रूपांतरण होता है।

## उसने कहा था

उसने कहा था प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कथा है जिसमें सैनिक जीवन राष्ट्रभक्ति और मौन बलिदान की भावना प्रमुख है। वहीं पुरस्कार एक ऐतिहासिक-कथात्मक रचना है जिसमें राज्य राजनीति प्रेम और राष्ट्रद्रोह का द्वंद्व केंद्र में है। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हिंदी साहित्य में प्रेम और राष्ट्रधर्म की अवधारणा को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है।

उसने कहा था में लहना सिंह की कथा युद्धभूमि में घटित होती है। इसका नायक लहना सिंह एक सामान्य सैनिक होते हुए भी असाधारण मानवीय गुणों से युक्त है। कथा का केंद्रीय बिंदु उसका वह त्याग है जो वह अपने साथी सैनिक बोधा सिंह और उसके परिवार की रक्षा हेतु करता है। कथा में प्रेम प्रत्यक्ष न होकर स्मृति करुणा और कर्तव्य के माध्यम से प्रकट होता है। दूसरी कहानी पुरस्कार में मधुलिका की कथा राजनीतिक और ऐतिहासिक परिवेश में घटित होती है। मधुलिका सिंहमित्र की पुत्री है और मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम करती है। यह प्रेम धीरे-धीरे राजनीतिक षड्यंत्र और राष्ट्रद्रोह से जुड़ जाता है। अंततः मधुलिका राष्ट्रधर्म के पक्ष में खड़ी होकर अपने प्रेम का त्याग करती है।जहाँ उसने कहा था  का कथानक युद्ध और सैनिक जीवन के माध्यम से प्रेम के त्यागमय रूप को प्रस्तुत करता है वहीं पुरस्कार का कथानक प्रेम और राजनीति के द्वंद्व के माध्यम से नैतिक चेतना को उभारता है।दोनों कहानियों में राष्ट्रधर्म सर्वोपरि है।लहना सिंह में राष्ट्रधर्म सैनिक कर्तव्य के रूप में प्रकट होता है। मधुलिका में राष्ट्रधर्म राजनीतिक और नैतिक निर्णय के रूप में सामने आता है। दोनों ही स्थितियों में प्रेम राष्ट्रधर्म के अधीन हो जाता है।लहना सिंह में प्रेम मौन अव्यक्त और कर्मप्रधान है। यह प्रेम भारतीय परंपरा के निष्काम कर्मयोग की भावना से जुड़ा है। इसके विपरीत मधुलिका में प्रेम भावनात्मक, संवादात्मक और द्वंद्वात्मक है। यह प्रेम मानवीय दुर्बलताओं से युक्त होते हुए भी अंततः नैतिक चेतना द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार दोनों कहानियों में प्रेम की दिशा व्यक्तिगत से सामाजिक और राष्ट्रीय की ओर जाती है। उसने कहा था  में स्त्री पात्र (सूबेदारनी) सीमित उपस्थिति के बावजूद नैतिक प्रेरणा का स्रोत है। वह मौन रहकर भी कथा को दिशा प्रदान करती है।पुरस्कार में स्त्री स्वयं केंद्रीय पात्र है। वह निर्णय लेती है भ्रमित होती है और अंततः आत्मबलिदान का मार्ग चुनती है। इस प्रकार मधुलिका का चरित्र स्त्री की नैतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता को रेखांकित करता है।

किसी भी कथा में संवाद केवल कथानक को आगे बढ़ाने का साधन नहीं होते बल्कि पात्रों के आंतरिक भाव, मानसिक द्वंद्व नैतिक दृष्टि और प्रेम-बोध को अभिव्यक्त करने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम होते हैं। उसने कहा था  और पुरस्कार दोनों कहानियों में संवादों का प्रयोग प्रेम की भिन्न-भिन्न प्रकृतियों को उभारने के लिए किया गया है। जहाँ उसने कहा था  में संवाद कम संकेतात्मक और संयत हैं वहीं पुरस्कार में संवाद भावनात्मक तर्कप्रधान और संघर्षशील हैं। इसी अंतर के माध्यम से स्त्री-पुरुष प्रेम के दो भिन्न प्रतिमान उभरते हैं।

उसने कहा था में प्रेम प्रत्यक्ष रूप में संवादों द्वारा व्यक्त नहीं होता। यहाँ संवादों की सबसे बड़ी विशेषता उनका अल्प संक्षिप्त और कार्यपरक होना है। यही मौन प्रेम को अधिक गहन बना देता है। लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच प्रत्यक्ष

प्रेम-संवाद नहीं हैं किंतु लहना सिंह के कथनों में सूबेदारनी के प्रति जो स्मृति और संवेदनात्मक लगाव है वही प्रेम का प्रमाण बनता है। उदाहरणस्वरूप–

वह तो अभी वैसी ही होगी जैसी तब थी।

यह संवाद साधारण प्रतीत होता है परंतु इसमें समय दूरी और युद्ध के बीच सुरक्षित रखा गया प्रेम समाहित है। यहाँ प्रेम उच्चारण में नहीं स्मृति में जीवित है। पुरस्कार में प्रेम संवादों के माध्यम से खुलकर व्यक्त होता है। मधुलिका और अरुण के बीच के संवाद प्रेम आकांक्षा मोह और संघर्ष सभी को उजागर करते हैं।

**अरुण का संवाद**

मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी।

यह संवाद पुरुष प्रेम को आकर्षण और अधिकार की आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रेम में राजनीतिक स्वार्थ भी अंतर्निहित है। मधुलिका का उत्तर–

"राजकुमार मैं कृषक बालिका हूँ मेरा उपहास न करो।

यह संवाद स्त्री प्रेम की विशेषता को स्पष्ट करता है। मधुलिका प्रेम को स्वीकार करने से पहले स्वाभिमान यथार्थ और नैतिकता की कसौटी पर कसती है। यहाँ स्त्री प्रेम आत्मविस्मृति नहीं बल्कि आत्मबोध से जुड़ा है। वही लहना सिंह का प्रेम संवादों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में मुखर होता है। बोधा सिंह से उसका कहना–

तू बच्चों को देख लेना मैं देख लूँगा।

यह संवाद प्रेम का सीधा कथन नहीं, परंतु इसके भीतर त्याग, संरक्षण और आत्मसमर्पण निहित है। पुरुष प्रेम यहाँ अधिकार या अपेक्षा नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है। सूबेदारनी की अनुपस्थिति के बावजूद उसका प्रेम संवादों में एक नैतिक प्रेरणा के रूप में उपस्थित है। वह स्त्री जो कुछ कहती नहीं, वही पुरुष के प्रेम को मर्यादा और दिशा देती है। इस प्रकार उसने कहा था में संवादों के माध्यम से प्रेम का स्वरूप मौन, त्यागपूर्ण, कर्तव्यप्रधान बनकर उभरता है। पुरस्कार अंतिम संवाद सबसे मार्मिक है जब मधुलिका कहती है–

तो मुझे भी प्राणदंड मिले।

यह संवाद प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ स्त्री प्रेम न तो आत्मरक्षा चाहता है न पुरस्कार बल्कि नैतिक समानता और आत्मोत्सर्ग की माँग करता है। उसने कहा था का परिवेश प्रथम विश्वयुद्ध का रणक्षेत्र है। गोलियों की आवाज़ बर्फ़ीली हवा, खाइयाँ और मृत्यु का सन्नाटा यह सब मिलकर प्रेम को मौन नियंत्रित और आत्मसंयमी बनाते हैं। यहाँ प्रेम को व्यक्त करने का अवकाश नहीं केवल निभाने का अवसर है। इस कठोर परिवेश में लहना सिंह का प्रेम व्यक्तिगत नहीं रह जाता। युद्धभूमि का वातावरण उसे यह सिखाता है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप दूसरे के जीवन की रक्षा है। यही कारण है कि वह अपने प्राण देकर भी बोधा सिंह के परिवार को सुरक्षित करता है। वही पुरस्कार कहानी में अरुण का प्रेम परिवेश के अनुसार बदलता है। राजसी परिवेश में वह प्रेमी है वन में षड्यंत्रकारी और युद्ध के क्षण में विद्रोही। यह दर्शाता है कि उसका प्रेम स्थिर नैतिक आधार से रहित है। मधुलिका का कृषक परिवेश उसके प्रेम को भी श्रम, स्वाभिमान और प्रकृति-सामंजस्य से जोड़ देता है। वहीं अरुण का राजसी परिवेश प्रेम को आकांक्षा और अधिकार की ओर मोड़ता है।

उसने कहा था में प्रेम कहा नहीं जाता जिया जाता है। पुरस्कार में प्रेम कहा भी जाता है और परखा भी जाता है। पुरुष प्रेम जहाँ भाव या कर्तव्य से संचालित है, वहीं स्त्री प्रेम विवेक नैतिकता और उत्तरदायित्व से नियंत्रित है। दोनों कहानियों में संवाद प्रेम को रोमानी सीमाओं से ऊपर उठाकर नैतिक और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हैं। इन दोनों कहानियों में युद्ध और प्रेम परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के नैतिक पूरक हैं। प्रेम युद्ध को अर्थ देता है और युद्ध प्रेम की पराकाष्ठा को उजागर करता है यही इन रचनाओं की वैचारिक और साहित्यिक उपलब्धि है। इन कहानियों में संवाद स्त्री-पुरुष प्रेम को केवल भावनात्मक नहीं बल्कि वैचारिक और मूल्यपरक बनाते हैं।

दोनों कहानियों में राष्ट्रधर्म सर्वोपरि है। उसने कहा था में राष्ट्रधर्म सैनिक कर्तव्य के रूप में व्यक्त होता है, जबकि पुरस्कार में यह राजनीतिक और नैतिक निर्णय के रूप में सामने आता है। दोनों ही स्थितियों में प्रेम राष्ट्रहित के अधीन हो जाता है। लहना सिंह और मधुलिका दोनों ही प्रेम की उच्च नैतिक परंपरा को प्रतिष्ठित करते हैं। इन दोनों चरित्रों के लिए प्रेम भोग नहीं त्याग है, अधिकार नहीं उत्तरदायित्व है और व्यक्तिगत भावना नहीं बल्कि सामाजिक मूल्य है।

**संदर्भ ग्रन्थ**


चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था
जयशंकर प्रसाद, छाया (कहानी संग्रह)
रामविलास शर्मा, भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य
नामवर सिंह, कहानी, नई कहानी
बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का इतिहास
डॉ. नगेन्द्र, आधुनिक हिंदी कथा-साहित्य

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# मेहरुन्निसा परवेज़ के कोरजा उपन्यास में चित्रित नारी जीवन की त्रासदी

**डॉ. देवेन्द्र कुमार सिंह**
संपर्क- मकान नं. 95I/31 माधोपुर पट्टी, खरकौनी, नैनी, प्रयागराज, उ०प्र०
devendrasankalp@gmail.com

**शोध सार**

भारतीय समाज में प्रारंभ से ही नारी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता रहा है, हमारी परंपरा में चिरंतन काल से ऐसा कहा जाता है - 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता', परन्तु उपनिवेश काल तक आते - आते नारियों की स्थिति लगातार गिरती रही। स्त्रियाँ लगातार उत्पीड़न का शिकार बनती जा रही है इसी को आधार बनाकर मेहरून्निसा परवेज़ ने अपने उपन्यास में उनकी गिरती हुई दशा पर सशक्त रूप से लेखनी चलायी हैं। नारियों पर होने वाले विविध अत्याचार एवं अनाचारों पर करारा प्रहार किया है उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं स्त्रियों के प्रति होने वाले अत्याचार जैसे यौन शोषण, वेश्यावृत्ति दहेज प्रथा, अनमेल विवाह एवं समाज में उनके प्रति होने वाले उपेक्षित व्यवहारों पर मार्मिक ढंग से चोट पहुंचाती हैं। वे ना केवल उनको शोषण से मुक्त करना चाहती है बल्कि उन पर हो रहे अत्याचारों के प्रति पुरज़ोर रूप से विद्रोह करने को प्रेरित करती है और उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करती रही है।

**बीजशब्द** - नारी चेतना, स्वत्व, दाम्पत्य जीवन, नारी व्यथा, अभिव्यक्ति का प्रश्न।

**मूल आलेख**

साहित्यकार समाज में व्याप्त परिस्थितियों को जिस रूप में देखते हैं उसका साहित्य भी उसी रूप में निर्मित होता है। समाज और साहित्य आपस में जुड़े हुए होते हैं दोनों एक सिक्के के दो पहलू के सामान हैं। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य के बिना समाज की कल्पना करना अन्योन्याश्रित होगा। मेहरून्निसा परवेज ने अपने उपन्यासों में समाज में व्याप्त समस्याओं को उठाकर नवीन दृष्टि का परिचय दिया है। मेहरुन्निसा परवेज़ ने परंपरागत मूल्यों को त्यागकर प्राचीन और आधुनिक नैतिक मूल्यों में फंसी नारी के द्वंद्व को चित्रित किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में जीवन के विविध समस्याओं और उनमें बदलते मूल्यों का यथार्थवादी अंकन किया है। हाशिये का समाज उनकी रचनाओं के केंद्र में रहा है। उनका समस्त साहित्य आँखों देखा - परखा और अनुभव किया हुआ है। वह बिना किसी लाग- लपेट के, कल्पना और आदर्श से परे यथार्थ को अधिक महत्त्व देती हैं। उनके साहित्य में समाज का यथार्थ चित्रण ही अधिक हुआ है। उनकी हर रचना मानव जीवन और मानव समाज का कोई न कोई यथार्थ अवश्य उद्घाटित करता है। कथाकार होने के अलावा उन्होंने आदिवासियों और विशेषकर स्त्रियों के अधिकारों उनकी अस्मिता सुरक्षा की लड़ाई में जमीनी स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण काम भी किया है। उनमें कोरजा उपन्यास मेहरुन्निसा जी का सबसे चर्चित उपन्यास है।

'कोरजा' में उन्होंने बस्तर के हाशिए के लोगों, जिनमें मुस्लिम समाज की स्त्रियों के दुख दर्द और संघर्ष को चित्रित किया है साथ ही आदिवासी जन जीवन का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किया है इसके साथ ही साथ उन्होंने बस्तर के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है उपन्यास का आरंभ रब्बो की शादी से होता है। जहाँ नसीमा भी आती है। रब्बो आपा उसे अपनी बेटी रन्नों से मिलवातीं है, तो नसीमा को ऐसा लगता है जैसे रब्बो आपा एक बार फिर जवान होकर उसके सामने खड़ी हो गयी है। इस उपन्यास में लेखिका ने मुस्लिम समाज में शादी की रस्मों- रिवाजों तथा वहाँ के रहन- सहन का बड़ा ही सजीव वर्णन समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसमें मुस्लिम समाज में प्रेम विवाह का वर्णन करते हुए बताती है कि– "रन्नो की पसंद है। दोनों एक- दूसरे को पसंद करते हैं। अब वह पहले सा वक्त तो नहीं रहा नसीमा, जब प्यार को घरवालों से छिपाकर करना पड़ता था, जबान से निकलता तक नहीं था कि हम फलॉ से प्यार करते हैं। जहाँ माँ- बाप ने रिश्ता तय कर दिया, बस वहीं चले आए३३..वक्त बदल गया है नसीमा, उसके साथ- साथ सब बदल गया।"[1] यहाँ पर परवेज़ जी ने दो पीढ़ियों के अंतर को बहुत ही यथार्थ हम सशक्त रूप से चित्रित किया है पहली पीढ़ी का समाज, सामाजिक बंधन एवं पुरानी परंपराओं से ग्रसित था जिसमें चिरंतन काल से शोषण का शिकार होती आ रही थी। ऐसे समाज में एक प्रेमी- प्रेमिका का प्रेम विवाह कभी परिणित नहीं हो पाता था। लेकिन उसके बाद की पीढ़ी के लिए पहले की तरह सामाजिक बंधनों की रुढ़िया टूट चुकी थी इसलिए आज एक दूसरे से प्रेम एवं परिणय का परिवार भी समर्थन करता है।

परवेज़ जी ने स्त्रियों के शोषण एवं जुल्मों- शितम को चित्रांकन करते हुए कहती है, हमारे समाज में स्त्रियों को द्वितीय स्तर का प्राणी समझा जाता रहा है।आज भी हमारे पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष के लिए स्त्री केवल भोग की वस्तु ही समझी जाती है स्त्रियों की इन तमाम स्थितियों को मेहरुन्निसा परवेज ने उपन्यास में चित्रित किया। यहाँ लेखिका ने मुस्लिम समाज में स्त्री दशा का कटु यथार्थ वर्णन करती है। जहाँ वह अपनी एय्याशी और शराबी पति रहमान खान से आए दिन तंग रहा करती थी उनके पति रहमान खां को लोग समझाते है तो वह कहते– "अरे खुद कुरआन- शरीफ में खुदा ने फरमाया है कि मैंने तुम्हारे लिए औरत पैदा की है ऐश करने के लिए और खाने के लिए परिंदे। भई, जैसी एक ही कमीज़ तीन दिन पहने तो बदन काटने दौड़ता है, वैसे ही एक औरत के साथ कुछ दिन रह लो तो साला मुँह का मज़ा खराब हो जाता है।"[2]

श्कोरजाश् उपन्यास में आर्थिक परेशानियों का विकराल रूप देखने को मिलता है। नानी के घर की आर्थिक स्थिति बड़ी गम्भीर है। जिस घर में पुरुष नहीं हो और स्त्रियां अशिक्षित हों या कम पढ़ी लिखी हो, वहाँ परिवार को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। नानी के घर में भी गरीबी और दरिद्रता धरना दिये बैठी रहती है। इस निम्नवर्गीय परिवार में बड़े से लेकर बच्चे तक धनार्जन की चिंता में लगे रहते हैं। जिससे दो वक्त का खाना सब को नसीब हो तीनों बच्चे सड़कों से गोबर उठाते हैं और साल भर जमा करते हैं उसके बाद खाद बन जाने पर उसे बेचते हैं। इन सब बच्चों की लगन और उत्साह को देखकर उनकी नानी हैरान हो जाती है– "इतनी छोटी सी उम्र में पैसे पैदा करने की सोच इन बच्चों पर आ खड़ी थी क्या अब और आगे जाने में माँ के पेट से बच्चा निकलते ही अपने पेट के लिए कमाने निकल पड़ेगा।"[3] परवेज़ जी ने नानी के माध्यम से यह अभिव्यक्ति करती है कि आज व्यक्ति के जीवन के लिए धनार्जन अनिवार्य हिस्सा बन गया है धन के अभाव के कारण बच्चे बचपन से ही कमाने के लिए संघर्षरत है। वहीं दूसरी ओर मुनीम जुम्मन खां के पास नानी का घर और खेत गिरवी है जिसे छुड़ाने के लिए वह साजो का सौदा करता है। अतः साजों आर्थिक रूप से परेशान होकर रोज़ रात को मुनीम के घर जाने को मजबूर हो जाती है आर्थिक तंगी के संदर्भ में लेखिका लिखती हैं कि– "चार आने से कम में तो कोई चीज़ नहीं मिलती है, महंगाई की हमारे तो नाक में दम आ गया है। पेट को खाएं या तड़के, जितना कमाते हैं दो टाइम की पेट की आग में ही चला जाता है।"[4] इस उपन्यास में आर्थिक परेशानी का अलग- अलग स्वरूप किया गया है। नानी के लिए दो वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो जाता है। कभी भर पेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ। मध्यमवर्गीय परिवार का पैसे के अभाव में पारिवारिक ढांचा ही डगमगा जाता है।जुम्मन नानी को बार- बार धमकी देता है कि वह मकान खाली करें और यदि खाली नहीं करती है तो वह एक सौदा करता है। यदि रोज़ रात साजो खाला उसके यहाँ आएगी तो यह घर वापिस नहीं लेगा और न ही किराया लेगा। लेखिका ने यहाँ बड़ा ही यथार्थवादी वर्णन किया है– "रात का खाना खाने के बाद तक भी कोई तय

नहीं कर पाया था कि घर छोड़ना है या नहीं। जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था तब नानी ने देखा एक साया उठकर बाहर जा रहा है पहले तो वह आवाक् हतप्रभ होकर रह गई, फिर धीरे धीरे सिर झुक गया। मौन समझौता, मौन स्वीकृति।"[5]

नानी सब कुछ जानते हुए भी कुछ करने में असमर्थ थी। लेकिन यह सौदा साजो खाला ने मौन रूप में स्वीकार कर लिया था। वो अपने घर को, अपने परिवार की इज्जत को बचाए रखने के लिए अपने शरीर को बेच डाला। आज भी भारत में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ स्त्री अपने शरीर को बेच कर अपने घर परिवार का भरण- पोषण कर रही है। इस प्रसंग में लेखिका ने पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्नचिह्न उठाती है कि आज भले ही स्त्रियों की सुरक्षा स्वास्थ्य, उनके अधिकारों के लिए तमाम संस्थान और संगठन कार्यरत हैं लेकिन स्त्रियों की स्थिति और उनके जीवन- शैली में कोई बदलाव नहीं आया है। इस उपन्यास में प्रत्येक स्त्री पात्र अपने अतीत की कहानी कहने के बाद वह सभी स्त्री पात्र को एक ही छत के नीचे खड़ा करती है। हर स्त्री पात्र अपने अतीत से किसी न किसी प्रकार शोषित हुई है उसके बावजूद इस दुनिया में अपनी जिंदगी जीने के लिये संघर्षरत है।

'कोरजा' मे मेहरुन्निसा परवेज़ ने अपने उपर लगने वाले उस आरोप पर भी जवाब दिया है कि वह मुस्लिम समाज की स्त्रियों (एक धर्म विशेष) के जीवन और उनके संघर्ष को ध्यान में रखकर लेखन कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए वह मुख्य कथा के साथ ही साथ अमित और मोना की कहानी भी कहीं है जो हिन्दू पात्र है। अमित की बड़ी बहन मोना दी है जो उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमित की कमजोरी है कि वह शराबी है। जिस कारण मोना दी अपनी सारे सुखों का दामन लपेटकर, इस परिवार के लिए दिन- रात अपने आपको झोंक देती है। कम्मो, रब्बो आपा की सहेली है। जो अमित से प्रेम करती है जो अमित से प्रेम करती है। कम्मो पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली स्त्री है। लेखिका ने अमित और कम्मो के माध्यम से बौद्धिक बहस को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया। यहाँ लेखिका प्रेमचंद से प्रभावित दिखती है क्योंकि इस तरह के पात्र निर्माण में सिद्धहस्त प्रेमचन्द थे। उन्होंने श्गोदानश् उपन्यास में मालती और मेहता इन दोनों पत्रों के माध्यम से स्त्री- पुरुष संबंधी धारणाओं को अभिव्यंजित किया गया है ठीक उसी तरह लेखिका ने भी श्कोरजाश् में अमित और कम्मो के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था, आदिवासियों का जीवन, बस्तर के इतिहास की जानकारी, शहरीकरण आदि विचारों को अभिव्यंजित किया है।

'कोरजा' उपन्यास में जहाँ एक तरफ स्त्री के जीवन संघर्ष भरण पोषण की समस्या को अभिव्यंजित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ़ अनमेल विवाह जैसे विसंगति को चित्रित किया गया है। जिसमे नानी ने रब्बू आपा की शादी एक पैसे वाले अधेड़ व्यक्ति से तय कर देती है यह जानते हुए भी की रज्जो अपनी सहेली कम्मो के चचेरे भाई एहसान से प्रेम करती है। एहसान भी इसलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके घर में तीन जवान बहनें बिन ब्याही बैठी है और घर संभालने वाला केवल एहसान है। जब नसीमा यह बात रब्बो को बताती है तो वह कहती हैं, - "बस ऐसे ही खत्म अफ़साने होते हैं नसीमा। अच्छा हुआ हूँ वहम टूट गया। मर्द हमेशा से बेहरहमी कुत्ते रहे हैं३....बस हड्डियाँ निचोड़ना जानते हैं३ ३ और कुछ नहीं।"[6]

आज समाज का सांस्कृतिक तथा साहित्यिक पक्ष राजनीतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। राजनीति का समाज में गहरा संबंध है। हर तरफ राजनीति का साम्राज्य स्थापित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। आज के समय में राष्ट्र की राजनीति आम जनता की राजनीति बन गई है। चारों तरफ अव्यवस्था,घूसखोरी, अनुशासनहीनता,भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज राजनीतिक दल आम जनता को अपने राजनीतिक दांव - पेंच में फंसा कर स्वार्थपूर्ति में लगा है। मेहरून्निसा परवेज अपने उपन्यास के माध्यम से रणनीति के घिनौनेपन को उजागर करने का प्रयास किया है। 'कोरजाश उपन्यास में राजनीति के खेल को राशन कार्ड के माध्यम से उजागर किया है। जिसमें लेखिका कहती हैं कि—"ए, बी, सी, जहाँ ए उच्च वर्ग के लोगों के लिए, बी मध्यमवर्गीय तथा सी गरीबों के लिए। सरकार भी जानती है, गरीब लोग कौन सा रोज़ हलवा, खीर खाने के आदी होते हैं, यह चीजें तो रईसों की रसोई में जाकर कैद हो गई है।"[7] इसके माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता पर कुठाराघात किया है।

"कोरजा" को स्त्री जीवन की त्रासदी का आख्यान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेखिका ने उपन्यास में भाषा का

सरल और सहज रूप और पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने बोलचाल की भाषा में स्त्री जीवन के दुरूख- दर्द और पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। बस्तर जिले में मुस्लिम समाज हाशिये के लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। जिसमें मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति और भी दयनीय है। लेखिका ने अरमान बी, फातमा, रब्बो आपा, साजो खाला, नसीमा आदि के माध्यम से मुस्लिम समाज की स्त्रियों के जीवन और उनके संघर्षों का यथार्थ वर्णन किया है। तो वहीं मोना दीदी के माध्यम से हिंदू स्त्रियों के जीवन की दशा को भी चित्रित किया है। लेखिका ने उपन्यास में स्त्रियों कि जिन समस्याओं को व्यक्त किया है वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है क्योंकि हमारे समाज मे हाशिये पर स्थिति स्त्रियों के जीवन मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो परिवर्तन हुआ भी है वह उच्च और मध्य वर्गीय स्त्रियों तक ही सीमित है। भारत में एकमात्र मुस्लिम निजी कानून है जिस कारण भारतीय मुस्लिम स्त्रियों को बहुविवाह और आसान तलाक प्रक्रिया जैसी कुप्रथाओं का आज भी शिकार होना पड़ रहा है। आज भी मुस्लिम समाज में स्त्री के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकार और तमाम संस्था व संगठन को हाशिये पर स्थिति स्त्रियों की समस्याओं और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है तभी इन स्त्रियों के जीवन को नई दिशा मिल सकेगी।

मेहरून्निसा परवेज  एक उत्कृष्ट लेखिका हैं, जिन्होंने मनुष्य जीवन के सामाजिक क्षेत्र और साहित्य क्षेत्र में उल्क्रमणीय योगदान दिया है। इनकी रचनाओं पर व्यक्तित्व की एक गहरी छाप मिलती है। इनके एक संवेदनशील लेखिका होने के कारण इनके कथा साहित्य में भावना, भाव, विचार,पीड़ा आदि जन - मानस से प्रत्यक्ष संबंध जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेखिका ने अपने उपन्यास के माध्यम से सामाजिक परिवेश के विविध पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त समस्याओं पर विचारणीय प्रकाश डाला है।

## संदर्भ सूची


1. मेहरून्निसा परवेज : कोरजा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1997, पृ.सं.-14
2. वही, पृ.सं.-20
3. वही, पृ.सं.-206
4. मेहरून्निसा परवेजरू कोरजा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2000, पृ.सं.-99
5. वही, पृ.सं.- 69
6. वही, पृ.सं.- 181
7. वही, पृ.सं.- 138

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# जैसलमेर की वास्तु विरासत

**डॉ. ममता भाटी**
सीनियर फेलो, आईसीएसएसआर,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
mamtabhati69@gmail.com

## सारांश

जैसलमेर स्थापत्य कला की दृष्टि से सारे संसार में अपना उच्च स्थान रखता है।हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के कलाकारों की कला यहाँ दृष्टव्य है। हिन्दुओं ने जहां मूर्तियों, पशु-पक्षियों, मयूरों, विविध प्रकार के चक्रों एवं पुष्पों को हिन्दू कला के रूप में उभारा है, मन्दिरों के शिखरों एवं राजप्रसादों को सजाया है, वहां मुसलमानों ने ज्यामितीय कलाकृतियों से, पारदर्शक जालियों, मस्जिदों एवं ताजियानुमा राजप्रसादों को बनाकर अपने-अपने सांस्कृतिक स्वरूप को उद्घाटित किया है। दुर्ग का निर्माण महारावल 'जैसल' ने 12 वीं शताब्दी में किया था। 12वीं से 14वीं शताब्दी में जैसलमेर पर अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक आदि ने आक्रमण किये। इस कारण इस समय पर नगर अधिक प्रगति नहीं कर सका। दुर्ग में बने हिन्दू एवं जैन मंदिरों तथा भवनों को तोड़ दिया गया था। इन आक्रमणों के बाद दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। परंतु 15वीं से 17वीं शताब्दी तक का तीन सौ वर्षों का समय चहुंमुखी प्रगति का समय था। इस समय कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति एवं स्थापत्य की दृष्टि से बहुत प्रगति हुई , इसी समय दुर्ग में जैन मंदिर, हिन्दू मन्दिर, राजप्रसाद, कुए, बुर्ज तथा अन्य भवनों का निर्माण हुआ। अतः इस समय को स्वर्ण युग कहा जाता है।

**बीज शब्द :** थार, त्रिकूटगढ़, पीत पाषाण, बुर्ज, हवेली, नक्काशीदार, तोरण, चौबीसी।

## प्रस्तावना

पश्चिम राजस्थान के अन्तिम छोर पर पाकिस्तान की सीमा से सटा जैसलमेर, थार रेगिस्तान का ही एक भाग है, इस प्रदेश में चतुर्दिक बालू मिट्टी से आच्छादित उबड़-खाबड़ व कहीं समतल भूपट दृष्टिगत होता है। यह क्षेत्र रेत के टीबों से ही युक्त है। रेत के ये टीबे अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। इस विशाल रेगिस्तान के मध्य जैसलमेर शहर के निकट लगभग चालीस मील के घेरे में पथरीली जमीन भी है। यह प्रदेश 64 कि.मी. लम्बी तथा लगभग 16 से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के रूप में है। चन्द्रवंशी यादव रावल भाटी (राउल) जैसल ने ई. सन् 1156 (विक्रम संवत् 1212) में दुर्ग तथा नगर की स्थापना की थी। राजा जैसल के नाम व मेरू (पहाड़) पर स्थित होने के कारण इसे जैसलमेरू अर्थात जैसलमेर कहते हैं। मेरू (पहाड़ी) तीन कोनों की होने के कारण इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। पीत पाषाणों से निर्मित कलापूर्ण नगर आज विश्व के पर्यटन मानचित्र पर तीव्र गति से उभर कर आया है।

प्राचीनकाल में जैसलमेर यातायात की दृष्टि से जितना कठिन था, उतना ही आज सरल है। प्राचीन काल में जैसलमेर होकर थार मरूस्थल के मध्य से एशिया, यूरोप तथा समरकन्द तक पैदल मार्ग था। मार्ग की कठिनाईयों का वर्णन करते हुए

किसी कवि ने कहा था—

**घोड़ा कीजै काठ का, पिंड (शरीर) कीजै पाखाण (पाषाण)।**
**बखतर (वस्त्र) कीजै लौह का, जद देखो जैसाण।।**

जैसलमेर की यात्रा के लिए लकड़ी का घोड़ा चाहिए, शरीर को पत्थर का (पत्थर के समान कठोर व सहनशील) होना चाहिए। बखतर (वस्त्र लोहे के होने चाहिए) तब जैसलमेर देखा जा सकता है।

**सोनार किला :** जैसलमेर के मध्य 250 फीट (76 मीटर) त्रिकोण पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग स्थित है। 99 गोलाकार बुर्ज हैं प्रत्येक बुर्ज की ऊँचाई 30 फीट की आंकी गई है। बुर्जाकार दीवारों के ऊपर विशाल बेलनाकार व गोल-गोल पत्थर रखे हैं। जो उस युग में दुर्ग की रक्षा हेतु हथियार के रूप में काम आते थे। जैसलमेर का किला विशाल पीत पाषाणों से बना है। यह पत्थर सूर्य की किरणें पड़ने से स्वर्णाभूषण की तरह चमक उठता है। किले की इस आभा से इसे 'सोनार किला' के नाम से पुकारा जाता है। चतुर्दिक मरुस्थल होने से वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे धान्व दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कहीं भी चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर के ऊपर पत्थर को एक दूसरे के अंदर खोंचा लगाकर फिर जोड़ दिया है। पत्थरों की जोड़ाई नीचे से ऊपर तक सीधी धार मिलाती है।

किले में अक्षयपोल, सूरजपोल, गणेशपोल और हवापोल नाम के चार मुख्य द्वार बने हुए हैं। शिकार की टोह में लेटे हुए शेर की आकृति का यह किला सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दुर्ग का मुख्य द्वार अक्षयपोल है। इसके आगे की चढ़ाई का रास्ता घुमावदार और संकरा है। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना नितान्त आवश्यक था। किले के ऊपर तक पहुंचने में सूरजपोल, गणेशपोल और हवापोल को पार करना पड़ता है। इन सभी पोलों को सुदृढ़ दीवारों से इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि विशाल किवाड़ों को, तोड़े बिना शत्रु किले पर अधिकार नहीं कर सकता था। दुर्ग का निर्माण इस तरह से किया गया है कि दूर से आने वाले शत्रु को उसका प्रवेश द्वार दिखाई नहीं दे। सूरज पोल उसका उदाहरण है। सूरज पोल के आगे बैरीशाल बुर्ज के बन जाने से दुर्ग का प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता है। सूरजपोल के पास राजमहल की एक दीवार पर वि. सं.1512 का लेख उत्कीर्ण है जिससे ज्ञात होता है कि महाराव देवीदास के शासन काल में अमरकोट को तोड़ कर वहां से लाई गई ईटों द्वारा दीवार का निर्माण करवाया गया था। इसी पोल के दाहिनी तरफ एक भव्य व आकर्षक मीनार है जिसके शीर्ष पर अठपहलू ढोलाकार छत्री बनी हुई है जहां से पहरेदार शत्रुओं की हलचल का बहुत दूर से ही पता लगा सकता था। सूरजपोल के मूल उत्तरंग पर तोरण के ठीक बीच में सूर्य की आकृति अंकित है। इसी प्रकार गणेशपोल पर गणेश की प्रतिमा प्रतिष्ठित है।

हवापोल को पार करने के बाद विशाल राजमहल दिखाई देते हैं। सर्वोत्तम विलास, जिसका निर्माण महारावल अखैसिंह (1722-1762 ई) के शासन काल में हुआ था, एक भव्य इमारत है। इसमें नीली चौकियां व कांच का जड़ाऊ काम बड़ा सुन्दर व कलात्मक है। इसे शीशमहल की संज्ञा दी जाती है। हवा पोल के ऊपर रंगमहल का निर्माण महारावल मूलराज II (1762-1820 ई) के द्वारा करवाया गया था। इसका दालान कला की दृष्टि से अति उत्तम है। इस दालान की दीवारों पर वृत्ताकार व घुमावदार रेखा अंकित अलंकरण कला के उत्कर्ष नमूने कहे जा सकते हैं। पूर्व और उत्तर में स्थित प्रसादिकाओं के फलस्वरूप इस महल में पर्याप्त प्रकाश रहता है। एक अन्य मोती महल का निर्माण भी मूलराज द्वारा 1813 ई. में करवाया गया था। यह महल तीन-मंजिला है। इसके मुखपट पर विशेषकर इसके प्रस्तर के दरवाजों पर फूल-पत्तियों की खुदाई का बड़ा सुन्दर व कलात्मक काम किया गया है।

वास्तुशिल्पी के आलंकारिक स्वरूप के अलावा ये भवन एक शुष्क रेतीले वातावरण के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। प्रत्येक कोण और नक्शे को इस तरह से बनाया गया है कि गमी को कम किया जा सके और ज्यादा हवा आ सके, धूल बाहर रहे और जितना भी पानी वहां है उसे सुरक्षित किया जा सके।

**पटवों की हवेली :** उन्नीसवीं शताब्दी में जैसलमेर के सबसे धनवान निवासियों ने अत्यधिक खूबसूरत हवेलियों का निर्माण कराया। पटवों की हवेली इनमें सबसे श्रेष्ठ है। इसका निर्माण अत्यधिक समृद्ध ओसवाल परिवार द्वारा कराया गया

था। वे जैन व्यापारी थे। ये कुल पांच हवेलियां हैं। इन हवेलियों में जैसलमेर के पास से ही प्राप्त पीले पत्थर का प्रयोग हुआ है। यह पत्थर खुदाई के कार्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। छः मंजिली हवेलियों पर बने झरोखे, बारियें, गोखड़े, तिबारियें आदि बड़े सुन्दर व सुरम्य प्रतीत होते हैं। भव्यता और कलात्मक दृष्टि से ये अपने ही ढंग के हैं। ये हवेलियें सात फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित हैं। सीढ़ियों से चढ़कर हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। प्रवेश द्वार के अन्दर के भाग को मौडा (बैठक) कहा जाता है। इसके आगे खुला चौक है। सामने पठियाल और उसके पीछे कोटे (स्टोर) अवस्थित हैं। यहां दीवारों में अनाज गृहों की व्यवस्था की गई है। इनमें दो मंजिले तल भंवरे (भूमिगत), रसोईघर, पणिहारे तथा ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। ऊपर आवास के लिए कमरों पर कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में जगह जगह आले (अलमारियां) दीवट, रुपये पैसे, सोना-चांदी और जवाहरात रखने हेतु दीवारों में गुप्त तिजोरियों का प्रावधान है। कमरों की छतें लकड़ी की बनी हैं। जिन पर सोने की कलम का सुन्दर मीनाकारी का काम किया गया है। प्रवेश द्वारों, कमरों और मेड़ियों के दरवाजों पर भी खुदाई का सुन्दर काम किया गया है। इन हवेलियों में सोने की कलम की चित्रकारी, हाथीदांत की सजावट आदि देखने को मिलती है। यहां शयन कक्ष रंग-बिरंगे विविध चित्र, बेल-बूटे, पशु-पक्षी की आकृतियों से सजाए गए हैं। ऊपर फौवारों की भी व्यवस्था की गई है। इन हवेलियों में कुल लगभग 66 झरोखे हैं। इन झरोखों के निचले भाग में कटाई का बहुत ही सुन्दर काम किया गया है। इनके ऊपर के कबानीदार व चौकोर छज्जों की बनावट कला की दृष्टि से उत्कृष्ट कही जा सकती है। इन हवेलियों की चुनाई में सीमेन्ट एवम् चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। एक दूसरे पत्थर को खांचे से खांचे में मिला कर स्थिर कर दिया जाता था।

यह भवन वास्तुकला और पत्थरों की नक्काशी का अद्‌भुत संगम है। बाहर का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो अलंकृत न हो। भवन के समूचे अग्रभाग को कुशल नक्काशी और मूर्तिशिल्प द्वारा अनेक खिड़कियों, छज्जों, खंभों, टंकों, सायबानों के माध्यम से कुशलतापूर्वक जोड़ा गया है। इस हवेली की कारीगरी के बारे में दोहा कहा गया है–

**दांतां तल उँगली दबे, बाँणी बणे अबोल।**
**नयन नी धापे निरखता, पटुओ वाली पोल।**

**सालिमसिंह की हवेली :** जैसलमेर नगर के मध्य में सबसे ऊंची हवेली बनी है। इस हवेली को सालिमसिंह की हवेली के नाम से पुकारते हैं। इस हवेली का निर्माण इतिहास-प्रसिद्ध दीवान सालिमसिंह ने अपने पिता स्वरूपसिंह दीवान द्वारा निर्मित भवन के सबसे उच्च भाग पर करवाया था। हवेली की सर्वोच्च मंजिल को मोतीमहल की संज्ञा दी गई है। मोती महल के ऊपर भी दो लकड़ी के खन बने हुए थे जिनमें कांच और रंग का काम करवाया गया था। इसीलिए वे कांच महल और रंग महल के नाम से प्रसिद्ध थे। सालिम सिंह के निधन के बाद ये दो खन उतरा दिए गए थे। इस हवेली के चारों तरफ अड़तीस बारियें व बगलियां निर्मित हैं जिन पर अलग अलग कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं। इन पर बनी जाली पारदर्शिक है। फूल-पत्तियां, बेल-बूटे तथा नाचते हुए मोरों की आकृतियां तक्षण कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। हवेली दूर से एक जहाज का सादृश्य प्रस्तुत करती है। हवेली में दीवारों पर सुन्दर भित्ति चित्र तथा लघु चित्र हैं। छतों व स्तम्भों पर सोने की कलम का काम किया गया है। हवेली में फौवारों की भी व्यवस्था थी। वस्तुतः हवेली स्थापत्य कला की एक अनुपम कृति है।

**दीवान नथमल की हवेली :** जैसलमेर नगर के मध्य में नथमल मेहता की हवेली भी दर्शनीय है। इसका अग्रभाग पत्थर की कटाई की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावकारी है। हवेली को दो कलाकारों हाथी और लालू ने बनाया था। अपने समय के उच्च कोटि के शिल्पकार थे। एक तरफ का भाग एक भाई ने तथा दूसरे तरफ का भाग दूसरे भाई ने बनाया था। दोनों भाईयों ने निश्चय कर लिया था कि दोनों ही अलग-अलग डिजाइनों की कलाकृतियां बनायेंगे। इसमें किसी भी कलाकृति को दोहराया नहीं जायेगा। इस कारण दोनों भागों की कलाकृतियां अलग-अलग हैं। हवेली के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चबूतरे पर अम्बाड़ी सहित खड़े हाथी की प्रतिमाएँ हैं। इस प्रकार हाथियों की सजावट केवल दीवानों के भवनों के आगे ही की जा सकती थी। पत्थर के झरोखों, कंवल एवम् तिबारियों की बनावट बड़ी सुन्दर है।

दीवान नथमल की हवेली में फूल पत्तियों की खुदाई बड़ी उत्कृष्ट है। छज्जों, स्तम्भों, चापों, मौखियों, झरोखों तथा कंबलों

पर मनमोहक कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं। यहां छत, लकड़ी के स्थान पर पत्थर की बनाई गई है। इसमें छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर इस तरह जमाया गया है कि सम्पूर्ण छत समतल बन गई है। यहां पर किसी प्रकार की मारवट, भीम, कबानी आदि का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार की छत अन्य हवेलियों में नहीं है। यह उच्च कोटि की कला-कौशल का परिचायक है।

**जैन मन्दिर :** जैसलमेर के जैन मन्दिर गुजरात के सोलंकी व बघेला मन्दिरों के स्थापत्य से पूर्णतया प्रभावित हैं। जगती, गर्भगृह, मुखमण्डप, गूढ़मण्डप, रंगमण्डप, स्तम्भों व शिखर आदि में यहां सोलंकी व बघेला मन्दिरों का स्पष्ट अनुकरण दृष्टिगत होता है। दुर्ग स्थित भव्य जैन मन्दिरों में बनी विभिन्न कला शैलियों में सजी प्राचीन प्रस्तर मूर्तियां अद्वितीय हैं। विभिन्न भाव भंगिमाओं में क्रीड़ारत ये प्रतिमायें प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का अद्भुत मूर्त रूप है। चिन्तामणी पार्श्वनाथ, शान्तिनाथ, शीतलनाथ, चन्द्राप्रभु, अष्टाप्रभु, संभवनाथ, ऋषभदेव एवं महावीर स्वामी की ये दिव्य मूर्तियां जैन श्रावकों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति भावना का आदर्श स्वरूप हैं। पार्श्वनाथ जी का मन्दिर अपने स्थापत्य व मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। वृद्धिरत्नमाला के अनुसार इस मन्दिर में मूर्तियों की कुल संख्या 1253 है। पार्श्वनाथ मन्दिर के मुख्य द्वार पर स्थित तोरण के दोनों पार्श्वों में देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं जिनमें भैरव मुख्य है। इस तोरण पर सुन्दर मूर्तियां, वादक-वादनियां की नृत्य मुद्राएं, हाथी, सिंह व घोड़े की मुखाकृतियां, बेल-बूटे का अंकन हुआ है। तोरण के उच्च शिखर पर ठीक मध्य में मध्यानस्थ भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति उत्कीर्ण है। प्रवेश द्वार पर मुख मनुप के तीन तोरण व इनसे बनी कलामय छत विभिन्न आकृतियों से आच्छादित हैं। तोरणों में तीर्थंकरों की मूर्तियाँ वस्तुतः सजीव व दर्शनीय हैं। सोलंकी और बघेला शैली के अनुकूल इस मन्दिर में सभा मण्डप, गर्भगृह, एवं देव कुलिकाओं आदि की व्यवस्था है। इन कुलिकाओं में सुन्दर मूर्तियां स्थित हैं। सभा मण्डप के छत में विभिन्न मुद्राओं में वादनियों को इस प्रकार सजाया गया है जिससे साक्षात् रामलीला नृत्य का सहज ही में आभास हो जाता है। नृत्य मुद्राओं पर रंग की चित्रकारी से उनकी शोभा और भी बढ़ गई है।

किले में स्थित अन्य जैन मन्दिरों का स्थापत्य लगभग पार्श्वनाथ के मन्दिर के स्थापत्य का ही अनुकरण है। सभी मन्दिरों में जैन मूर्तियों की बाहुल्यता है। संभवनाथ जी के मन्दिर के रंगमण्डल का गुम्बद वस्तुतः दर्शनीय है छत के मध्य भाग में आबू के देलवाड़ा के मन्दिरों के समान झूलता हुआ कमल का लोलक है जिसके इर्द-गिर्द में गोलाकार बारह अप्सराओं की आकृतियाँ हैं। अप्सराओं के नीचे के हिस्से में गंधर्व की मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। अप्सराओं के मध्य भाग में एक-एक पद्मासन मुद्रा में जिन मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं जिनके नीचे हंस निर्मित हैं। दक्षिण दिशा में पीले पत्थर के चित्रांकित दो तोरण हैं। मन्दिर का शिखर सादा है परन्तु मंडोवर के गोलाखों में पद्मासन स्थित तीर्थंकरों की मूर्तियाँ वस्तुतः दर्शनीय है।

शान्तिनाथ जी व कुन्थुनाथ जी के मन्दिर का शिखर भव्य व आकर्षक है। इसके शिखर के गुम्बद की छत के वाजिन्त्रों के साथ नृत्य करती हुई बारह अप्सराओं का रूपांकन कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है और इनके नीचे के भाग में गंधर्वो की प्रतिमाओं का प्रदर्शन हुआ है। अष्टापद जी के मन्दिर के सभामण्डल के चारों स्तम्भों के मध्य में तोरण है। गूढ मण्डप में एक सफेद आरस की और दूसरी श्याम वर्ण की ये प्रस्तर मूर्तियाँ कार्योत्सर्ग मुद्रा में प्रतिष्ठित हैं। इनके दोनों पार्श्वों में ग्यारह-ग्यारह मूर्तियाँ होने से उन्हें चौबीसी की संज्ञा दी गई है। अष्टापद जी के मन्दिर के भीतरी भाग में हाथी, घोड़े व सिंह की सुन्दर आकृतियां उत्कीर्ण हैं। कहीं कहीं बन्दर की प्रतिमा भी खोदी गई है। मन्दिर के पानी को बाहर निकालने हेतु नाली तैयार की गई है जो वस्तुतः मगरमच्छ के मुंह के सदृश दिखाई देती है। ऊपर की दीवारों पर शिव पार्वती की आकृति का रूपांकन हुआ है। वहीं पर युवतियाँ तुरही वादन करती हुई, ढोलक और तम्बूरे बजाती हुई तथा नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित है।

चन्द्रप्रभू का मन्दिर तीन मंजिला है। इसके सभामण्डल के आठ खम्भों में आठ सुन्दर कला पूर्ण तोरण बने हैं। जिन गुम्बद की बनावट चित्त आकर्षक है। दूसरी और तीसरी मंजिल पर भगवान चन्द्रप्रभु विराजमान हैं जो चौमुख रूप में है। नीचे के सभा मण्डप में चारों तरफ जाली का काम हुआ है। इस मन्दिर में गणेश को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। यहां तीसरे मंजिल पर एक कोठरी में रखी धातु की बनी चौबीसी व पंच तीथी मूर्तियों का संग्रह है।

ऋषभदेव के मन्दिर का शिखर अत्यन्त कलात्मक एवम् दर्शनीय है। इस मन्दिर की एक विशेषता यह है कि यहां मुख्य सभा मण्डप के स्तम्भों पर हिन्दू देवी देवताओं का रूपांकन हुआ है। कहीं राधाकृष्ण और कहीं अकेले कृष्ण को बांसुरी वादन करते हुए दिखाया है। एक स्थान पर गणेश, शिव, पार्वती व सरस्वती की मूर्तियां अंकित की गई हैं। कहीं इन्द्र व कहीं विष्णु की प्रतिमा उत्कीर्ण है।

इसी प्रकार लौद्रवा मे भी आदिश्वर भगवान के तीन जैन मन्दिर हैं। ये सभी 19 वीं शताब्दी की कृतियां हैं। इनसे यह तो स्पष्ट है कि जैसलमेर क्षेत्र में जैन स्थापत्य परम्परा का अनुसरण 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक होता रहा।

**निष्कर्ष :** जैसलमेर नगर स्थापत्य कला की दृष्टि से सारे संसार में अपना उच्च स्थान रखता है। यहाँ की वास्तु, शिल्प, मूर्ति कला आदि बेजोड़ तो है ही साथ ही पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। स्वर्ण प्रस्तरों पर उत्कीर्ण बारीक नक्काशी अद्भुत है। सारा नगर ही हवेलियों की तरह नक्काशीदार जाली, झरोखों और गवाक्षों से भरा है। किसी पर्यटक ने ठीक ही कहा है- 'पूरा शहर ही एक संग्रहालय है।'

## संदर्भ ग्रंथ सूची


1. शर्मा, नन्द किशोर, 2011, जैसलमेर का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सीमान्त प्रकाशन, जैसलमेर.
2. गढ़वीर, डॉ. मेघाराम, 2012, जैसलमेर राज्य का सामाजिक इतिहास, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर.
3. व्यास, डॉ. मांगीलाल, 2019, जैसलमेर राज्य का इतिहास, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर.
4. भाटी, डॉ. रघुवीर सिंह, 2010, जैसलमेर की सांस्कृतिक धरोहर, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर.
5. गुप्ता, डॉ. मोहनलाल, 2015, राजस्थान की पर्यावरणीय संस्कृति, जवाहर कला केन्द्र एवं संकल्प प्रकाशन, जयपुर.
6. गुप्ता, डॉ. मोहनलाल, 2022, राजस्थान के संग्रहालय एवं अभिलेखागार, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर.
7. भाटी, हरिसिंह, 2020, गज़नी से जैसलमेर, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर.
8. मेहता दीवान नथमल, 2019, तवारीख जैसलमेर, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# भक्तिकालीन संत साहित्य में दलित चेतना

**सीमा कुमारी**
वरिष्ठ सहायक प्राध्यापिका,
हिन्दी-विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)
Email : seemakumari22529@gmail.com
Mobile : 8709097558

'भक्तिकालीन संत साहित्य में दलित चेतना' शीर्षक शोध आलेख में दो बीज शब्द हैं - संत साहित्य और दलित चेतना। सबसे पहले इस आलेख के बीज शब्दों के अभिप्राय समझना आवश्यक है। संत साहित्य से अभिप्राय है - वह धार्मिक साहित्य जो निर्गुण संतों द्वारा रचा गया।

श्री पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने संत शब्द की व्युत्पति 'शांत' शब्द से मानी है जिसका तात्पर्य है - निवृत्ति मार्गी या वैरागी।

श्री परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार— 'संत शब्द से अभिप्राय वैसे व्यक्ति से है जिसने सत् को पहचान लिया हो और उसके साथ तद्‌रूप हो गया हो।'

डॉ० विनय मोहन के अनुसार— 'संत का तात्पर्य उससे है जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य बनाकर लोकमंगल की कामना करता हो। हमारी दृष्टि से कोई भी ईश्वरोन्मुख सज्जन व्यक्ति संत हो सकता है, किन्तु सामान्य व्यावहारिक अर्थ में निर्गुण उपासक संत माने जाते हैं और सगुण उपासक भक्त।'

इस आलेख का दूसरा बीज शब्द है- दलित चेतना। दलित चेतना से आशय है- समाज का वह दबा-कुचला वर्ग जो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए और अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार हेतु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। पूरे साहस व निडरता के साथ अपनी समस्याओं को समाज के समक्ष रखने में समर्थ हो। शरण कुमार लिंबाले के शब्दों में— "दलित साहित्य में दलित चेतना संघर्ष से नाता रखने वाली क्रांतिकारी मानसिकता है। मनुष्य को केन्द्र मानकर जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने वाली यह प्रतीति है।"[1]

साहित्य में दलित चेतना को स्पष्ट करते हुए ओमप्रकाश वाल्मीकि ने कहा है— "दलित चेतना का सीधा संबंध दृष्टि से है। दलित यानी हजारों साल से शोषित, प्रताड़ित, सामाजिक और धार्मिक विद्वेष से नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया, मानवीय अधिकारों से वंचित, वर्ण-व्यवस्था में सबसे नीची पायदान पर खड़ा, अस्पृश्य, अन्त्यज, पंचम कहा जाने वाला व्यक्ति की चेतना यानी दलित चेतना। यही दलित चेतना दलित साहित्य की अन्तःऊर्जा में नदी की तेज बहाव की तरह समाविष्ट है, जो उसे पारंपरिक साहित्य से अलग करती है। दलित चेतना पर विमर्श करने से पूर्व भारतीय समाज व्यवस्था पर ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय समाज व्यवस्था को समझे बगैर दलित चेतना की तीव्रता का अहसास करना कठिन है। हजारों वर्ष की प्रताड़ना, शोषण, द्वेष, वैमनस्य और भेदभाव से दबा दलित अपनी अस्मिता की खोज के लिए जागरूक दिखाई पड़ता है।"[2]

हिन्दी साहित्य में पूर्वमध्यकाल यानी भक्तिकाल में निर्गुण धारा के अन्तर्गत एक ऐसे क्रांतिकारी साहित्य का सृजन

हो रहा था जिसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से जाना गया। इस शाखा के सभी कवि संत थे। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्तर्गत अनेक क्रांतिकारी कवि उत्पन्न हुए जो अधिकतर दलित वर्ग से आते थे, जिसमें कबीर, दादू दयाल, रैदास, नामदेव आदि प्रमुख हैं। नामदेव दर्जी, दादू दयाल धुनिया, रैदास चमार, कबीर जुलाहा जाति से थे और ये जन्म से ही इसमें पले-बढ़े थे। इन संत कवियों के नाम आज भी समाज में आदर के साथ लिया जाता है, कारण कि इन सभी संतों ने समाज को एक नई दृष्टि दी, भोगा हुआ सत्य समाज के सामने पूरी हिम्मत के साथ प्रस्तुत किया। जिसमें संत कबीर का नाम अग्रणी है। इन सबने सामाजिक छुआछूत, ऊँच-नीच का भेदभाव, ब्राह्मणवाद, अवतारवाद, बाह्याडंबर, मूर्तिपूजा आदि पर करारा चोट किया। समाज के दबे-कुचले लोगों के हृदय में एक नई चेतना भरने का काम किया। साथ ही सभी संतों ने अपने काव्य में नाम की महता, गुरु की महिमा का गुणगान किया है और कर्मकाण्ड आदि सामाजिक बुराइयों का जोरदार विरोध किया है। समाज में जाति भेद से उत्पन्न ऊँच-नीच की भावना को ही नहीं बल्कि वर्ग-व्यवस्था से उत्पन्न ऊँच-नीच की भावना को भी समाज से दूर भगाने का प्रयास इन संतों द्वारा किया गया है। जन्म से ही कोई शूद्र या ब्राह्मण अथवा हिन्दू या मुसलमान नहीं होता है, इस पर कुठाराघात करते हुए संत कबीर ने कहा है—

**"जौ तू बाँभन बँभनी जाया। तौ आन वाट ह्वै क्यों नहीं आया।**
**जौ तू तुरक तुरकनी जाया। तौ भीतर खतना क्यों न कराया।।"**[3]

जाहिर सी बात है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में जब जाति-पाँति के नाम पर किसी वर्ण विशेष को किसी दूसरे वर्ण विशेष द्वारा एक मनुष्य को मनुष्य नहीं, बल्कि किसी पशु से भी निम्नतर समझ कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। स्वयं को अति श्रेष्ठ और दूसरे को नीच समझकर उसका सामाधजिक बहिष्कार किया जा रहा था वैसी परिस्थिति में कबीर जैसे संतों का प्रादुर्भाव होना वर्ण-व्यवस्था को ध्वस्त करने और दलित चेतना को सजग करने का सफल प्रयास कहा जा सकता है।

समाज में छुआछूत जैसी ब्राह्मणवादी विचारधारा पर प्रहार करते हुए कबीर ने कहा है—

**"काहै की कीजै पाँडे छोति विचारा। छोतिहिं ते अपना संसारा।।**
**हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध। तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद।।**
**छोति छोति करता तुम्हहिं जाए। तौ ग्रभवास काहे को आए।।''**[4]

साहित्य में दलित चेतना का संकेत हमें आदिकालीन साहित्य सिद्धों और नाथों की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। कबीर ने बाह्याडंबर, जाति-पाँति आदि का जो खंडन अपनी करारी उक्तियों में किया है, वह सिद्धों और नाथों की ही देन है। अपनी तार्किक शैली में समाज के बाह्याचारों पर जो कटु प्रहार कबीर ने किये हैं, उसका सूत्रपात सिद्धों और योगियों के ही समय हो चुका था। सिद्धों ने कहा—

**''आवण गमण णां तैन विषैण्यो,**
**तो वि णिणज्ज भणइं हऊं पंडिओ।''**[5]

संत साहित्य में कबीर युग प्रवर्तक के रूप में उभर कर आए। उन्होंने मुल्ला की बाँग और हिन्दुओं की पीतल पिटंत पर तिलमिला देने वाली उक्तियाँ कही हैं, चुटकियाँ ले-लेकर व्यंग्य कसे हैं। इन्हीं उक्तियों के माध्यम से उन्होंने धर्म के मूलतत्त्व को पहचान ढोंग के ढोल की पोल खोल दी है—

**"मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है?**
**चिउँटी के पग नेवर बाजै, सो भी साहिब सुनता है।**
**पंडित होय के आसन मारे, लम्बी माला जपता है।।"**[6]

भक्तिकालीन संत कवियों ने अपने साहित्य में दलित धारा को व्यापक रूप दिया। वे समाज में दबे-कुचले लोगों को जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता के कारण ईश्वरीय चिंतन से वंचित थे, उन्हें भी अधिकार दिलाने हेतु प्रयास कर रहे थे। "साहित्य में दलित चेतना का जो बीजवपन आदिकालीन सिद्धों और नाथों में हुआ उसका पल्लवन व पुष्पन मध्यकाल के

निर्गुण संत कवियों ने किया। दलित समाज को न्याय, समानता एवं प्रतिष्ठा दिलाने में संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे संत नामदेव हो या कबीर, रैदास, नानक, सैन, पीपा या धन्ना हो, सभी संत कवियों ने बाह्याचारों व कर्मकांडों के विरोध के साथ जाति-पाँति व वर्ण-व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया। अधिकतर संतों में प्रायरू दलित कही जाने वाली जातियों से ही थे। 'अक्सर कहा जाता है कि भक्तिकालीन कवियों में दलित कवियों की बहुतायत थी। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। यानी उस दौर में निम्न कही जाने वाली जातियों के कवियों को मान्यता मिली, जब भारत में गैर हिन्दुओं की सत्ता थी।"[7]

जब मध्यकाल में गैर हिन्दू साम्राज्य में दलित कहे जाने वाले संत कवियों को सम्मान मिलने लगा तब उन्हें अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का मौका मिला, फलस्वरूप संत कवि भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों पर खुलकर बोलने व लिखने लगे। चाहे वह किसी धर्म का पुजारी हो या पंडित - पुरोहित, मुल्ला या अन्य व्यभिचारी। टोना-टोटका, पूजा-पाठ, रोजा-नमाज, मंदिर-मस्जिद सभी पर संत कवियों द्वारा करारा प्रहार किया गया। "हिन्दी में निर्गुण संतो के पूर्व महाराष्ट्र के संत कवियों ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। नाथ सम्प्रदाय से प्रवर्तित महाराष्ट्र के वारकरी सम्प्रदाय के कवियों ने ब्राह्मणों के बाह्याडम्बरों तथा पोथी निष्ठा का घोर विरोध कर ब्रह्म की सर्वव्यापकता में अटूट विश्वास व्यक्त किया। निवृतिनाथ व ज्ञानदेव को रूढ़िवादी ब्राह्मणों का शिकार होना पड़ा। ब्राह्मणों की इस चातुर्वर्ण्य की संकीर्ण व्यवस्था के कारण निवृतिनाथ और उनके भ्राता और भगिनी को अपमानित होना पड़ा। निवृतिनाथ गैनीनाथ या गहिनीनाथ की शरण में गए और उन्होंने उनसे नाथपंथ की दीक्षा ग्रहण की।"[8]

स्पष्ट है कि महाराष्ट के वारकरी सम्प्रदाय के कवि निवृतिनाथ व ज्ञानदेव ने ब्राह्मणों के पाखंडों का विरोध किया और उन्हें अपमानित होकर अपना पंथ बदलना पड़ा, किन्तु उनके इस संघर्ष में दलित चेतना का स्वर मुखरित होता हुआ दिखाई पड़ता है, जो दलित समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इतना ही नहीं दलित चेतना का स्वर हमें सिद्धों व नाथों के कथनों में भी दिखाई पड़ता है।

पुनीता जैन के शब्दों में— "आदिकाल के कई सिद्ध, नाथ कवि - सरहपा, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, आदिनाथ आदि दलित वर्ग से थे। फलस्वरूप जाति विरोधी चेतना का स्वर यहाँ उपलब्ध है। गोरखनाथ के कथनों का विस्तार आगे चलकर कबीर में मिलता है। सामाजिक कुरीतियों, पाखंड़ो का विरोध इनमें मुखर है। हिन्दी साहित्य के इन आरंभिक नाथ, सिद्धों की रचना के पश्चात् पूरा भक्तिकाल ही जाति -पाँति व कुरीति विरोधी काल हैद्य भक्तिकाल के इन महान संत कवियों-कबीर, रविदास, दादू दयाल, पलटूदास, मलूकदास, मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, सुन्दरदास, रज्जब इत्यादि ने अपनी वाणियों से निम्न कही जाने वाली जातियों में स्वाभिमान की भावना भरी। ......इन संत कवियों में कबीर और रविदास सही मायनों में उत्तरभारत के दलित साहित्य के अग्रदूत बनकर उभरे, क्योंकि उन्होंने जातिगत उच्चता की भावना को अपनी वाणी से ध्वस्त कर सच्ची मानव समता व कर्म-आधारित उच्चता-नीचता की अवधारणाएँ विकसित कीं।"[9]

महाराष्ट्र के वारकरी सम्प्रदाय के कवियों द्वारा ब्राह्मणवादी नीतियों के विरोध के पश्चात् हिन्दी साहित्य में निर्गुण संतों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों व कुप्रथाओं का जमकर विरोध किया और आगे चलकर महाराष्ट्र की कुरीति विरोधी परंपरा को पुष्पित पल्लवित किया। ओमप्रकाश वाल्मीकि के शब्दों में- "संत साहित्य सुधारवादी दृष्टिकोण से समस्याओं के समाधान ढूंढता था। जो यथास्थिति के लिए उपयोगी साबित हुआ है। उसकी मुखरता सामाजिक आन्दोलन में तब्दील नहीं हो पाई। जबकि चातुर्वर्ण्य-समाज-व्यवस्था के कारण इन संतों को भी सामाजिक जीवन में अवहेलना, प्रताड़्ना सहनी पड़ी। यहाँ तक कि ईश्वर भक्ति के लिए इन्हें मंदिर के बाहर ही बैठना पड़ा। रैदास, को तो यहाँ तक कहना पड़ा— 'मन चंगा तो कठौती में गंगा.... संत चोखा मेला ने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए अनेक 'अभंगों' की रचना की। लेकिन जाति व्यवस्था को लेकर उनका भी वही ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण था। उनके इन 'अभंगों' में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर आता है।

**“शुद्ध चोखा मेला। करी नामचा सोहला।।**
**याति हीन मी महार। पूर्वी निलाचा अवतार।।”[10]**

संत कवियों में कबीर जैसे प्रखर संत कवि के रूप में रैदास का नाम आता है। संत कवि रैदास जाति-पाँति का खंडन करते हुए कहते हैं–

**“जन्म जात मत पूछिए, का जात अरु पात।**
**रविदास पूत सभ प्रभ के, कोउ नहिं जात कुजात।।”[11]**

इनकी दृष्टि में सभी प्राणी ईश्वर की संतान हैं। इसलिए किसी की जाति पूछना ही व्यर्थ है, वे कहते कि–

“रविदास उपजिइ सभ इक बूंद ते, का ब्राह्मण का सूद।
**मुरिख जन न जानइ, सभ मँह राम मजूद।।”[12]**

उनका कहना था कि जातिवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी व्याधि है और यह व्याधि मानवता को पशुता की ओर ले जाती है। उनका मानना था कि मनुष्य अपने कर्मों से ऊँच-नीच बनता है जन्म से नहीं। इसलिए वे ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए कहते हैं–

**“रविदास ब्राह्मन मति पूजिए, जड हौवे गुनहीन।**
**पूजिहिं चरन चंडाल के, जउ होवै गुन परवीन।।”[13]**

संत रैदास किसी बड़े समाजशास्त्री की तरह सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए जातिवाद को समाज के पतन का कारण बताते हुए कहते हैं -

**“जात पात में जात है, ज्यों केलन के पात।**
**रविदास न मानुष जुड़ सकैं, जौं लौं जात न पात।।”[14]**

निर्गुण संत ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य कवियों ने भी बार-बार यही संदेश दिया कि ईश्वर की दृष्टि में जब सब एक समान हैं तो फिर मानव - मानव में भेद क्यों? इन संतों का रूख भले ही धार्मिक अधिक है, परन्तु इन्होंने सामाजिक विषमताओं को उजागर कर जाति-पाँति को तोड़ने का जो सराहनीय कार्य किया, उससे दलित चिंतन को प्रेरणा मिली तथा आगे लिखे गए दलित साहित्य को एक मार्ग मिला।

## उपसंहार

मध्यकालीन निर्गुण संत साहित्य में कबीर, रैदास, दादू दयाल, नामदेव आदि कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक चेतना पैदा कर वर्ण-व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, जातिवाद आदि सामाजिक विकृतियों पर प्रहार किया। ये सामाजिक विकृतियों को सुधारवादी दृष्टिकोण द्वारा मिटाना चाहते थे। ये समाज के दबे-कुचले लोगों को सामाजिक समता, न्याय दिलाने के पक्षपाती थे। जगह-जगह पर अपने पदों में कबीर व रैदास ने सामाजिक भेदभाव को अमानवीय व मनुष्य निर्मित बताया है। इनकी कविताओं में प्रतिरोध का स्वर प्रखर है, भले ही इस प्रतिरोधी स्वर का बीजवपन आदिकालीन सिद्धों, नाथों में हुआ, परंतु इसका पुष्पन -पल्लवन भक्तिकाल के निर्गुण संतों में देखा जाता है। इनकी कविताओं का प्रतिरोधी स्वर ही आधुनिक दलित चेतना का मुख्य प्रेरणा स्रोत है।

## संदर्भ सूची


1. शरण कुमार लिंबाले, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र (अनु० रमणिका गुप्ता), वाणी प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली, संस्करण -2016, पृ०सं०- 44.
2. ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य : अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ, राधाकृष्ण प्रकाशन, संस्करण-2013, पृ० सं०-59.

3. सं. डॉ० श्यामसुंदर दास, कबीर ग्रंथावली, मलिक एण्ड कम्पनी जयपुर, संस्करण-2016, पृ० सं०-32.
4. वही।
5. सं. डॉ० श्यामसुंदर दास, कबीर ग्रंथावली सटीक, अशोक प्रकाशन, नवम् संस्करण, पृ०सं०-07.
6. वही.
7. http://epgp.inflibnet.ac.in.
8. वही.
9. पुनीता जैन, हिन्दी दलित आत्मकथाएँ एक मूल्यांकन, सामयिक पेपर बैक्स नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृ० सं०-20.
10. ओमप्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य : अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ, राधाकृष्ण प्रकाशन, संस्करण-2012, पृ० सं०-62.
11. सं० डॉ० काशीनाथ उपाध्याय, गुरु रविदास, राधास्वामी सत्संग व्यास, जिला अमृतसर पंजाब, संस्करण-1998, पृ० सं०-235.
12. वही, पृ० सं०-236.
13. वही, पृ० सं०-238.
14. वही।

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# Feminist Political Thought in India

**Deepika Singh**
Research scholar
Department of Political Science
University of Delhi

## Abstract

Feminist political thought in India represents a vibrant intellectual tradition shaped by the intersections of gender, caste, class, religion, and region. Unlike Western feminism, which emerged primarily from struggles around suffrage and civil rights, Indian feminist thought evolved within the context of colonialism, nationalism, and social reform movements. This article examines the historical trajectory, conceptual frameworks, and contemporary developments of feminist political thought in India through the lens of Indian scholars and activists. It traces early articulations of women's rights in the works of social reformers and writers such as Tarabai Shinde and Pandita Ramabai, analyses the post-independence consolidation of feminist theory through texts like the Towards Equality Report (1974), and explores the critical interventions of Dalit, Adivasi, and minority feminists. Core debates around patriarchy, caste–gender intersections, legal reforms, and political representation are discussed with reference to seminal Indian works by scholars such as Uma Chakravarti, Sharmila Rege, Nivedita Menon, and Bina Agarwal. The article argues that Indian feminist political thought offers a distinct intersectional and praxis-oriented perspective that broadens democratic theory and challenges structures of inequality.

**Keywords**: Indian feminism; caste patriarchy; democratic theory; gender and law; development; digital feminism

## Introduction

Feminist political thought in India has evolved as a dynamic and multi-layered intellectual tradition that cannot be understood outside the historical and cultural specificities of the subcontinent. Unlike a linear progression, Indian feminism reflects multiple genealogies—emerging simultaneously from nineteenth-century reformist discourses, anti-colonial struggles, grassroots women's movements, and contemporary global engagements. At its core, feminist thought in India interrogates structures of patriarchy while foregrounding the complex intersections of caste, class, community, and region. The nineteenth century provided the first wave of articulations regarding women's position in Indian society. Reformers such as Raja Rammohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar advocated against practices like sati and child marriage, while women writers like Tarabai Shinde and Pandita Ramabai provided sharper critiques of Brahmanical patriarchy. Shinde's Stri Purush Tulana (1882), one of the

earliest feminist tracts in India, exposed the hypocrisy of patriarchal morality. These early articulations highlight how feminist political thought in India was embedded in questions of social reform, education, and cultural modernity. The nationalist movement added another dimension. Women participated actively in freedom struggles, but their issues were often subsumed under the larger agenda of national liberation. Scholars such as Uma Chakravarti (2003) argue that this selective visibility of women during nationalism reinforced the patriarchal bargain: women were celebrated as symbols of the nation but denied equal rights in the emerging polity. The nationalist moment thus shaped feminist thought in India by highlighting the tensions between community, modernity, and gender justice. Postindependence, the publication of the Towards Equality Report (1974) marked a watershed moment. Commissioned by the Committee on the Status of Women in India (CSWI), the report provided empirical evidence of women's marginalization in health, education, and political representation. As Desai and Thakkar (2001) note, the report galvanized women's movements across the country and laid the foundation for women's studies as an academic discipline. Indian feminist thought in this phase increasingly drew upon grassroots mobilizations—anti-price rise agitations, anti-arrack movements, struggles against dowry deaths, and campaigns against custodial rape—to formulate theoretical critiques of the state, development, and law. Contemporary feminist thought in India demonstrates remarkable diversity. Dalit feminism, articulated by scholars such as Sharmila Rege (2006), challenges the upper-caste dominance of mainstream feminism by foregrounding caste–gender intersections. Similarly, Muslim, Adivasi, and queer feminist interventions expand the scope of feminist politics beyond gender alone, emphasizing multiple axes of marginalization. The recent rise of digital feminism and campaigns like #MeTooIndia illustrate how feminist political thought is also responding to new technological and cultural shifts. This article argues that feminist political thought in India has developed a distinct trajectory that combines critique with praxis. Unlike universalist frameworks, Indian feminism insists on context, history, and materiality— connecting questions of patriarchy to land rights, caste oppression, and political representation. By drawing upon key Indian texts and thinkers, this study highlights how feminist political thought in India enriches democratic discourse and provides critical tools for transformative politics.

## Historical Foundations

The roots of feminist political thought in India can be traced to the 19th century, a period shaped by colonial modernity, social reform, and cultural contestations. British colonial critiques of Indian society often focused on the plight of women, particularly practices such as sati, child marriage, and female illiteracy. Indian reformers, influenced by both indigenous traditions and Western liberal ideas, began addressing these issues. Figures like Raja Rammohan Roy opposed sati and campaigned for widow remarriage, while Ishwar Chandra Vidyasagar fought for women's education and the legalization of widow remarriage. However, as scholars such as Uma Chakravarti (2003) note, these reformist initiatives were deeply embedded in a patriarchal framework. Women were often constructed as symbols of cultural regeneration rather than as autonomous agents. The "woman question" became central to debates between colonial administrators and Indian reformers. While colonial rulers portrayed Indian culture as oppressive to women to justify their "civilizing mission," Indian reformers countered by demonstrating the reform ability of tradition. This produced a limited space for women's agency, but it also laid the foundation for feminist critiques that would later emerge.

## Women Writers and Early Feminist Voices

Beyond male reformers, women themselves began articulating critiques of patriarchy. Two key figures stand out: Tarabai Shinde: Her 1882 pamphlet Stri Purush Tulana (A Comparison Between Women and Men) is considered the first feminist manifesto in India. Shinde critiqued the hypocrisy of men who condemned women for immorality while indulging in the same practices themselves. She located women's oppression within Brahmanical patriarchy, anticipating later feminist debates on caste and gender. Pandita Ramabai: A Sanskrit scholar and social reformer, Ramabai's The High-Caste Hindu Woman (1887) exposed the structural injustices faced by upper-caste women, particularly child widows. She highlighted how patriarchal customs, reinforced by religious authority, denied women education, autonomy, and dignity. These writings show that feminist political thought in India did not simply "borrow" from the West but developed organically from the lived realities of Indian women. Shinde and Ramabai foregrounded themes—such as caste, religion, and patriarchy—that continue to define Indian feminist discourse today. The early 20$^{th}$ century witnessed a new phase as women entered the freedom struggle against colonial rule. Leaders such as Sarojini Naidu, Annie Besant, and Kamaladevi Chattopadhyay mobilized women in civil disobedience, protests, and relief work. However, as feminist historians argue, nationalism often positioned women as symbols of tradition and sacrifice rather than as equal citizens. Partha Chatterjee's (1989) concept of the "new woman" illustrates this contradiction. While nationalist discourse promoted women's education, it emphasized values like modesty, chastity, and selfsacrifice—preserving the spiritual essence of the nation while embracing modernity. Thus, women's public participation was legitimized but confined within patriarchal boundaries. Sarojini Naidu became a celebrated orator and political leader, yet her image was often tied to the ideal of the nurturing mother. Begum Rokeya advocated Muslim women's education and criticized purdah but framed her arguments in ways that aligned with community reform. The nationalist moment, therefore, produced both empowerment and constraint. It expanded women's visibility in public life but postponed deeper questions of gender justice and political equality to the future nationstate. The making of the Indian Constitution (1946–1950) provided another important site for feminist political thought. Women members of the Constituent Assembly—such as Hansa Mehta, Durgabai Deshmukh, Renuka Ray, and Ammu Swaminathan—played crucial roles in shaping the constitutional vision of equality. Hansa Mehta ensured that Article 15 of the Constitution guaranteed equality regardless of sex. Durgabai Deshmukh emphasized women's participation in governance and education. These interventions institutionalized women's rights within the framework of universal citizenship. However, as later feminist critiques point out, constitutional guarantees often clashed with entrenched social hierarchies. While the Constitution outlawed. discrimination, practices like dowry, caste-based exclusion, and personal laws continued to reinforce gender inequality. These legacies shaped the trajectory of post-independence feminist thought. The unfinished agenda of women's emancipation—left unresolved by reformism and nationalism—provided fertile ground for the resurgence of feminist movements in the 1970s.

## Post-Independence Feminism and Women's Movements

The first two decades after independence were marked by a relative silence on women's issues. With constitutional guarantees of equality, many believed that gender justice had been achieved. The political discourse focused primarily on nation-building, economic planning, and development. Women's

participation in politics remained limited, and issues such as dowry, domestic violence, and workplace discrimination received little public attention. Feminist scholars such as Neera Desai and Usha Thakkar (2001) argue that the state promoted a welfare-oriented approach toward women, viewing them primarily as beneficiaries of development programs rather than as rights-bearing citizens. The Hindu Code Bills (1950s), which sought to reform marriage, inheritance, and property rights, represent an important development. Leaders like Hansa Mehta and Renuka Ray supported them, but the reforms were diluted due to political resistance. The persistence of personal laws meant that women's rights were still subject to religious and cultural frameworks—a challenge that continues today. The turning point came with the Committee on the Status of Women in India (CSWI), which published the landmark Towards Equality report in 1974. The report exposed widespread gender discrimination in education, employment, health, and politics, despite constitutional promises. Key findings included: Female literacy was alarmingly low. Women's labour was concentrated in low-paid, unorganized sectors. Political representation of women was negligible. Social practices like dowry and early marriage reinforced patriarchal control. As Desai and Mazumdar (1995) note, the report shattered the myth that constitutional guarantees alone were sufficient. It highlighted the structural nature of women's oppression and called for a comprehensive policy shift. The report triggered two major developments: The revival of the women's movement across India, focusing on both grassroots struggles and policy advocacy. The establishment of Women's Studies Centres in universities, which institutionalized feminist scholarship. Women's Movements of the 1970s and 1980s Inspired by the Towards Equality report, women mobilized around diverse issues. These movements combined local struggles with broader feminist critiques. Anti-Price Rise Movements (1973–74): Women in Maharashtra, Gujarat, and other regions protested against inflation and scarcity of essential commodities, linking household survival to economic policy. Anti-Dowry Campaigns: Dowry deaths and domestic violence cases in the late 1970s and 1980s sparked widespread protests, leading to amendments in the Indian Penal Code (Section 498A) and the Dowry Prohibition Act. Anti-Arrack Movement (Andhra Pradesh, 1990s): Rural women led campaigns against liquor consumption, which drained family incomes and perpetuated domestic violence. Custodial Rape Cases (Mathura Case, 1972): The acquittal of policemen accused of raping a tribal girl, Mathura, provoked national outrage. Women's groups demanded changes to rape laws, leading to the Criminal Law Amendment Act (1983). These movements highlighted the everyday nature of patriarchy, connecting personal experiences with structural inequalities. They also demonstrated how women's activism in India was deeply embedded in community struggles rather than isolated identity politics. Feminist Scholarship and Theoretical Contributions Alongside activism, feminist political thought developed through rigorous scholarship in the 1970s–1990s. Indian feminists moved beyond welfare approaches to critically analyse structures of power. Neera Desai: Pioneer of Women's Studies in India; emphasized the need to historicize women's oppression. Vina Mazumdar: Known as the "grandmother of women's studies in India," she connected academic work with activism through the Centre for Women's Development Studies (CWDS). Uma Chakravarti (2003): Developed the concept of Brahmanical patriarchy, showing how caste and gender oppression reinforce each other. Bina Agarwal (1994): Argued for women's land rights as central to economic empowerment. Kamla Bhasin (2003): Popularized feminist ideas at the grassroots through simple language, songs, and workshops. This scholarship emphasized the intersections of caste, class, and gender, making Indian feminist thought distinct from Western liberal feminism. A major area of debate was the relationship between women

and development. Feminists critiqued the top-down approach of Five-Year Plans, which ignored women's productive and reproductive labour.

## Contemporary Feminist Thought in India

From the 1990s onwards, Indian feminist thought entered a new phase. This period was marked by globalization, liberalization of the economy, rise of identity politics, and the digital revolution. Feminist scholarship and activism expanded to include new voices—Dalit, Adivasi, Muslim, queer, and young digital feminists—who challenged the dominance of upper-caste, urban, middleclass perspectives in earlier feminist politics. As Nivedita Menon (2004) argues, feminist politics in this era must be seen as "beyond the law"—not confined to legal reforms but deeply embedded in everyday struggles for dignity and equality. Contemporary Indian feminism thus demonstrates a plural, intersectional, and dynamic character, reflecting both local realities and global debates. One of the most important contributions to contemporary feminist thought in India is Dalit feminism. It critiques the upper-caste hegemony of mainstream feminism and foregrounds the lived experiences of Dalit women, who face multiple oppressions of caste, gender, and class. Sharmila Rege (2006) in Writing Caste, Writing Gender emphasized the need to read Dalit women's testimonies as sources of theory, not just experience. She argued that mainstream feminism often silenced Dalit women by universalizing the category of "woman." Dalit feminists highlight issues such as caste-based sexual violence, landlessness, manual scavenging, and exclusion from temples and education. They also draw inspiration from B.R. Ambedkar, who linked women's emancipation with the destruction of caste. Dalit feminist thought thus insists that there can be "no feminism without caste analysis." It pushes Indian feminist theory to move beyond gender as an isolated category. Muslim women's activism in India addresses the tension between religious identity, gender justice, and secularism. Debates over triple talaq, personal laws, and access to education have been central. Organizations like the Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA) advocate for reforms within Islamic frameworks while resisting communal stereotypes. Adivasi women foreground issues of land, displacement, and ecological rights. Their struggles against mining projects, deforestation, and displacement highlight how development policies disproportionately harm tribal women. Scholars like Archana Prasad and activists such as Dayamani Barla argue that Adivasi women's resistance is both feminist and ecological, linking gender justice with environmental sustainability. The rise of queer movements in India has expanded feminist thought to question the gender binary and heteronormativity. The legal struggle against Section 377 of the IPC, which criminalized homosexuality until 2018, was supported by many feminist groups. Queer feminists argue that gender oppression cannot be separated from sexuality, and that feminism must embrace LGBTQ+ rights. Scholars like Nivedita Menon highlight that feminism today must "queer" its own assumptions, moving beyond rigid categories of "man" and "woman." This has enriched Indian feminist thought by linking gender, sexuality, and citizenship. Economic liberalization (1991 onwards) brought new opportunities but also new challenges. Women entered the IT sector, call centers, and global markets, but many were pushed into precarious and informal work. Bina Agarwal's (1994) work on land rights remains relevant, as neoliberal policies often worsen women's dispossession from resources. Feminists critique the "empowerment" discourse of development agencies, which often reduces empowerment to microcredit or entrepreneurship without addressing structural inequalities. The garment industry, domestic work, and care work highlight how globalization intensifies gendered labour exploitation. Thus, feminist political thought critically examines how neoliberal policies reshape

women's lives, questioning whether economic growth translates into social justice. The digital era has opened new spaces for feminist expression, debate, and activism. Campaigns like #MeToo India (2018), Pinjra Tod, and Happy to Bleed show how young feminists use digital platforms to challenge patriarchal norms. #MeToo India exposed sexual harassment in Bollywood, media, and academia, highlighting the culture of silence around workplace abuse. Pinjra Tod (Break the Cage), led by female students, protested against discriminatory hostel rules that restricted women's mobility. Online campaigns have also mobilized against sexist advertisements, online trolling, and gender-based hate speech. However, digital feminism faces challenges: Digital Divide: Many rural and marginalized women lack internet access. Online Harassment: Women activists face targeted abuse, threats, and trolling. Despite these limits, digital platforms have democratized feminist discourse, enabling new alliances and solidarities across caste, class, and region.

## Conclusion

Feminist political thought in India has emerged as a rich and diverse intellectual tradition, deeply rooted in the country's socio-cultural realities. From the early reformist writings of Tarabai Shinde and Pandita Ramabai to the nationalist participation of women leaders like Sarojini Naidu and Begum Rokeya, feminism in India has constantly negotiated between tradition and modernity, community and individuality, nationalism and gender justice. The post-independence period, especially after the Towards Equality report (1974), marked a significant turning point by exposing systemic discrimination and revitalizing the women's movement. Activism around dowry deaths, custodial rape, and economic justice was complemented by scholarly contributions from thinkers like Neera Desai, Vina Mazumdar, Uma Chakravarti, Bina Agarwal, and Kamla Bhasin. Their work established the foundations of feminist political thought in India as a field that bridges theory and practice. In contemporary times, feminist thought has become increasingly intersectional and inclusive, integrating the voices of Dalit, Adivasi, Muslim, and queer feminists. Digital activism and globalization have opened new opportunities while also creating challenges. Ultimately, Indian feminist political thought is not only about securing women's rights but also about redefining democracy, justice, and equality in ways that are inclusive and transformative. It demonstrates that a just society is impossible without dismantling patriarchy in all its cultural, economic, and political forms.

## References


Agarwal, B. (1994). A field of one's own: Gender and land rights in South Asia. Cambridge University Press.

Chakravarti, U. (2003). Gendering caste: Through a feminist lens. Stree.

Desai, N., & Thakkar, U. (2001). Women in Indian society. National Book Trust.

Mazumdar, V. (1979). Symbols of power: Studies on the political status of women in India. Allied Publishers.

Rege, S. (2006). Writing caste, writing gender: Reading Dalit women's testimonies. Zubaan.

Bhasin, K. (2003). Understanding gender. Kali for Women.

Menon, N. (2004). Recovering subversion: Feminist politics beyond the law. Permanent Black.

Desai, N., & Mazumdar, V. (1995). Towards equality: The unfinished agenda. CWDS.

Hooks, b. (2000). Feminism is for everybody: Passionate politics. South End Press.

Mohanty, C. T. (2003). Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity. Duke University Press.

Rowbotham, S. (1997). A century of women: The history of women in Britain and the United States. Viking.

Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# वर्तमान समय और कबीर की कविता

**प्रो. जगदेव कुमार शर्मा**
आचार्य एवं अध्यक्ष मानविकी विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय)
कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110016
ईमेल - jagdevkumar68@gmail.com
संपर्क - 98686 18799

भारतीय संत परंपरा में कबीर एक ऐसे कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिन्होंने अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक विसंगतियों पर निर्मम प्रहार करते हुए सत्य, प्रेम, समानता और मानवीयता का मार्ग दिखाया। यद्यपि कबीर पंद्रहवीं शताब्दी में हुए, पर उनकी वाणी का प्रभाव वर्तमान समय में और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। आज जब समाज भौतिकवाद, जातिगत दूरी, धार्मिक उग्रता, राजनीतिक वैमनस्य और सामाजिक विघटन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब कबीर की कविताएँ एक दर्पण की तरह हमारे सामने खड़ी होती हैं। वे न केवल सामाजिक कुरीतियों पर चोट करती हैं बल्कि आत्मबोध, विवेक और आंतरिक शुचिता की ओर भी प्रेरित करती हैं। कबीर की वाणी का वैशिष्ट्य यह है कि वह किसी विशेष धर्म, पंथ या व्यवस्था की समर्थक न होकर मानवीय चेतना को जाग्रत करती है। इसी कारण आज के जटिल सामाजिक परिदृश्य में कबीर एक मार्गदर्शक की तरह उभरते हैं। उनके दोहे आधुनिक समय की विसंगतियों को उजागर करते हुए हमें यह सोचने पर बाध्य करते हैं कि सच्चा धर्म क्या है, मानवता या बाह्य आडंबर? इस प्रकार कबीर का साहित्य वर्तमान समाज के लिए आत्ममंथन का माध्यम बन जाता है। आज के समय की यदि बात करे तो दो स्थितियां स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैंध्य एक विज्ञान के क्षेत्र में विश्व विकास के उच्चतम सोपानों को छूता हुआ दिखाई देता है, और समाज में भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। परन्तु विकास का नकारात्मक पहलू यह भी है, की सुख सुविधाओं के कारण जिस शांति भरे वातावरण की स्थापना होनी चाहिए वह प्रतिस्पर्धा दम्भी छल और अलगाव की मानसिकता की सक्रियता से भंग हो रही है। अवरोध नया-नया रूप धारण करके विभिन्न प्रकार की बाधाएँ खड़ी कर रहा है। धर्म, रंग, नस्ल वर्ग और जाति के मध्य बढते भेद के परिणामस्वरूप उपजी गतिविधियों ने सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मानवता की भावना अधोगामी होकर तिरोहित सी हो रही है। ऐसे समय में आज से करीब पांच सौ वर्ष के पूर्व के कवि की क्या आवश्यकता है, यह सोच का विषय है। और कबीर की कविताओं का अध्ययन करने पर हम पाते हैं, सच्चे अर्थों में आज कबीर जैसे कवियों की ही आवश्यकता है। विचार करते हैं कबीर की कविता पर निश्चित रूप से आज का भारतीय समाज संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है। एक ओर भारतीय संस्कृति पाश्चात्य आचार - विचार से प्रभावित हो रही है, तो दूसरे ओर नयी राजनितिक सोच-विचार के प्रादुर्भाव से सामाजिक व्यवस्था में काफी उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है। जहाँ वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड पाखंड, आदि ख़त्म होता सा दिखाई दे रहा है, वर्ग जातिगत गठबंधन और साम्प्रदायिकता बढ़ती सी जान पड़ रही है। प्रेम की भी यदि बात करें तो एकोन्मुखी होता जा रहा है, प्रेम की परिभाषाएं बदलती सी जान पड रही हैं। कबीर

ने अपने साहित्य में जिस प्रेम की व्यापक रूप से चर्चा की है, वह न तो बाजार में बिकता है और न ही उसकी खेती होती है। जो लोग इस संसार में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं रखते, जो सर उतरने जैसा कठिन व्रत लेने को तैयार हैं उन्ही को सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है—

**प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय**
**राजा परजा, जिही रुचे सिर दे जो ले जाए'**[1]

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। तर्क प्रधान ज्ञान का युग है। मध्यकाल में जब पूरा देश बाह्यडम्बरों के अंधकारों में डूबा हुआ था, ऐसे में कबीर ने चीजों को तर्क की कसौटी पर देखा परखा और लोगों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने का भरसक प्रयास किया। वे ऐसे अंधकारमय युग में सच्चे अर्थों प्रगतिशील विचारक थे। हृदय और मस्तिष्क का ऐसा मणिकांचन योग कबीर में ही देखने को मिलता है, जो एक ओर प्रेम भक्ति के रस सागर में डुबकी लगा रहे थे तो दूसरी ओर समाज में वैज्ञानिक चेतना विकसित कर रहे थे। कबीर के अनुसार हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मावलम्बी भ्रम में पड़े हुए हैं, और झूठ का सहारा लेकर ईश्वर को पाना चाहते हैं। हिन्दू राम-राम कहकर मर गए और मुसलमान खुदा, परन्तु जो इन दोनों से भिन्न राह पर चला वही जीवित रहा अर्थात् कबीर का राम इन सबसे भिन्न है। कबीर स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़े, इसीलिए प्रभु दर्शन कर पाए—

**हिन्दू मुए राम कहि, मुसलमान खुदाई,**
**कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाई'**[2]

हम देखते हैं कि कबीर बाह्यडम्बर करने वालों को खरी-खोटी सुनाने से नहीं चूकते। कबीर की इसी विशेषता को लक्ष्य करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं "व्यंग्य करने में और चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते। पंडित और काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला और मौलवी सभी उसके व्यंग्य से तिलमिला जाते हैं। अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी छोटी करते हैं, कि चोट खाने वाला धुल झाड कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता"[3] कबीर की दृष्टि चतुर्दिक थी। संसार में अक्सर देखा जाता है की कुछ लोग अपने जीवन शैली से अपने को बड़ा होने का झूठा आभास कराते हैं। ऐसे लोगों की चुटकी लेते हुए कबीरदास उनकी उपमा खजूर के उस वृक्ष से करते हैं जो देखने में तो काफी ऊँचा होता है पर साधारण जन को उससे फल कौन कहे छाया तक नहीं मिलती। यानी एक तरह से प्रभुत्वसम्पन्न लोगों का अस्तित्व ही कबीरदास नकार देते हैं—

**बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर**
**पंछी को छाया नहीं फल लागे अतिदूर**[4]

कबीर की कविताओं में प्रेम शब्द का जिक्र बार-बार आया है। कबीरदास प्रेम शब्द पर सर्वाधिक बल दिया है तो क्यों? प्रेम की जरूरत लौकिक अलौकिक दोनों दोनों ही क्षेत्र में होती है। लौकिक जगत का प्रेम मनुष्य को आह्लादित कर संघर्षमय जीवन में रस घोल देता है। मानव जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा स्त्रोत बन जाता है, और यह प्रेम अलौकिक जगत में सेतु बनकर भक्त और भागवान को एक दूसरे में बाँध देता है। जो लोग सोचते हैं, कि बिना मानव समूह से प्रेम किये भगवत प्रेम में लींन हो जाएँगे, भ्रम में जीते हैं। सच तो यह है, कि कबीर में प्रेम शब्द में द्वैतभाव नहीं चलता है। और न यहाँ अन्तर्द्वन्द्व की कोई गुंजाईश दिखती है। यहाँ तो पूरा व्यक्तित्व्य ही प्रेम में तर बतर होकर जीवन का सार बन जाता है जिसमे भक्त निरंतर सोता जागता , उठता बैठता रहता है—

**नारद प्यार सो अंतर नाहीं**
**प्यार जागें तौ ही जागूं, प्यार सोवे तब सौऊँ**
**जो कोई मेरे प्यार दुखावै, जड़ा भूल से खोवूँ**
**जहाँ मेरा प्यार जस गावे, तहां करों मै बासा**
**प्यार चले आगे उठ धावूं, मोहि प्यार की आसा**[5]

वस्तुतः कबीर की आज के समय में जरुरत का मुख्य कारण उन का मानवतावादी दृष्टिकोण एवं प्रगतिशील चिंतन है। हिन्दू एवं मुस्लिम समाज म उनकी स्वीकार्यता के कुछ अन्य कारण भी हैं। तथाकथित मुसलमान होने के आलावा वे निर्गुण एकेश्वरवादी हैं, इसीलिए मुस्लिम समाज में स्वीकार्य हैं। हालाँकि कबीर का एकेश्वरवाद मुसलमानी धर्म के एकेश्वरवाद से भिन्न है। वे किसी भी धर्म सम्प्रदाय को स्वीकार न करके सम्प्रदायों से ऊपर उठकर मानव मात्र के उद्धार प्राणी मात्र के प्रति करुणा अहिंसा तथा प्रेम की बात करते हैं। इसीलिए उनका किसी धर्म से विरोध भी नहीं है। वे वैचारिक एवं सैद्धांतिक आधार पर बाह्यचारों का विरोध करते हैं। इसीलिए उनके विरोध में किसी के प्रति व्यक्तिगत कटुता या राग-द्वेष नहीं है। कबीर के अनुसार वास्तव में व्यक्ति वही है, जो सामाजिक साम्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दे "तन मन सीस समर्पण कीन्हा, प्रगत जोति तहं आतम लीना"[6] विद्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति विद्यार्थी होता है। समाज में विद्यार्थी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी समाज का वह आवश्यक अंग है, जो भविष्य के समाज की रूपरेखा का नियंता होता है। यद्यपि वर्तमान में विद्या और विद्यार्थी दोनों से सम्बंधित मान्यताएं बदल चुकी हैं। परन्तु मध्यकाल तक शिक्षा के मूल उद्येश्यों में से एक एवं मुख्य उद्देश्य अध्यात्म और मनावानुकूल श्रेष्ठ गुणों का विकास था। गुरु एवं शिष्य सम्बन्ध सभी मानवीय सम्बन्धों से उच्च एवं पवित्र माने गए हैं। कबीर तो इस सम्बन्ध की श्रेष्ठता के प्रबल समर्थक के रूप में सामने आते हैं– सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार / लोचन अनंत उघाडिया, अनंत दिखावनहार'[7] विद्यार्थी को सात्विक गुरु प्राप्त करने के लिए अपना सम्पूर्ण अर्पित कर देने की बात करते हुए कबीर कहते हैं कि– "मेरा मुझमे कुछ नहीं जो कुछ है सो तोरा / तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा'[8] मानव-मानव में स्वार्थ हो सकता है किन्तु जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखना सच्ची मानवता है। और कबीर इस दृष्टि से बड़े विलक्षण हैं जीव जंतुओं के प्रति उनकी जागरूकता देखिये–

**जीव वधत अरु धरम कहते हो, अधरम कहाँ है भाई**
**आपन तो मुनि जन हैं बैठे, कासनि कहो कसाई"[9]**

वस्तुतः वे सच्चे समाजदृष्टा थे। उनकी ईश्वरोन्मुखी वाणी समाजोन्मुखी भी है। जिसमे सामाजिक समरसता का सन्देश है। लौकिक एवं पारलौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संत के लक्षण प्रतिपादित करते हुए वे इस तथ्य को स्थापित करते हैं– निर बैरी निह कामता, साईं सेती नेह / विषया सूं न्यारा रहै संतन का अंग एह'[10] कबीर की संकल्पना में ऐसा समरस समाज है जहाँ बारहमासा वसंत है। सभी सुखी व निरोगी रहें-

**"हम वासी उस देश के जहँवा नहीं वास वसंत**
**नीझर झरे महा अमी भीजत है सब संत।।**
**जाति वर्ण कुल आदि का भेद जहाँ नहीं है**
**हम वासी उस देस के जहाँ जाति वरन कुल नाहीं**
**शब्द मिलावा होय रहा देह मिलावा नाहीं [11]**

डंक मारकर समाज को विषाक्त करने वाले तत्वों को अमृतमय बनाने की आकांक्षा कबीर की समरस भावना का ही बोध कराती है– "प्रेमी ढूंडत मै फिरों, प्रेमी मीलों न कोय/ प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होय'[12] सामाजिक विश्रृंखलता का केंद्र व्यक्ति के लिए उच्च आदर्श उपस्थित करते हुए कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को गुण ग्राही और आत्मज्ञानी होना चाहिए। यथा- तरुवर तास बिलाविये, बारह मास फलंत / शीतल छाया गहर फल, पंछी केलि करंत'[13]

वर्तमान समय की परिस्थितियाँ यह प्रमाणित करती हैं कि कबीर का साहित्य केवल ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि जीवंत सामाजिक संदेश है। उनके दोहे आज भी उतनी ही तीव्रता से हमारी चेतना को झकझोरते हैं जितनी उनके अपने युग में। जब समाज में दिखावा, विभाजन, कट्टरता, अन्याय और मानवीय मूल्यों का क्षय स्पष्ट दिखता है, तब कबीर का निभीक स्वर हमें पुनः मनुष्य होने का अर्थ समझाता है। कबीर हमें बताते हैं कि बाहरी धार्मिक आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक पवित्रता और प्रेम है; समाज परिवर्तन का आधार विचारों की स्पष्टता और व्यवहार की ईमानदारी है। अतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि यदि आधुनिक मनुष्य कबीर की वाणी को आत्मसात करे, तो आज की अधिकांश सामाजिक समस्याएँ काफी

हद तक कम हो सकती हैं। इस प्रकार, कबीर की कविता न केवल अतीत का साहित्यिक दस्तावेज है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक मूल्य-प्रदर्शक प्रकाशस्तम्भ भी है। कबीर ने जिस मानवतावादी संकल्पना की स्थापना की थी वह आज समाज की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। जिन मूल्यों को कबीर ने स्थापना की थी उसकी आज समाज को अत्यंत आवश्यकता है। चाहे कबीर की प्रेम सम्बन्धी अवधारणा हो, धर्म संबधी दृष्टि हो, अथवा गुरु शिष्य सबंधी उनकी अवधारणा हो। आज जब समाज जाति-पाति के फेर में ही उलझा हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ सत्ताधारी एक दूसरे के प्रति अपने स्वस्थ विचार नहीं रख पा रहे हैं। और अपने को ऊँचा दिखाने में लगे हुए हैं, ऐसे में हमें कबीर की कविता की और भी आवश्यकता जान पड़ती है। कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जिनमे हम पाते हैं कि कबीर उतने प्रगतिशील हमें नजर नहीं आते जैसे उनके स्त्री सम्बन्धी विचार इत्यादि किन्तु समग्रता में विचार किया जाय तो आज कबीर का सम्पूर्ण साहित्य समाज की अनिवार्य आश्यकता बनता हुआ नजर आता है।

**सन्दर्भ**


1. कबीर ग्रन्थावली, श्यामसुन्दरदास, नागरीप्रचारिणी, पृष्ठ संख्या, 34
2. कबीर समग्र, डॉ. युगेश्वर, पृष्ठ संख्या 306
3. कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ संख्या 55
4. कबीर ग्रन्थावली, श्यामसुन्दरदास, नागरीप्रचारिणी, पृष्ठ संख्या,87
5. कबीर ग्रन्थावली, श्यामसुन्दरदास, नागरीप्रचारिणी, पृष्ठ संख्या,198
6. कबीर ग्रन्थावली, श्यामसुन्दरदास, नागरीप्रचारिणी, पृष्ठ संख्या, 89
7. कबीर के दोहे, हिंदी साहित्य सदन पृष्ठ संख्या 54
8. कबीर ग्रन्थावली, श्यामसुन्दरदास, नागरीप्रचारिणी, पृष्ठ संख्या,187
9. कबीर के दोहे, हिंदी साहित्य सदन पृष्ठ संख्या, 45
10. कबीर के दोहे, पृष्ठ संख्या, 32
11. नई सदी में कबीर, डॉ. फिरोज खान, पृष्ठ संख्या 32
12. कबीर के दोहे, हिंदी साहित्य सदन पृष्ठ संख्या, 44
13. कबीर ग्रन्थावली, श्यामसुन्दरदास, नागरीप्रचारिणी, पृष्ठ संख्या, 154

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# दहेज-हिंसा के मामलों में महिलाओं की न्यायिक पहुँच : झारखण्ड के हजारीबाग जिले का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

**अंजना कुमारी**
शोधार्थी (पीएच.डी.)

**डॉ. राज कुमार**
शोध निर्देशक (सह-प्राध्यापक)
समाजशास्त्र विभाग
आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड)
ई-मेल kushiguddu28@gmail.com

**सारांश**

दहेज प्रथा भारतीय समाज में गहराई से जड़ें जमाए हुए एक गंभीर सामाजिक कुप्रथा है, जो कानूनी निषेध के बावजूद निरंतर बनी हुई है। यह शोध-पत्र झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग ज़िले के विशेष संदर्भ में दहेज-हिंसा के मामलों में महिलाओं की न्यायिक पहुँच का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यद्यपि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 जैसे सख़्त कानूनी प्रावधान अस्तित्व में हैं, तथापि ज़मीनी वास्तविकता यह दर्शाती है कि इन कानूनों का लाभ पीड़ित महिलाओं तक समान और प्रभावी रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य उन संरचनात्मक, संस्थागत एवं सामाजिक बाधाओं की पहचान करना है, जो हज़ारीबाग ज़िले की महिलाओं को न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में अवरुद्ध करती हैं। यह शोध मिश्रित पद्धति पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के द्वितीयक आँकड़ों तथा हज़ारीबाग ज़िला न्यायालय में दर्ज मामलों के रुझानों का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) तथा ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की रिपोर्टों का गुणात्मक विश्लेषण भी सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि हज़ारीबाग तथा संपूर्ण झारखंड में दहेज मृत्यु के मामलों में दोषसिद्धि दर अत्यंत चिंताजनक रूप से कम, लगभग 14.4 प्रतिशत, बनी हुई है। इसके प्रमुख कारणों में पुलिस द्वारा प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने में देरी, जांच प्रक्रिया में लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव, गवाहों का मुकर जाना तथा न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब शामिल हैं। शोध यह भी उजागर करता है कि हज़ारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता की कमी और सामाजिक कलंक महिलाओं को औपचारिक न्याय प्रणाली तक पहुँचने से पहले ही हतोत्साहित कर देता है। अंततः, यह शोध-पत्र न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार, पुलिस जवाबदेही को सुदृढ़ करने तथा फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना जैसे व्यावहारिक और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है।

**शब्द कुंजी :** दहेज प्रथा, दहेज हिंसा, न्यायिक पहुँच, धारा 498-A, दहेज निषेध अधिनियम-1961, दोषसिद्धि दर, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा, विधिक जागरूकता, झारखण्ड, हजारीबाग, आदि।

## भूमिका

दहेज हिंसा महिलाओं के मानवाधिकारों का एक गंभीर और निरंतर उल्लंघन है, जो भारतीय समाज में गहराई से निहित

पितृसत्तात्मक संरचनाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह न केवल एक दंडनीय अपराध है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा भी है, जो महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और जीवन के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A (वैवाहिक क्रूरता) और 304-B (दहेज मृत्यु) जैसे प्रगतिशील कानूनी प्रावधानों के बावजूद, दहेज-संबंधी उत्पीड़न और हत्याओं के मामले चिंताजनक रूप से निरंतर सामने आ रहे हैं। इस संदर्भ में न्यायिक पहुँच की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायिक पहुँच का तात्पर्य केवल न्यायालयों की भौतिक उपलब्धता से नहीं है, बल्कि ऐसी न्याय प्रणाली से है जो सुलभ, किफायती, त्वरित, संवेदनशील तथा निष्पक्ष हो। दहेज हिंसा के मामलों में, जब पीड़ित महिलाएँ न्यायिक संस्थाओं तक पहुँचने में असफल रहती हैं, तब कानून की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।

झारखण्ड राज्य, अपनी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संरचना के कारण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संदर्भ में एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उभरता है। राज्य में गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ और लैंगिक असमानता महिलाओं की स्थिति को और अधिक कमजोर बनाती हैं। हज़ारीबाग ज़िला, जो शहरीकरण और शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति के कारण अपेक्षाकृत विकसित माना जाता है, वहाँ भी दहेज की मांग और उससे जुड़ी हिंसा में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं देखी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़े दर्शाते हैं कि झारखंड में लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवन में कभी न कभी शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है, किंतु इनमें से केवल 9 प्रतिशत महिलाओं ने ही औपचारिक या अनौपचारिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। यह स्थिति महिलाओं और न्यायिक संस्थाओं के बीच मौजूद गहरे अंतराल को रेखांकित करती है, जिसे न्याय का अंतर कहा जा सकता है।

भारतीय कानूनी ढांचा दहेज हिंसा से निपटने के लिए सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त और सशक्त प्रतीत होता है। तथापि, इसके क्रियान्वयन स्तर पर अनेक व्यावहारिक और संस्थागत कमजोरियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हज़ारीबाग जैसे ज़िलों में, जहाँ पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है, पुलिस प्रायः घरेलू हिंसा के मामलों को "निजी या पारिवारिक विवाद" मानकर हस्तक्षेप से परहेज़ करती है। धारा 498-A, जिसे महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक प्रभावी कानूनी ढाल के रूप में विकसित किया गया था, व्यवहार में कई बार संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के निर्णय के पश्चात् तत्काल गिरफ्तारी से संबंधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य जहाँ मनमानी गिरफ्तारी को रोकना था, वहीं कई मामलों में इसका उपयोग पुलिस निष्क्रियता के औचित्य के रूप में किया जाने लगा है। इससे पीड़ित महिलाओं की न्यायिक पहुँच और अधिक सीमित हो गई है। दहेज हिंसा के मामलों में न्याय तक पहुँचने की प्रक्रिया स्वयं में अत्यंत जटिल, लंबी और थकाऊ है। एक पीड़ित महिला के लिए थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराना ही अनेक सामाजिक दबावों, भय और मानसिक तनाव से भरा होता है। इसके उपरांत, न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब, बार-बार तारीखें, आर्थिक संसाधनों की कमी और वकीलों की उच्च्च फीस पीड़िता को मानसिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। हज़ारीबाग ज़िला न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या इस तथ्य की पुष्टि करती है कि "न्याय में देरी, न्याय से वंचना" की स्थिति यहाँ व्यापक रूप से विद्यमान है। ऐसी परिस्थितियों में, कई महिलाएँ बीच में ही न्यायिक प्रक्रिया से पीछे हटने को विवश हो जाती हैं, जिससे दहेज हिंसा के मामलों में कम दोषसिद्धि दर और बढ़ती दण्डहीनता को बढ़ावा मिलता है।

## शोध पत्र का उद्देश्य

- हज़ारीबाग जिले और झारखण्ड राज्य में दहेज प्रताड़ना तथा दहेज मृत्यु की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
- दहेज हिंसा के मामलों में महिलाओं की न्यायिक पहुँच में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं की पहचान करना।
- दहेज-संबंधी मामलों में कम दोषसिद्धि दर के कारणों और न्यायिक प्रक्रिया की कमजोर कड़ियों का मूल्यांकन करना।

● हज़ारीबाग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।

● महिलाओं के लिए न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और संवेदनशील बनाने हेतु व्यावहारिक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

**शोध साहित्य की समीक्षा**

वैश्विक स्तर पर लैंगिक हिंसा और महिलाओं की न्यायिक पहुँच पर किए गए अध्ययनों में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि कानून और न्यायिक संस्थाएँ प्रायः पितृसत्तात्मक संरचनाओं से प्रभावित रहती हैं। मैकिनॉन (1989) का तर्क है कि कानून का निर्माण और उसका क्रियान्वयन पुरुष-प्रधान अनुभवों और दृष्टिकोणों पर आधारित होता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के अनुभव और पीड़ाएँ न्यायिक विमर्श में हाशिए पर चली जाती हैं। उनके अनुसार, लैंगिक असमानता केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि विधिक संरचनाओं में अंतर्निहित शक्ति-संबंधों का परिणाम है।

इंदिरा जयसिंह, फ्लैविया एग्नेस और बिन्नी नायर जैसे विधि-विद्वानों ने घरेलू हिंसा और दहेज से संबंधित कानूनों के अध्ययन में यह स्थापित किया है कि यद्यपि कानूनी प्रावधान सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन में पुलिस और न्यायपालिका के लैंगिक पूर्वाग्रह प्रमुख बाधा बनते हैं। फ्लैविया एग्नेस (2011) का मानना है कि धारा 498-। जैसे कानूनों को अक्सर "दुरुपयोग" के विमर्श में उलझाकर पीड़ित महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को कमजोर कर दिया जाता है, जिससे उनकी न्यायिक पहुँच सीमित हो जाती है।

भारत में दहेज हिंसा पर किए गए अनेक अनुभवजन्य अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अपराध दर्ज होने और सजा मिलने के बीच एक बड़ा अंतराल विद्यमान है। कई अध्ययनों ने यह इंगित किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, कमजोर जांच, साक्ष्यों का अभाव और गवाहों का मुकर जाना दहेज मामलों में कम दोषसिद्धि दर के प्रमुख कारण हैं। साथ ही, सामाजिक दबाव और पारिवारिक "समझौते" की प्रवृत्ति महिलाओं को औपचारिक न्याय प्रणाली से दूर कर देती है।

झारखंड राज्य के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य सीमित होते हुए भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सृजन फाउंडेशन और जागोरी (2020) द्वारा किए गए "Safe City" अध्ययन में यह पाया गया कि हज़ारीबाग में महिलाओं की सुरक्षा सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट में विशेष रूप से पुलिस थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क की निष्क्रियता और संवेदनशीलता के अभाव को एक प्रमुख संस्थागत समस्या के रूप में रेखांकित किया गया है।

शशिकांत वर्मा (2021) द्वारा हज़ारीबाग के विश्वविद्यालय छात्रों पर किए गए अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आया कि उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के प्रति सामाजिक सहिष्णुता का रवैया अब भी व्यापक रूप से मौजूद है। यह अध्ययन इस धारणा को चुनौती देता है कि शिक्षा स्वतः ही लैंगिक समानता की ओर ले जाती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों का विश्लेषण, जिसे The Print (2023) ने प्रस्तुत किया, दर्शाता है कि झारखंड में दहेज मृत्यु के मामलों में दोषसिद्धि दर 15 प्रतिशत से भी कम है, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। यह स्थिति केवल अपराध की व्यापकता की नहीं, बल्कि दण्डमुक्ति की एक संरचनात्मक संस्कृति की ओर संकेत करती है, जहाँ अपराधी प्रायः दंड से बच निकलते हैं।

उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि दहेज हिंसा पर राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त अध्ययन मौजूद हैं, किंतु झारखंड, विशेषकर हज़ारीबाग ज़िले के संदर्भ में महिलाओं की न्यायिक पहुँच पर केंद्रित सूक्ष्म और क्षेत्रीय अध्ययन अत्यंत सीमित हैं। अधिकांश अध्ययनों ने अपराध के आँकड़ों या सामाजिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस व्यवहार और विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका का समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत कम किया गया है। वर्तमान शोध इसी शोध-अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

## शोध अध्ययन की आवश्यकता

दहेज हिंसा भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सबसे गंभीर और व्यापक अपराधों में से एक है, जो कानूनी निषेधों के बावजूद निरंतर बनी हुई है। यद्यपि भारत में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-। और 304-ठ जैसे सशक्त विधिक प्रावधान मौजूद हैं, तथापि व्यवहार में इन कानूनों का प्रभाव सीमित दिखाई देता है। विशेष रूप से झारखण्ड जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील राज्यों में दहेज-संबंधी अपराधों की निरंतरता और अत्यंत कम दोषसिद्धि दर आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

हज़ारीबाग ज़िले के संदर्भ में महिलाओं की न्यायिक पहुँच पर केंद्रित अध्ययन अत्यंत सीमित हैं। उपलब्ध साहित्य मुख्यतः अपराध के आँकड़ों या सामाजिक दृष्टिकोण तक सीमित रहा है, जबकि पुलिस व्यवहार, न्यायिक विलंब, अभियोजन की गुणवत्ता और विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत अनुपस्थित है। परिणामस्वरूप, “न्याय का अंतर” और दण्डमुक्ति की संस्कृति को समझने में गंभीर शोध-रिक्तता बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह दहेज हिंसा को केवल एक सामाजिक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि न्यायिक पहुँच के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत विश्लेषित करता है। यह शोध न केवल नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के लिए अधिक संवेदनशील, सुलभ और प्रभावी न्याय प्रणाली के निर्माण में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

## शोध पद्धति

यह शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित मिश्रित विधि को अपनाता है, जिसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के आँकड़ों का समन्वित विश्लेषण किया गया है। इस पद्धति का उद्देश्य दहेज हिंसा के मामलों में प्रवृत्तियों, न्यायिक प्रक्रियाओं और दोषसिद्धि दर को व्यापक रूप से समझना है। इस शोध में प्रयुक्त समस्त डेटा द्वितीयक स्रोतों से संकलित किया गया है, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैरू

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट-2018-2023।
- झारखण्ड पुलिस की मासिक एवं वार्षिक अपराध रिपोर्टें।
- हज़ारीबाग ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की वार्षिक रिपोर्टें।
- हज़ारीबाग ज़िला न्यायालय में दहेज प्रताड़ना (धारा 498-A) और दहेज मृत्यु (धारा 304-ठ) से संबंधित चयनित निर्णय।
- विश्वसनीय स्थानीय समाचार-पत्रों और मीडिया रिपोर्टों में प्रकाशित प्रकरण-आधारित अध्ययन।

## तथ्यों का विश्लेषण

दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु से संबंधित मामलों के विगत पाँच वर्षों (2018-2022) के आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है। इसके अंतर्गत दर्ज मामलों, पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र तथा न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के मध्य प्रवृत्तिगत और सहसंबंधात्मक विश्लेषण हेतु एक्सेल का उपयोग किया गया है। न्यायालयीन निर्णयों, NGO रिपोर्टों तथा मीडिया-आधारित केस स्टडीज का सामग्री विश्लेषण किया गया है, जिससे पुलिस व्यवहार, न्यायिक विलंब, सामाजिक दबाव और संस्थागत बाधाओं से संबंधित गुणात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकें।

## अध्ययन की सीमाएँ

इस अध्ययन की कुछ प्रमुख सीमाएँ भी हैं। जिला-वार विस्तृत और सतत वार्षिक आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, कुछ विश्लेषणों में राज्य-स्तरीय डेटा का उपयोग हज़ारीबाग ज़िले की स्थिति के प्रॉक्सी के रूप में किया गया है। इसके

अतिरिक्त, यह शोध पूरी तरह द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिससे पीड़ित महिलाओं के प्रत्यक्ष अनुभवों को समाहित करने की सीमाएँ बनी रहती हैं। तथापि, उपलब्ध आधिकारिक और प्रलेखीय स्रोतों के समेकित विश्लेषण से शोध के निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

**झारखण्ड में दहेज मृत्यु और दोषसिद्धि की स्थिति**

| वर्ष (Year) | दर्ज मामले | पुलिस चार्जशीट दर | दोषसिद्धि दर |
|---|---|---|---|
| 2018 | 350 | 88.5% | 16.2% |
| 2019 | 365 | 89.1% | 15.8% |
| 2020 | 340 | 85.4% | 13.5% |
| 2021 | 375 | 90.2% | 14.1% |
| 2022 | 380 | 91.5% | 14.4% |

नोट : Source: NCRB Reports & Analysis of High Court Data

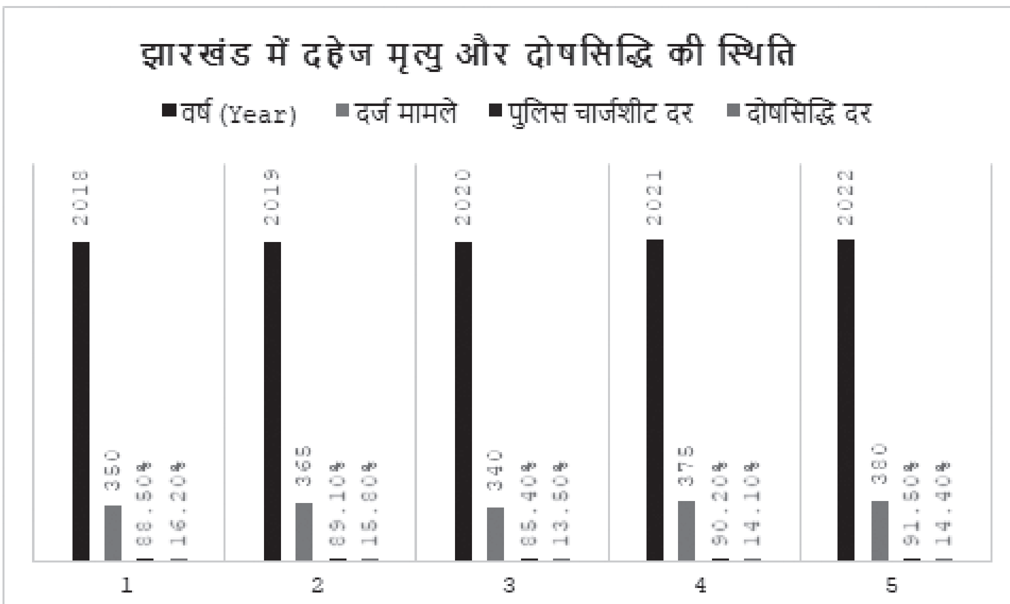


झारखण्ड राज्य में वर्ष 2018 से 2022 के मध्य दहेज मृत्यु से संबंधित दर्ज मामलों, पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर किए जाने की दर तथा दोषसिद्धि दर को प्रदर्शित करती है। आँकड़ों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या में इस अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 2018 में जहाँ 350 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2022 तक यह संख्या बढ़कर 380 हो गई, जो दहेज हिंसा की निरंतरता और गंभीरता को रेखांकित करती है। पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर करने की दर अपेक्षाकृत अधिक और स्थिर पाई गई है। अध्ययन अवधि में यह दर 85.4 प्रतिशत (2020) से 91.5 प्रतिशत (2022) के बीच बनी रही। प्रथम दृष्टया यह उच्च चार्जशीटिंग दर पुलिस की सक्रियता और औपचारिक प्रक्रियाओं के पालन का संकेत देती है। तथापि, जब इन आँकड़ों की तुलना दोषसिद्धि दर से की जाती है, तो एक स्पष्ट असंतुलन सामने आता है। दोषसिद्धि दर पूरे अध्ययन काल में अत्यंत निम्न और लगभग स्थिर बनी रही। वर्ष

2018 में दोषसिद्धि दर 16.2 प्रतिशत थी, जो 2020 में घटकर 13.5 प्रतिशत रह गई और 2022 में भी केवल 14.4 प्रतिशत तक ही पहुँच सकी। यह तथ्य दर्शाता है कि दर्ज मामलों और आरोप-पत्र दायर होने के बावजूद, न्यायालयों द्वारा अपराध सिद्ध होने की संभावना अत्यंत सीमित है।

तालिका से स्पष्ट रूप से एक गंभीर "न्याय का अंतर" उभरकर सामने आता है। एक ओर जहाँ दर्ज मामलों की संख्या और पुलिस की चार्जशीटिंग दर उच्च है, वहीं दूसरी ओर दोषसिद्धि दर अत्यंत कम बनी हुई है। यह अंतर इस बात की ओर संकेत करता है कि न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों विशेषकर जांच, अभियोजन और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण में गंभीर संरचनात्मक कमजोरियाँ विद्यमान हैं। उच्च चार्जशीटिंग दर के बावजूद कम दोषसिद्धि दर यह दर्शाती है कि पुलिस जांच की गुणवत्ता, साक्ष्यों का संकलन, फॉरेंसिक समर्थन, तथा अभियोजन की प्रभावशीलता में पर्याप्त कमी है। इसके अतिरिक्त, गवाहों का मुकर जाना, सामाजिक दबाव, पीड़िता के परिवार पर समझौते का दबाव और लंबी न्यायिक प्रक्रिया जैसे कारक भी मामलों को कमजोर बना देते हैं।

आँकड़ों का विश्लेषण यह भी इंगित करता है कि दहेज मृत्यु जैसे गंभीर अपराधों में कम दोषसिद्धि दर दण्डमुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देती है। जब आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी मामलों का निष्कर्ष वर्षों तक नहीं निकलता, तो इससे न केवल पीड़ित पक्ष का न्याय प्रणाली से विश्वास उठता है, बल्कि संभावित अपराधियों को भी यह संकेत मिलता है कि दंड से बच निकलना संभव है। तालिका से प्राप्त निष्कर्ष यह स्थापित करते हैं कि झारखण्ड में दहेज मृत्यु के मामलों की समस्या केवल कानून के अभाव की नहीं है, बल्कि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और न्यायिक प्रक्रिया की कार्यक्षमता से जुड़ी हुई है। यह स्थिति महिलाओं की न्यायिक पहुँच को गंभीर रूप से सीमित करती है और तत्काल नीतिगत एवं संस्थागत हस्तक्षेप की माँग करती है।

## निष्कर्ष एवं सुझाव

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हज़ारीबाग ज़िले में दहेज हिंसा के विरुद्ध महिलाओं की न्यायिक पहुँच गंभीर संरचनात्मक, संस्थागत और सामाजिक चुनौतियों से घिरी हुई है। यद्यपि दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु से संबंधित मामलों के पंजीकरण में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है, जिसे आंशिक रूप से बढ़ती विधिक जागरूकता का संकेत माना जा सकता है, तथापि अत्यंत निम्न दोषसिद्धि दर यह दर्शाती है कि आपराधिक न्याय प्रणाली अपने निवारक और न्यायसंगत उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में असफल रही है। अध्ययन यह उजागर करता है कि न्याय तक पहुँच में प्रमुख बाधाएँ आर्थिक संसाधनों की कमी, न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब, पुलिस की लैंगिक असंवेदनशीलता तथा सामाजिक दबाव हैं। प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर अंतिम निर्णय तक की प्रक्रिया पीड़ित महिलाओं के लिए मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत दुष्कर सिद्ध होती है। परिणामस्वरूप, अनेक मामले न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे दण्डमुक्ति की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

इस संदर्भ में यह तर्क स्थापित होता है कि जब तक न्यायिक प्रक्रिया को पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ पुनर्संरचित नहीं किया जाएगा, तब तक दहेज निषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराएँ व्यवहार में केवल औपचारिक कानूनी प्रावधान बनकर रह जाएँगी। अतः न्यायिक पहुँच को सुदृढ़ करना केवल विधिक सुधार का प्रश्न नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता और संस्थागत उत्तरदायित्व का भी विषय है।

## सुझाव

1. हज़ारीबाग ज़िले में दहेज हिंसा से संबंधित मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाए, जिससे न्यायिक विलंब को कम किया जा सके।

2. पुलिस अधिकारियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता और पीड़ित-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाया जाए।

3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की भूमिका को सशक्त करते हुए ग्रामीण और हाशिए पर स्थित महिलाओं तक निःशुल्क कानूनी सहायता की सक्रिय पहुँच सुनिश्चित की जाए।

4. पीड़ित महिलाओं के लिए परामर्श, संरक्षण और आर्थिक सहायता से जुड़ी समेकित सहायता प्रणाली विकसित की जाए।

5. दहेज हिंसा के मामलों में अभियोजन की गुणवत्ता सुधारने हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाए।

यह शोध यह निष्कर्ष निकालता है कि हज़ारीबाग में दहेज हिंसा के विरुद्ध प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढाँचे के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन तंत्र को भी अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और महिला-केंद्रित बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

## संदर्भ ग्रंथ-सूची


1. Agnes, F. (2011). Law and Gender Inequality: The Politics of Women's Rights in India. Oxford University Press, New Delhi.
2. Baxi, U. (2014). The Crisis of the Indian Legal System. Oxford University Press, New Delhi.
3. Crime Records Bureau (NCRB). (2019-2023). Crime in India. Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
4. Government of India. (1961). The Dowry Prohibition Act, 1961. Ministry of Law and Justice, New Delhi.
5. Government of India. (1860). The Indian Penal Code. Sections 498-A and 304-B, Ministry of Law and Justice, New Delhi.
6. Jayasingh, I. (2016). Violence Against Women: Reflections on Law, Culture and Politics. Oxford University Press, New Delhi.
7. MacKinnon, C. A. (1989). Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University Press, Cambridge.
8. National Family Health Survey (NFHS-5). (2019-21). State Fact Sheet: Jharkhand. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
9. Srijan Foundation & Jagori. (2020). Safe City Assessment Report: Hazaribagh. New Delhi.
10. Verma, S. K. (2021). "Attitudes towards Dowry and Domestic Violence among University Students: A Study of Hazaribagh." Indian Journal of Social Research, 62(3), 421-438.
11. Supreme Court of India. (2014). Arnesh Kumar vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273.
12. The Print. (2023). "Why Conviction Rates in Dowry Death Cases Remain Low in India." Analytical Report based on NCRB Data.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# वृद्धावस्था की बैसाखी – मल्यालम उपन्यास 'नम्मुडे किड़क्का आके पच्चा' (हमारी शय्या पूरी तरह समृद्ध है) के संदर्भ में

**पुष्पा सी. वी.**
शोध छात्रा
कालिकट विश्वविद्यालय, केरल

**प्रो. डॉ. वि.के. सुब्रमण्यन**
शोध निर्देशक
कालिकट विश्वविद्यालय, केरल

हमारा सामाजिक मनोविज्ञान वृद्धावस्था को एक अनन्य अनुभव के रूप में नहीं देखता है। इसकी दृष्टि में वृद्धावस्था अपर(अदर) वस्तु है याने हमारे जीवन के बाहर रहती एक घटना है, अतः उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। असल में मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को एक अनन्य इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने की साक्षरता हमें कहीं से भी नहीं मिली है। हम इस इकाई को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त करके देख रहे हैं जैसे शिशु, बालक, युवा, वृद्ध आदि। विभाजन का यह तर्क वास्तव में सम्पूर्ण जीवन में रहते एकात्म भाव को रद्द कर रहा है। वास्तव में ये विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे का पूरक है और विस्तार भी है। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि उपर्युक्त विभिन्न अवस्थाओं के अंदर मनुष्य के जीवन का जो अविभाज्य मूल्य रहता है, उसके आधार पर वृद्धावस्था को देखा जाना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाए तो वृद्धावस्था के प्रति रहता अपर-रूपा दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष हो जाएगा और एकात्म मूल्य, जीवन का आधार बन जाएगा। वृद्ध विमर्श वास्तव में इस मूल्य-परिप्रेक्ष्य की स्थापना करना चाहता है और वृद्धावस्था को एक स्वाभाविक घटना के रूप में देखने के लिए आह्वान दे भी रहा है।

वास्तव में वृद्धावस्था मनुष्य के उक्त जीवन-इकाई का एक प्रौढ़ तल है और एक विशेष अनुभव जरूर है। परंतु निर्भाग्यवश ऐसा नहीं समझा जा रहा है और वृद्ध जीवन को एक स्वस्थ संवेदना में नहीं पकड़ा जा रहा है और वह अनन्य अनुभव नहीं बन रहा है।

मनुष्य के जीवन में मन-शांति, सुकून, आत्म संतुलन आदि की तलाश करने का वक्त है वृद्धावस्था जबकि भौतिक शरीर का उत्तरोत्तर सफ़र स्वाभाविक गति में रहता है। लेकिन इस गति को वृद्ध अगर मृत्यु के आगमन के साधन के रूप में समझें तो वह एक अविवेकी के जीवन का आंदोलन (discourse) होगा और उसका मन अवसादमयी हो जाएगा और उसमें ऊर्जा और ऊष्मा अप्रभावी रह जाएंगी। इस स्थिति में थकावट वृद्ध के जीवन में अविलंब पहूंच जाएगा। लेकिन व्यक्ति को मन का नियंत्रण करना या सकारात्मक सोच पैदा करना आता है तो वृद्धावस्था कभी एक कहावत नहीं बन जाती है। सकारात्मक सोच के लिए भावनात्मक चिंतन, अच्छा स्वास्थ्य, सामाजिकता की ओर उन्मुखता, आध्यात्मिकता का संक्रमण, जीवन के स्वस्थ अर्थ को समझने की शक्ति आदि के साथ बुजुर्ग रहने चाहिए। लेकिन इन सभी का अभाव आज बुजुर्ग के साथ मज़बूततः बैठा है। अतः वृद्ध उपेक्षित हुए, समाज और रिश्तेदारों के लिए बोझ के रूप में, घृणा आदि के पात्र बन कर रह जाते हैं। इन्हीं कारणों से अधिकांश बुजुर्ग, वार्धक्य से उपजते सहज, स्वाभाविक मृत्यु का वरण नहीं करते हैं बल्कि मानसिक तनाव और उससे उत्पन्न अनेकों बीमारियों के आक्रमण से मर जाते हैं।

वृद्धावस्था, भावनाएं या कल्पनाएं, अधिक संवेदनशीलता, कोमलता आदि गहरी हो जाने का समय है। इस समय वृद्ध

लोगों के पास अब तक का जो जीवनानुभव है वह अधिक सूक्ष्म हो जाता है। स्मृतियां उनके दिल को नरम बना देती है। वे अधिकांशतरू अपने ही भूतकाल में जीना चाहते हैं। गृहातुरता इस समय की एक अहम विशेषता है। भूतकाल में गुजरकर अपना एक अलग संसार वे रचते भी हैं। इस संसार के साथ नई पीढ़ी का किसी भी प्रकार का परिचय या रिश्ता नहीं रहता हैं। अतरू वह बुजुर्गों को अपने अनुभव के संसार से बाहर उपस्थित कर देती है। यह द्वन्द्व वृद्धों के जीवन को विच्छिन्न भी कर देता है।

हमारे देश में भूमंडलीकृत समाज के उदय और उससे उद्भूत उपभोगवादी नयी संस्कृति 1990 ई० के बाद आ गई है। यह संस्कृति युवा पीढ़ी के चरित्र के अंदर प्रवेश किया है और अब तक के मानवीय संवेदना के इतिहास से उसे अलग कर दिया है। उपभोगवादी का नारा है– उपयोग करो और फेंको (use and throw) जो मानवीयता के तर्क को अनावश्यक मानता है। इसके फलस्वरूप अनैतिक और अमानवीय व्यवहार का चरित्र युवाओं में आ गया है। उपभोगवादी नई पीढ़ी की समझ में यह संस्कार अप्रत्यक्ष हो गया है कि पूर्वजों से मिली सुविधाओं की छाया ने ही उसके स्वत्व को बनाने में अहं भूमिका निभाई है याने माता-पिता के द्वारा खाई गई जीवन की धूप ही वास्तव में बच्चों को मिली जीवन-छाया है। उपभोगवादी, लाभकेंद्रित यह पूंजीवादी संस्कृति इस छाया को भूल जाती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अगर छाया को बेच नहीं सकता है तो वह पेड़ को काटेगा याने लाभ रहित जो भी वस्तु हो वह उसके लिए अनावश्यक है। अंग्रेजी उपन्यासकार एंथनी पॉवेल का कथन है, ”वृद्धावस्था, उस अपराध के लिए दिया गया कठोर दंड़ का नाम है, जिस अपराध को आपने किया ही नहीं है।”[1]

इस संसार के प्रत्येक मनुष्य विशेषकर बुजुर्ग, प्यार और सांत्वना पाने के लिए चाहते हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी, सन्यासिनी ‘मदर टेरेसा’ का कथन इसका समर्थन करता हैं कि ‘सबसे भयानक गरीबी, अकेलापन और प्रेम का अभाव है’। वृद्धावस्था को छोड़कर जीवन के अन्य चरणों पर अकेलापन का अनुभव तीव्रतर नहीं है। क्योंकि उस समय व्यक्ति के साथ यह प्रतीक्षा रहेगी कि कोई न कोई प्रिय व्यक्ति उसके जीवन में आ जाएगा।

वृद्ध जीवन की बेहद मुशकिल की स्थिति के लिए समय का अभाव भी जिम्मेदार है। पहले भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था कायम रही थी। ऐसे परिवार में कोई न कोई मदद केलिए रहता था। अब उसके स्थान पर एकल परिवार व्यवस्था आयी है और किसी के पास भी समय नहीं है। “आज हम इतने व्यस्त हो गये है कि हमारे पास बुजुर्गों को समझने का समय ही नहीं है। इसका मुख्य कारण संयुक्त परिवारों का टूटना है।”[2] संयुक्त परिवार के विघटन के कारण आज बुजुर्ग या तो घर में या वृद्धाश्रम में कैद है और मृत तुल्य जीवन बिता रहे हैं।

वृद्ध जीवन की कई समस्याओं को समकालीन मलयालम रचनाकारों ने अपनी कृतियों के माध्यम से हमारे सामने चित्रित किया है। मलयालम भाषा का एक उपन्यासकार है ‘अरषाद बत्तेरी’। उन्होंने वृद्ध जीवन की समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक उपन्यास लिखा है - ‘नम्मुडे किड़क्का आके पच्चा’ (हमारी शय्या पूरी तरह समृद्ध है)। इस उपन्यास में मुख्य दो बुजुर्ग चरित्र हैं– ‘जॉन फिलिप’ और ‘अहल्या’, जिनकी अकेलेपन की समस्याओं को लेकर उपन्यास विकसित होता है। दोनों चरित्र वार्धक्य और अनाथत्व की मार खाकर जी रहे हैं। इसलिए दोनों में रंच मात्र भी जीने के लिए इच्छा नहीं बची थी। ‘कर्नल’ जॉन फिलिप’ की पत्नी और बेटी अब जीवित नहीं है। इसलिए वह निराशा के साथ जी रहा है। वह स्वर्गस्थ पत्नी और बेटी को संबोधित करते खुद कहता है ‘प्रिय मेरी, बेटी आलीस, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं .... (पृ.18)’। इस प्रकार अहल्या भी वृद्धावस्था और अनाथत्व को झेल रही है। उसकी व्यथा-कथन इस तरह है कि ‘याद रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास आने के लिए भी कोई नहीं है (पृ.38)’। यह दर्द भरा जीवन अहल्या की जिजीविषा के लिए घातक था। उसका शरीर लंबा, पतला और सफेद रंग का है। वह पलंग पर जिजीविषा खोकर निश्चल पड़ी है। वह बताती हैं कि ष्मैं किसी दिन इस घर के किसी कमरे, रसोई घर या बाथरूम में मर जाऊँगी, जहाँ भी कोई नहीं आएगाष (पृ .38)।

अकेलापन एक प्रकार की मृत्यु सरीखी शून्यता है, जो आधुनिक फ्लैट-जीवन के द्वारा मनुष्य को दिया गया कठिन उपहार है। अकेलापन की विडंबना को उपन्यासकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि ‘जिनके साथ रहने के लिए कोई नहीं है उनका घर कब्रिस्तान के समान है (पृ .21)’। उपन्यास का नायक चरित्र ‘कर्नल जॉन’ अहल्या से कहता है, ‘अहल्या, हमारी

तरह के बूढों का जीवन वास्तव में खेत के मुंड़ेरों पर चलना जैसा है, जिस पर बायीं या दायीं ओर फिसलने से बचने की क्षमता रहनी चाहिए' (पृ.78)।

साधारणतः निराशा की स्थिति व्यक्ति के जीवन को अवसाद का शिकार बना देती है। इस उपन्यास के दोनों वृद्ध चरित्र कर्नल और अहल्या का जीवन निराशा, उदास, हताशा, दर्द आदि से भरा हुआ था। बुजुर्ग व्यक्ति को सिर्फ इतना चाहिए कि एक प्यार भरा शब्द, मुस्कान और रोटी का एक छोटा टुकड़ा। लेकिन अकेलेपन से जूझते बूढ़े 'कर्नल' और 'अहल्या' के पास सिर्फ घनीभूत पीड़ा और निराशा ही रहती हैं।

धरती पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने पूरे जीवन में अपने लिए 'कोई नहीं है' की स्थिति को सोचते हुए रहता है। यह सोच वृद्ध व्यक्ति में क्रोध, दुख, नींद की कमी आदि लाती है। कर्नल साहब को नींद नहीं आती है, इसलिए वह कहता है 'नींद अक्सर एक कमजोर प्रार्थना की तरह है। गहरी नींद तक पहुंच जाते वक्त ही नींद टूट चुकी होती है' (पृ. 40)। इसी तरह अहल्या की निराशा भी भिन्न रूप से दिखाई पड़ती है। अहल्या को श्रीलता नामक एक महिला दोस्त थी, जो अपनी उम्र को छिपाने की कोशिश करती थी। इस पर अहल्या असंतोष प्रकट करती थी। एक बार श्रीलता अहल्या से कहती भी है कि 'मैं हमेशा ध्यान देती हूं कि अहल्या, आप सदा ढीले-ढाले कपड़े पहनती है' (पृ.26)। यह सुनकर अहल्या उत्तर देती हैं ष्क्या मैं बूढी नहीं हूं?' (पृ.26)। अहल्या अपने को वृद्धा मानती है। जीवन की निराशा भी इस कथन में प्रतिबिंबित है।

प्यार, स्त्री और पुरुष के बीच के आकर्षण से परे एक अनन्य संबंध की स्थापना करती भी है याने एक पुरुष के साथ प्रेम का जो अनन्य भाव-संसार रहता है और ऐसा एक स्त्री के पास भी प्रेम का एक अनन्य-भाव संसार रहता है, दोनों के प्रेम के अनन्य संसार के संगम से जो तीसरा अनन्य संसार पैदा होता वह अपूर्व है, अभिरामी है और अनंत है। यह मनुष्य मात्र को मिला एक पुरस्कार है। प्यार का जीवन में आ जाना, व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। प्यार करने केलिए उम्र कभी एक बाधा नहीं है। वृद्धों के जीवन में अगर प्यार का निमंत्रण आ जाता है तो उन्हें आगे जीने केलिए प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणा उन्हें उम्र के थकान को रद्द कर देती है। हाल ही में एक सौ बीस वर्ष तक जीवित रही एक स्त्री के साथ साक्षात्कार हुआ था जिसमें उसने कहा है कि उसे पचासी वर्ष की उम्र में किसी के साथ प्यार हो गया और उसके जीवन का सबसे सुन्दर समय पचासी के बाद का था। इस उपन्यास के वृद्ध चरित्र कर्नल और अहल्या के बीच प्यार का संचार उनके जीवन में काफी बहुत परिवर्तन लाते हैं। उनके बीच फ़ोण के द्वारा संबन्ध शुरु होता है। यह संबन्ध उनमें अपूर्व नव जीवन का प्रसरण लाता है। कर्नल का हृदय अहल्या की ओर से बहकर आयी प्यार भरी आवाज से प्रफुल्लित हो उठता है। उनमें जिजीविषा निकल आती है। मन को मिलता प्यार भरा स्पर्श आशाओं और आकांक्षाओं का बड़ा संसार खोल देता है। 'जॉन के थके हारे शरीर में एक अपूर्व ऊर्जा और उन्मेष पुनः संचारित हुए। सूख गए मुंह पर आर्द्रता आ गयी। उसने अपने ऊपर पड़े कंबल को उठाकर फेंक दिया। यह एक प्रकार से उस स्वर्ग की ओर वापसी थी जिसे उसने नष्ट हुआ समझा था। इस समय जॉन का हृदय उमंग से खिल उठा और अनोखी ताकत उसके शरीर में प्रवाहित होती हुई महसूस हो रही थी। जॉन खुद कहता है कि 'अरे ज़िंदगी, तेरे प्रति जो लालच मुझ में रहती है वह कभी खतम नहीं होती' (पृ.19)। जॉन के हर्ष से उल्लसित आवाज़ उस कमरे में गूंज उठी। जैसे-जैसे घंटे बीत गए वैसे-वैसे अहल्या की ओर से आयी आवाज़ वृद्ध जॉन के अंदर जादू की तरह बैठ गयी। शेष सारी यादें जो उनके पास रही थीं, वे धुंधली होती जा रही थी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने भूतकाल की यादों की ओर यात्रा करता है जो उसे वर्तमान काल में जीने की स्थिति से रोकता है। वास्तव में मनुष्य को वर्तमान काल में जीना चाहिए। भगवतगीता का वचन 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना' वाले श्लोक में वर्तमान में जीने का आह्वान रहता है। कर्मफल की चिंता वास्तव में वर्तमान काल के जीवन से मनुष्य को निष्कासित कर देने का रास्ता तय करता है। वर्तमान काल में जीने का आह्वान जो आचार्य ओषो ने भी दिया है वह वास्तव में भूतकाल और भविष्य को अपने साथ बेकार रखने के प्रति किया गया बलवती सवाल है।

वर्तमान काल में जीने के लिए एक ही रास्ता है, वह है पुरानी यादों को धुंधला बना देना जिसे अंग्रेज़ी में unlearning कहते हैं और हिन्दी में इसे दिमाग से निकाल देना या त्याग देना कहते हैं। अहल्या की ओर से आयी प्रेम और सांत्वना भरी आवाज़ ने फोन कॉल काटने से कर्नल को असमर्थ कर दिया था। अहल्या को अधिक सुनने की इच्छा कर्नल के अंदर जाग उठी। लेकिन अहल्या फोन से कहती है कि 'इस उम्र में हम मौत के अलावा और क्या बात कर सकते हैं?' (पृ. 45)। अहल्या के अंदर वार्धक्य के बारे में जो आम धारणा बैठी थी, उसको वह दोहराती है। लेकिन कर्नल उलटा सोचता है। अहल्या से प्रेम हो जाने के बाद कर्नल, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच स्वीकारने लगा और अहल्या को यह समझाता है कि 'यह उम्र थक जाने का नहीं बल्कि अधिक उत्साही बनने की है' (पृ.45)। अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो मृत्यु के आगे जल्दी झुकना पड़ेंगे। कर्नल साहब के इस सकारात्मक ऊर्जा प्रदायक सोच के कारण बुढ़ापा उनसे धीरे-धीरे वापस जाने लगता है और युवावस्था, रास्ता प्रशस्त करने लगती है। कर्नल अपने अंदर रहते अयाचित अतिथि बुढ़ापे की कहावत के हिम को पिघलाकर बहा देता है और कहता है कि 'उसका शरीर, उसके मन के आगे झुकने को तैयार नहीं है' (पृ.47)।

वास्तव में प्रेम का अनुभव उम्र बढ़ने को धीमा कर देता है। अहल्या कर्नल से कहती हैं– 'कर्नल हम दोनों इस तरह बातें करते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं' (पृ.47)। यह सुनकर कर्नल भी कहते हैं 'मैं ने नींद छोड़कर इतनी देर तक कभी नहीं बैठा है, अहल्या, यह रात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है' (पृ.47)। दोनों के मन में एक नये उन्मेष के तरंग बहने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आवाज़ें आपस में छूकर आलिंगनबद्ध होकर चूम रही है और वे किसी खतरे से बचकर बाहर निकल आए हुए हैं। अर्थात् उनकी ज़िन्दगी में आत्मविश्वास और उत्साह की टापें सुनाई पड़ रही हैं।

प्रेम वास्तव में मनुष्य के लिए मृतसंजीवनी के समान पुण्य तत्व है। इसका आनंददाई ऊर्जा-प्रवाह मनुष्य को सौन्दर्य और आनंद की गहन एवं सूक्ष्म तल की ओर ले जाता है।  अगर प्रेम का अनुभव बुजुर्गों के जीवन में आ जाता है तो बूढ़ा भी युवा बन सकता है। यहां अहल्या और जॉन फ़ोन पर देर तक बात करते रहते हैं और फ़ोन बंद करने को उनके मन नहीं करते हैं। जॉन चाहता है कि अहल्या उसके जीवन के अंतिम क्षण तक उसके साथ रहे, ताकि वह उसकी सम्मानजनक इच्छा को साझा कर सके। जैसे बादल आकाश में अनेक आकृतियां बनाते हैं, वैसे वे दोनों एक दूसरे के सपनों को अपने दिल में लिखते रहे। साथ ही साथ उनके मन आषाढ में भीगते पेड़ के समान भीगते रहें। उन्होंने अपने सूखे होंठों को गीला किया और दिल में प्यार की गर्माहट महसूस किया। अब वे अनुभव कर रहे हैं कि उनकी नसें ताज़ा, तरल और ऊर्जावान बन रहे हैं और उनमें प्रेम का प्रवाह हो रहा है। अहल्या कहती है 'किसी के प्रति प्रेम हो जाना वास्तव में मृत्यु के समान अप्रतीक्षित घटना जैसा लगता है। कोई यह नहीं कह सकता है कि प्रेम या मृत्यु किस क्षण में आएंगे (पृ. 81)'। प्रेम का आगमन व्यक्ति के जीवन के क्रम में परिवर्तन लाता है। यह बात फ्लाट के पहरेदार और कर्नल साहब के बीच की बातचीत से उन्मीलित हो जाती है। पहरेदार पूछता है 'सर, क्या आपने इस उम्र में व्यायाम करना शुरू किया? (पृ.81)'। तब कर्नल ने उत्तर दिया है कि 'अब से लेकर यह कभी नहीं रुकेगा(पृ.81)'। और एक प्रसंग में कर्नल जॉन का साथी कर्नल 'एंथोनी' मधुशाला में मिलते वक्त यह बताता है कि 'इस 'बार' (BAR) में बैठे लोगों में दो वृद्ध हम हैं, न?' तब कर्नल 'जॉन' ने जवाब दिया है 'मैं एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन अब नहीं। मैं पिछले कुछ दिनों से एक युवा व्यक्ति बन रहा हूं (पृ.81)'। इसी तरह अहल्या के जीवन में भी यौवन आने लगा है। बीते दिनों में अहल्या को ब्रा(Bra) शरीर पर बिल्कुल फिट नहीं लगती थी। लेकिन अब कर्नल की यादों की बारात आते समय उसको ब्रा से अत्यधिक प्यार हो जाता है। इसके अलावा पुरानी चूड़ियों को छोड़ देती है और नई चूड़ियां खरीदकर पहनती है, होंठों पर लिपस्टिक लगा देती है, अपने गोरे शरीर पर पहनते नाइट गाउन की खूबसूरती का आनंद लेती है, काजल लेकर ध्यान से अपनी भौंहों पर लगाती है, ये सब उसके लिए प्रियतर बन जाते हैं। प्रेम के सुखत ताप का समावेशन शरीर और मन पर काबू पाने लगता है। ऐसे दोनों बुजुर्गों के जीवन में प्यार की हरीतिमा समृद्धि लाई है। उनके इस अप्रतीक्षित मेलमिलाप ने उन्हें यह सोचने के लिए मज़बूर कर दिया है कि वे 'अकेले नहीं हैं'। प्यार के आगमन से व्यक्ति के लिए उसका प्रेमी अलग नहीं है, दोनों में अद्वैत का भाव आ जाता है। अतरू प्रेम में आत्मा

परमात्मा का एकाकार हो जाने की परिकल्पना आ जाती है। वृद्धावस्था में प्रेम का प्रवेश हो जाने से व्यक्ति युवा मानसिकता की ओर जाने लगता है।

वृद्धावस्था में भावनाएं या कल्पनाएं आ जाना माने व्यक्ति के जीवन में आशा का समावेशन हो जाना है। 'जॉन' अहल्या से फोण के द्वारा बताता है 'देखो, तुम्हारे पास मैं पहुँच गया हूँ, एकदम तुम्हारे पीछे' (पृ.110)। इसके अनंतर कर्नल और अहल्या के बीच बातचीत चलती है, जिसमें रोमान्टिक अभिव्यक्तियां ढेर सारी आ जाती है जैसे, वे दोनों एक साथ कहीं यात्रा कर रहे हैं और फिर फोण के दोनों छोरों पर बैठकर वे चेस खेलते हैं आदि।

असल में वृद्ध जीवन के संदर्भ में हमारी सोच की सामाजिक संरचना अस्वाभाविक है। प्यार का आगमन इस संरचना को तोड़ता है और वृद्ध जीवन में वसंतकाल लाता है। कर्नल अहल्या से बताता है 'तुम्हें पता क्या, मैं अब अच्छा स्वस्थ व्यक्ति बन रहा हूं। यह तुम्हारी वजह से है। मुझे अगर तुम्हारी जैसी दोस्तिन न मिलती तो मैं जल्दी ही बीमार हो जाता, नरक-तुल्य जीवन बिताता और मर जाता (पृ. 78)'

वृद्धावस्था में आ जानेवाला एक संदर्भ है, अपने समान आयुवाले मित्रों की मृत्यु के समाचार सुनकर अस्वस्थ हो जाना। यह समाचार वृद्धों के मन को नकारात्मकतः छू जाते हैं और उन्हें अवसाद की ओर धकेल देते हैं। एक दिन अहल्या पड़ोसी वृद्ध महिला की मृत्यु पर उसे देखने जाती है। उसके बाद जब वह घर वापस आती है तब उसे नींद आने में बाधा आ जाती है और यह घटना उसे सताती भी है और अकेली रहती अहल्या के एकांत फ्लैट-जीवन को अधिक जटिल भी बना देती है।

मृत्यु को एक स्वाभाविक घटना के रूप में समझने केलिए वृद्ध विमर्श की सीख मिलनी चाहिए और जीवन को प्यार से समृद्ध कर देने के सामान्य तर्क को अपनाना होगा। कर्नल का प्यार अहल्या को अपने जीवन के तुच्छ दायरे को तोड़ने के लिए सहायक सिद्ध होता है। और सिर्फ अपनी ही ओर देखने के चरित्र से उसे मुक्त कर देता है।

बुजुर्ग लोग अक्सर अपने गांव के माहौल को चाहते हैं। क्योंकि गाँव के जीवन में वृद्ध लोग सुख का अनुभव करते नज़र आते हैं। अहल्या कहती है 'गांव में रात की जिंदगी कितनी रोमांचक होती है। इस फ्लैट में रहना कब्र में रहने के समान होता है। .... किसी के साथ कोई अंतरंग संबंध भी नहीं है .... यहाँ किसी की आवाज, शोर या उपद्रव नहीं है...... एक ऐसी जिंदगी है यहां कोई आपस में नहीं देखता या याद नहीं रखता.... यहाँ के बच्चे में भी मासूमियत नहीं होती है (पृ. 62)'। मनुष्य केन्द्रित आधुनिकता के हाव भाव में मन की मासूमियत गैर-हाजिर है, उसके स्थान पर व्यक्ति की आंतरिकता का संकुचित तल, बल पाता है और झूठी गंभीरता का हाव-भाव सामान्य चरित्र हो जाता है। फ्लेट जीवन में यह दृश्य अक्सर दिखाई देता है।

आज के दिनों की बाजारीकृत और उपभोगवादी संस्कृति ने नई पीढ़ी से समय और संवेदना को निर्दयतः छीन लिया है। और बुजुर्गों के प्रति उसे कोई ममता नहीं रही है। अहल्या के फ्लैट की एक बुजुर्ग पंजाबी महिला की मृत्यु पर उसकी बेटी या उसके रिश्तेदारों के चेहरे पर अपनी मां और बन्धु के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख का भाव नहीं दिखता है। उनकी शरीर भाषा में यह भाव रही थी कि 'मर जाना ही अच्छा है'। क्यों कि उनका वार्धक्य बच्चों के लिए अभिशाप बना था। नई पीढ़ी की संवेदना में मां-बाप या रिश्तेदार पराया है।

कॉविड महामारी की आपदा ने वास्तव में बुजुर्गों के जीवन को काफी संकट की स्थिति में डाल दिया था। इसके कारण अहल्या और कर्नल के अंदर भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया था। अकेले रहते वृद्धों को यह बहुत अधिक डरा दिया था। कर्नल और अहल्या का मन अभी-अभी जिजीविषा से भरे थे। इसलिए इस महामारी ने उन्हें बहुत डरा दिया था। बुजुर्ग कर्नल जॉन को लगा कि शायद इस महामारी की आपदा में उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। कर्नल जॉन कह रहे हैं 'अंतिम भोजन आ गया है क्या? (पृ.116)'। इस स्तिथि में दोनों के बीच एकमात्र सांत्वना का साधन फोन कॉल था। इसने उनके जीवन को उर्वरता में बदल दिया है। वृद्ध जीवन में आत्मविश्वास भरने के लिए और समस्त तकलीफों से मुक्ति के लिए प्रेम की शक्ति उनके लिए आश्रय बन गई थी।

फोन या फोन से आती आवाज़ कोविड से उद्भूत दोनों की ऊबाऊ और निराश्रित जिंदगी में उर्वरता लाती है। लेकिन

एक बार फोण खराब हो जाने के कारण वे दोनों कुंठित हो गये थे। बाद में फोन सक्रिय हो जाने पर अहल्या और जॉन का आह्लाद अवर्णनीय बन गया था। फोन के द्वारा शतरंज का खेल और एक दूसरे के साथ प्रेम-सल्लाप आदि वे पुनः अनुभव करने लगे। ऐसे, वार्धक्य और अकेलापन के कारण निराशा में डूबे जॉन और अहिल्या का जीवन अब हरा-भरा है। उपन्यास के अंत तक आते आते यह देखने को मिलता हैं कि कर्नल और अहल्या, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं।

संक्षेप में कहे तो उम्र बढ़ जाने के कारण कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो जाता है। अगर मन में ऊर्जा रहती है तो व्यक्ति, मन से बूढ़ा नहीं हो सकता है। इसलिए वृद्धावस्था की थकावट और अवसाद का संस्कार सामाजिक संरचना के अंदर पैदा होती एक घटना है, जिसमें व्यक्ति के रूप, भाव, व्यवहार, कार्य कलाप, विचार आदि का सान्निध्य रहता है। उपन्यास की शुरुआत में कर्नल और अहल्या के अकेला जीवन से वे वृद्ध और वृद्धा थे लेकिन उनके बीच पनपते प्यार की ऊष्मा ने उनमें फिर से यौवन को लौटाया। इससे पता चलता है कि बुढ़ापे रूपी कहावत में मन की आकुलता, बेबसी, निराशा आदि काम करते हैं। यदि व्यक्ति को पारिवारिक सुकून मिल जाता है तो बुढ़ापे का दुःख पास तक नहीं आ सकता है। वृद्धाववस्था में व्यक्ति को फ्लेट के एकाकीपन, वृद्धाश्रम, विस्थापन की स्थिति आदि में नहीं डाल देना चाहिए। उन्हें दोस्ति, प्रेम, प्यार, सामाजिकता, सुरक्षा आदि के संसार में विचरण करने देना है।

## सहायक सूची

अरषाद बत्तेरी, नम्मुडे किडक्का आके पच्चा, मातृभूमी बुक्स, कोषिक्कोड़, 2023.

1) www.hindi paragraph.com/paragraph on oldage
2) https//deshajman.blogspot.com

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639

An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# The integration of Geographical Information System with Transport Planning and Road Safety

Etender Singh
*Assistant Professor, Geography*
*(Guru Nanak Khalsa College, Yamuna Nagar)*

## Abstract

Geographic Information System (GIS) technology has emerged as a critical instrument in transportation planning and road safety management, enabling spatial analysis and improving decision-making processes. This review-based chapter looks at GIS's various applications in transportation, with a focus on traffic flow analysis, route optimization, public transit planning, and infrastructure building. Furthermore, GIS improves road safety by recognizing accident hotspots, assessing risk-prone areas, enabling real-time traffic monitoring, and improving emergency response procedures. This chapter examines existing research and case studies to show how GIS might help make transportation systems more efficient, sustainable, and safe. Despite the obvious advantages, difficulties like as data accuracy, computing requirements, and privacy concerns persist. It also tries to introduce the future trends, such as the integration of artificial intelligence and smart city projects, both of which are projected to improve GIS applications in transportation. The findings highlight GIS' revolutionary potential in improving transportation networks and lowering road safety issues, making it an essential tool for urban planners and policymakers.

**Keywords**: GIS, Transport Planning, Road Safety, Traffic Management, Spatial Analysis, Smart Mobility.

### Background

Geographic Information System (GIS) technology has transformed transportation research by enabling enhanced spatial data processing and visualization tools. GIS combines geographical data and computational models to aid decision-making in transportation planning, traffic management, and road safety. GIS has grown over the years from simple cartographic mapping to complex data-driven systems that include remote sensing, artificial intelligence (AI), and real-time data analytics. The 1980s saw the development of network analysis, which allowed academics to evaluate traffic flow and optimize transportation systems (**Garrison & Marble**). By the 1990s, GIS-based transportation models were widely adopted for urban and regional transport planning. The development of GIS for transportation facilitated data integration from

multiple sources, including satellite imagery, census data, and GPS **(Miller & Shaw)**. GIS for transportation, enabled planners to analyze travel demand, optimize public transport routes, and assess the environmental impacts of transportation systems **(Hanson & Giuliano).** With the rise of intelligent transport systems (ITS) in the 2000s, GIS became a critical component of real-time traffic monitoring and predictive analytics **(Zito et al.)**. The integration of GIS with GPS and sensor technologies allowed for dynamic traffic flow analysis, accident detection, and emergency response management. These advancements significantly improved urban mobility and road safety strategies **(Li & Shahabi)**. Today, GIS is an essential tool in smart city initiatives, leveraging big data, AI, and IoT to enhance transportation efficiency **(Batty et al.)**. Real-time GIS applications now support autonomous vehicle navigation, traffic congestion prediction, and sustainable mobility planning. Future research focuses on integrating machine learning with GIS for predictive modelling of transport demand and accident risk assessment **(Zheng et al.)**.

**Significance**

GIS plays a crucial role in traffic management, route optimization, and public transport planning by integrating spatial data with transport models. It enables planners to design efficient road networks, analyze travel demand, and enhance mobility solutions (Miller and Shaw). By overlaying demographic and infrastructure data, GIS helps in evaluating accessibility and planning sustainable urban transport systems (**Hanson and Giuliano**). One of the significant applications of GIS in transport planning is traffic congestion analysis, which helps authorities identify bottlenecks and implement congestion mitigation strategies. Through real-time GIS applications, transportation agencies can monitor traffic flow, adjust traffic signals dynamically, and develop smart transportation systems that enhance urban mobility (**Zito, D'Este, and Taylor**). Furthermore, GIS aids in route optimization for public transit and logistics operations by calculating the shortest and most efficient paths, reducing travel time and fuel consumption **(Garrison and Marble)**. In the field of road safety, GIS is an essential tool for accident hotspot identification, risk assessment, and emergency response planning. By mapping traffic accident data, GIS helps authorities pinpoint high-risk locations and implement targeted interventions such as improved road signage, speed limits, and intersection modifications **(Zheng et al.)**. Spatial analysis of accident patterns also enables policymakers to understand factors contributing to crashes, such as poor road design, inadequate lighting, or driver behaviour **(Li and Shahabi)**. Moreover, GIS is widely used in real-time traffic monitoring and emergency response coordination. By integrating GIS with GPS and sensor

technologies, authorities can track vehicular movement, predict accident-prone zones, and deploy emergency services more efficiently **(Miller and Shaw)**. This capability is particularly crucial in reducing emergency response time and ensuring rapid medical assistance in case of accidents. Additionally, GIS contributes to intelligent transportation systems (ITS) by supporting automated data collection, predictive modeling, and AI-based road safety analysis. With advancements in smart cities, GIS is increasingly used to develop automated traffic management systems, driver assistance technologies, and pedestrian safety enhancements **(Batty et al.)**.

**Tools and Techniques of GIS in Transport Systems**

Geographic Information System (GIS) technology offers a variety of tools and techniques that enhance transportation planning, management, and road safety. These tools enable decision-makers to analyze spatial data, optimize transportation networks, and improve safety measures. Below are some of the most significant GIS tools and techniques used in transportation studies.

***a. Network Analysis***

Network analysis is one of the most fundamental GIS tools used in transportation planning. It enables the modelling and optimization of transportation networks by analyzing shortest paths, traffic flow, and travel time (**Miller and Shaw**). Network analysis is widely used for **route optimization, public transport scheduling, and emergency response planning**. For example, logistics companies use this tool to determine the most efficient delivery routes, reducing fuel consumption and operational costs **(Hanson and Giuliano**).

***b. Spatial Analysis and Geostatistics***

Spatial analysis tools in GIS allow for the examination of transportation patterns, accident hotspots, and land-use changes. Techniques such as **buffer analysis, spatial interpolation, and density mapping** help in identifying areas with high traffic congestion and accident-prone locations (**Zheng et al.**). Spatial statistics, including kernel density estimation (KDE), are commonly used to visualize and analyze accident clusters and risk zones **(Li and Shahabi**).

***c. GPS and Real-Time Data Integration***

The integration of GIS with Global Positioning System (GPS) technology has transformed transportation monitoring and management. Real-time GIS applications help in **vehicle tracking, traffic monitoring, and congestion management (Zito, D'Este, and Taylor**). This

integration allows transportation agencies to make data-driven decisions by providing live updates on road conditions, accidents, and traffic flow. The combination of GIS and GPS is crucial in Intelligent Transportation Systems (ITS), supporting smart traffic lights, dynamic routing, and automated toll collection (**Batty et al.).**

### *d. Remote Sensing and Aerial Imagery*

Remote sensing technologies, including satellite imagery and aerial photography, provide valuable data for **transportation infrastructure planning and environmental impact assessments**. These datasets are used to monitor changes in road networks, assess urban expansion, and detect unauthorized land use **(Garrison and Marble**). High-resolution satellite imagery is particularly useful for planning **new roads, highways, and transit corridors** while ensuring minimal environmental disruption **(Hanson and Giuliano**).

### *e. Geospatial Machine Learning and Predictive Analytics*

Recent advancements in machine learning have enhanced GIS capabilities in transportation. AI-driven GIS models use **big data analytics, predictive modeling, and spatial pattern recognition** to improve transport planning and road safety **(Zheng et al.)**. Machine learning algorithms analyze past traffic data to predict future congestion patterns, helping authorities implement proactive traffic management solutions (**Miller and Shaw**). Additionally, predictive models assist in identifying **high-risk accident zones and optimizing traffic signal timings** to improve road safety **(Li and Shahabi**).

### *f. 3D GIS and Digital Twin Technology*

3D GIS technology allows for the visualization of transportation infrastructure in a three-dimensional environment. Digital twin models, which are virtual replicas of real-world transportation networks, help planners simulate traffic scenarios and assess the impact of new infrastructure projects **(Batty et al.**). These models support **underground metro planning, bridge construction, and smart city development**, providing a comprehensive view of urban transport systems.

## Applications of GIS in Transport Planning

GIS provide vast applications in transport planning for best user experience as well as for future development (Figure 1)

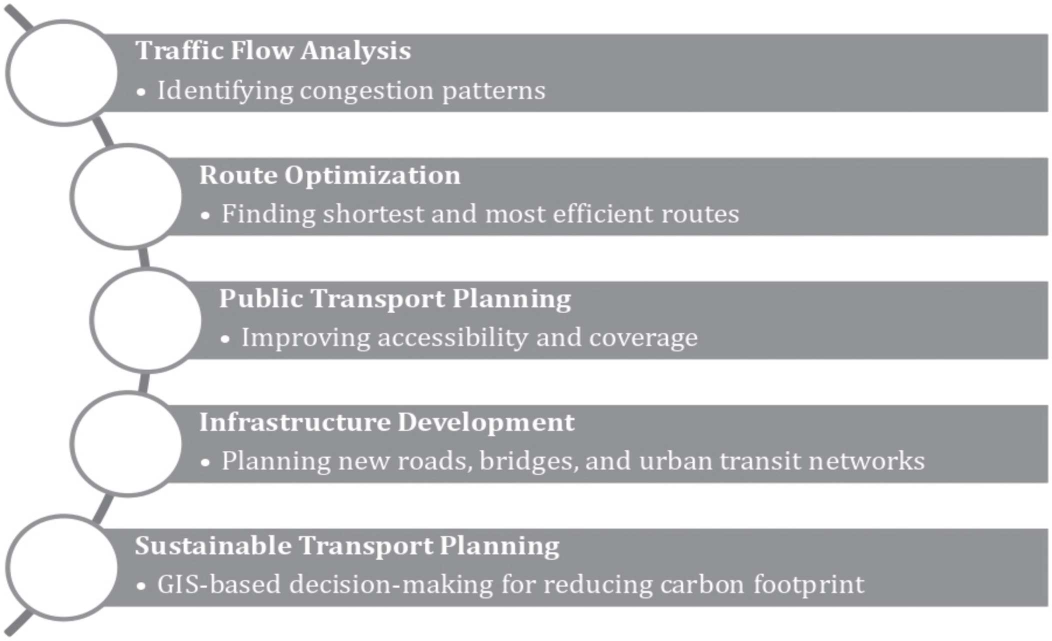


**Figure 1 Applications of GIS in Transport Planning**

**Case Studies**

Beijing, one of the most congested cities in the world, has adopted GIS-based traffic flow analysis to manage its complex transportation network. A study by Zheng et al. used real-time traffic data integrated with GIS to identify high-congestion areas and predict traffic patterns based on historical data. The study employed **spatial-temporal analysis and machine learning models** to analyze travel behaviour, road network efficiency, and the impact of public transportation on congestion reduction. The results indicated that GIS-based traffic monitoring could **reduce peak-hour congestion by 20%** through better route planning and adaptive traffic signal control **(Zheng et al.)**. In another study that shows the London has implemented a GIS-driven **Congestion Charging Scheme (CCS)** to regulate traffic in its central business district. According to Batty et al., GIS and GPS technologies were used to monitor traffic movement, analyze congestion trends, and adjust pricing strategies dynamically. The study highlighted how GIS tools, such as **network analysis and heat mapping**, were instrumental in tracking vehicle density and optimizing public transport routes. The introduction of congestion pricing, based on GIS analysis, resulted in a **30% reduction in traffic volume** and significant improvements in air quality **(Batty et al.)**. Los Angeles, known for its severe traffic congestion,

has implemented a GIS-based **Intelligent Transportation System (ITS)** to monitor and manage urban mobility. Li and Shahabi examined how real-time GIS applications, integrated with sensor and GPS data, were used to **detect congestion hotspots, optimize traffic signals, and provide route recommendations** to drivers. Their study found that real-time GIS applications improved average travel speed by **15-25%** and reduced accident-related congestion by enabling faster emergency response times **(Li and Shahabi)**. Singapore's Land Transport Authority (LTA) has developed a **GIS-enabled smart traffic system** that uses AI and big data analytics to optimize traffic flow. According to Zito, D'Este, and Taylor, the system employs **GIS-based predictive modelling and congestion mapping** to adjust traffic signals dynamically and reroute vehicles during peak hours. The implementation of this GIS-driven smart transport system has led to a **significant reduction in traffic congestion**, with commuters experiencing **up to a 40% decrease in travel time** on heavily congested routes **(Zito, D'Este, and Taylor)**. The Australian government implemented **GIS-based spatial analysis** to identify accident-prone areas, commonly known as "black spots," for road safety improvements. A study by **Benedek et al.** analyzed **historical crash data, road conditions, and traffic patterns** using GIS to prioritize areas for safety upgrades. The study found that **targeted interventions reduced accident rates by 40% in high-risk zones** (***Benedek et al.*****).** Dubai has implemented **GIS-powered smart road systems** as part of its **Smart City Initiative**. **Al-Mansoori et al.** studied how GIS was used in **real-time traffic monitoring, road network expansion, and congestion management**. The research found that **integrating GIS with IoT sensors improved traffic flow efficiency by 30% and enhanced road maintenance response times by 40% (*Al-Mansoori et al.*)**. After the **Great East Japan Earthquake (2011)**, GIS was used to assess **bridge vulnerability and disaster resilience**. A study by **Tanaka et al.** utilized **GIS-based structural modeling and seismic risk analysis** to identify bridges needing reinforcement. Their research showed that **GIS-based assessments reduced infrastructure failure rates by 35% during subsequent earthquakes (*Tanaka et al.*)**. The Ethiopian government used GIS for **road expansion planning to connect remote villages**. A study by **Kebede et al.** applied **GIS-based network analysis and terrain modelling** to identify optimal routes for new roads in rugged landscapes. The study concluded that **GIS-driven road planning increased rural connectivity by 35% and reduced travel times to essential services by 50%** (***Kebede et al.***). The **Inuvik-Tuktoyaktuk Highway** in Canada, which passes through **permafrost regions**, was planned using **GIS-based geotechnical analysis** to assess soil stability, climate impact, and construction feasibility. A study by Edwards et al. found that **GIS applications helped reduce construction costs by**

**15% and ensured long-term road durability despite extreme Arctic conditions (Edwards et al.**). The Netherlands' **Sustainable Road Network Initiative** utilized GIS for planning **low-carbon road infrastructure**, integrating bicycle lanes and pedestrian pathways. A study by van Dijk and Meijer used GIS **to analyze land use, traffic density, and urban expansion trends** to prioritize road projects that minimized ecological damage. Their findings showed that GIS-based planning **reduced $CO_2$ emissions from road construction by 20%** (**van Dijk and Meijer)**. South Korea has implemented **GIS-based smart highways**, integrating real-time data for traffic monitoring, predictive maintenance, and autonomous vehicle testing. A study by Kim and Lee highlighted how GIS helped in **mapping high-accident zones, optimizing road curvature, and integrating IoT-based smart sensors** for better traffic management. The project **reduced highway accidents by 25% and improved traffic efficiency by 18%** (**Kim and Lee**). India's National Highways Authority (NHAI) used GIS for the **Bharatmala Pariyojana**, a major highway development project aimed at improving road connectivity across the country. GIS-based **spatial analysis and remote sensing** were used to identify optimal routes, assess land acquisition requirements, and minimize environmental impact. Studies found that GIS applications **reduced project planning time by 40% and minimized displacement of local communities** (**Sharma and Verma**).

### Applications of GIS in Road Safty

Road safety become and important aspect of transport planning over the world. According to the world population review, 1281988 people died by road accidents in 2024 out of which were 323836 females and were 958158 males ( https://worldpopulationreview.com/country-rankings/road-deaths-by-country). The situation of road related deaths is very high in countries like India and China. So, it usually become important to make road safer for its users. Road safety is not only concerned about people but it also has impact of the economy of a nation. The less safe roads impact harmfully to the economy of a nation. Therefore, to safeguard the people as well as economic loss, road safety is essential. In this regard GIS technology is playing very crucial role (Figure 2).

**Table 1 Top 15 Countries According to the Road Deaths, 2024**

| Country | Total Road Deaths | Road Deaths (Males) | Road Deaths (Females) | Road Death per 100,000 people |
|---|---|---|---|---|
| China | 250272 | 187405 | 62867 | 17.4 |
| India | 212596 | 166421 | 46175 | 15.6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| USA | 41694 | 29176 | 12519 | 12.7 |
| Nigeria | 41693 | 28698 | 12995 | 20.7 |
| Brazil | 33871 | 27871 | 5999 | 16 |
| Ethiopia | 31564 | 22513 | 9052 | 28.2 |
| Indonesia | 30668 | 23949 | 6718 | 11.3 |
| D.R. Congo | 30256 | 19671 | 10586 | 34.9 |
| Vietnam | 29475 | 23037 | 6438 | 30.6 |
| Pakistan | 28170 | 14930 | 13240 | 13 |
| Bangladesh | 25023 | 21378 | 3645 | 15.3 |
| Thailand | 22428 | 17843 | 4585 | 32.2 |
| Tanzania | 18054 | 12518 | 5535 | 31.1 |
| Iran | 17803 | 13673 | 4130 | 21.5 |
| Russia | 17507 | 12541 | 4966 | 12 |

Source: World Population Review, 2024 (https://worldpopulationreview.com/country-rankings/road-deaths-by-country)

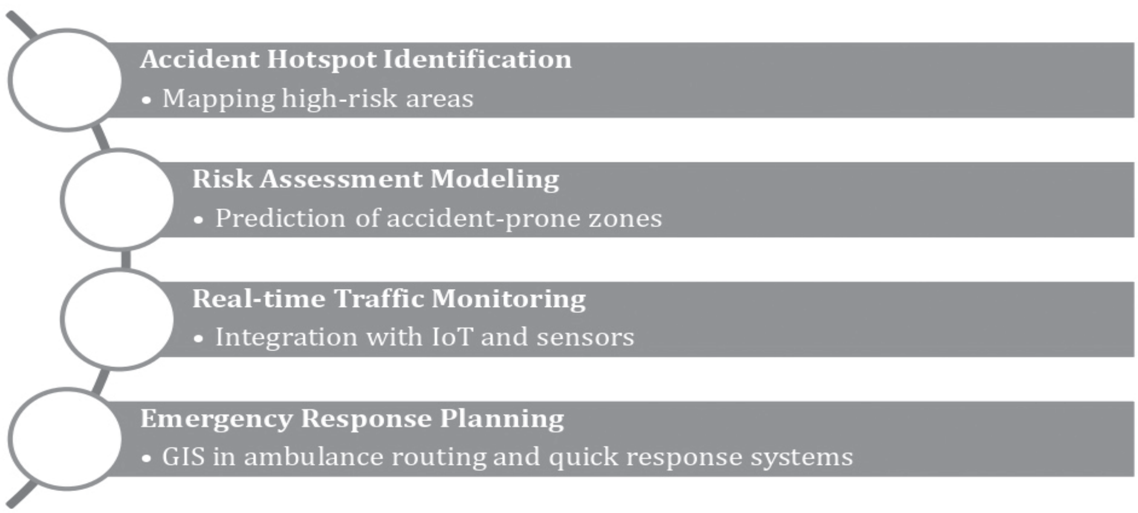


**Figure 2 Applications of GIS in Road Safety**

**Case Studies**

A study by **Anderson et al.** utilized GIS to **analyze five years of crash data** in London, mapping accident hotspots based on **spatial clustering and Kernel Density Estimation (KDE)**. The study found that **90% of severe accidents occurred at major intersections and near pedestrian crossings**. Using GIS, the city implemented **traffic signal improvements**

**and speed limit adjustments**, leading to a **15% reduction in accidents in the identified hotspots** (***Anderson et al.***). New York City's **Vision Zero Initiative** used GIS to **analyze pedestrian and cyclist accidents**, identifying the most hazardous intersections. **Li and Sinha** applied **spatial autocorrelation and network analysis** to pinpoint areas with high crash densities. Their study found that **GIS-assisted interventions, such as road redesigns and pedestrian safety measures, reduced fatal crashes by 23% between 2015 and 2020** (***Li and Sinha***). India faces a **high rate of road traffic fatalities**, and GIS has been used to **identify accident-prone zones on national highways**. A study by **Kumar et al.** analyzed **ten years of crash data along the NH-44 highway**, using GIS-based spatial clustering and predictive modelling. Their findings led to **the installation of speed cameras and improved signage in high-risk zones, resulting in a 30% reduction in road crashes** (***Kumar et al.***). South Africa's **Johannesburg Road Agency** implemented GIS-based crash analysis to **identify high-risk roads and intersections**. **Mokganya and Mashao** used **hotspot analysis and spatial risk assessment models** to evaluate accident severity and frequency. Their research demonstrated that **GIS-driven safety interventions, such as improved lighting and road resurfacing, reduced accidents by 18% in hotspot zones** (***Mokganya and Mashao***). Motorcycle-related accidents are a significant issue in Vietnam. **Nguyen et al.** conducted a study using **GIS and spatial regression models** to map high-risk areas for motorcyclists in **Ho Chi Minh City**. Their findings helped in **implementing exclusive motorcycle lanes and traffic awareness campaigns**, leading to a **25% decline in motorcycle-related fatalities in high-risk zones** (***Nguyen et al.***). São Paulo, Brazil, used GIS to **analyze traffic accident trends over a ten-year period**. **Ferreira and Oliveira** applied **spatial-temporal clustering techniques** to detect accident-prone areas and their seasonal patterns. Their study led to **the implementation of road safety awareness programs and enhanced law enforcement in hotspot areas, reducing serious accidents by 20%** (***Ferreira and Oliveira***). Rural roads in Australia have high accident fatality rates due to **poor visibility and high-speed crashes**. **Thompson et al.** used GIS to **map accident hotspots along remote highways**, integrating data from **police reports, road geometry, and weather conditions**. Their study resulted in **infrastructure improvements such as rumble strips and better road markings, leading to a 17% decrease in crash rates in hazardous rural areas** (***Thompson et al.***).

Barcelona, one of the leading **smart cities in Europe**, implemented a **GIS-integrated IoT system** for real-time traffic monitoring. **Gómez et al.** studied how **sensor-based data from CCTV cameras, GPS trackers, and inductive loop detectors** were fed into a **GIS-powered**

**dashboard**. The system allowed city officials to dynamically **adjust traffic signals and reroute traffic**, reducing congestion by **21% during peak hours** (***Gómez et al.***). Los Angeles implemented a **GIS-based real-time traffic monitoring system** that integrates **IoT sensors, GPS data from ride-hailing services, and AI-driven analytics**. **Chen and Lee** analyzed how **GIS dashboards tracked congestion patterns and predicted traffic build-ups**. The study showed that **dynamic rerouting based on GIS data improved travel efficiency by 17% and reduced emergency response times by 12%** (***Chen and Lee***). Singapore's **Intelligent Transport System (ITS)** integrates **GIS with IoT sensors, AI, and big data analytics** to **optimize traffic signals based on real-time congestion levels**. **Tan et al.** conducted a study showing how the **Green Link Determining (GLIDE) system** dynamically adjusted **traffic light cycles based on live data from road sensors**. The study reported a **25% reduction in intersection delays and a 30% increase in road efficiency** (***Tan et al.***). Beijing has deployed a **GIS-powered real-time traffic monitoring system** using IoT-enabled **RFID sensors, GPS tracking, and AI-driven analytics**. **Wang and Zhang** examined how GIS helped integrate **live traffic data with historical patterns** to **predict congestion and optimize public transport routes**. Their research found that **predictive GIS models improved average travel times by 20% and reduced traffic congestion by 15%** (***Wang and Zhang***). San Francisco has developed a **GIS-integrated smart parking system** using **IoT sensors, real-time parking occupancy data, and mobile applications**. **Johnson et al.** explored how **GIS-based spatial analysis** helped direct drivers to available parking spots, reducing unnecessary circling in congested downtown areas. The study showed that **parking-related congestion dropped by 22%, and average parking search times decreased by 30%** (***Johnson et al.***). Dubai has implemented a **GIS-integrated IoT system** for **real-time traffic monitoring and accident detection**. **Al-Mansoori et al.** studied how the **RTA's smart mobility system** used **real-time sensor data from autonomous vehicles, drones, and surveillance cameras** to regulate traffic flow. The study found that **GIS-driven monitoring reduced congestion incidents by 18% and enhanced road safety by 25%** (***Al-Mansoori et al.***). London's **Transport for London (TfL)** system uses **GIS-based IoT sensors and GPS data** to optimize **bus and train schedules in real-time**. **Harris and Clarke** analyzed how **real-time passenger flow data and road congestion updates were integrated into a GIS platform** to improve public transport efficiency. Their study reported that **bus delays were reduced by 28%, and overall transit efficiency improved by 15%** (***Harris and Clarke***). New Delhi's **traffic management system** integrates **IoT-enabled vehicle tracking, road sensors, and GIS-based analytics**. **Singh et al.** examined how **real-time congestion maps generated by GIS** helped traffic authorities

regulate traffic movement. Their study found that **GIS-enabled monitoring reduced commute times by 14% and enhanced enforcement of traffic rules** (*Singh et al.*).

Sydney has integrated **GIS with real-time traffic data** from **smart traffic systems** and **sensor networks** to optimize **ambulance dispatch and routing**. **Parker and Thompson** explored how **real-time updates on road conditions, accident locations, and hospital capacity** helped paramedics take the most efficient routes during emergencies. The system led to **a 20% reduction in response times for non-urban emergencies (*Parker and Thompson*)**. Cape Town has developed a **GIS-powered ambulance network optimization system** that focuses on improving **ambulance station placement** and response time in **remote and underserved areas**. **Ndlovu et al.** found that the use of GIS-based spatial analysis helped **optimize resource allocation**, reducing the **average response time** by **15%** in low-access areas (***Ndlovu et al.***). In Jakarta, **disaster preparedness and emergency response** have been significantly enhanced through the use of **GIS-based ambulance routing** systems. **Sudarsono and Putra** examined how **GIS and GPS data** were integrated with **weather forecasts** and **disaster risk zones** to help dispatch ambulances during **floods and earthquakes**. The study revealed that **GIS routing** enabled ambulances to **arrive 25% faster during emergency situations (*Sudarsono and Putra*)**. Mexico City's **Health Ministry** implemented a **GIS-driven system** to optimize **ambulance routing** during major events and emergencies. **Gutiérrez and Castillo** explored how **spatial analysis** helped reduce **response time** by **30%** during large public events, ensuring that ambulances could reach accident locations faster by using **real-time crowd and traffic data** (***Gutiérrez and Castillo***). Sao Paulo's **health authorities** used **GIS modeling** to optimize **ambulance station placement** and ensure that ambulances could be dispatched from the nearest stations to emergency sites. **de Souza et al.** used **spatial analysis** to determine optimal locations for new stations, which resulted in a **20% reduction in average ambulance response times (*de Souza et al.*).** Istanbul, with its dense population and complex road network, adopted a **GIS-based ambulance route optimization system**. **Gök and Yılmaz** studied how **real-time traffic, road closures, and accident data** were integrated with **GIS systems** to allow **ambulances to reroute dynamically**. This system improved response times by **23%**, particularly in congested urban areas **(*Gök and Yılmaz*)**. **Buenos Aires' EMS system** uses **GIS-based analysis** to enhance **ambulance deployment strategies** during **major events or public gatherings**. **Ríos and Rodríguez** assessed how **spatial analysis** of **hospital locations, road conditions, and event schedules** allowed for better preparedness, ensuring that ambulances were stationed strategically. The study indicated that **ambulance availability**

**improved by 18%** during high-demand events (***Ríos and Rodríguez***). Mumbai's **EMS system** utilizes **GIS** to **optimize ambulance response times** by analyzing **historical traffic patterns, real-time GPS data, and accident hotspots**. **Patel et al.** studied how **GIS-driven tools** helped EMS teams to identify and adjust **ambulance routes in real-time**, which resulted in **a 25% reduction in average response times during critical care incidents** (***Patel et al***.). In Hong Kong, **GIS technology** was employed to create a **comprehensive emergency medical response network** that integrated **ambulance tracking systems** with **real-time traffic and hospital data**. **Liu and Choi** demonstrated how **predictive GIS models** were used to predict **ambulance availability** and **ensure optimal routing**. Their study found that **response times improved by 17%** in **time-sensitive medical emergencies** (***Liu and Choi***). In **rural areas of Peru**, **GIS was utilized** to improve **ambulance dispatching** by mapping out **poorly accessible zones** and creating optimized **ambulance routes**. **Torres and Solis** assessed how **remote areas** benefited from **GIS tools** to shorten **response times** by **12%**, ensuring that ambulances could reach remote communities faster during medical emergencies (***Torres and Solis***).

By studying several case studies, it has been found that GIS technology integrations is playing crucial role for the transport planning and road safety over the world.

**Conclusion**

The integration of Geographical Information Systems (GIS) with transport planning and road safety has proven to be transformative, enabling smarter, more efficient decision-making processes in both urban and rural settings. Through its ability to analyze, visualize, and interpret spatial data, GIS offers a powerful tool for addressing key challenges in transport planning, such as congestion management, route optimization, traffic flow analysis, and public transport planning. It allows planners to predict traffic patterns, enhance infrastructure development, and improve safety measures by pinpointing high-risk areas and providing insights into accident trends.

GIS technology's role in improving road safety cannot be overstated, as it facilitates real-time traffic monitoring, emergency response planning, and crash data analysis. By integrating real-time traffic data and sensor technologies, GIS-based systems enable dynamic adjustments to traffic management strategies, reducing response times and improving safety outcomes. Moreover, the application of GIS in route optimization and public transport planning ensures that transportation systems are more accessible, efficient, and aligned with the needs of the public, especially in terms of reducing congestion and providing equitable service coverage.

Despite its tremendous potential, there are challenges that need to be addressed, including the high computational costs, data privacy concerns, and the need for comprehensive, accurate data for more effective GIS applications. Future advancements in artificial intelligence, machine learning, and internet of things (IoT) integration hold the promise of further enhancing GIS capabilities, making transportation planning and road safety even more responsive and adaptive.

In conclusion, the integration of GIS technology with transport planning and road safety represents a critical advancement in creating sustainable, efficient, and safer transportation systems. As cities continue to grow and face new transportation challenges, GIS will be indispensable in shaping future transportation strategies that prioritize safety, accessibility, and efficiency.

## References


1. Batty, Michael, Kay W. Axhausen, Fosca Giannotti, Alexei Pozdnoukhov, and Monica Wachowicz. "Smart Cities of the Future." *The European Physical Journal Special Topics*, vol. 214, no. 1, 2012, pp. 481-518.
2. Garrison, William L., and Duane F. Marble. "Innovations in Geographic Information Systems for Transport Networks." *Journal of Transport Geography*, vol. 12, no. 3, 1980, pp. 185-199.
3. Hanson, Susan, and Genevieve Giuliano. *The Geography of Urban Transportation*. Guilford Press, 2004.
4. Li, Weili, and Cyrus Shahabi. "A Framework for Real-Time GIS in Urban Traffic Monitoring." *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 26, no. 2, 2002, pp. 119-138.
5. Miller, Harvey J., and Shih-Lung Shaw. *Geographic Information Systems for Transportation: Principles and Applications*. Oxford University Press, 2001.
6. Tomlinson, Roger. *A Geographic Information System for Regional Planning*. Harvard University Press, 1968.
7. Zito, R., G. D'Este, and M. Taylor. "Transport Information Management in Intelligent Transport Systems: The Role of GIS and GPS." *Transportation Research Part C*, vol. 13, no. 3, 2005, pp. 163-180.
8. Ahmed, S. and Rahman, M. "GIS and Remote Sensing for Flood-Resilient Road Planning in Bangladesh." *Journal of Disaster Studies*, vol. 15, no. 3, 2019, pp. 289-312.
9. Al-Mansoori, Khalid, et al. "Smart City Road Network Optimization Using GIS and IoT Sensors in Dubai." *Urban Transport Journal*, vol. 22, no. 4, 2021, pp. 341-359.
10. Benedek, J., et al. "GIS-Based Black Spot Identification for Road Safety Improvements in Australia." *Accident Analysis & Prevention*, vol. 45, no. 2, 2018, pp. 178-193.

11. Kebede, D., et al. "GIS Applications for Rural Road Expansion in Ethiopia: Enhancing Accessibility and Connectivity." *African Transport Review*, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 72-94.
12. Rao, P., et al. "GIS-Based Corridor Selection for the Mumbai-Nagpur Expressway in India." *Indian Journal of Transport Engineering*, vol. 10, no. 2, 2020, pp. 195-210.
13. Rodríguez, D. and Gutiérrez, C. "GIS and Urban Road Network Optimization in Bogotá: A Case for Sustainable Mobility." *Journal of Urban Planning*, vol. 30, no. 5, 2022, pp. 512-528.
14. Tanaka, Hiroshi, et al. "GIS for Seismic Vulnerability Assessment of Bridges in Japan Post-2011 Earthquake." *Geospatial Risk Management Journal*, vol. 18, no. 3, 2019, pp. 410-432.
15. Zheng, Yu, et al. "Urban Computing: Leveraging Big Data for Sustainable Transport Planning." *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 21, no. 3, 2020, pp. 1350-1363.
16. Edwards, John, et al. "GIS Applications in Arctic Road Planning: A Case Study of the Inuvik-Tuktoyaktuk Highway." *Canadian Journal of Geospatial Research*, vol. 18, no. 2, 2018, pp. 122-138.
17. Johnson, Mark, and Emily Williams. "Using GIS for Transit-Oriented Development: Los Angeles Metro Expansion Case Study." *Urban Transport Studies Journal*, vol. 27, no. 3, 2019, pp. 75-94.
18. Kim, Hyun-Seok, and Jisoo Lee. "GIS in Smart Highway Development: The South Korean Experience." *Journal of Intelligent Transport Systems*, vol. 22, no. 4, 2020, pp. 310-329.
19. Rahman, Tanvir, et al. "GIS-Based Bridge Site Selection for Flood Resilience in Bangladesh." *International Journal of Infrastructure Planning*, vol. 15, no. 1, 2021, pp. 47-65.
20. Sharma, Rakesh, and Anil Verma. "GIS and Remote Sensing for Highway Planning in India: A Case Study of Bharatmala Pariyojana." *Transportation Planning Journal*, vol. 24, no. 2, 2020, pp. 89-107.
21. Tanaka, Hiroshi, et al. "GIS Applications in Post-Disaster Road Reconstruction: Lessons from the 2011 Japan Earthquake." *Natural Disaster Studies*, vol. 19, no. 2, 2017, pp. 211-234.
22. van Dijk, Arjen, and Richard Meijer. "Sustainable Road Network Planning in the Netherlands Using GIS." *Sustainable Transport Review*, vol. 26, no. 1, 2018, pp. 56-74.
23. Anderson, T., et al. "Mapping Traffic Accidents in London Using GIS and Kernel Density Estimation." *Transport Geography Review*, vol. 27, no. 4, 2019, pp. 321-339.
24. Ferreira, C., and Oliveira, J. "Accident Hotspot Analysis in São Paulo Road Networks Using GIS." *Journal of Urban Transportation Studies*, vol. 19, no. 3, 2021, pp. 145-167.
25. Kumar, R., et al. "GIS-Based Accident Hotspot Identification on Indian National Highways." *International Journal of Traffic and Transport Engineering*, vol. 18, no. 2, 2020, pp. 87-109.

26. Li, H., and Sinha, A. "GIS and Traffic Safety: Mapping High-Risk Intersections in New York City." *American Journal of Road Safety*, vol. 12, no. 1, 2018, pp. 201-225.
27. Mokganya, P., and Mashao, M. "GIS-Based Road Safety Analysis in Johannesburg: Identifying Urban Traffic Risk Areas." *South African Journal of Transport Safety*, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 55-78.
28. Nguyen, V., et al. "Motorcycle Accident Risk Mapping Using GIS in Vietnam's Urban Roads." *Asian Transport Review*, vol. 25, no. 3, 2021, pp. 293-315.
29. Tanaka, Y., et al. "GIS for Traffic Safety Management in Tokyo's Metropolitan Area." *Japanese Journal of Transportation Science*, vol. 16, no. 4, 2019, pp. 411-433.
30. Thompson, J., et al. "GIS-Based Road Safety Monitoring in Australia's Rural Highways." *Journal of Transport and Road Engineering*, vol. 21, no. 1, 2020, pp. 72-98.
31. Al-Mansoori, Khalid, et al. "GIS-Based Smart Traffic Monitoring in Dubai's Smart City Initiative." *Journal of Urban Transport Technologies*, vol. 24, no. 3, 2022, pp. 347-369.
32. Chen, David, and Lee, Michael. "IoT-Enabled GIS for Traffic Flow Optimization in Los Angeles." *American Journal of Transportation Studies*, vol. 18, no. 2, 2021, pp. 112-136.
33. Gómez, Rafael, et al. "Smart Traffic Management Using GIS and IoT in Barcelona." *European Journal of Smart Cities*, vol. 15, no. 1, 2020, pp. 78-102.
34. Harris, Thomas, and Clarke, Emily. "Real-Time Public Transport Optimization Using GIS and IoT in London." *International Journal of Urban Transport Systems*, vol. 19, no. 4, 2021, pp. 301-328.
35. Johnson, Mark, et al. "GIS-Based Smart Parking Systems in San Francisco: An IoT Approach." *Transportation Technology Review*, vol. 22, no. 3, 2020, pp. 215-237.
36. Singh, Rahul, et al. "Real-Time GIS Traffic Monitoring in New Delhi: IoT and Smart City Integration." *Indian Journal of Smart Mobility*, vol. 17, no. 2, 2021, pp. 189-213.
37. Tan, Wei, et al. "GIS-Enabled Smart Traffic Signals in Singapore's Intelligent Transport System." *Asian Journal of Transport Engineering*, vol. 16, no. 1, 2020, pp. 65-89.
38. Wang, Yu, and Zhang, Ming. "Using GIS for Real-Time Traffic Prediction in Beijing's IoT-Integrated System." *China Journal of Smart Transportation*, vol. 23, no. 4, 2021, pp. 415-438.
39. de Souza, Francisco, et al. "GIS-Based Optimization of Ambulance Services in Sao Paulo." *Brazilian Journal of Emergency Medical Services*, vol. 25, no. 3, 2021, pp. 201-223.
40. Gök, Adem, and Yılmaz, Hasan. "GIS-Based Ambulance Route Optimization in Istanbul." *Turkish Journal of Transportation and Safety*, vol. 19, no. 2, 2020, pp. 141-157.

41. Gutiérrez, Carlos, and Castillo, María. "GIS for Ambulance Routing in Mexico City." *Mexican Journal of Public Health and Emergency Services*, vol. 21, no. 4, 2020, pp. 312-334.
42. Liu, Wei, and Choi, Hong. "GIS and Ambulance Network in Hong Kong." *Asian Journal of Emergency Medical Services*, vol. 22, no. 2, 2021, pp. 58-76.
43. Ndlovu, Mthokozisi, et al. "GIS-Based Ambulance Network Optimization in Cape Town." *South African Journal of Emergency Services*, vol. 16, no. 1, 2021, pp. 45-67.
44. Patel, Arvind, et al. "GIS for Ambulance Response Time Analysis in Mumbai." *Indian Journal of Emergency Healthcare*, vol. 23, no. 3, 2020, pp. 134-156.
45. Parker, Rachel, and Thompson, Steve. "GIS and Real-Time Traffic Data Integration for Ambulance Routing in Sydney." *Australian Journal of Emergency Medicine*, vol. 18, no. 4, 2021, pp. 112-131.
46. Ríos, Eduardo, and Rodríguez, Lucía. "GIS and Ambulance Deployment in Buenos Aires." *Latin American Journal of Health Geography*, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 80-102.
47. Sudarsono, Budi, and Putra, Iwan. "GIS for Disaster Response and Ambulance Coordination in Jakarta." *Indonesian Journal of Disaster Management*, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 24-47.
48. Tanaka, Yuki, et al. "GIS-Driven Disaster Response and Medical Emergency Planning in Tokyo." *Japanese Journal of Urban Safety and Emergency Management*, vol. 21, no. 3, 2020, pp. 415-438.
49. Torres, Ana, and Solis, Juan. "GIS-Integrated Ambulance Dispatch System for Rural Areas in Peru." *Peruvian Journal of Emergency Health Services*, vol. 14, no. 1, 2021, pp. 62-85.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# शेखावाटी क्षेत्र में सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की बालिकाओं की संवेगात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन

**अर्चना शर्मा**
पी-एच.डी. (छात्रा)
आईएएसई मानित विश्वविद्यालय

**डॉ. अल्पना शर्मा**
शोध निर्देशिका

**शोध आलेख सार**

बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएँ एक निश्चित दायरे में रहती है। वे केवल स्त्रियोचित गुणों से ही अवगत हो पाती हैं फलस्वरूप वे स्त्रियोचित कार्यो को ही निपुणता से कर पाती है, क्योंकि पुरुषों की प्रकृति तथा स्वभाव से वे विवाहोपरान्त ही परिचित हो पाती है, वह भी पूर्णतया नहीं।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में सहशिक्षा का बहुत अधिक विकास हुआ है। विद्यालयों में बालक-बालिकाओं को समान शैक्षिक सुविधाएँ प्राप्त होती जा रही हैं। प्रगति हुई है और हो रही है पर इसे अभी सन्तोषजनक नहीं का जा सकता। यह प्रगति तभी सार्थक होगी जब भारत में सहशिक्षा एक आन्दलोन बन जायेगा। भारत में महिला-पुरुषों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक आयोगों का गठन हुआ और सभी ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किया। किन्तु ये विचार स्त्री व पुरुष हेतु पृथक-पृथक थे।

सह-शिक्षा का विरोध करने वाले यह मानते हैं कि इस विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएँ, बालकों के साथ रहकर नैतिक मूल्यों को भूल जाती है परन्तु यह सत्य नहीं है क्योंकि साथ-साथ पढ़ने, खेलने तथा अन्य सह-शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण उनमें स्वस्थ, नैतिक भावना का विकास होता है तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होने के कारण बालिकाएँ मानसिक व सांवेगिक रूप से अधिक परिपक्व देखी गई है। उनमें स्त्रियोचित स्वाभाविक गुण तो होते हैं साथ ही निडरता, साहस इत्यादि गुणों का विकास भी होता है।

**मूल शब्द** - बालिका, सहशिक्षा एवं संवेगात्मकता।

**प्रस्तावना**

बालिकाएँ शिक्षित होकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है, किन्तु समाज में व्याप्त पुरातन परम्पराओं तथा रूढ़ियां के कारण कहीं-कहीं किसी-किसी समाज में आज भी बालिकाओं की शिक्षा तथा स्वतंत्रता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। लिंग भेद सबसे बड़ी समस्या है जिसके चलते बालिका शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। यदि उन्हें पढ़ने के लिए भेज भी दिया जाता है तो विभिन्न समस्याएँ जैसे - सुरक्षा-असुरक्षा का भय अभिभावकों को सताता

है। इसके अतिरिक्त समाज में व्याप्त अन्य मान्यताएँ यथा - अधिक शिक्षित होने पर योग्य वर का न मिलना, दहेज-प्रथा आदि बातें, उनकी शिक्षा में अवरोध पैदा करती है।

सह शिक्षा के समर्थन में तर्क दिया जाए तो तीन तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रथम, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लड़कों की तुलना में कम जनसंख्या होने के कारण अलग स्कूल या कॉलेज खोलना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। विशेषकर यह परिस्थिति ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बहुत ही गम्भीर समस्याएं उत्पन्न कर देती है। वही भवन, वही साधन सामग्री, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाएं लड़कियों के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है। अतः अतिरिक्त वित्तीय भार और अनावश्यक वृद्धि अपव्ययपूर्ण होगी। द्वितीय दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक है, जिसमें नारी शिक्षा की राश्ट्रीय समिति का कथन है- ''पारस्परिक सम्पर्क जिज्ञासा की उस भावना का अन्त कर देता है, अजनबीपन के कारण उत्पन्न हो जाती है जो लिंगों के अलगाव और पृथकता की विशेषता है।'' ऐसा समझा जाता है कि केवल साथ रहने से ही प्राकृतिक भावनाओं की समझ व आत्मविश्वास की भावना आ सकती है। एक विद्वान लेख का मत है- ''भावी माताओं को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे आँसू भरकर कहें कि पुरुषों को समझती ही नहीं।'' ऐसा माना जाता है कि सहशिक्षा के द्वारा यौन प्रवृत्ति को उचित मार्ग दिया जा सकता है। तृतीय कारक के रूप में भावनात्मक सन्तुलन को प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा समझा जाता है कि पुरुष एक हिंसक पशु है और वह नारी के कारण सीमाओं को ध्वस्त नहीं कर पाता है। लड़के-लड़कियाँ परस्पर गुण ग्रहण कर सकते हैं, लड़के, लड़कियों से धैर्य और लड़कियाँ, लड़कों से आत्मनिर्भरता। इस प्रकार लड़के अधिक सुधरे बनते हैं तथा लड़कियाँ कम लज्जावती और नाजुक बनती हैं।

सह शिक्षा व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं है। वैदिक काल में लड़के एवं लड़कियाँ गुरू के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात् सह शिक्षा संस्थाओं में द्रुतगति से विकास हुआ है। विशेषकर पब्लिक स्कूल प्रणाली में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) का विचार था कि लोगों की राय ऐसी मालूम होती है कि तेरह या चौदह वर्ष की आयु से लगभग अठारह वर्ष की आयु तक लड़के-लड़कियों के विद्यालय अलग-अलग हों। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह स्पष्ट नहीं होता कि इस विचारधारा का आधार रीति-रिवाज हैं अथवा अनुभव। आयोग कि अनुशंसाओं के अनुसार, कॉलेज में प्रवेश की आयु लगभग अठारह वर्ष हो। अतः कॉलेज में सह शिक्षा हो सकती है, जैसा कि आज तक मेडिकल कॉलेज में होता है। इस स्तर पर अनावश्यक रूप से व्यय की वृद्धि होगी। लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग कॉलेज बनाने में दोहरे उपकरणों की आवश्यकता होगी, जो अभी पर्याप्त नहीं है और साथ ही साथ इनका भार हमारे सीमित साधनों पर पड़ेगा। लड़कियों के अलग कॉलेजों में साधारणतया हीन उपकरण, अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले अध्यापक और अनुपयुक्त विद्यालय भवन होते हैं। यथासम्भव कॉलेज स्तर पर सह शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।

बचपन में किसी भी प्रकार से शोषण का शिकार हुई बालिकाएँ किशोरावस्था आने पर मानसिक अवसाद तथा असंतुलन से ग्रस्त दिखाई देती है। इसके कारण वे आगे पढ़ना, स्कूल जाना नहीं चाहती हैं। बालिकाओं को इसी भय, असुरक्षा की भावना, अवसाद, तनाव तथा असंतुलन की स्थिति से बाहर निकालने की अत्यधिक आवश्यकता है। समय पर यदि इनकी समस्याओं को नहीं समझा गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है, अतः बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की आवश्यकता को शोधकर्त्री ने महसूस किया और इस विषय को शोध के लिए चुना।

**अध्ययन का महत्व :-**

बालिकाओं के सांवेगिक सन्तुलन पर ही उसका नैतिक, सामाजिक व मानसिक विकास यहां तक कि शारीरिक विकास भी काफी हद तक सह-सम्बन्धित होता है। अतः संवेगों व सांवेगिक परिपक्वता की विशेषताओं को जानने हेतु अध्ययन की आवश्यकता है। संवेगों के सम्बन्ध में जैसा कि हम जानते हैं कि संवेगो का किसी भी व्यक्ति के विकास में महत्व होता है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सम्बन्धों में संवेगों का बहुत महत्व होता है।

शिक्षक बालिकाओं के संवेगों के प्रति ध्यान देकर क्या हित कर सकता है? इस पर पी. डी. पाठक ने लिखा है कि

शिक्षक बालिकाओं के संवेगो का जागृत करके पाठ में उनकी रूचि उत्पन्न कर सकता है। शिक्षक बालिकाओं के संवेगो पर नियन्त्रण करने की विधियां बताकर, उनको शिश्ट और सभ्य बना सकता है। शिक्षक बालिकाओं के संवेगो का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षक बालिकाओं में उचित संवेगो का विकास करके, उनमें उत्तम विचारों, आदर्शो, गुणों और रूचियों का निर्माण कर सकता है। शिक्षक बालिकाओं के भय, क्रोध आदि अवांछित संवेगों का मार्गान्तरीकरण करके, उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

**समस्या कथन :-**

शेखावाटी क्षेत्र में सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की बालिकाओं की संवेगात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन

**अध्ययन के उद्देश्य :-**

1. सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**अध्ययन की परिकल्पनाएँ :-**

1. सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

2. सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

3. सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

**परिसीमन :-**

प्रस्तुत शोधकार्य राजस्थान राज्य के झुंझुनूं जिले की 600 विभिन्न वर्ग की बालिकाओं तक सीमित है।

**न्यादर्श एवं चयन विधि :-**

शोधकर्त्री द्वारा विद्यार्थियों के चयन हेतु सभी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में से अनुसूचित जाति व अनूसूचित जनजाति की बालिकाओं को उद्देश्यात्मक विधि के माध्यम से न्यादर्श के रूप में चुना गया तथा सामान्य वर्ग की बालिकाओं के लिए यादृच्छिक विधि का प्रयोग किया गया।

## शोधविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

## अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

**संवेगात्मकता मापनी :-**

शोधकर्त्री द्वारा डॉ. यशवीर सिंह एवं डॉ. महेश भार्गव द्वारा निर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है।

**अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :-**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात मान की गणना की गयी है।

**समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण**

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्त्री ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है -

**सारणी संख्या - 1**

**सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना**

| न्यादर्श (बालिका) | संख्या (N) | माध्य (Mean) | मानक विचलन (S.D.) | क्रांतिक अनुपात मान (C.R..Value) | सार्थकता स्तर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | .05 | .01 |
| सहशिक्षा विद्यालय | 100 | 5.10 | 1.85 | 20.67 | | सार्थक अन्तर हैं। |
| बालिका विद्यालय | 100 | 8.52 | 196 | | | |

(df=kN1+N2 -2=k150+150-2=k298)

**विश्लेषण :-**

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता में सार्थक अंतर है।

**सारणी संख्या - 2**

**सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना**

| न्यादर्श (बालिका) | संख्या (N) | माध्य (Mean) | मानक विचलन (S.D.) | क्रांतिक अनुपात मान (C.R..Value) | सार्थकता स्तर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | .05 | .01 |
| सहशिक्षा विद्यालय | 100 | 5.03 | 1.81 | 17.37 | | सार्थक अन्तर हैं। |
| बालिका विद्यालय | 100 | 7.96 | 1.98 | | | |

(df=kN1+N2 -2=k150+150-2=k298)

**विश्लेषण :-**

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्र्राप्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता में सार्थक अंतर है।

**सारणी संख्या - 3**

**सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना**

| न्यादर्श (बालिका) | संख्या (N) | माध्य (Mean) | मानक विचलन (S.D.) | क्रांतिक अनुपात मान (C.R..Value) | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | .05 .01 |
| सहशिक्षा विद्यालय | 100 | 5.10 | 1.85 | 0.42 | सार्थक अन्तर हैं। |
| बालिका विद्यालय | 100 | 5.04 | 1.80 | | |

(df=kN1+N2 -2=k150+150-2=k298)

**विश्लेषण :-** उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्र्राप्त मान तालिका मान से कम है। इस आधार पर परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है। अर्थात् सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित वर्ग की छात्राओं की संवेगात्मकता में सार्थक अंतर नहीं है।

**प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता :-**

उक्त शोध राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नई दिशा प्रदान करने में मार्ग प्रशस्त करेगा। शोध कार्य विद्यालय सन्तुष्टि संबंधी निश्कर्श प्रदान कर विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में सुधार का मार्ग प्रशस्त कर समाज को आवश्यकता आधारित विद्यालय प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेगा। विद्यालय में बढती हुई अनुशासनहीनता से अवगत करवा कर अभिभावक को व विद्यालय प्रशासन को सचेत करेगा इससे विद्यालय तथा समाज गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए प्रवृत हो सकेगा।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


- कुमार कृष्ण एवं गुप्ता लतिका : ''बालिका सशक्तीकरण में कमी क्या है? शिक्षा, विमर्श, जयपुर वर्ष 10 अंक 3 जून 2008
- अग्रवाल यश : ''अनुसूचित जातियों में साक्षरता की प्रवृतियॉ'' परिप्रेक्ष्य वर्ष 1 अंक 2
- कमल और के. एल. : ''बाबा तुमने मेरा स्कूल क्यों छुडवा दिया?'' शिविरा पत्रिका अगस्त 1990 बीकानेर
- कुमार डॉ. सतीश : ''शैक्षिक विकास में बाधक स्कूल फोबिया'' शिविरा पत्रिका मई-जून 1998 बीकानेर.
- कुमार कृष्ण : ''शिक्षा का उद्देश्य और आज की व्यवस्था'' भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 23 अंक 4 अप्रैल 2005
- खन्ना इन्द्रजीत व वर्मा डा. पन्नालाल : ''राजस्थान में शिक्षा अनुसंधान सम्प्राप्तिया एवं संभावनाए'' ए/3, शिक्षा विभाग राजस्थान पृ सं 72
- कोठारी डी. एस. : ''एजुकेशन एण्ड नेशनल डेवलपमेंट'' शिक्षा आयोग 1964-66 का प्रतिवेदन, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# साहित्य और सिनेमा में नारी

**डॉ. सुनीता**
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग
हिमाचल प्रदेश वि. वि. शिमला

**अमित कुमार**
शोधार्थी, हिन्दी विभाग
हिमाचल प्रदेश वि. वि. शिमला

## प्रस्तावना

प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चितवृतियों का संचित प्रतिबिंब होता है।ष भारतीय समाज में नारी की स्थिति सदैव विमर्श का विषय रही है। साहित्य और सिनेमा दोनों ने समय-समय पर नारी के बहुआयामी स्वरूप को चित्रित किया है, कभी पारंपरिक बंधनों में जकड़ी हुई स्त्री के रूप में, तो कभी आत्मनिर्भर, संघर्षशील और चेतनशील व्यक्ति के रूप में। यह शोध पत्र साहित्य और सिनेमा में नारी की उपस्थिति, उसकी अभिव्यक्ति के स्वर और सामाजिक चेतना के विकास में उसकी भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है और सिनेमा समाज का दृश्य-रूपांतरण। दोनों ही माध्यमों ने नारी की अस्मिता, उसकी पीड़ा, संघर्ष और परिवर्तनशीलता को विविध रूपों में उकेरा है। प्राचीन साहित्य में जहाँ नारी का स्वरूप पतिव्रता, त्यागमयी और आदर्श पत्नी के रूप में देखा गया, वहीं आधुनिक साहित्य और सिनेमा ने उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है।

साहित्य और सिनेमा में नारी की भूमिका अहम रहती है। साहित्य के नारी को जो पहचान दी उसे सिनेमा में ने दृश्य रूपों द्वारा समाज के प्रदर्शित किया। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है, परन्तु उसे प्रदर्शित करने का श्रेय सिनेमा को जाता है। साहित्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता इत्यादि समस्त विधाएं आती हैं, जिनके माध्यम से सिनेमा का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमृता प्रीतम के प्रसिद्ध उपन्यास 'पिंजर' पर 24 अकटूबर 2003 में डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने फिल्म बनाई, जिसे राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ट फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरुस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा गोदान, चितररेखा, गुनाहों के देवता तथा तमस जैसे कई उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी हैं। इसी के साथ मन्नू भण्डारी की कहानी 'यही सच है' पर 'रजनीगंधा' फिल्म 1974 में बनाई गई, जिसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया। इसके अलावा 'उसने कहा था' जैसी कई कहानियाँ हैं जिन पर फिल्मों का निर्माण किया गया है। साहित्य में आदि से लेकर आधूनिक तक नारी को वास्तविक स्थिति में दर्शाया गया है।

## साहित्य में नारी

प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी को देवी, शक्ति और प्रेरणा का स्रोत माना गया। वेदों में 'अर्धांगिनी' की संकल्पना स्त्री-पुरुष समानता का प्रतीक थी। संस्कृत साहित्य जैसे; रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शकुंतलम में शाकुंतला, द्रौपदी, सीता और उर्मिला जैसे चरित्र नारी की मर्यादा, करुणा, त्याग और सहनशीलता के उदाहरण हैं।इस समय स्त्रियाँ त्यागमयी, करुणामयी, मर्यादित तथा शक्ति स्वरूप थीं।

हिंदी भक्ति काल में मीराबाई जैसी कवयित्रियों ने नारी को भक्त और साधक के रूप में प्रस्तुत किया। मध्यकाल में मीरा का स्थान प्रमुख है। मीरा निरंकुश प्रवृति की थी जिसने नारी सशक्तिकरण के लिए रास्ते का निर्माण कार्य शुरू किया।नाभादास के 'भक्तमाल' में मीरा के लिए कहा गया है–

**सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलियुगहि दिखायो।**
**निरअंकुश अति निडर रसिक रसना जस गायो।**
**दृष्टनि दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कीयो।**
**बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पीयो।**
**भक्ति निशान बजाइ के काहूँ ते नाहिन लजी।**
**लोकलाज कुल श्रृंखला तजि मीराँ गिरधर भजी।**

नाभादास ने मीरा को निडर, निरंकुश और कलयुग में गोपीयों के समान निश्छल प्रेम करने वाली की संज्ञा दी है, जिसके घर त्यागने पर लोगों द्वारा कही जाने वाली मृत्यु समान बातों को अमृत की तरह पीकर भक्ति का रास्ता अपनाती है। वह लोकलाज को त्याग कर अपने गिरिधर, अपने कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है।

आधुनिक युग में प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, यशपाल, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम आदि लेखकों ने नारी के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को स्वर दिया। प्रेमचंद के उपन्यास 'गोदान' की पात्र धनिया पूरे उपन्यास में निडर, स्वाभिमानी ओर साहसी स्त्री के रूप में अपनी भूमिका निभाती है, साथ ही श्निर्मलाश् उपन्यास की निर्मला जैसी नायिकाएँ सामाजिक विषमता और पितृसत्तात्मक संरचना की आलोचना हैं। मन्नू भंडारी की श्आपका बंटीश् में नारी का आत्मसंघर्ष और मातृत्व का द्वंद्व उभरता है। अमृता प्रीतम की श्पिंजरश् विभाजन के संदर्भ में नारी अस्मिता का सशक्त प्रतीक है। इदन्नमम मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास ग्रामीण परिवेश में महिला सशक्तिकरण और पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष का एक सशक्त उदाहरण पेश करता है। निरुपमा में लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी श्निरालाश् ने एक आत्मनिर्भर और साहसी महिला के संघर्ष का चित्रण किया है जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ती है। झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और नारी शक्ति का प्रतीक है।इसकी रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की है। रतिनाथ की चाची के लेखक नागार्जुन इस उपन्यास में एक साधारण भारतीय नारी के जीवन के कठिन संघर्षों और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दिखाया गया है।

इसी के साथ अगर बात काव्य की जाए तो आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जहां रहस्यवाद को आगे रखकर चलने वाली तथा छायावाद के चार स्तंभों में गिने जाने वाली एक महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में सामने आती हैं। वह अपनी कविता षफिर विकल है प्राण मेरेष में स्वयं कहती हैं कि–

**तोड़ दो यह क्षितिज**
**मैं भी देखू उस ओर क्या है।**

कवित्री आवाज उठती हैं कि उस क्षितिज को तोड़ दो, उस बंधन को तोड़ दो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। महादेवी वर्मा के अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता श्झाँसी की रानीश् नारी सशक्तिकरण की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मानी जाती है। एक उदाहरण देखें–

**सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,**
**बूढ़े भारत में भी आई फिर से नयी जवानी थी,**
**गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी,**
**दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।**

इसके अलावा कुसुम असुल, प्रभा खेतान, सुनीता जैन, कात्यायनी, अनामिका तथा अमृता भारती जैसी कई कवितरियाँ हैं जो स्त्री साहित्य को तथा स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं।

## सिनेमा में स्त्री

भारतीय सिनेमा ने आरंभ में नारी को केवल सौंदर्य और भावनाओं की प्रतीक के रूप में चित्रित किया। 1950-70 के दशक में 'मदर इंडिया' (1957) जैसी फिल्म स्त्री के आदर्शों तथा सिद्धांतों के साथ उसके संघर्षो को बयान करती है। इसमें गाँव की एक विधवा माँ (नर्गिस) अपने दो बेटों को पालने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करती है तथा अपने आदर्शों ओर सिद्धांतों की गरिमा बनाए रखती है। इसके अलावा इस दशक में 'बंदिनी' (1963) यह फिल्म एक महिला के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और उसके द्वारा किए गए अपराध के पीछे की गहरी भावनाओं की पड़ताल करती है तथा  श्सुजाताश जैसी फिल्मों में नारी को त्यागमयी माँ और आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1980-90 के दशक में 'अर्थ' (1982) जैसी फिल्म में विवाह, परित्याग ओर पहचान की समस्या को केंद्रित किया गया है। इसके अलावा 'रुदाली' (1993) भारतीय सिनेमा की एक कालजयी फिल्म है, जो सामाजिक कुरीतियों और महिला संघर्ष को बहुत गहराई से चित्रित करती है तथा  'दामिनी' जैसी फिल्मों ने स्त्री के आत्म-संघर्ष और न्याय की पुकार को उभारा। आधुनिक सिनेमा (2000 के बाद) में नारी का स्वर अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हुआ 'क्वीन' (2014) एक ऐसी फिल्म है जिसमे आत्मखोज ओर स्वतंत्रता की कहानी काही गई है। इसके अलावा 'इंग्लिश विंगलिश' (2012) एक गृहिणी (श्रीदेवी) द्वारा अपनी पहचान और आत्म-सम्मान को पुनः प्राप्त करने की भावनात्मक यात्रा है। इसके पश्चात  'लिपस्टिक अन्डर माइ बुरखा', में आधुनिक भारतीय सिनेमा की एक साहसी और चर्चित फिल्म है, जो महिलाओं की छिपी हुई इच्छाओं और उनकी स्वतंत्रता की बात करती है। 'राजी', में एक कश्मीरी महिला जासूस (आलिया भट्ट) की वीरता और देश के प्रति उसके समर्पण की गाथा। 'मणिकर्णिका द कुईन ऑफ झांसी' में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित एक भव्य ऐतिहासिक फिल्म है। 'थप्पड', में घरेलू हिंसा को सामान्य मानने वाली सोच के खिलाफ एक महिला (तापसी पन्नू) के स्वाभिमान की लड़ाई है। 'पिकू', फिल्म सहमति के महत्व को रेखांकित करती है और पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देती है। 'मैरी कॉम' विश्व चौंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित है, जो बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ती हैं तथा 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी कई फिल्मों ने नारी की अपनी पहचान और सामाजिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया।

नारी विमर्श एक ऐसी बौदघधिक और सामाजिक चेतना है जो समानता, स्वतंत्रता और पहचान की माँग करती है। हिंदी साहित्य में यह विमर्श विशेष रूप से 1970 के दशक के बाद प्रबल हुआ। सिनेमा में भी इसी दौर में समानांतर फिल्मों ने नारी के वास्तविक जीवन-संघर्षों को केंद्र में लाया। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियों में नारी को 'मूक वचिता' कहकर उसकी संवेदना को स्वर दिया। सिमोन द बोउवार की पुस्तक 'The Second Sex' ने नारी विमर्श को वैश्विक रूप दिया, उनके अनुसार "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है", जिसका प्रभाव हिंदी लेखन एवं भारतीय सिनेमा दोनों पर देखा जा सकता है। यदि हम साहित्य ओर सिनेमा की तुलना करे तो दोनों ही अभिव्यक्ति का एक सुदृढ़ माध्यम मन जा सकता है। दोनों की तुलना निम्न आधारों पर की जा सकती है–

1. साहित्य शब्दों द्वारा संवेदना का चित्रण है जबकि सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम से प्रभावशाली माध्यम है।

2. साहित्य कल्पना एवं पाठक की दृष्टि पर निर्भर करते है जबकि सिनेमा तकनीक, अभिनय ओर सम्पादन पर निर्भर करता है।

3. साहित्य में नारी का चित्रण अधिक आंतरिक, भावात्मक ओर प्रतीकात्मक होता है तथा सिनेमा में अधिक दृशयात्मक, वास्तविक ओर प्रभावोत्पादक होता है।

4. साहित्य का उप्द्देश्य विचार और चेतन का निर्माण करना है, जबकि सिनेमा मनोरंजन के साथ एक सामाजिक संदेश भी देती है।

वर्तमान समय में नारी साहित्य और सिनेमा दोनों में सृजन का केंद्र बन चुकी है। वह अब केवल विषय नहीं, सृजनकर्ता

भी है। निर्देशक जैसे जोया अख्तर, मेघना गुलज़ार, गीता देवी और लेखिकाएँ जैसे गीता हरिहरन, मंजुल भगत, अनामिका ये सभी नारी दृष्टि से समाज को देखने की कोशिश कर रही हैं।

## निष्कर्ष

साहित्य और सिनेमा दोनों माध्यमों ने नारी को एक नई पहचान दी है। अब वह केवल प्रेरणा का स्रोत नहीं, बल्कि स्वयं अपनी कथा की नायिका है। नारी विमर्श ने यह सिद्ध कर दिया है कि नारी केवल समाज की अर्धांगिनी नहीं, उसकी पूर्णता का प्रतीक है। संक्षेप में, साहित्य ने नारी की चेतना को शब्द दिए और सिनेमा ने उसे दृश्य और विस्तार दिया। आज 2025 में नारी विश्व का चित्रण अधिक यथार्थवादी, मुखर और आत्मनिर्भर है, जो एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

## संदर्भ सूची


1. मुंशी प्रेमचंद, गोदान, सारस्वत प्रकाशन, वाराणसी, 1936
2. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियाँ, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1942
3. मन्नू भंडारी आपका बंटी, राजकमल प्रकाशन, 1971
4. अमृता प्रीतम, पिंजर, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 1950
5. सिमोन द बोउवार, The Second Sex, ट्रांस. कॉन्कर्ड बेनस्टन, विटेज बुक्स, 1974
6. शुक्ल, रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा, 1929
7. मदर इंडिया, निर्देशक महबूब खान, भारत महबूब प्रोडकशन, 1957
8. अर्थ, निर्देशक महेश भट, भारतः विनोद चोपड़ा फिल्म्स 1982
9. कुईन, निर्देशक विकास बहाल, भारतः फैन्टम फिल्म्स 2014
10. सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल, हंस प्रकाशन इलाहवाद, 1930

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में नारी विमर्श

**प्रोमिला**
शोधार्थी हिंदी विभाग (पीएच०डी)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
समरहिल, शिमला-171005
Email- promilaangel580@gmail.com
Mob-no : 7807001974

वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में नारी शोषण की समस्या देखने को मिलती है। वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में नारी विमर्श का यथार्थ रूप से चित्रण किया गया है। जिसमें समाज में हो रहे नारी के प्रति सामाजिक विद्रोह की भावना देखी जा सकती है। लेखक ने अपने साहित्य के अंतर्गत अनेक उपन्यासों में नारी की स्थिति का चित्रण किया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में नारी का शोषण देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ ही उन्होंने नारी की व्यथा के संदर्भ में अनेक उपन्यासों की रचना की हैं, जिसमें मुख्य उपन्यासों में अनातीत, कबीर की कविता, गैल और गन, डूब, तलाश तीन दिन दो रातें, दे ताली, पार, पंचनामा प्रतिदान, शब्दबद्ध, सबसे बड़ा सिपहिया और सुरेखा पर जैसे से उपन्यासों की रचना की। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में नारी का शोषण देखने को मिलता है। जिसके कारण स्त्री सत्ता पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं।

भारत एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है। जिसमें भारतीय सत्ता पर प्रथम अधिकार पुरूष का ही माना जाता है। जिसके कारण भारतीय संस्कृति में स्त्री के सता पिछड़ती हुई जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति में भारतीय संस्कृति की तुलना में स्त्री की स्थिति ठीक दिखाई प्रतीत होती है। जहां पर स्त्री की अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों पर जीवन जिया जाता है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिसके आधार पर स्त्री की स्वतंत्र जीवन जीने की कल्पना की जा सकती है। धीरे-धीरे पाश्चात्य प्रभाव भारतीय संस्कृति में भी देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति की तुलना में स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। जिसका यथार्थ रूप प्राचीन काल की नई सत्ता के संदर्भ में देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में पुरुष की तुलना में स्त्री का शोषण किया जाता है। जिसके कारण समाज में स्त्री विमर्श उभर कर सामने आया है। स्त्री का पुरुष द्वारा शारीरिक एवं मानसिक शोषण भी किया जाता है। प्राचीन समय से ही स्त्री को चार दीवारी के अंदर जीवन जीने की आदत सी हो गई है। समाज में ऐसी स्थिति होने के कारण पुरुष सत्ता भी निराधार हो जाती है। समाज की ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता जिसके कारण समाज में पिछड़ता हुआ चला जाता है। 'अनातीत' उपन्यास में लेखक ने स्त्री के प्रति संवेदनशील रवैया को रखते हुए विधवा स्त्री की स्थिति का वर्णन किया है। जिसमें विधवा के जीवन को दर्शाते हुए स्पष्ट किया गया है कि "तब ठीक है। आप यही कहिए की शादी वहीं से करने का इरादा है"और वह भी विधवा से ''हां।"[1] इस प्रकार से समाज में नारी की स्थिति को देखा जा सकता ह। कि एक समाज में किस तरह से विधवा नारी के साथ व्यवहार किया जाता है। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित

एवं अपमान भी किया जाता है। विधवा स्त्री से उसके समाज से अनेक प्रकार के अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसके साथ ही उसे अनेक प्रकार से अपमानजनक नाम से पुकारा जाता है। जिससे अपने ही पति की इस दुर्दशा का कारण माना जाता है। जिससे विधवा होने पर स्त्री का कोई सम्मान नहीं रहता उसे समाज द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता है। जिससे स्त्री जाति की दयनीय दृष्टि को देखा जा सकता है। जिसे कुलटा एवं विधवा जैसे आपत्तिजनक नाम से बुलाया जाता है। प्राचीन काल से ही स्त्री को पुरुष की जूती के समान माना जाता है। जिसे केवल एक कर्तव्य पुरुष की सेवा करना माना जाता है। समाज में एक अनपढ़ स्त्री की स्थिति और अधिक दयनीय मानी गई है। जिसे समाज के द्वारा अनपढ़ता का फायदा उठाकर उसका शोषण किया जाता है

इसी प्रकार से उपन्यास 'कबीर की कविता' में मध्यकालीन समय की स्त्री की स्थिति और आधुनिकता की स्त्री की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि "कविता ने मुझे बीच रास्ते में रोकड़ पूछा कि तुम आज ही, अभी मुझसे शादी करोगी या नहीं।"[2] इस प्रकार से स्त्री के प्रति पुरुष द्वारा अपनाए गए रवैया को दर्शाया गया है जिसमें पुरुष द्वारा स्त्री को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाया जाता है फिर उसे धन के लालच में आकर उससे प्रेम के नाटक करके उससे शादी कर लेता है, इस प्रकार से समाज में पुरुष वाली सोच की मानसिकता को देखा जा सकता है। स्त्री को अपना लालन-पालन करने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। ताकि वह अपने पैरों पर खड़े होकर अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके इसके साथ-साथ ही वह पुरुष वाली सता का भी विरोध कर सके। इसके लिए भारतीय सरकार ने स्त्री के पक्ष में अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। ताकि स्त्री का विकास हो सके, जब तक स्त्री पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाती, तब तक समाज या किसी भी देश का विकास होना संभव हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा से संबंधित कई स्लोगन भी निकल जाते हैं। जैसे कि 'पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया'आदेश जैसे समाज को जागरूक करने के लिए कई नारे बनाए गए हैं।

भारतीय संविधान में समय के साथ-साथ स्त्री के पक्ष में कई कानून कायदे भी बनाए गए हैं। दहेज प्रथा जैसी समस्या आज भी समाज में देखने को मिलती है, जिसमें कि 1 वर्ष में हजारों औरतों आत्मदाह कर लेती है। समाज में आधुनिक समय में दहेज का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण नारी का ससुराल वालों की तरफ से अपने अनेक प्रकार से ताने एवं यातनाएं दी जाती है। पुरुष प्रधान देश सदैव अपने कर्मों का ठीकरा स्त्री सत्ता के ऊपर थोपता आया है। इसी प्रकार से गैल और गन उपन्यास मे "विवाह करके जब गांव वापस आए तो पूरा दहेज सिर घर तक पहुंचना पड़ा।"[3] दहेज प्रथा आज भी समझ में विश्वसनीय प्रथम बनी हुई है ससुराल वालों की तरफ से मनमानी ढंग से स्त्री पक्ष वालों का शोषण किया जाता है

भारतीय समाज में स्त्री सत्ता के पक्ष को स्पष्ट करते हुए 'डूब' उपन्यास में बने सामाजिक विश्वास को स्पष्ट किया जाता है, जिसके आधार पर नारी के ऊपर अनेक प्रकार के कठोर पाबंदियां लगाई जाती है, जिसमें कि "मोरी तो दिली तमन्ना थी कि इसी द्वार पर चार कहारों के कंधों पर डोली में बैठकर आई थी सो इसी द्वारा से कंधों पर शमशान जाती।"[4] इसी प्रकार से समाज में स्त्रियों के लिए कई कठोर कानून बनाए गए हैं,ताकि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच समता की भावना बनी रहे और वह पुरुष के विरोध में ना बोल सके। इसी प्रकार से समाज में मानवीय व्यवस्था को लागू किया गया है। 'डूब'उपन्यास में सामाजिक कुरीतियों के पक्ष में संदर्भित करते हुए स्पष्ट किया जाता है। कि "देखो-देखो गागर ना फूट जाए कहीं पानी न बिखर जाए कहीं,अपशगुन ना हो जाए, इसी शगुनिया बेला में ना गौराबाई ना संभाल गोराबाई, संभल गागर को,मन में हिलोरे मचाते गागर को"[5] जिससे स्पष्ट होता है। कि समाज में अनेक प्रकार की ऐसी कुरी -तियां बनाई गई है। जिन कुरीतियों का मुख्य कारण समाज में अनपढ़ता और अंधविश्वास माने जाते हैं।

'तीन दिन दो रातें' उपन्यास में स्त्री और पुरुष के बीच संबंधों को दर्शाते हुए आधुनिक स्त्री को स्पष्ट किया गया है जिसमें पुरुष सत्ता को स्त्री सत्ता की अपेक्षा प्रबल माना गया है "वही अविनाश से लिपट जाना कभी उछलकर उसके गाल को चूम लेना कभी कंधों को सहलाने कभी हाथ को अपनी पीठ पीछे से घूमर कभी अपने कंधे तक लाना"[6] जिस अभिप्राय है कि पुरुष स्त्री की तुलना में अधिक बलिष्ठ हैं। जिसके कारण समाज में उसे पहले स्थान दिया गया है समाज में ऐसे प्राचीन

काल से कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिसमें पुरुष प्रधान द्वारा किसी सुंदर स्त्री का हरण कर लिया जाता है। इसी कारण से महिला के प्रति प्राचीन समय से एक संवेदनशील स्थिति देखने को मिलती है इसी उपन्यास में नारी के प्रति हो रहे जघन्य अपराधों को स्पष्ट किया करता है वह लेखक कहते हैं कि "दरअसल हमने नहीं अपने हमें जबरदस्त धोखा दिया इन घटक की मुझ पर अपहरण बलात्कार और जिस फिरोशी यानी एक साथ तीन जगह ने और जिन्होंने अपराध कायम हो सकते थे।"[7] इसी तरह से स्त्री को सिर्फ जिस से जिस जिस्मफिरोशी तक ही रखा जाता है। जिसके फल स्वरुप समाज में हो रहे स्त्री के पति अनेक प्रकार के शारीरिक शोषण एवं स्त्री की खरीद-फरोख्त को भी देखा जा सकता है जिससे समाज में स्त्री के प्रति हो रहे अनेक एक प्रकार के अपराधों का मूल्यांकन किया जा सकता है।

हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार से स्त्री ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जिसमें प्राचीन काल से ही लेकर अब तक स्त्री के पक्ष में काफी कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है मीराबाई, कृष्ण सोबती, महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाओं ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य किया है जिनका साहित्य आधुनिक समय में भी तर्कसंगत माना जाता है। इस प्रकार की समस्याएं आज भी आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। 'दे ताली' उपन्यास में नारी के प्रति समाज में किया जा रहे शब्दों को व्याख्यायित करते हुए स्पष्ट किया जाता है, कि "कब कौन विधवा औरत, साधवा औरत, कुंवारी औरत और चिरकुंवारी औरत उन पर लट्टू रही है"[8] इस प्रकार से पुरूष समाज में स्त्री के प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार को समाज के समक्ष लाया जा सकता है।

'पार' उपन्यास में स्त्री के प्रति हो रहे शोषण को आधुनिक संदर्भ के साथ जोड़ते हुए स्पष्ट किया जाता "ढेरों जमीदार, रईस तालुकदार, असरदार अफसर और बड़े कारोबारी लोग है। जो औरतों को खरीदते हैं। उनके पास आदमी गांव देहात से खेल टपरे से औरतें उठाकर फुसलाकर हांककर लाते हैं।"[9] इस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग की स्त्रियों का शोषण करते है। इसी उपन्यास में स्त्री द्वारा पुरुष पर अनेक प्रकार के घरेलू हिंसा के आरोप लगाए जाते हैं जिसमें पुरुष द्वारा स्त्री का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है। इसी उपन्यास में छोटी-छोटी लड़कियों के साथ की शारीरिक रूप से पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। जिसमें कि "मैं बालिक हूं, अपना भला बुरा सोचने में समर्थ, मैंने फलाव व्यक्ति से विवाह किया था, पर वह मेरे परवाह नहीं करता, मुझे मारता-पीटता है।"[10] इस प्रकार से समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति को देखा जा सकता है शारीरिक रूप से नारी को घर में मारा एवं पीटा जाता है। स्त्री चाहे उच्च वर्ग से संबंध रखती हो या निम्न वर्ग से सभी की स्थिति एक समान मानी जाती है स्त्री को शिक्षा का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया है ताकि वह पुरुष सत्ता का विरोध ना कर सके, इसी प्रकार से स्थिति भारतीय समाज में देखने को मिलती है। इस तरह इस तरह से समाज से निपटे के लिए शिक्षित वर्ग का होना आवश्यक है। उत्तर आधुनिकता की इस दौर में भी स्त्री आज भी अपने अधिकारों की मांग करने से संकोच करती है। स्त्री शोषण किसी भी समाज का घरेलू मामला या सामाजिक मामला माना जाता है जिसके आधार पर एक संगठित समाज की कल्पना की जा सकती है। शिक्षा के इस आधुनिक दौर में भी स्त्री समाज में वह स्थान नहीं मिल पाया है। जो उसे मिलना चाहिए था। इसी उपन्यास में स्त्री की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया जाता है की "औरतें ही नहीं बच्चे अभी खरीदी जाती है अलबता उन प्रतिज्ञा पत्र नहीं बनता उनका लेनदेन गुपचुप होता है।"[11] इस तरह से कहा जा सकता है कि समाज में आज भी प्राचीन व्यवस्था की तरह ही स्त्री का शोषण किया जाता है। इसके जिसके अधिकतर मामले परिवार में भी देखने को मिलते हैं। बेटी के जन्म बेटे की जन्म की तरह नहीं मनाया जाता। इसके विपरीत बेटी के जन्म को दुखदाई माना जाता है। इस प्रकार की मानसिकता की स्थिति भारती अर्थव्यवस्था में भी संकट पैदा करती है।

'पंचनामा' उपन्यास में नारी की प्राचीन व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया जाता है, कि "उधर पहले रानी कारागार में सिंखचो से सिर मार-मारकर मर गई महल की छत पर फेंकी राजकुमारी भी मन के दूध के बिना तड़प-तड़प कर मर गई।"[12] जिस अभिप्राय है, कि प्राचीन काल की तरह आधुनिक समय में भी समाज में कई ऐसे मामले देखे जा सकते हैं, जिसमें स्त्री के पक्ष में कम जबकि पुरुष के पक्ष में अधिक बोला जाता है इस प्रकार से ही किसी भी भाषा का ही साहित्य क्यों ना हो, उसमें पुरुषवादी सोच के बारे में अधिक लिखा गया है। जबकि स्त्री को समाज का अंग ना मानकर उसकी अवहेलना

की जाती है। नारी स्थिति के आधार पर ही उसे किसी भी समाज की स्थिति को देखा जा सकता है। प्रतिदान उपन्यास में समाज की स्त्रियों की स्थिति का चित्रण करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि “मैंने रंडियों (शादियों के अवसर पर नाचने वाली औरतों को जो नकली घोड़े के बीच खड़ी होकर नाचती है) के भाव खटाई में डाल दिए।”[13] पाश्चात्य संस्कृति में स्त्री की स्थिति अच्छी मानी गई है। जिन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। जिसके कारण पाश्चत्य संस्कृति भारतीय संस्कृति से अधिक सुदृढ़ दिखाई पड़ती है।

आधुनिक युग में स्त्री का शोषण हर क्षेत्र में देखा जा सकता है चाहे वह सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र में स्त्री की भागीदारी कमी की कमी दिखाई दे देखी जा सकती है। जिसका मुख्य कारण पुरुष प्रधान मानसिकता को माना जाता है परंतु जैसे-जैसे समय के साथ समाज में विकास हो रहा है। वैसे-वैसे ही सामाजिक स्थिति में शिक्षा का प्रभाव भी देखा जा सकता है,जिससे स्त्री की स्थिति में भी सुधार को देखा जा सकता है।

प्रशासनिक क्षेत्र में भी स्त्रियों का शोषण किया जाता है। जिसमें समाज के कई ऐसे मामले देखे जा सकते हैं ,जिसमें स्त्री सत्ता के होने पर भी उनके कार्यों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका मुख्य कारण स्त्री सत्ता के प्रति विरोधी अवधारणा है। पुरुषवादी विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग भी स्त्री की तुलना में स्वयं को अधिक बलिष्ठ मानते हैं। इसलिए वह भी स्त्री की सत्ता के प्रति कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते, ‘सबसे बड़ा सिपहिया’ उपन्यास में स्त्री की साथ हुए शोषण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “डी०ओ क्षण भर को अकबकाए। फिर थोड़ा सा झुका करो उसे दोनों बाहों में भरकर उठने लगे। उससे शरीर का स्पर्श पाते डी०ओ का चेहरा प्रसन्नता और आश्चर्य से खुला का खुला रह गया।”[14] इस उल्लेख को देखकर कहा जा सकता है कि पुलिस विभाग में भी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई एक स्त्री के साथ पुरुष विभाग द्वारा उसका शारीरिक रूप से शोषण करने की कोशिश की जाती है

**निष्कर्ष-** जिसके कारण आज भी कई विभागों में स्त्री के प्रति लिखवाए गए अपराधों के प्रति कोई संज्ञान नहीं लिया जाता इसके विपरीत स्त्री के साथ दूर व्यवहार किया जाता है प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक स्त्री पुरुषों के अनेक का अपराधों को सहन करते आ रही है। परंतु जैसे-जैसे समय के साथ शिक्षा में सुधार हो रहा है वैसे-वैसे स्त्री की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है। जिसका यथार्थ रूप से चित्रण वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में देखने को मिलता है।

## संदर्भ सूची


1. वीरेंद्र जैन, अनातीत, पृ०.166
2. वीरेंद्र जैन, कबीर की कविता, पृ०.108
3. वीरेंद्र जैन, गैल और गन, पृ०.30
4. वीरेंद्र जैन, डूब, पृ०.142
5. वीरेंद्र जैन, डूब, पृ ०.143
6. वीरेंद्र जैन, तीन दिन, दो रातें, पृ०.136
7. वीरेंद्र जैन, तीन दिन,दो रातें, पृ०.193
8. वीरेंद्र जैन, दे ताली, पृ०.45
9. वीरेंद्र जैन, पार, पृ०.64
10. वीरेंद्र जैन, पार, पृ०.64
11. वीरेंद्र जैन, पार, पृ०.65
12. वीरेंद्र जैन, पंचनामा, पृ०.53
13. वीरेंद्र जैन, प्रतिदान, पृ०.51
14. वीरेंद्र जैन, सबसे बड़ा सिपहिया, पृ०.28

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# साठोत्तरी हिंदी कहानी और ज्ञानरंजन : मध्यवर्ग का संवेदनात्मक यथार्थ

**पंकज कुमार सिंह**
(शोधार्थी)
विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर, प० बंगाल
मो. 9804688015
ई मेल - pks2022singh@gmail.com

जब ज्ञानरंजन ने अपनी रचनात्मक यात्रा की शुरुआत की, उस समय हिंदी साहित्य में मध्यवर्गीय जीवन एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर रहा था। घरेलू कलह, पारिवारिक तनाव, आर्थिक तंगी और तेजी से बदलते सामाजिक मूल्य इन सभी ने साहित्य में एक नई संवेदनशीलता और दृष्टि को जन्म दिया था। यह वह दौर था जब परंपरागत आदर्श पुनः सवालों के घेरे में आ रहे थे और मध्यवर्ग अपने भीतर गहरी, परंतु अनकही बेचौनी महसूस कर रहा था। एक ओर व्यक्तिगत संघर्ष और आत्ममंथन, तो दूसरी ओर सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों की अस्पष्ट लेकिन प्रभावशाली आहट, इन दोनों के बीच ज्ञानरंजन जैसी लेखकीय संवेदनाएँ आकार ले रही थीं।

साठोत्तरी कहानीकारों ने समाज की विडंबनाओं और अंतर्विरोधों को नगरीय जीवन की जटिलताओं, यौन-संवेदना, मानसिक कुण्ठाओं, अकेलेपन, निराशा और अस्तित्वगत संकट जैसे विविध आयामों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इस दौर में दूधनाथ सिंह की कहानियाँ जहाँ एक प्रकार की आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति का परिचय देती हैं, वहीं रविंद्र कालिया की रचनाओं में मानवीय संबंधों के उलझाव विशेष रूप से उभरकर सामने आते हैं। काशीनाथ सिंह ने अपने अनुभवों को गहरे स्तर पर जिया, परंतु उनकी भाषा की सीमाएँ इन अनुभवों को अपेक्षित स्पष्टता प्रदान नहीं कर सकीं।

ऐसे साहित्यिक परिदृश्य में ज्ञानरंजन अपनी विशिष्ट दृष्टि, नयी भाषा-शैली और गहन संवेदना के कारण एक अलग और ऊँचे स्थान पर प्रतिष्ठित होते हैं। उनकी रचनाएँ न केवल साठोत्तरी कथा-परंपरा को एक नई दिशा देती हैं, बल्कि सामाजिक यथार्थ को देखने और समझने की एक अनोखी संवेदनात्मक दृष्टि भी प्रस्तुत करती हैं।

ज्ञानरंजन की कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन की सार्थकता की खोज एक गहरी और बेचौन कर देने वाली छटपटाहट के रूप में उभरती है। वे सामाजिक यथार्थ को केवल देखने भर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसकी हर परत को खोलकर उसके भीतर छिपे तनाव, विडंबनाएँ और संघर्षों को सूक्ष्मता से उजागर करते हैं। यही कारण है कि उनका कहानी-दृष्टिकोण अपने समकालीन कथाकारों की तुलना में अधिक परिपक्व, प्रौढ़ और गहन विश्लेषणात्मक दिखाई देता है।

उनकी कहानियाँ यथार्थ के सघन, कड़वे और कभी-कभी असहज कर देने वाले अनुभवों को इस तीव्रता से सामने लाती हैं कि पाठक न केवल उनसे जुड़ता है, बल्कि उन्हें भीतर तक महसूस करने के लिए विवश हो जाता है। इसी प्रभावशीलता के कारण ज्ञानरंजन की कहानियाँ पाठकीय मन पर एक स्थायी छाप छोड़ती हैं। किसी व्यक्ति को मजाकिया लहजे में नया नाम देना मध्यवर्ग की एक अन्य आदत होती है दूसरों का मजाक बनाना मध्यवर्ग की आदत होती है। ज्ञानरंजन श्यात्राश

कहानी में 'मैं' के द्वारा कहलवाते हैं- "उस बच्चे की याद आई जिसे मैं श्पेंगा पीलाश् कहता हूँ और वह बच्चा उसे गुरु। यद्यपि अपने बच्चे का कोई मजाकिया नाम भी नहीं पड़ने दूंगा।" [1]

साठोत्तरी कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक ज्ञानरंजन ने हिंदी कथा-साहित्य को केवल प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि उसकी दिशा, संवेदना और दृष्टि तीनों को गहराई से रूपांतरित किया। उनकी कहानियों ने साहित्य को नई वैचारिक परिपक्वता, तीक्ष्ण संवेदनशीलता और एक ऐसी विशिष्ट आत्मदृष्टि प्रदान की, जिसने कथा-लेखन को अधिक ईमानदार, अधिक जटिल और मानवीय अनुभवों के प्रति अधिक सजग बनाया। ज्ञानरंजन का योगदान इस आंदोलन को न केवल धार देता है, बल्कि उसे एक विशिष्ट पहचान भी प्रदान करता है।

ज्ञानरंजन की कहानियाँ समकालीन हिंदी कथा-साहित्य में इसलिए अलग और असरदार दिखाई देती हैं, क्योंकि वे मध्यवर्गीय जीवन को केवल एक कथा-विषय नहीं, बल्कि एक बहुआयामी, जटिल और सतत बदलती हुई अनुभव-भूमि के रूप में समझती हैं। उन्होंने अपने समय के मध्यवर्ग में पनप रही विडंबनाओं, आत्मछल, मोहभंग, सुविधा-प्रियता और दिखावे को जिस पैनी, व्यंग्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पकड़ा है, वह उनकी रचनाशीलता को विशिष्ट और अविस्मरणीय बनाती है। उनके यहां मध्यवर्ग केवल सामाजिक इकाई नहीं, बल्कि मानवीय प्रवृत्तियों, कमजोरियों और अंतर्विरोधों की एक जीवंत प्रयोगशाला के रूप में उभरता है—यही उनकी कहानियों को गहरी अर्थवत्ता और अलग पहचान प्रदान करता है।

ज्ञानरंजन की कथा-दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मध्यवर्ग की बाहरी चमक-दमक या सतही संघर्षों तक सीमित नहीं रहते। वे उसकी गहराइयों में उतरकर उन अंतर्विरोधों, विडंबनाओं और छिपी हुई दरारों को उद्घाटित करते हैं, जो उसके आचरण, संबंधों और मूल्य-व्यवस्था को भीतर से क्षीण और खोखला बनाते हैं।

उनकी कहानियों में पिता की जिद और पुरातन मूल्यों से चिपके रहने की विवशता, माँ की भीतर ही भीतर सुलगती चिंताएँ, बेटे की उदासीनता और अलगाव, दांपत्य व प्रेम संबंधों में फैला छल और अविश्वास, यौन आचरण का छद्म, तथा परंपरा और आधुनिकता के बीच पनपता निरंतर द्वंद्वये सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्मता, गहन मनोवैज्ञानिक समझ और संवेदनात्मक तीक्ष्णता के साथ उभरकर आते हैं। इसी गहराई और ईमानदार आत्मावलोकन के कारण ज्ञानरंजन का कथा-संसार मध्यवर्ग की वास्तविकताओं को नई दृष्टि देता है और उसे एक विशिष्ट कलात्मक ऊँचाई प्रदान करता है।

उनकी कथाएँ मध्यवर्ग को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती हैं जैसे एक आईना जहाँ उसकी बनावटी शान धीरे-धीरे टूटती है और उसके व्यक्तित्व की छिपी परतें स्पष्ट रूप से उजागर होती हैं। इसी गहन अंतर्दृष्टि और बेबाक ईमानदारी के कारण ज्ञानरंजन की कहानियाँ हिंदी कथा-साहित्य में एक विशिष्ट और अनूठी आवाज़ के रूप में खड़ी होती हैं।

ज्ञानरंजन ने समाज के उजले और धुंधले पक्षों के बीच मौजूद अंतर को गहन रूप से समझा और इस बात पर जोर दिया कि यदि मध्यवर्ग वास्तव में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनना चाहता है, तो उसे अपनी अवसरवादी मानसिकता और आत्मकेंद्रित जीवन-दृष्टि को त्यागना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मध्यवर्ग सामाजिक संघर्षों और वास्तविक जन-सरोकारों से जुड़कर सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा, उसकी स्थिति केवल दिखावटी, निष्प्रभावी और क्षणभंगुर ही रहेगी। इस दृष्टि से ज्ञानरंजन ने मध्यवर्ग की कमजोरियों और संभावनाओं को बेबाकी और संवेदनशीलता के साथ उजागर किया, जिससे उनकी कथाएँ सामाजिक आलोचना और विचारशीलता का मजबूत माध्यम बन जाती हैं।

समकालीन रचनाकारों में जहाँ इस तरह की गहन वैचारिक स्पष्टता दुर्लभ है, वहीं ज्ञानरंजन अपने विशिष्ट दृष्टिकोण और सामाजिक सचेतना के कारण साठोत्तरी हिंदी कहानी के सबसे प्रभावशाली और दिशा-निर्धारक लेखकों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानियाँ मध्यवर्ग को केवल देखने का साधन नहीं हैं, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करती हैं—एक ऐसे आईने में जिसमें उसकी कमजोरियाँ, दोगलापन और आत्ममुग्धता इतनी स्पष्टता से उभरती हैं कि पाठक स्वयं उस प्रतिबिंब का सामना करता है। यही गहराई, बेबाकी और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि उन्हें हिंदी कथा-साहित्य में एक अनूठी और स्थायी पहचान देती है।

ज्ञानरंजन की विशेषता यह है कि उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों, आत्मछल और झूठे श्रेष्ठताबोध को व्यंग्य की ऐसी धार से पकड़ा है, जिसमें हास्य और तीखे सामाजिक विवेक का अद्भुत संयोजन मौजूद है। उनका व्यंग्य न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि और विश्लेषणात्मक तीक्ष्णता के माध्यम से मध्यवर्ग की मानसिक और सामाजिक कमजोरियों को भीतर तक उजागर करता है। मध्यवर्गीय समाज में युवक एवं युवती को मित्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। वे मित्रवत एक-दूसरे को घर जाकर मिल नहीं सकते। उन्हें अपने संबंधों को मैत्री से इतर कोई नाम देना पड़ता है। ज्ञानरंजन ने 'फेंस के इधर और उधर' कहानी में लिखा है कि श्मैंश के पड़ोसी की लड़की के द्वारा उसके पुरुष मित्रों का स्वागत 'मैं' के घरवालों को बुरा लगता है।" [2]

उनकी कहानियों में यह वर्ग अपनी बनावटी श्रेष्ठता, दिखावटी शान और आडंबर के माध्यम से स्वयं को महत्व देने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन उसी के भीतर उसकी टूटती अस्मिता, बिखरती पहचान और अंतर्निहित संकट भी स्पष्ट रूप से झलकते हैं। इस तरह, ज्ञानरंजन का लेखन केवल समाज का प्रतिबिंब प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि पाठक को उस प्रतिबिंब के भीतर मौजूद सच—असली कमजोरियाँ, दोगलापन और आत्ममुग्धता के साथ आमने-सामने खड़ा कर देता है। यही गहराई, सूक्ष्म व्यंग्य और बेबाक सामाजिक विवेक उनकी कहानियों को समकालीन हिंदी कथा-साहित्य में एक विशिष्ट, अनूठी और स्थायी पहचान देते हैं।

## संदर्भ

1. ज्ञानरंजन, यात्रा, यात्रा, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करणः 1971, पृ. 69
2. ज्ञानरंजन, फैंस के इधर और उधर, फेंस के इधर और उधर, अक्षर प्रकाशन प्रा.लि., दिल्ली, प्रथम संस्करणः 1968, पृ. 58-59

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# A Comparative Study of Two Different Cultures: The Gaddi and the Khasi Tribes

**Suresh Kumar**
Ph.D. Scholar, Department of Social Work,
Central University of Himachal Pradesh
Email- sureshkumarcuhp@gmail.com
Mob- 8219576079

**Teiborlang Dkhar**
Assistant Professor, Ri War College,
Meghalaya
Email- tebordkhar@gmail.com
Mob-7005157560

## Abstract

This study is a comparative study of Gaddi and Khasi tribes of Himachal Pradesh and Meghalaya to understand their distinctive culture and social patterns. The study mainly focuses on the key aspects of comparison, including their origin, historical background, social structure, economic activities, religious beliefs and political organization. The objective of this study is to describe the culture of two different hilly tribes of India. This paper is a descriptive study using secondary sources such as books, articles, and other resources. The Gaddi and the Khasi are hilly tribes. The comparative analysis of the study reveals significant differences between the two tribes, particularly in terms of social organization and gender roles, as the Gaddi society follows a patriarchal system while the Khasi society is predominantly matrilineal. Economic practices also vary, with the Gaddis largely dependent on pastoralism and agriculture, whereas the Khasis are mainly engaged in settled agriculture and allied activities. Despite these differences, both tribes share common challenges related to modernization, education, and socio-economic change. The study highlights the crucial role geographical settings and cultural traditions play in shaping tribal institutions and social life, and emphasizes the importance of preserving indigenous cultural identities in a rapidly changing society.

**Keywords-** The Khasi & Gaddi, Tribes, Culture, Religion,

## Introduction

Tribes are the small communities in India comprising about more or less 8% scattering all over the country. However, the highest concentration of tribes is in central India. Tribes are considered the most backward communities in the country. This paper will focus on the two small tribes of India, the Gaddi and the Khasi, residing in the Himalaya and the Khasi-Jaintia plateau. The Gaddi and the Khasi are listed as the scheduled tribes in the Constitution of India in Article 366(25). The Gaddi tribe inhabits the northern part of Himachal Pradesh of the Himalayan range. The Khasi tribe of Meghalaya is found in the eastern and central parts of the state. They are the most ancient tribe in the region. One of the unique identities among the Khasi is their matrilineal system, which is still very strong even today. “There are 715 scheduled tribes under Article 342 of the Constitution of

India, spread over different states and Union Territories of the country" (Kumar, 2021, p. 47). Tribes of India are scattered all over the country. The highest concentration of the tribes is in central India. Some tribes in central India are Santhals, Kharia, Gonds, Mundas Korkus. The Tribes of northern India are Jats, Khatris, Aroras, Sainis, Kambohs of Punjab, Lahula, Kinnaura, Spitian, Gaddis, Pangwalas, and Gujjars of Himachal.

In the western parts of India, some tribes are the Bhils, Kota of Rajasthan, Gamiths, and Baruch of Gujarat. The southern parts of India are Irulars, Kodars, Kurumba, and others. In Northeast India are, Rabha, Bodo, Karbi, Deori tribe of Assam, the Ao, Paite, Angami, Ao, Rengma of Nagaland, Kuki, Maran, of Manipur, Reang of Manipur, Lushai of Mizoram, Nishi, Mishmi, Wancho, Tangam, Nocte, Apatani, and Singpo of Arunachal Pradesh. In the Island of India, some tribes like the Jarawas, Onges, and Sentinelese tribes are found in the Andaman and Nicobar Islands.

## The Gaddi

The Gaddi tribe of the Western Himalayas inhabits the Chamba and Kangra Districts of Himachal Pradesh, which are on either side of the Dhauladhar range. Fuchs (1992, p. 91) mentioned, "The Gaddis are semi-nomadic; they spend half the year in search of fodder for their herds, and the other half they spend in their villages cultivating their meager crops. But they are better shepherds than cultivators. They are sheep and goat herders. They graze their herds with the help of dogs so fierce that they can repel bears and panthers". The animals are reared for food, sacrifice, and commercial purposes.

## Origin of the Gaddi

There are some controversies regarding the origin of the Gaddi tribe. The Encyclopedia of Himachal writes, the word 'Gaddi is derived from the 'Gadar', a Hindi term meaning shepherd or a ewe. "Another group of people claims that Gaddis came to hilly areas they fell victim to the atrocities of the Mohamedans in their despotic rule. They settled in Bharmaur, which is described as Kailash. Kailash is considered Gaddi, connoting the seat or throne of their God, lord Shiva" (Balokhra, 80, p. 20015). Others say that the Gaddi Brahmin came from the plain area of Delhi, and they moved to the Himalayan mountain ranges due to the fear of invaders. Singh (2001, p. 269) writes, Gaddi, the nomenclature is derived from the word 'Gadaren', the local word for the hilly tracts of Himachal Pradesh".

Another theory says that the Gaddi tribe came from Lahore. Fuchs (1992, p. 92) writes that Gaddi "claims to be immigrants from the North Indian plains, of low Rajput Stock. They left Rajputana, fleeing before the Muslim invaders". At present, they exclusively inhabit the Dhaula Dhar range.

The Gaddis are of two groups, the Gaddi Brahman and Gaddi Rajput. Singh (2001, p. 273) writes, "Gaddi Brahma, they are one of the four groups included under the generic term Gaddi. They believed to have come to Chamba from Delhi along with Raja Ajai Barman during AD 850-870 to serve as religious priests." They divide themselves into a number of exogamous groups, such as Attri, Bhardwaj, Gautam, Jamdagni, Kashyap, etc, which are further subdivided into smaller groups.

The Gaddi Rajput, on the other hand, are believed to have migrated from Lahore due to religious persecution. Singh writes, "The Gaddi Rajput are divided into high and low social categories consisting of the Rajput, Khatri, Thakur, and Rathi. Hypergamous unions with these people are permitted"

(Singh, 2001, p.272).

## The Khasi

The Khasi is the tribe of Meghalaya inhabiting the plateau of the East and Central parts of the Khasi and Jaintia Hills. They call themselves the children of Seven Huts (*Khun-u-Hynniewtrep*). The Khasis live on agriculture for their survival. Cultivation is practiced on the southern slopes of the hills, which are known as *War*. They are surrounded by other large groups of people, such as Bengalee in the south and Assamese in the north and east.

The Khasis divide themselves into different groups based on their region of residence. They are *Khynriam, Pnar, Bhoi, War, Lynngam*. Those who are living in the central part of the plateau of the Khasi and Jaintia hills are called *Lum-'Khasi*' and *'Pnars'* respectively. Those who are living on the southern slopes of the hills bordering Bangladesh are called *'War'*. The people living in the Southwestern part of the state bordering the Garo hills are called *'Lyngngam',* and those who are living in the north are called *'Bhoi'.* Ryngnga and Sarma (2016, p. 14) write, "People inhabiting this central upland zone of the Khasi Hills Regions are locally known as *Hynniew Trep*, and the region is locally known as Ri-Khasi".Ramsiej (1992, p. 49) writes, "the Khasi is the hill tribe living in the Khasi and Jaintia of Meghalaya. Those who are living in the East are known as *Synteng or Pnar*: those who are living in the plateau tableland are known as Khasi, and those who are living in the hills slopes bordering Bangladesh are known as Wars. Those who are living in the north bordering Assam are called Bhoi. Those who are living in the West Khasi Hills District are called *Lyngngam*. Nongkynrih (1979, p. xxiv) writes, "The common nomenclature 'Khasi' is for the inhabitants of the Khasi Hills. *The Synteng*, the *War*, the *Khasi* and the *Bhoi* that are of the same stock".

## The origin of the Khasi

There are several theories regarding the origin of the Khasis. All the Khasis believe that they have come from heaven through the *'JingkiengKsiar'* (golden bridge) via *Sohpetbneng* (navel) hill. This hill, the Khasis believe, is the navel of heaven. There was a golden bridge that connected heaven and earth. That is why this hill is known as the *SOHPET BNENG. Sohpet* means the 'Navel', and '*Bneng*' means 'Heaven'. According to the story, the first Khasis who came down from heaven through the golden bridge are called the *Hynniew trep-hynniew skum*(seven huts) Sawian (2010). The recent excavation in 2014 at *Sohpetbneng* Hill proved that the Khasis had been living there between 1300 to 1200 B.C.

According to Umeshwari Dkhar (2015, p. 5) writes, "The Khasis believe that they were directly created by God and placed in these Hills, of which the most sacred ones are the *Sohpet bneng* (navel of heaven) in the north, *the Diengiei* (the sign of sin) peak in the west, and the *Shyllong* (lum Shillong) peak in the south part of Shillong".

The other theories, Hamlet Bareh Ngapkynta (2010) writes, "There is a tradition that the Amwi-Khasi reached their present land from the East and their ancestors were originally connected with the Mekong River. The Mekong in *Amwi* or *Meisan* in Khasi has an equivalent of the senior Aunt, viz, Mother's elder sister in English."

Choudhary (1998) mentioned that the Khasis are the aborigines of the eastern Himalayan region, and the Khasis 1residing in Laos were most probably the deported or displaced branch of the

Himalayan Khasis who did not like to forget their past name and culture of their ancestral home.

## People

The Gaddi people must have been an Aryan stock; they have a long, pointed nose like the Aryan Race. Their skin complexion is a little bit fair; they are shorter than the people from the Indian mainland. They are very good and honest people. "Gaddi tribes have strict moral values to which they try to stick always in even in the worst of circumstances. Indian Anthropologists have also observed that Gaddis are highly esteemed for their honesty, friendliness and disposition, and peaceful lifestyle. Crime is rarely found in this community. Most of the Gaddi tribe is non-vegetarian and they even consume goat milk" (indianmirror.com). On the other hand, the Khasis are the offspring of the Mongoloid race. Generally they are short stature and have a flat nose. Gurdon (2019, p. 2) writes, "the colour of the Khasi skin may be described as being usually brown, varying from dark to a light yellowish brown, according to locality". Before the coming of the Christian missionaries to the Khasi hills, the Khasis too had strict moral values; they had a strong belief in the motto, which says, *Ka mai ia ka hok*, which means earn righteousness. However, the onslaught of the Christians on the indigenous faith has turned the society into a Westernized one. D. Khongdup (2023) writes, "The indigenous people of the North East have suffered the onslaught of Christianisation for almost two centuries now. The suffering is not limited to the changed manner of prayer alone. It has resulted in colossal damage to the ethnic way of life, local culture, value systems, and traditions. The Khasi community has been one of the worst sufferers of the missionary tactics of spreading hate and discrimination. To comprehend the enormity of the damage, it is essential to understand what these priceless traditions and customary practices that we have lost". (Khongdup, D. 2023). How the church has uprooted the Khasi community in the north east. Organiser Voice of the Nation. (Retrieved May 16, 2023, from https://organiser.org/2023/03/16/165026/bharat/conversion-and-superstition how-church-has-uprooted-khasi-community-in-north-east/).

## Religion

The Gaddis are Hindus by religion and worship Shiva as their main god. They venerate other gods, too, and a host of spirits to whom they sacrifice animals. They expect health and prosperity from Shiva, while they greatly fear the evil spirits who cause sickness, abortion in childbirth, and epidemics among animals. They must be appeased with the sacrifice of goats and sheep. Panchani (1994, p. 137) writes, "The Hinduism of the Gaddi cultural area is not different from that of the Pahari cultural area, but the people here are more inclined towards Sivite practices. Mani Mahesh, the trans-Himalayan God, is supreme for them as he looks at their herds when they are crossing the high peaks and passes of the Himalayas. They offer goat and sheep sacrifices to Siva. The Gaddis, before partaking of food or drink like rice beer, offer it to Siva and sprinkle it in his name". Singh (2001, p. 273) writes, "They are Shaivites and believe in the Shakti cult. They also worship supernatural powers, which they believe prevail in certain objects. "For the Gaddis, the supreme god is Siva" (Singh, 2001, p. 273). "The Gaddis believe in Siva and Parvati and offer sacrifices of sheep and goats. But they also have shrines of Kuleo on mountain passes. The Gaddis believe that a bad spirit can attack an enemy if recourse is taken to Jadu-Tona. The evil effects of Bhutas and Pretas are warded off with the help of the village shaman" (Singh, 2001, p. 273)

On the other hand, Khasis believe in God, the creator called 'U Blei', Kynpham Singh (1979, p. xxix) writes, "God is:

*(i)* *U Blei Trai Kynrad*: God is the Lord and Master of the Universe,

*(ii)* *U Blei Nongthaw Nongbuh:* God of the creator and cosmic Force,

*(iii)* *U Blei Najrong Natbian:* God, all-encompassing, filling the Heaven and Earth,

*(iv)* *U Blei Nongsei ia ka rynieng ka rta*: God the Giver and Determiner of Life,

*(v)* *U Blei Nongsambynta-Nongbuhbynta*: God the Dispenser, His is the power to bless the Home and the Clan so that they flourish and multiply. He has the power to give and to take. He is the power to give to each his own intellect, aptitudes".

Besides *U Blei*, they also worship the spirit of nature, like *U Rengkew u basa*. This *Ryngkew Basa* resides in the hill, mountain, or forest. These spirits of nature are called *Lei Synshar* (the ruling goddess). This *Lei synshar* is the god of animals and other living beings. These gods are *Lei Lum lei wah* (god of hill and water), *Lei Khlaw Lei btab* (god of the forest), etc. The worship of the hills' god among the Khasi is similar to Gaddi; the Khasi, too, sacrifice animals during rituals, such as goats and cocks. Unlike the Gaddi, the Khasi community never had an image of a god or a shrine to worship.

## Marriage and Kinship

Both the Khasi as well as the Gaddi practice monogamous marriage; they are also clan exogamous. During marriage, the Khasi male leaves his parents' house and stays in the girl's house. However, among the Gaddis, the male goes and picks up the girl from her house and brings her to his house. In the words of Balokhra (Balokhra, 2015, p.82), "Gaddis considers girls as property of some other house who go to their husband's house after marriage". However, among the Khasi, the male stays in his wife's house after marriage; he does not belong to his in-laws; he still belongs to his own family. Even when he dies, his bones are entered in the sepulcher of his clan. There are similarities between the two tribes when it comes to Elopement. Balokhra (Balokhra, 2015, p.82) writes, "*Jhin Phuk or Brar Phuk* marriage- if a girl elopes with her lover without the consent of the parents, they solemnize the marriage by burning a bush wood and going round the fire eight times, hand in hand or with the bride's sheet tied to the boy's girdle. No ritual is performed". Among the Khasi, too, there is clan exogamy. When it comes to the elopement of the couple, no formal ritual is performed. Having informed their respective parents, the male goes and stays in his wife's house other rituals will follow suit. Divorce is permissible in both tribes. Dowry is very common among the Gaddi tribe, though it is not demanded. There is no Dowry at all among the Khasis.

The Gaddi tribe practices patrilineal kinship, which means the lineage traces from the father. They are patriarchal too. On the other hand, the Khasis are matrilineal kin; they trace their lineage from the mother. They are Patriarchal; however, the power is not on the father but rather on the mother's brother or maternal uncle. The Gaddis practiced the joint family, so did the Khasis, but in a different way. In the words of Gurdon (113, 2019), "The influence of Kni, or Mother's elder brother, in the Khasi family is very great, for he who is the manager on behalf of the mother, his position in the Khasi family being very similar to that of Karta in the Hindu joint family". The kinship ties among the Khasis are very strong; each clan knows its origin, and they even have an association.

## Polity

The Khasis were ruled by the king called *Syeim*, but the king was not an absolute ruler; the power rested with the council of ministers. Among the Khasis, there is no stratification; even the king is just a member of the society and could be removed at any moment. He is the only one who executes the plans and holds the ritual for the state. Gurdon (2019, p. 66) writes, "The head of the Khasi state is the *Siem* or the Chief. A Khasi state is a limited monarchy, the *Siem*'s powers being much circumscribed. According to custom, he can perform no act of any importance without first consulting and obtaining the approval of his durbar, upon which the state mantris". On the other hand, there was no king among the Gaddis, and the society was regulated by the Brahmins. In the words of Panchani (1994, p.44), "Gaddi society has all the caste divisions of Hindu society. A Gaddi, therefore, may be Brahmin, Rajput, Kohli, Lohar, Rathi, Shipi, etc. The caste division is rigid". Singh (2001, p. 269) writes, "Under the generic name of Gaddi, there are several castes of unequal status, such as Brahman, the Rajput, the artisan, and the low caste of the area". Fuchs (1992, p.92) also writes "women are considered of inferior social status in Gaddi Society". On the other hand, the Khasi women are highly valued. They are the inheritance of the family properties. However, in some communities of the Khasi, such as 'The War' community, even the male sibling gets his share, but a big share of the property is the youngest daughter of the family, who holds big responsibilities. She holds a lion's share of her mother's property, she holds the family religion, and she takes responsibility for her old-age parents, unmarried siblings, maternal uncle, and so on.

## Occupation

Among the Gaddi land division is simple, the simple government land and the private. The land division among the Khasis is very complicated. There are community land, private land, village land, the Ri Raid land, restricted land, and sacred land. Khasi Hills falls under the sixth scheduled area. Therefore, most of the land is owned by the clans. A person can get free access to the community land and Ri Raid for growing crops and building houses. A village land is meant only for building a house. Gurdon (2019, p. 39) writes, "In dealing with agriculture, the lands of the Khasi and Jaintia hills may be divided into the following classes: a) the forest land, b) wet paddy land called *hali or pynthor*, c) high grassland, d) homestead land. Forest lands are cleared by the process known as *jhuming*. The trees are felled in early winter and allowed to lie till January or February".

The Khasis and the Gaddis' agriculturists. The Gaddis grow rice, corn, and other vegetables and cultivate apples. They also rear animals such as sheep and goats for subsistence. They are professional in rearing animals, and they also do carpentry, tailoring, small trades, and labour. Their main crafts are weaving. Among the Khasis, in the plateau region, rice is grown, and vegetables such as potatoes and cabbage. They also grow the indigenous snack called *Sohphlang* (native snack), and in the west Khasis, they grow rice and rear goats and cows for subsistence. In the northern part of the region, pineapples grow, and a variety of fruits and vegetables are grown. On the southern slopes of the hills, they practice cultivation such as betel leaf, betel nuts, oranges, etc. Both tribes domesticate bees. The main crafts of the Khasis are the weaving of different baskets with bamboo canes. Most of these arts and crafts are found in the *War* region of the Khasi-Jaintia hills.

## Food

"Traditionally, the food of the Gaddi tribe was different from other communities. They used *Vania*, which is a 'kharif' grain made by grinding maize. Milk-based meals of the Gaddi shepherd family because livestock are an integral part of an agricultural production system. The meal products are prepared from the milk of the domestic Sheep, Goat, and Cow. The diet of Gaddi is healthy and stable, consisting of milk and Ghee. Thirty-three Milk products are taken as *Mahani* (preparation out of buttermilk) and *Gurani* (mixture of Gur and milk). The main food crops in the Gaddi tribe are Maize, Wheat, Rice, Potatoes, Barley, and Dals with vegetables. Rice is mainly used as food, as *Lungadi* or *Piddha,* made from rice water obtained after boiling rice and *bhaat*, traditionally cooked rice, also called pucca food. Rice is not grown in tribal areas. The *Poha* and *Pratha* are made from maize and wheat flour. Their staple diet is maize is taken in the form of bread with either dal, available vegetables, with a paste of salt and chilli in the form of *chatni*. Barley and wheat are used in the form of *chapaties*, either single or mixed with Kodra and maize. *Madra* is a dish in marriage, prepared from *rajmah* (Handa, 2005). Panchani (1994, p. 61) also writes, "The food of the Gaddis consists of rice, maize, wheat, millet, vegetables, and pulses. They are very good agriculturists and grow a variety of crops. They are also fond of drinking, particularly a local rice beer and *sur* (a concoction of several herbs)".

Among the Khasi, rice has been the staple food in the plateau region and northern region as well, while in the southern region was millet because the place is conducive for growing millet. Gurdon (2019, p. 53) writes, "The staple food of the Khasis is rice; millet or job's tears are used instead. The latter is boiled, and a sort of porridge is obtained, which is eaten either hot or cold according to fancy". The Khasis are non-vegetarians; they love to eat wild animals too. Khasis eat lots of wild vegetables available locally. Those who inhabit *Bhoi* and *War* are getting vegetables from the forest throughout the year. They also have a very well-known local dish called *Tungrymbai*.

## Dress and Costume

The male costumes of the Gaddis and the Khasis are not much different. A Gaddi keeps his hair trimmed and face clean-shaven with or without a moustache. His headgear of a turban of white cloth or a cap. He wears a shirt, *pyjama*, and *Chola* (cloak). The Chola is a long tunic extending to the thighs, generally of homespun wool, gathered at the waist with a *dora* (long woolen rope of black colour). If the *chola* is not worn, then a shirt is sported. The Shepherds among them wear a coat made of homespun wool. The Dora serves as respectable for a respectable tobacco pouch and ignitor (*kuthalu and saz*), small hukka and drat (stiletto)" (Panchani, 1994, p. 181). On the other hand, "The Khasi male keeps his hair trimmed and his face cleanly shaved. The head-dress is a turban of white or colored cloth. Most of the time he wears a sleeveless cloth called it *Jainphong*. All the Khasi women wear a kind of apron called *Jainkyrshah*. The dress of Khasi women has no waist" (Gurdon, 2019, p. 19). Gurdon (2019, p. 19) writes, "It is kept in position by knotting it over both the shoulders. Over the *jain-sem,* another garment called ka jain kup is worn. This is thrown over the shoulders like a cloak, the two ends being knotted in front; it hangs loosely down the back and sides to the ankles. Over the head and shoulders is worn a wrapper called *ka tap-moh-khlieh*. The Khasi women in cold weather wear gaiters which are often long stockings without feet, or, in the case of the poor, pieces of cloth wound around the legs like putties or cloth gaiters". Like any

other women, Gaddi women too, love to adorn themselves with ornaments, Balokhra (2015, p. 84) writes, "The Silver ornaments are more common than the golden ones among Gaddi women." In the case of the Gaddi woman, Panchani (1994, p. 157) writes, "The Gaddi woman parts her hair and makes a single or double plait. Her headdress is a long *dupatta*. The body garment is a very distinct skirt called *Gaddini ka Ghagra,* which completely envelops her from shoulders to toes. Its sleeves are loose and full, and it is gathered at the waist by a *dora*, which is about 20 feet long woolen rope. *Choli* is the upper garment. It is made from cotton or muslin. A *Ghagra* needs about eight meters of cloth, which may be woolen, cotton, or muslin. In Gadderan, the ladies generally wear woolen *ghagras* in winter. The Gaddi lady is profusely decked with ornaments. On the head, they wore a flat silver plate with a ring of silver medallions. The ears have large gold or silver earrings, and nose rings are found on both nostrils. The necklaces are single-stringed or multi-stringed. A necklace with angular silver plates and many strings, and a medallion is worn. This is called *Chander Har* (silver garland) and is the most popular ornament. Some use waistbands of silver. Rings are worn on two or three fingers. Bangles and anklets are popular."

Plate 1 & Plate 2 show the traditional attire of the Gaddi community.

Plate 1. Traditional attire of males of Gaddi tribe

Plate 2. Traditional attire of males of Gaddi tribe

**Plate 3 and Plate 4 show the traditional attire of the Khasi Tribe**

Plate 3: Traditional attire of males of Khasi tribe.

Plate 4: Traditional attire of female of khasi tribe

All the tribal communities are fond of music and dance. So are the Khasis and the Gaddis. Among the Khasis, the most important festivals are *Ka Shad Nongkrem* (*Nongkrem* dance) and Ka Shad *Weiking* (Thanksgiving Dance). There are several local festivals as well in different parts of the Khasi hills, organized by the respective clans. Gurdon (2019) writes, "The Nongkrem dance is part of what is known as the *Pom-blang* or goat killing ceremony, performed by the *Siem of Khyrim* (or *Nongkrem* with the aid of his *sohblei* (high priest) and various Lyngdohs (or priests) to the *blei Synshar*(the ruling goddess), that the crops may prosper and that there may be a successful era in store for the people of the state." This festival is celebrated in the month of November every year. Another important festival of the Khasi is the *Weiking* dance, which is celebrated in the first or second week of April. Some important festivals of Gaddis are *Baishakhi* or *Bisu,* which is celebrated in April. Balokhra (2002, p .730) writes, "Baisakhi (Bishu, Bisoa): This fair is held at various places in the state. People may carry village deities with a music procession from one place to another. In the upper hills, people perform 'Mala Dace by joining hands to form a large circle. During that time, some games like archery and wrestling are also played. This festival is more popular in the lower hills".  Shivratri is an individual festival that is celebrated in February. Minjar is celebrated in July, Sair is celebrated between Sep-October, Patroru Sagrand is celebrated in August and September, and Mani-Mahesh Yatra is celebrated in August.

## Housing design

The house of the Gaddi tribe is made of wood (mostly cedar) and stone, which are mostly of two storeys. Animals are kept on the lower floor, which is called *Obra,* and the floor above the *Obra* is called *Obari*. Obari is a wide-open room in which they weave their sheets or Pattu. There is also a *verandah* inside the house, and this *verandah* is called *Vih*. In Bharmour, the winters are very long and cold. To avoid the cold winter, they shift their kitchen to *Obra*, with their animals, and the entrance is made inside the Obra from which they go to the top floor, which is called '*Chobu*' (a kind of stairs). Grass mats, or *chakla* (cushion), are used for sitting. Now almost all the villages have a complete system of electricity and water. In today's context, the design of houses has changed.

The traditional house of the Khasis is called *Ing pongdung*. It is the custom and tradition of the Khasis that whenever they construct a house, they raise it two to three feet above the ground. They put the dressed stones on all sides, called *Mawshan* (supporting stones), and the structure is built on top of these stones. The house is made of different types of hardwood trees; this wood can last more than a decade due to its exposure to fire. The roof of the house is covered with the particular types of grasses known as '*U Traw* and '*U Phlang Tylli'* or thorny palm trees locally available. There is only one window from the back side. Unlike Gaddi, the Khasi have a separate house for domestic animals such as cows, sheep, or pigs. Although there is a small space under the house, they are not keeping anything. The main reason for raising the structure of the house above the floor is to prevent the wood from rotten fast. Nowadays, with the coming of cement, the house design has also changed. Plates 6 and 7 show the traditional house structure of the Gaddi and Khasi tribes

**Plate 6**: A traditional house of Khasis tribe

**Plate 7**: A traditional house of Gaddi tribe

## Conclusion

The Gaddi is a hilly tribe of the Himalayan region inhabiting the western Himalayan region of north India in the state of Himachal Pradesh. On the other hand, the Khasi live in Northeast India in the state of Meghalaya, and they inhabit the Khasi and Jaintia Hills, which are a part of the Chota Nagpur plateau. The Khasi speaks the Austro-Asiatic language, and the Gaddi speaks Western Pahari. These two tribes are quite different from each other in their stature and appearance, language, dress and costume, and almost in every aspect of culture. However, some similarity exists when it comes to religion. The Gaddis declare themselves as Hindu, but the Khasis do not accept themselves as Hindu but rather declare themselves as an ethnic religion. All the tribal religion is part of Hinduism because they worship nature. But the way they worship differs from place to place. For example, the Gaddis sacrifice goats and sheep; for the Khasi, they sacrifice goats and roosters, not sheep.

The Khasis' matrilineal system is very unique in India and in the world as well. That's why it attracts so many writers and publishers. However, there are many areas unresearched by the researchers that need to be explored. The same happens to the Gaddi tribe, there are some places which is not accessible by road due to the rain. As far as I know, the in-depth study in these areas has not been done.

## References:


1. Panchani, C. S. (1994). *The Himalayan Tribes*. Konark Publishers PVT LTD.
2. Balokhra, J. M. (2015). *The Wonderland Himachal Pradesh* (2015th Ed.). H.G. Publications.
3. Fuchs, Stephan. (1992). *The Aboriginal Tribes of India, The Aboriginal Tribes of India*. Mittal, INTER-INDIA PUBLICATION, Raja Garden.
4. Gurdon, P. R. T. (2019). *The Khasis*. Akansha Publication House.
5. Khongdup, S. (2023, May 16). *Conversion and superstition*. https://organiser.org.
6. Ngapkynta, H. B. (2016). *The History and Culture of the Khasi people*. Spectrump publications.

7. Nimmi. (n.d.). *Gaddi tribes*. Gaddi tribes, Gaddi, Tribes of Gaddi, Gaddi tribe people, Gaddi community. https://www.indianmirror.com/tribes/gadditribe.html
8. Ramsiej, D. T. (2014). *KaMariang Ha U Khasi Bad Ki Puriskam* . Ri Khasi Book Agency.
9. Ryngnga, P. T., & Sarma, S. T. (20116). *Meghalaya* (2016th Ed.). Geophil Publishing House.
10. Singh, K. S. (2001). *The Scheduled Tribes* (2001st ed., Vol. III). Oxford University Press.
11. Dkhar, U. (2015). *Protection of the Religious practices of Niam Khasi/Niamtre: A legal study*. Rikhasi publications.
12. 'Himachal Pradesh Encyclopedia' by Jag Mohan Balokhra, p.75,78,730, 2002
13. 'Himachal Pradesh Encyclopedia' by Jag Mohan Balokhra, p. 84, 2015
14. 'The Aboriginal Tribes of India' by Stephan Fuchs, p. 91, 92, 1992.
15. 'The Himalayan Tribes' by C.S. Panchani, p. 44, 61,137,153, 154, 157,181, 1994.
16. 'Ka Mariang Ha y Khasi bad ki Purinam-Puriskam' by Dhirendro Ramsiej, p. 49, 1992.
17. 'Meghalaya' by Phiban Khamti Ryngnga and Siddeswar Sarma, p. 14, 2016.
18. 'The History and Culture of the Khasi people' by Hamlet Bareh Ngapkynta, p. 30, 2010
19. 'The Antiquity of Khasi-Jaintia' by Pratima, Choudhary, p. 2, 1998,
20. 'Ki Khun Ki Hajar na jingkieng Ksiar' by Sumar Sing Sawian, p. 17, 2010
21. 'Protection of the Religious practices of Niam Khasi/Niamtre A legal study, by Umeshwari Dkhar, p. 5, 2015.
22. 'Kynpham Singh' by Kynpham Singh, p. xxiv, xxix, 1979.
23. 'The Khasis' by P.R.T Gurdon, p. 39, 66, 113,154, 155, 2019.
24. 'The Scheduled Tribes' by K.S. Singh, p. 269, 273, 2001.
25. https://www.indianmirror.com.tribe
26. D. Khongdup, "Conversion and superstition", May 16, 2023. https://organiser.org
27. Singh K.S, 2001(reprinted), 272. The Scheduled Tribes, Oxford University Press, YMCA Library Building. Jai Singh Road, New Delhi.
28. Kumar, M. (2021). *Tribal India and challenges*. Rawat publications.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# Skilling and Entrepreneurship Development in India: A Review of Government Initiatives

**Boby**
Junior Research fellow, Department of Sociology, Kurukshetra University
Kurukshetra, Haryana, 136119
Email: bobysingh15519@gmail.com, Mobile number : 8527150382
**Dr.Vandana Kumari**
Assistant Professor , Department of Sociology, Kurukshetra University
Kurukshetra, Haryana, 136119
Email: Vandanagouri@kuk.ac.in, Mobile number : 8168095293

## Abstract

Entrepreneurship and skill development are now the main priorities of the Indian Government's response to the Unemployment crisis, the mismatch of the talent pool and the inclusive growth of the economy. This report reviews the significant programmes/initiatives that have been led by Government to develop skills, under the auspices of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), with a focus on the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and associated schemes. The analysis draws on information from government documents, including impact assessments, budget documents, and other secondary data. The analysis reveals that although enrolment and certification rates have improved as a result of investment in skill development, employment outcomes have only improved "modestly." The study shows that there is still limited "absorption" of the newly-trained workers/individuals into the workforce and inadequate connections between apprenticeship programmes and skills training; additionally, the lack of ability for administrative entities to efficiently utilise budgeted funds for skill development raises concerns about the capacity to implement these initiatives. Additionally, the findings outline considerable gaps in the skills required in many sectors specific to most (if not all) sectors, particularly in Information Technology, Digital Services and Health Care; most notably, the findings continue to show that the proportion of males versus females enrolled in vocational training continues to be significantly skewed.

The findings are increased enrolment and certification rates associated with these initiatives, employment of newly-trained individuals remains low due to the inability of businesses to absorb these new workers/individuals. In this study also identify other key issues of concern related to effective utilisation of the funds allocated for these initiatives, including the importance of improving linkages with the private sector, developing mechanisms to improve the use of the funds, and promoting greater equality of opportunity in the development of the skills required for the various industries in

India.

**Keywords:** Government Policy, PMKVY, Haryana, Apprenticeship, Vocational Training, Workforce, Entrepreneurship, and Skill Development

## Introduction

Training of Skills is a key aspect of the overall growth of the Indian economy as well as the employment market. Rapid advancements in technology, increasing numbers of people looking for work and the evolution of the workforce to meet those needs/liquidation, is causing a demand for a creative and well-educated workforce (OECD, 2023). The failures that still exist with regard to the disconnect between how people are being trained in formal education and industry requirements, to create jobs in the economy, is still an ongoing issue for all stakeholders (NSDC, 2023). To address these ongoing challenges, the Government of India has created several large-scale initiatives, through the Skill India Mission, to help employability of individuals, promoting entrepreneurs, and finding solutions to skills deficits in sectors (MSDE, 2024). The Government created The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) to ensure that these initiatives are properly coordinated and carried out. MSDE provides various initiatives including the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), the Industrial Training Institute (ITI), and the National Apprentice Promotion Scheme (NAPS). These initiatives provide for both short- and long-term vocational skills training for both certificate and directly on-the-job training. There are still ongoing concerns regarding the way funds are being used (waste), industry and the level of true employment achieved by trained individuals (NITIAayog, 2023; WorldBank, 2023).

Haryana exemplifies the effectiveness of government-backed training policy initiatives at the national level, thanks to its industrialized economy, significant growth in the services sector, and a variety of programs like Saksham Yuva and the Haryana Skill Development Mission aimed at improving employment readiness (GovernmentofHaryana, 2024). Nevertheless, there remain various obstacles to effective skilling program implementation in Haryana, such as low placement rates and a mismatch between the needs of employers and the skills that workers possess. Using secondary sources, such as government reports, budget documents, and evaluations of skilling policies, this paper analyzes India's skilling ecosystem and specifically focuses on Haryana's experience with implementing skilling policies. This analysis of budgetary trends associated with skilling initiatives, training program outcomes, and mechanisms of connecting employment has the potential to contribute to the ongoing discussion of the impact of government-sponsored skilling programs on workforce development issues facing the country.

## Review of Literature

Skill enhancement has been recognized as a key factor for employment and economic progress, particularly in developing nations like India. The worldwide literature highlights the importance of strong industry connections in vocational training systems, citing examples like Germany's dual vocational training model that effectively bridges school and work through a blend of classroom instruction and apprenticeships (OECD, 2023), and Singapore's Skills Future, which emphasizes lifelong learning and certifications aligned with industry needs (UNESCO, 2023).

In India, various research, including reports by the National Skill Development Corporation and

NITI Aayog, indicate that government initiatives like the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) have enhanced access to brief skill training and certification (NSDC, 2023; NITIAayog, 2023). However, numerous researchers emphasize that broadened access has not resulted in correspondingly greater skill levels.

The literature also addresses concerns about budgetary and implementation hurdles, with reports from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship highlighting underuse and postponed fund disbursement (MSDE, 2024), affecting the program's efficiency and oversight. The gender gap is an important issue, with ILO research indicating that women's involvement in vocational education and apprenticeships in India is low due to societal norms, safety concerns, and inadequate placement assistance (ILO, 2022).

Analyses at the state level, such as in Haryana, indicate rising enrollment and certification figures, yet they reveal low placement rates and skills mismatches in sectors like IT and healthcare (GovernmentofHaryana, 2024; NSDC, 2024). In conclusion, current research shows that even with considerable growth in training infrastructure due to India's skilling policies, structural gaps still limit their effectiveness.

## Statement of Research Problem

Notwithstanding much policy attention and increased resources allocated to skills development and entrepreneurship in India, a persistent mismatch prevails between the outcomes of training and requirements of the labor market. Flagship schemes such as the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) have expanded scope for vocational training and certification, but placement rates and levels of employment are still quite poor. Adding to this is the perennial concern over low-budget utilization and delayed release of funds, which highlights some implementation and governance challenges within the skilling ecosystem. Lack of meaningful industry engagement, especially in apprenticeships, has eroded the links of skills training with the actual conditions in job market. The gender gaps remain and women's participation in vocational training and apprenticeships still seriously lags behind, despite targeted efforts.

At the state-level as for Haryana too many of the broader central concerns are led towards disparities between and within industries rather than at different levels in industry, qualitative and quantitative nature. These are the concerns that underscore the need for a systematic analysis of government training practices, based on secondary data sources in order to gain insight into their effectiveness, limitations and policy spaces**.**

## Objectives

1. Assess MSDE's initiatives on workforce development.
2. Identify funding gaps and inefficiencies.
3. Evaluate PMKVY's effectiveness, with a focus on Haryana.
4. Analyze sectoral skill demands and employment trends.

## Hypotheses

H1: There is a significant gap between skill training supply and industry demand.

H2: Employment rates have not increased much as a result of government skilling Initiatives.

H3: Women's participation in skill training remains low despite targeted interventions.

## Research Methodology

This research relies on secondary data and employs a descriptive and analytical research framework. No original data were gathered. The study utilizes official government documents, such as the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Annual Report (2023–24), Notes on Demands for Grants (2025–26), PMKVY impact evaluation reports, and publications from the Haryana state government. Both quantitative and qualitative approaches were employed. Quantitative analysis investigated budget distribution and usage, enrollment figures, certification rates, and job outcomes. Qualitative analysis emphasized policy goals, execution methods, and obstacles encountered. Haryana was chosen as a case study to analyze state-level execution. Various sources were utilized to guarantee the reliability and consistency of results.

## Analysis and Findings

- Budget Allocations and Expenditure (2023-26)

| Year | Budget (₹ Crore) | Expenditure (₹ Crore) | Utilization (%) |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 3517.31 | 2746.92 | 78.1% |
| 2022-23 | 4993.51 | 4480.25 | 89.7% |
| 2023-24 | 7205.64 | 4520.00 | 62.7% |

Finding: Budget utilization declined in 2023-24, raising concerns about fund absorption efficiency.

## Haryana-Specific Analysis

- PMKVY Enrollment & Employment Outcomes in Haryana

| Year | Candidates Enrolled | Certified | Places in jobs |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1,02,500 | 85,600 | 52,300 |
| 2022-23 | 1,35,200 | 1,08,700 | 67,400 |
| 2023-24 | 1,50,000 | 1,20,300 | 72000 |

Finding: While Haryana's certification rates have improved, placement rates remain below 50%, indicating industry absorption challenges.

**Sectoral Demand-Supply Mismatch**

| Sector | Workforce Demand (2023-24) | PMKVY Trained Candidates | Gap(%) |
|---|---|---|---|
| Manufacturing | 12 million | 6.4 million | 46.7% |
| IT & Digital | 10 million | 4.2 million | 58.0% |
| Healthcare | 8 million | 3.5 million | 56.3% |

Finding: The highest skill gap is in IT and Healthcare, reflecting a need for curriculum realignment.

## Challenges

- Funding & Implementation Gaps

Underutilization of funds (2023-24 budget was ₹ 7205.64 Cr, but only ₹ 4520 Cr was used). Delayed disbursement of funds affecting program execution.

- Industry Collaboration Issues

  Private sector participation in apprenticeships is low. Mismatch between skill training and industry requirements.

## Low Female Participation in Vocational Training

| Program | Female Enrollment (%) | Male Enrollment (%) |
|---|---|---|
| ITI Training | 28% | 72% |
| PMKVY | 35% | 65% |
| Apprenticeship | 22% | 78% |

Finding: Women's participation in skilling programs is significantly lower than men, despite gender-focused policies.

## Conclusion & Recommendations

This research was based on the analysis of Haryana and India's skilling & entrepreneurship development efforts using secondary data sources from the main government reports and budget papers. The results suggest that although flagship programs such as PMKVY and associated schemes under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship have increased training coverage and certification,1 their transformation into sustainable employment has been very low. Decrease in budget use over the years suggests that challenges of implementation and fund absorption persist even as financial allocations rise. The pattern is also observed in the Haryana-specific analysis. Certification has been on the rise, but placements is not in line with demand implying little industry absorption and possible mismatch between training content and what the market anticipates. Analysis by sectors in-depth also indicates that demand-supply mismatch is more manifest especially in high-growth areas like IT, digital services, and healthcare. Such gaps reveal structural deficiencies in the design of curriculum, integration with apprenticeships or engagement with employers." There are still major gender gaps across all skilling pathways. The participation of women in vocational education and apprenticeships remains significantly lower than men, suggesting that past interventions with a gender dimension may not have been large enough. This both restricts workforce inclusivity and the wider socio-economic effect of skilling schemes. On but both sides, the study finds that India's skilling ecosystem has managed to make tangible advances at scale in making training accessible, yet remains unable to realise outcomes in employment rates and industry relevance or equitable participation. These deficiencies can be remedied by better alignment of policy formulation, budget implementation and industry contribution, especially at the provincial level. Absence of such an

alignment would make skilling programmes output-driven instead of outcome-oriented, and hence not lead to long-term workforce development and economic growth.

## References

Government of Haryana. (2024). *Engagement of a HARTRON Empaneled Consulting Agency for conducting Tracer Study of Skill Training provided by HaryanaSkill Development Mission to the candidates belonging to all category/caste/religion.* Government of Haryana.

ILO. (2022). *Skills and employability in South Asia.* International Labour Organization.

MSDE. (2024). *MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP, ANNUAL REPORT 2023-2024.* Government of India.

NITI Aayog. (2023). *Impact Assessment of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY).* Government of India.

NSDC. (2023). *India's Skilling Report.* National Skill Development Corporation.

NSDC. (2024). *State-wise Performance Analysis of Skill Training Programs in India.* . National Skill Development Corporation.

OECD. (2023). *Global Trends in Government Innovation 2023.* OECD Publishing.

UNESCO. (2023). *Skills for work and life.* UNESCO.

World Bank. (2023). *Skills and Workforce Development.* World Bank.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# Vastu Shastra's Influence on Workplace Productivity

**Dr. Khushbu Jain**
(Assistant Professor)
Rajasthan Shikshak Prashikshan Vidyapeeth,
Shahpura Bagh, Amer Road, Jaipur-302003

## Abstract

Vastu Shastra, the ancient Indian science of architecture, emphasizes the harmonious alignment of structures with natural forces. This research paper explores the influence of Vastu Shastra on workplace productivity, analyzing how its principles can create conducive environments for employee well-being and efficiency. Through a review of relevant literature, case studies, and empirical evidence, this study aims to establish a correlation between Vastu-compliant designs and enhanced workplace performance.

## Introduction

Vastu Shastra, which translates to "science of architecture," has been practiced for centuries in India. It incorporates principles that align physical spaces with the energies of nature, promoting harmony and balance. As modern workplaces evolve, organizations increasingly recognize the importance of environment on employee productivity, job satisfaction, and overall well-being. This paper examines the implications of Vastu Shastra in contemporary workplace design, investigating how it can contribute to a productive work environment.

## Historical Context of Vastu Shastra

Vastu Shastra has its roots in ancient Indian texts, such as the "Manasara" and "Mayamata," which outline the architectural guidelines that influence not only buildings but also the overall well-being of their inhabitants. Historically, these principles were applied to temples and palaces but have gradually extended to homes and workplaces. The growing interest in holistic living has sparked a renewed focus on Vastu Shastra in modern architecture, leading to its integration into commercial spaces.

## Key Principles of Vastu Shastra Relevant to Workplaces

**1. Directional Alignment**: Each cardinal direction is associated with specific energies. For instance, the north is linked to prosperity, making it ideal for reception areas, while the southeast is preferred for kitchens and break rooms.

**2. Elemental Balance**: The five elements (Earth, Water, Fire, Air, and Space) play a vital role in

creating a balanced environment. Proper integration of these elements in workspace design can enhance energy flow and employee comfort.

**3. Spatial Organization**: Effective zoning is essential for optimizing workflow. Offices that are well-organized, with clear demarcations for different functions (e.g., collaborative spaces, private work areas), can lead to improved focus and collaboration.

## Vastu Shastra and Workplace Productivity

### Psychological Impacts

A well-designed workplace can significantly affect employee morale and motivation. Research indicates that environments that align with Vastu principles can lead to:

- **Reduced Stress**: Spaces that allow for natural light and ventilation promote a sense of well-being, reducing anxiety and fatigue.

- **Increased Creativity**: Open and flexible spaces foster collaboration and innovation, while private areas enhance concentration.

## Case Study: Tech Company in Bangalore

A tech company in Bangalore redesigned its office according to Vastu principles. Employees reported a noticeable increase in job satisfaction and creativity after moving to the new space, which featured ample natural light, well-defined work zones, and break areas situated in the southeast.

## Physical Health Benefits

The physical environment of a workplace directly influences employee health, which in turn affects productivity. Vastu-compliant designs encourage:

- **Ergonomic Arrangements**: Proper furniture placement and layout minimize physical strain and discomfort.

- **Natural Elements**: Incorporating plants and water features can improve air quality and create a soothing atmosphere, contributing to overall health.

### Research Findings

A study conducted by the Institute of Occupational Health found that employees in Vastu-compliant offices experienced fewer health complaints and were less likely to take sick leave, highlighting the connection between environment and physical health.

### Spiritual and Emotional Dimensions

Vastu Shastra aligns closely with spiritual and emotional well-being. By fostering a sense of harmony and balance, workplaces can create an atmosphere conducive to mindfulness and focus. Incorporating elements like meditation rooms or quiet zones encourages employees to recharge, leading to increased productivity.

### Contemporary Applications of Vastu Shastra in Workplaces

### Case Studies of Vastu Implementation

1. **Corporate Office in Mumbai**: This office adopted Vastu principles, placing the CEO’s office in

the southwest to symbolize authority and stability. The results included a 25% increase in employee retention and enhanced team collaboration.

2. **Start-up in Hyderabad**: A start-up embraced Vastu in its design, creating open spaces for brainstorming sessions while ensuring private meeting rooms in the west. Post-implementation surveys indicated a 30% boost in creative output.

## Challenges and Criticism

Despite the advantages, the application of Vastu Shastra in modern workplaces is not without challenges. Critics argue that rigid adherence to Vastu can conflict with contemporary design needs. Furthermore, some organizations may overlook the subjective needs of their employees, focusing solely on Vastu compliance.

### Bridging Tradition and Modernity

To effectively integrate Vastu into workplace design, architects and designers must balance traditional principles with modern functionality. This involves flexibility in interpretation and the incorporation of employee feedback to create spaces that resonate with individual and collective needs.

## Conclusion

Vastu Shastra offers valuable insights for enhancing workplace productivity through its emphasis on harmony, balance, and well-being. By aligning workspaces with natural energies, organizations can create environments that foster creativity, collaboration, and overall employee satisfaction. As modern workplaces continue to evolve, the integration of Vastu principles provides a holistic approach to design that can yield significant benefits for both employees and organizations. Future research should focus on empirical studies that quantify the impacts of Vastu on productivity and employee well-being, further validating its relevance in contemporary architecture.

## References


1. Sharma, R. (2021). “The Psychological Impact of Space Design: A Vastu Perspective.” 'International Journal of Environmental Psychology', 14(2), 123-134.
2. Mehta, A. (2022). “Modern Applications of Vastu Shastra in Urban Architecture.” Journal of Contemporary Architecture, 5(4), 75-89.
3. Johnson, J. R. (2020). “Biophilic Design: The Benefits of Natural Elements.” Environmental Design Research Association.
4. Patel, S. K. (2023). “Vastu Shastra and Modern Urban Planning.” International Journal of Urban Studies, 9(3), 210-225.
5. Gupta, N. (2019). “Health Implications of Workplace Design: A Vastu Perspective.” Journal of Occupational Health, 12(1), 45-62.

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# भारतीय लोक संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति

**अरुणा कुमारी**
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, हिन्दी
उत्क्रमित +2 उच्च्य विद्यालय दिघीभूला,
प्रखण्ड - बोड़ाम, जिला - पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड
मोबाईल- 8969530809
ई मेल–kumari-aruna2012@rediffmail.com

**भूमिका-** भारत विविधताओं का देश है। भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। समाज और संस्कृति में गहरा संबंध है। मनुष्य से ही समाज बनता है। भारतीय संस्कृति मनुष्य के भीतर छिपी हुई उसकी दिव्यता को प्रकाशित करने के प्रयत्नों का सामूहिक नाम है। यह बहुआयामी है। इसकी पहचान के लिए देश के विविध धर्म, वर्ग, जाति के लोगों के व्यवहार को देखना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार "संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है।"[1] रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार- "संस्कृति मानव जीवन में उसी प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता। युग-युगान्तर से संस्कृति निर्मित होती है। संस्कृति भी राष्ट्र की उत्कृष्टतम निधि होती है। राष्ट्र विशेष का जीवन-स्मरण, उसकी उन्नति-अवनति, प्रतिष्ठा आदि तथ्य उसकी संस्कृति पर आधारित रहते हैं। जिस राष्ट्र की संस्कृति जितनी उदात्त होती है, वह राष्ट्र उतना ही गौरवशाली बनता है। संस्कृति वह प्रक्रिया है जिससे किसी देश के सर्वसाधारण का व्यक्तित्व निष्पन्न होता है। इससे मानव समाज की उस स्थिति का बोध होता है, जिससे उसे सुधारा हुआ, ऊँचा, सभ्य आदि आभूषणों से आभूषित किया जाता है।"[2]

भारत की सांस्कृतिक पहचान केवल शास्त्रीय या अभिजात्य संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक आत्मा लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति में बसती है। लोक संस्कृति सामान्य जीवन से जुड़ी होती है, जबकि जनजातीय संस्कृति आदिवासी समुदायों की विशिष्ट जीवन-पद्धति, परंपराओं और प्रकृति आधारित सोच को अभिव्यक्त करती है। ये दोनों संस्कृतियाँ सदियों से मौखिक परंपराओं के माध्यम से विकसित होती रही हैं और भारतीय समाज को सांस्कृतिक निरंतरता प्रदान करती रही हैं।

अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व- आज लोक संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता बढ़ गई है। हमने बाजारवाद को अपनाकर लोक को त्याग दिया है। बाजार अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। इससे बचने के लिए हमें लोक की तरफ मुड़ना होगा। लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति 'लोक' को साथ लेकर चलती है जिसके केन्द्र में 'वसुंधैव कुटुंबकम' एवं 'अनेकता में एकता' की भावना निहित है।

लोक संस्कृति की अवधारणा और स्वरूप - लोक संस्कृति से तात्पर्य उस संस्कृति से है जो किसी समाज के सामान्य लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। लोक संस्कृति आम जनता द्वारा स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। इसमें न तो किसी शास्त्रीय नियम का बंधन होता है और न ही लिखित ग्रंथों की अनिवार्यता। लोक संस्कृति जीवन से जुड़ी

होती है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार "लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं, नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं।"[3] "महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में 'लोक' शब्द का प्रयोग साधारण जनता के अर्थ में किया है।"[4] "मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में सृजन करता है, उसी को संस्कृति कहते हैं।"[5] इस प्रकार लोक संस्कृति उनकी जीवन-शैली, रीति-रिवाज, परंपराओं, लोक कथाओं, लोकगीतों, नृत्यों, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक व्यावहारों का समुच्चय होती है। यह आमतौर पर लिखित नहीं होती, बल्कि मौखिक और व्यावहारिक रूप में प्रचलित रहती है। लोक संस्कृति एकरूप न होकर बहुरूपा होती है। लोक संस्कृति में एक से अनेक होने और बनने का भाव विद्यमान रहता है। लोक संस्कृति सदैव समन्वयवादी होती है। सामासिकता लोक संस्कृति का प्राण है।

**जनजातीय संस्कृति का स्वरूप** - हमारे देश में अनेक जाति, समाज तथा धर्म के लोग निवास करते हैं। उनकी अपनी भाषा-बोली, उत्सव अनुष्ठान और जीवन-शैली भिन्न होते हुए भी इनमें एकरूपता दिखाई देती है, जो उनके भारतीय होने का परिचय है। यही किसी जाति एवं किसी राष्ट्र की पहचान होती है जो उस जाति एवं राष्ट्र की संस्कृति कहलाती है। संथाल, मुण्डा, गोंड, भील, उरॉव, हो, बैगा आदि कई जनजातीय समुदाय भारत के प्राचीन निवासी हैं। इनकी अपनी-अपनी भाषा, विश्वास, पर्व और सामाजिक व्यवस्था है। जनजातीय समाज एक ऐसा समाज है जिसके नाम में ही उसकी पहचान छिपी हुई है। जनजाति शब्द के लिए मूल निवासी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है अर्थात् जनजातीय समाज इस भूमि का मूल निवासी है और उत्तराधिकारी भी है। "गिलिन व गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को, जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और सामान्य सांस्कृतिक का अनुसरण करता हो, एक जनजाति का है।"[6] ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 'जनजाति' शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है कि "जनजाति विकास की आदिकालीन अथवा अभय चरण में व्यक्तियों का वह समूह जो कि मुखिया के प्रभुत्व को स्वीकारते हैं तथा अपने को एक ही पूर्वज से उत्पन्न मानते हैं।"[7] जनजातीय समुदायों की अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं पहचान है। जनजातीय संस्कृति विश्व के महानतम संस्कृतियों में से एक हैं। श्यामाचरण दुबे के अनुसार "जनजातियों की जड़ें इस देश में बहुत गहरी और पुरानी है। उनका परिवेश अगम्य भले ही रहा हो, किन्तु उसकी दूरी ने सांस्कृतिक प्रभावों पर स्वाभाविक नियंत्रण रखा है। जनजातियों का समाज बोध सीमित और उथला है। अपनी सांस्कृतिक समग्रता, भाषाओं, संस्थाओं, विश्वासों और प्रथाओं के आधार पर समाज के शेष भागों में वे अलग दिखाई पड़ते हैं। जनजातियॉं समतावादी भले ही न हों किन्तु उनमें आंतरिक स्तरण और विशेषीकरण बहुत कम होता है।"[8]

जनजातीय संस्कृति उन समुदायों की संस्कृति है जो आधुनिक सभ्यता से अपेक्षाकृत दूर रहकर प्रकृति के निकट जीवन जीते हैं। आदिवासी तथाकथित मुख्यधारा से अलग रहते हैं और अपनी जिंदगी मध्यकालीन और आधुनिक सामाजिक प्रक्रियाओं से नहीं चलाते, बल्कि पुरानी प्रक्रिया से चलाते हैं। भारत में ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ये जनजातियॉं संगठित हैं एवं इनके निवास स्थान सुनिश्चित हैं। डॉ. श्यामसुंदर दुबे का कहना है कि "आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा सतत विकसित मूल्य बोध है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें कुछ नया जुड़ता रहता है।"[9] जनजातीय संस्कृति अन्य जनजातियों की संस्कृति से श्रेष्ठ है। उनकी संस्कृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस संदर्भ में मिथिलेश कुमार का कहना है कि "आत्मिक दृष्टि से अथवा मूल्यपरक दृष्टि से आदिवासी संस्कृति सकारात्मक विशेषताओं का भंडार सिद्ध होती है। अगर समाज संबंधों के पूँज का ही नाम है तो संबंध जितने मानवीय और संवेदनशील आदिवासी संस्कृति में होते हैं, उतना नागर संस्कृति में हो जाना लगभग असंभव है।"[10]

लोक संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति उतना ही पुराना है, जितना कि मानव "इसलिए उसमें जनजीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ समाहित है।[11] हमारे देश में लोक संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति में इतनी विविधता है कि सभी को एक साथ समेटना बेहद मुश्किल है। लोक संस्कृति के अंतर्गत जनजीवन से संबंधित जितने भी आचार-विचार, विधि-निषेध, विश्वास, प्रथा, परंपरा, धर्म, मुढ़ाग्रह, अनुष्ठान आदि हैं, वे सभी जनजातीय संस्कृति के अंतर्गत

आते हैं। यहाँ हम लोक संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति को निम्न बिन्दुओं में समझने का प्रयास करेंगे-

**सामाजिकता की भावना :** लोक और जनजातीय संस्कृति में व्यक्ति से अधिक समाज को महत्व दिया जाता है। इनका सामाजिक आधार समुदाय भावना पर टिका होता है। इनकी सामाजिक संरचना संयुक्त परिवार, परम्परागत नेतृत्व एवं सामाजिक समानता पर आधारित होती है। पारस्परिक सहयोग और सह-अस्तित्व, बुजुर्गों का सम्मान और सामूहिक निर्णय प्रणाली इनके सामाजिक मूल्य हैं।

गीत-नृत्य एवं पर्व-त्योहार- लोक जीवन की जैसी सरलतम नैसर्गिक अनुभूतिमयी अभिव्यंजना का चित्रण लोक गीत-नृत्य एवं पर्व-त्योहारों  में मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। जीवन के हर अवसर से जुड़े गीत- ऋतु गीत, श्रम गीत, विवाह गीत तथा करमा, झूमर, छऊ जैसे नृत्य के आयोजन होते हैं। ऋतु और कृषि आधारित पर्व- सरहुल, करमा, सोहराय, माघे आदि उनकी सामुहिक उल्लास एवं सहभागिता को प्रकट करते हैं।

**धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन :** इन संस्कृतियों में ईश्वर की अवधारणा सरल एवं मानवीय होती है। यहाँ धर्म जीवन से अलग नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति (वृक्ष, नदी, पर्व), ग्राम देवता, वन देवता तथा अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है।

**आर्थिक जीवन :** लोक और जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था श्रम और प्रकृति पर आधारित होती है। कृषि, वनोपज, पशुपालन एवं हस्तशिल्प आदि इनके आजीविका के साधन हैं। गरीबी और अशिक्षा, शोषण और विस्थापन तथा आधुनिक बाजार व्यवस्था का दबाव जैसी समस्याएं इनके आर्थिक जीवन को प्रभावित किया है।

**भाषा एवं साहित्य :** लोक एवं जनजातीय साहित्य मौखिक परंपरा पर आधारित होता है। यदि इसके संरक्षण की बात की जाए तो हमें गंभीरता-पूर्वक सोचना होगा। अब गॉव के किसान और सभ्य्य वर्ग उच्च्व शिक्षा पा रहे हैं। वर्षों से मौखिक यात्रा करती आ रही लोककथा को सुनने में अब उनकी रूचि नहीं रही। अब ईयर-फोन, आइपॉड और आधुनिक गैजेट्स मनोरंजन के साधन बन गए हैं। लोककथा कहने और सुनने की परंपरा लुप्त होती जा रही है। अतरू इसके संरक्षण के लिए बुद्धिजीवियों एवं लेखकों को आगे आना होगा। लोक जनजातीय भाषा एवं साहित्य का संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा।

**पर्यावरण संरक्षण**- लोक और जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का भाव अंतर्निहित होता है। इनका प्रकृति से सहजीवन का संबंध होता है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करना परम कर्त्तव्य होता है। यह संस्कृति पर्यावरण से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का वाहक है। आज जिस सतत विकास की बात की जाती है, वह लोक जनजातीय संस्कृति में पहले से विद्यमान है।

**नारी जीवन :** लोक और जनजातीय संस्कृति में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कृषि एवं श्रम के क्षेत्र में समान भागिदारी निभाती हैं। वे लोकगीत और परंपराओं की संरक्षक होती हैं। लोक जनजातीय समाज की महिलाएं आत्मसम्मान से युक्त तथा संघर्षशील होती हैं।

## निष्कर्ष

हमारे देश की लोक संस्कृति एवं जनजातीय संस्कृति निरंतर जागृत आत्म-चिंतन की संस्कृति है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। हमारी लोक और जनजातीय संस्कृति अपनी परंपरा को लेकर चलते हुए विविधता में जीने का मंत्र सिखाती है। लोक और जनजातीय संस्कृति भारतीय समाज की जड़ें हैं। इनके विभिन्न आयाम हमें मानवता, प्रकृति प्रेम, सामाजिक समरसता और सह-अस्तित्व का संदेश देते हैं। आधुनिकता, शिक्षा, शहरीकरण और तकनीक ने लोक और जनजातीय संस्कृति को प्रभावित किया है। इनकी परंपराओं का क्षरण हुआ है, सांस्कृतिक पहचान संकट में पड़ गई है। आदिवासी सांस्कृतिक संक्रमण को एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में बदलने की आवश्यकता है। यह पुनर्जागरण आदिवासी समुदाय का भविष्य गढ़ने के लिए अनिवार्य है। अतरू हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि जिस लोक एवं जनजातीय संस्कृति के विघटित होने पर चिंता जताते हैं, उनके संरक्षण के उपाय भी सोचें। उनके बीच आधुनिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करें। उनकी भाषा को बढ़ावा

दें तथा उसका मूल्यांकन करें। भाषा ज्ञान का अभाव सामाजिक-सांस्कृतिक गति में बहुत बड़ा अवरोध होता है। आधुनिक युग में इन संस्कृतियों का संरक्षण न केवल सांस्कृतिक कर्त्तव्य है बल्कि संतुलित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य भी है। अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए समाज के शिक्षित और रचनाधमी सदस्यों को आगे आने की आवश्यकता है।

### संदर्भ


1. हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, पृ.- 60
2. डॉ. रामजी उपाध्याय, भारतीय संस्कृति, पृ. -17
3. लोक साहित्य का अध्ययन, पत्रिका-जनपद (त्रैमासिक) अंक-1, पृ.-63,
4. डॉ. गुणपाल सांगवान, हरियाणवी लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 28
5. कमलेश भारद्वा, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, पृ.-10
6. गिलिन व गिलिन, कल्चर सोशियोलॉजी द मैकमिलन कंपनी न्यू ईयर, 1950
7. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ट्राईबल इंडिया टुडे, हरनाम पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1983
8. श्यामाचरण दुबे, परम्परा इतिहास बोध और संस्कृति, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ.-62
9. आदिवासी विमर्श, वी. कृष्ण, भीम सिंह, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृ.-84
10. मिथिलेश कुमार, आदिम स्वरों की अनुगूँज, दिशा इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2016 पृ.- 40
11. डॉ. जगदीश व्योम, बाल साहित्य का केन्द्र लोक साहित्य, कदम्बिनी मासिक पत्रिका, जून 1998, पृ.- 80

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary & Multiple Languages Quarterly Research Journal

# छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों का सरकार गठन में भूमिका एवं आदिवासी उत्थान में योगदान पर एक अध्ययन (वर्ष 2003 से वर्ष 2023 के विशेष सन्दर्भ में)

**देवेंद्र गुलहरे**
मुंगेली, छत्तीसगढ़
संपर्क : 7000878162
Email Id: dev-devendra199@gmail.com

**सार**

यह पेपर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों की राजनीतिक भूमिका की जांच करता है, यह मूल्यांकन करते हुए कि ये लोग सरकार बनाने को कैसे प्रभावित करते हैं और आदिवासी सामाजिक-आर्थिक उत्थान में कैसे योगदान देते हैं। यह अध्ययन संवैधानिक ढांचों, विधायी और सलाहकार तंत्रों, और नीतिगत परिणामों के भीतर आदिवासी प्रतिनिधित्व को देखता है। यह तर्क देता है कि हालांकि आदिवासी प्रतिनिधि शासन को आकार देने और आदिवासी कल्याण के लिए लक्षित विकास नीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन कार्यान्वयन में लगातार चुनौतियां और संरचनात्मक असमानताएं आदिवासी सशक्तिकरण की पूरी प्राप्ति को सीमित करती हैं।

**कीवर्ड :** आदिवासी प्रतिनिधित्व; सरकार गठन; आदिवासी उत्थान; अनुसूचित जनजातियाँ; पेसा अधिनियम; आदिवासी शासन; छत्तीसगढ़।

**परिचय :** मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद साल 2000 में एक अलग राज्य के रूप में स्थापित छत्तीसगढ़, अपनी बड़ी आदिवासी आबादी के कारण भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में एक खास जगह रखता है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की लगभग एक-तिहाई आबादी अनुसूचित जनजातियों (STs) की है, जो छत्तीसगढ़ को देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदायों वाले राज्यों में से एक बनाती है। गोंड, बैगा, कोरवा, उरांव, मुरिया और हल्बा जैसे प्रमुख आदिवासी समूह राज्य के विशाल जंगली और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, खासकर बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा और कांकेर जैसे जिलों में। इन समुदायों की अपनी अलग सांस्कृतिक परंपराएं, पारंपरिक कानून, आजीविका और सामाजिक संगठन की प्रणालियाँ हैं जो सदियों से विकसित हुई हैं। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाजों ने व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेले जाने का अनुभव किया है, जिसकी जड़ें औपनिवेशिक वन नीतियों, भूमि अलगाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और अपर्याप्त राजनीतिक भागीदारी में हैं। स्वतंत्रता के बाद दिए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, आदिवासी समुदायों को सामाजिक-आर्थिक अभाव, कम मानव विकास संकेतक और निर्णय लेने की संरचनाओं तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी आदिवासी आबादी के लिए सामाजिक न्याय,

लोकतांत्रिक समावेशन और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरते हैं। भारतीय संविधान विधायिकाओं में आरक्षण, पांचवीं अनुसूची और भूमि, वन और स्व-शासन से संबंधित सुरक्षात्मक कानूनों जैसे प्रावधानों के माध्यम से आदिवासी समुदायों की विशिष्ट स्थिति को मान्यता देता है। छत्तीसगढ़ में, इन प्रावधानों ने ग्राम सभाओं, पंचायती राज संस्थानों, राज्य विधान सभा, संसद और वैधानिक सलाहकार निकायों सहित शासन के विभिन्न स्तरों पर आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के उदय को सुविधाजनक बनाया है। ये प्रतिनिधि न केवल आदिवासी चिंताओं को व्यक्त करने में बल्कि नीतिगत प्राथमिकताओं को आकार देने, चुनावी परिणामों को प्रभावित करने और राज्य सरकारों के गठन और स्थिरता में योगदान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन, विशेष रूप से आदिवासी-बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में, आदिवासी राजनीतिक भागीदारी से काफी प्रभावित होता है। आदिवासी क्षेत्रों से चुनावी समर्थन अक्सर पार्टी की सफलता तय करता है, जिससे आदिवासी प्रतिनिधि गठबंधन बनाने, कैबिनेट गठन और विधायी निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका संख्यात्मक प्रतिनिधित्व से परे शासन में सक्रिय भागीदारी, नीतिगत वकालत और आदिवासी अधिकारों की रक्षा और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्थागत वार्ताओं तक फैली हुई है। इसके अलावा, आदिवासी उत्थान में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों का योगदान कल्याणकारी नीतियों को बनाने और लागू करने, विकेन्द्रीकृत शासन को बढ़ावा देने और समुदाय-आधारित संस्थानों को मजबूत करने में उनकी भागीदारी में स्पष्ट है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका सुरक्षा, भूमि अधिकार और वन संसाधन प्रबंधन के लिए कानूनी पैरवी उनके प्रयासों का मुख्य हिस्सा रही है। पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) जैसे कानूनों को लागू करने से ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर और अनुसूचित क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करके आदिवासी प्रतिनिधियों की भूमिका और बढ़ी है। इन प्रगतियों के बावजूद, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ठोस सामाजिक-आर्थिक परिणामों में बदलने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रशासनिक बाधाएँ, कानूनों का असमान कार्यान्वयन, राजनीतिक दलों का दबाव और आदिवासी समुदायों के भीतर आंतरिक असमानताएँ आदिवासी नेतृत्व की प्रभावशीलता को सीमित करती रहती हैं। इसलिए, उपलब्धियों और सीमाओं दोनों को समझने के लिए सरकार गठन में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों की भूमिका और आदिवासी उत्थान में उनके योगदान की व्यवस्थित जाँच करना आवश्यक है।

**छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास**

भारत के दिल में बसा छत्तीसगढ़, एक लंबा और समृद्ध इतिहास रखता है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह क्षेत्र अपने घने जंगलों, उपजाऊ मैदानों और जीवंत आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है, इन सभी ने इसके ऐतिहासिक विकास को आकार दिया है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रागैतिहासिक काल में बसा हुआ था, सिंघानपुर और काबरा पहाड़ जैसी जगहों पर मिली गुफा चित्रकलाएँ शुरुआती मानव जीवन को दर्शाती हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में, इस क्षेत्र को ष्दक्षिणा कोसलष कहा जाता था, जो एक ऐसा राज्य था जिसने मध्य भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्राचीन काल में, छत्तीसगढ़ कई शक्तिशाली राजवंशों के प्रभाव में आया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, बौद्ध धर्म और सुशासन को बढ़ावा दिया। बाद में, सातवाहन और गुप्तों ने छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर शासन किया, जिससे इसके प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान मिला। गुप्त काल, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इस क्षेत्र में स्थिरता, कला और ज्ञान लेकर आया। इस युग के कई मंदिर, शिलालेख और सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास में छत्तीसगढ़ के महत्व को उजागर करते हैं।

मध्यकाल में, छत्तीसगढ़ ने रतनपुर के कलचुरी जैसे स्थानीय राजवंशों का उदय देखा, जिन्होंने कई सदियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। कलचुरी राजा कला, धर्म और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल में कई सुंदर मंदिर बनाए गए, जिनमें सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर भी शामिल है। सिरपुर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म

का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा, जिसने भारत के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों और भिक्षुओं को आकर्षित किया। यह काल छत्तीसगढ़ की धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है।

स्थानीय राज्यों के पतन के साथ, छत्तीसगढ़ 18वीं शताब्दी में मराठों जैसी बड़ी शक्तियों के नियंत्रण में आ गया। नागपुर के भोंसले शासकों ने इस क्षेत्र का प्रशासन किया और राजस्व और शासन की नई प्रणालियाँ शुरू कीं। हालाँकि, मराठा शासन ने स्थानीय आबादी पर भारी आर्थिक बोझ भी डाला। 19वीं सदी की शुरुआत में, मराठों की हार के बाद, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश शासन के तहत, यह क्षेत्र काफी हद तक उपेक्षित रहा, हालाँकि रेलवे और बुनियादी प्रशासनिक संरचनाएँ शुरू की गईं। आदिवासी समुदाय, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा थे, इस दौरान शोषण और पारंपरिक अधिकारों के नुकसान का सामना करना पड़ा।

1947 में भारत की आज़ादी के बाद, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। समय के साथ, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक मतभेदों के कारण एक अलग राज्य की मांग बढ़ने लगी। ये कोशिशें आखिरकार 1 नवंबर 2000 को सफल हुईं, जब छत्तीसगढ़ को भारत के 26वें राज्य के रूप में बनाया गया। आज, छत्तीसगढ़ अपने समृद्ध खनिज संसाधनों, आदिवासी विरासत, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझने से हमें इसकी अनोखी पहचान और सदियों के बदलाव और परिवर्तन के बावजूद यहां के लोगों के लचीलेपन को समझने में मदद मिलती है।

**विधानसभा एवं राज्य में लोकतान्त्रिक व्यवस्था**

छत्तीसगढ़ विधानसभा का गठन सीधे तौर पर राज्य के निर्माण से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसे मध्य प्रदेश के पूवी क्षेत्र से अलग करके बनाया गया था। एक अलग राज्य की मांग दशकों से उठाई जा रही थी, जिसका मुख्य कारण क्षेत्र की अलग सांस्कृतिक पहचान, आदिवासी बहुलता, भाषा और विकास की ज़रूरतें थीं। राज्य बनने के बाद, प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना ज़रूरी हो गई, और विधानसभा उनमें सबसे महत्वपूर्ण बन गई। राज्य बनने के समय, छत्तीसगढ़ विधानसभा को एक सदनीय निकाय के रूप में गठित किया गया था, जिसका मतलब है कि इसमें एक ही सदन था। शुरू में, विधानसभा में 90 चुने हुए सदस्य थे, जिन्हें विधायक (MLA) कहा जाता था। ये सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य भर के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए थे। विधानसभा के गठन ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए स्वशासन की शुरुआत की, जिससे वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सीधे भाग ले सकें। शुरुआती दौर में, छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा उन सदस्यों से बनी थी जो पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने, और विधानसभा ने राज्य की राजधानी रायपुर से काम करना शुरू किया। विधानसभा की शुरुआती जिम्मेदारियों में से एक नए बने राज्य के लिए उपयुक्त नीतियां बनाना, कानून पारित करना और प्रशासनिक प्रणालियां स्थापित करना था। यह दौर बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन शुरुआती वर्षों में शासन, विकास योजना और जन कल्याण की नींव रखी गई थी। विधानसभा राज्य सरकार के कामकाज में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह भारतीय संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। विधानसभा बजट पारित करके और खर्च को मंज़ूरी देकर राज्य के वित्त को भी नियंत्रित करती है। बहस, चर्चा और प्रश्नकाल के माध्यम से, विधायक सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। विधानसभा की समितियां शासन और जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की आगे जांच करती हैं। पिछले कुछ सालों में, छत्तीसगढ़ विधानसभा राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुई है। आदिवासी कल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और खनिज संसाधनों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। विधानसभा ने आधुनिक विकास को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने में भी भूमिका निभाई है। नियमित चुनावों ने लोकतांत्रिक

परंपराओं को मज़बूत किया है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ-साथ विधान सभा का गठन राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने लोगों को शासन में आवाज़ दी और उनके भविष्य को आकार देने का एक तंत्र प्रदान किया। यह सभा छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की रीढ़ बनी हुई है, जो इसके निर्माण के बाद से राज्य की आकांक्षाओं, चुनौतियों और प्रगति को दर्शाती है।

| Election Year | Total ST Seats | BJP | Congress (INC) | Others |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 34 | 25 | 9 | - |
| 2008 | 29 | 19 | 10 | - |
| 2013 | 29 | 11 | 18 | - |
| 2018 | 29 | 3 | 25 | 1 (JCC/J or others) |
| 2023 | 29 | 17 | 11 | 1 (GGP / Others) |

## सरकार गठन और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए नीतियां (2003 से 2007 तक)

2003 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के बाद, राज्य सरकार के गठन और 2003 से 2007 तक पांच साल की अवधि के दौरान आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए नीतियां बनाने में अनुसूचित जनजाति (ST) जाति के विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ में भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सबसे ज़्यादा है, जिससे चुनावी राजनीति में आदिवासी प्रतिनिधित्व एक निर्णायक कारक बन गया है। 2003 के चुनावों में, 34 विधानसभा सीटें STउम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इनमें से अधिकांश सीटें जीतीं, जिसने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में पार्टी को सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ST विधायकों के मजबूत समर्थन ने सरकार को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और यह सुनिश्चित किया कि विधायी प्रक्रिया में आदिवासी मुद्दों पर लगातार ध्यान दिया जाए। इन विधायकों ने आदिवासी क्षेत्रों और राज्य प्रशासन के बीच एक सेतु का काम किया, और भूमि अधिकार, वन निर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित जमीनी चिंताओं को नीतिगत चर्चाओं में लाया। इस अवधि के दौरान, ST विधायकों ने आदिवासी सलाहकार परिषद जैसे संस्थानों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसे संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले मामलों पर सरकार को मार्गदर्शन देने का अधिकार था। उनकी भागीदारी ने आदिवासी उप-योजना के तहत धन के आवंटन से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने में मदद की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी विकास के लिए संसाधनों को निर्देशित करना था। 2003 और 2007 के बीच, आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए कई पहल की गईं, जिसमें आवासीय स्कूलों, छात्रावासों और छात्रवृत्तियों जैसे शैक्षिक बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल था ताकि आदिवासी छात्रों के बीच नामांकन बढ़ाया जा सके और ड्रॉपआउट दर को कम किया जा सके। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी जोर दिया गया, जिसमें सड़कें, पेयजल सुविधाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिली। कृषि, लघु वन उत्पाद और स्वरोजगार पर केंद्रित आजीविका कार्यक्रमों को आदिवासी परिवारों के लिए आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए मजबूत किया गया, जबकि स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं ने दूरदराज के क्षेत्रों में कुपोषण और चिकित्सा सेवाओं तक सीमित पहुंच के मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की। ST विधायकों ने यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण वकालत की भूमिका निभाई कि ये कार्यक्रम स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हों और जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं। हालांकि गरीबी, विस्थापन और उग्रवाद जैसी चुनौतियां कई आदिवासी क्षेत्रों को प्रभावित करती रहीं, लेकिन विधानसभा में बड़ी संख्या में ST विधायकों की उपस्थिति ने राज्य के इस प्रारंभिक चरण के दौरान आदिवासी कल्याण पर लगातार राजनीतिक ध्यान

सुनिश्चित किया। कुल मिलाकर, 2003 से 2007 तक, ST जाति के विधायक न सिर्फ़ सरकार बनाने में अहम थे, बल्कि उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स के उत्थान के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक हाशिए पर पड़े लोगों की समस्याओं को दूर करने में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व को मज़बूती मिली।

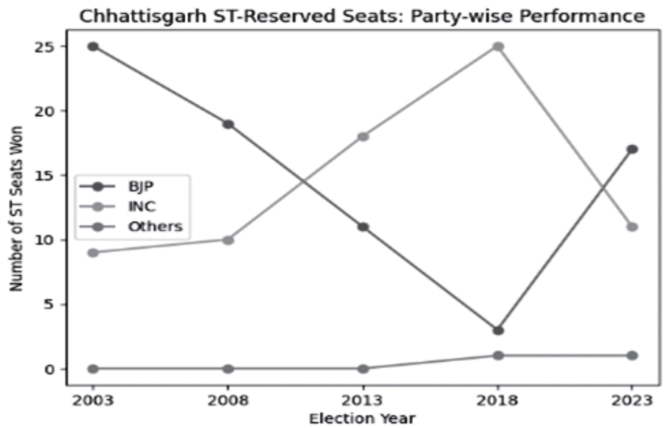


## सरकार गठन और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए नीतियां (2008 से 2013 तक)

2008 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के बाद, अनुसूचित जनजाति (ST) जाति के विधायकों ने 2008 से 2013 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के गठन और आदिवासी समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों को लागू करने दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है, और विधानसभा में आरक्षित ST सीटों ने चुनावी नतीजों पर काफी असर डाला। 2008 के चुनावों में, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) को स्पष्ट बहुमत मिला और उसने ST विधायकों के महत्वपूर्ण समर्थन से लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। आरक्षित ST निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकांश पर ठश्रच उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जो राजनीतिक स्थिरता और शासन में आदिवासी प्रतिनिधियों के निर्णायक योगदान को दिखाता है। इन ST विधायकों ने विधायिका के भीतर आदिवासी हितों का प्रतिनिधित्व करके और यह सुनिश्चित करके सरकार को मजबूत किया कि अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले मुद्दे नीतिगत चर्चाओं के केंद्र में रहें। इस पांच साल की अवधि के दौरान, ST विधायकों ने आदिवासी सलाहकार परिषद जैसे संस्थागत तंत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने आदिवासी कल्याण, भूमि अधिकार, वन संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह दी। उनकी भागीदारी ने नीतियों को आकार देने में मदद की और आदिवासी उप-योजना के माध्यम से धन के लक्षित आवंटन को सुनिश्चित किया, जो आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में संसाधनों को निर्देशित करने का एक प्रमुख साधन था। 2008 और 2013 के बीच, आदिवासी समुदायों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गईं, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और आजीविका के क्षेत्रों में। आदिवासी छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए आवासीय स्कूलों, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहनों के विस्तार के माध्यम से शैक्षिक विकास को प्राथमिकता दी गई। दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पोषण योजनाओं तक पहुंच में सुधार करके स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। आजीविका पहलों ने आदिवासी परिवारों के लिए आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि, लघु वनोपज, कौशल विकास और स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित किया। सड़कों, पेयजल आपूर्ति और ग्रामीण विद्युतीकरण सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर भी आदिवासी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिली। हालांकि गरीबी, विस्थापन और संसाधनों तक सीमित पहुंच जैसी

चुनौतियां बनी रहीं, लेकिन ST जाति के विधायकों की निरंतर उपस्थिति और वकालत ने राज्य शासन में आदिवासी विकास पर लगातार ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित किया। कुल मिलाकर, 2008-2013 की अवधि के दौरान, ST विधायकों ने न केवल सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों में भी सार्थक योगदान दिया।

**सरकार गठन और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए नीतियां (2014 से 2019 तक)**

2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के बाद, अनुसूचित जनजाति (ST) जाति के विधायकों ने 2013 से 2019 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के गठन और आदिवासी समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों को आकार देने, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है, और ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 29 विधानसभा सीटों ने आदिवासी प्रतिनिधित्व को राजनीतिक रूप से निर्णायक बना दिया। हालांकि 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ST-आरक्षित सीटों में बहुमत हासिल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कुल मिलाकर अधिक सीटें हासिल करके सरकार बनाई। सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों के ST विधायकों ने राजनीतिक स्थिरता में योगदान दिया और यह सुनिश्चित किया कि विधायी प्रक्रिया के भीतर आदिवासी मुद्दे दिखाई देते रहें। इस अवधि के दौरान, ST विधायकों ने आदिवासी क्षेत्रों और राज्य प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया, और भूमि अधिकारों, वन निर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों को उठाया। उन्होंने आदिवासी सलाहकार परिषद जैसे मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाली नीतियों पर सरकार को सलाह दी और आदिवासी उप-योजना के तहत संसाधनों के आवंटन में मार्गदर्शन करने में मदद की। 2013 और 2019 के बीच, राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहलें लागू कीं। शिक्षा पर मुख्य ध्यान दिया गया, जिसमें आदिवासी युवाओं के बीच साक्षरता और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए आवासीय स्कूलों, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों और कौशल-विकास कार्यक्रमों का लगातार विस्तार किया गया। आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बेहतर पहुंच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं, पोषण कार्यक्रमों और स्वच्छता पहलों के माध्यम से मजबूत किया गया। आर्थिक उत्थान के प्रयासों में कृषि, लघु वनोपज, स्वरोजगार और आजीविका विविधीकरण के लिए समर्थन शामिल था, जो वन-आधारित और निर्वाह गतिविधियों पर निर्भर आदिवासी परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। सड़कों, पेयजल आपूर्ति, विद्युतीकरण और आवास जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर भी आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए ध्यान दिया गया। हालांकि कुछ आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, विस्थापन, वन अधिकार कार्यान्वयन और सुरक्षा मुद्दों जैसी चुनौतियां बनी रहीं, लेकिन ST जाति के विधायकों की निरंतर उपस्थिति और वकालत ने आदिवासी कल्याण पर लगातार राजनीतिक ध्यान सुनिश्चित किया। कुल मिलाकर, 2013-2019 की अवधि के दौरान, ST विधायकों ने न केवल छत्तीसगढ़ सरकार के गठन और कामकाज में बल्कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के दीर्घकालिक उत्थान के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी एक सार्थक भूमिका निभाई।

**सरकार गठन और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए नीतियां (2018 से 2023 तक)**

2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बदलने के बाद, 2019 से 2023 की अवधि में सरकार बनाने और आदिवासी उत्थान के उद्देश्य से नीतियों को लागू करने दोनों में अनुसूचित जनजाति (ST) जाति के विधायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी काफी ज़्यादा है, जो कुल आबादी का लगभग एक-तिहाई है, और ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 29 विधानसभा सीटें आदिवासी प्रतिनिधित्व को राजनीतिक रूप से निर्णायक बनाती हैं। 2018 के चुनावों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार

बनाई, जिसमें ST विधायकों का मज़बूत समर्थन था, जिन्होंने आरक्षित आदिवासी सीटों में से अधिकांश पर जीत हासिल की थी। राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने और सरकार को समावेशी विकास पर केंद्रित कल्याणकारी एजेंडा चलाने में उनका समर्थन महत्वपूर्ण था। 2019 से 2023 तक की पाँच साल की अवधि के दौरान, ST विधायकों ने भूमि अधिकारों, वन-आधारित आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आदिवासी समुदायों की चिंताओं को आवाज़ देकर विधायी प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बस्तर, सरगुजा, जशपुर और कांकेर जैसे आदिवासी क्षेत्रों और राज्य प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जमीनी मुद्दे नीति निर्माण में परिलक्षित हों। आदिवासी सलाहकार परिषद और आदिवासी उप-योजना ढाँचे जैसे संस्थागत तंत्र ने ST प्रतिनिधियों को आदिवासी विकास के लिए योजना और संसाधन आवंटन को प्रभावित करने के लिए मंच प्रदान करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहल कीं। आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों और कोचिंग सहायता के विस्तार के माध्यम से शिक्षा पर ज़ोर दिया गया, जिसका उद्देश्य ड्रॉपआउट दर को कम करना और उच्च शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच बढ़ाना था। दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे, पोषण कार्यक्रमों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं और स्वच्छता पहलों के माध्यम से मज़बूत किया गया। आदिवासी समुदायों के आर्थिक उत्थान के लिए कृषि, लघु वनोपज खरीद, कौशल विकास, स्वरोज़गार योजनाओं और आजीविका विविधीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए गए, जो विशेष रूप से वन-निर्भर परिवारों के लिए महत्वपूर्ण थे। ग्रामीण सड़कों, पेयजल आपूर्ति, विद्युतीकरण, आवास और कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढाँचे के विकास को भी आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए प्राथमिकता दी गई। ST विधायकों ने लगातार कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय शासन में आदिवासी समुदायों की अधिक भागीदारी की वकालत की। हालांकि गरीबी, विस्थापन, लागू करने में कमियां और कुछ आदिवासी इलाकों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बनी रहीं, लेकिन ST जाति के विधायकों की लगातार मौजूदगी और वकालत ने यह सुनिश्चित किया कि आदिवासी कल्याण राज्य के विकास एजेंडे का मुख्य हिस्सा बना रहे। कुल मिलाकर, 2019-2023 की अवधि के दौरान, ST विधायकों ने सरकार बनाने और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के उद्देश्य से नीतियों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ऐतिहासिक हाशिए पर धकेले जाने की समस्या को हल करने में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व को बल मिला।

## निष्कर्ष

2003 से 2023 तक, छत्तीसगढ़ में लगातार सरकारों ने अनुसूचित जनजाति (ST) प्रतिनिधियों की मज़बूत भागीदारी के ज़रिए विधानसभा को आकार देने और आदिवासी विकास और रोज़गार-उन्मुख नीतियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। यह देखते हुए कि राज्य की लगभग एक-तिहाई आबादी अनुसूचित जनजातियों की है और विधानसभा की काफी सीटें ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, आदिवासी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी (2003-2018) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (2018-2023) दोनों के राजनीतिक शासन के दौरान सरकार बनाने में लगातार प्रभाव डाला। इस अवधि के दौरान, सरकारों ने आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावी समर्थन पर काफी भरोसा किया, जिससे आदिवासी कल्याण शासन का एक मुख्य हिस्सा बन गया। आदिवासी क्षेत्रों के लिए लक्षित योजना और संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी सलाहकार परिषद और आदिवासी उप-योजना जैसे संस्थागत तंत्रों को मज़बूत किया गया। इन दो दशकों में, आदिवासी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गईं, जिनमें आवासीय स्कूलों और छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा, दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, बुनियादी ढाँचे का विकास, और कृषि, लघु वन उत्पाद, कौशल विकास और स्वरोज़गार पहलों के माध्यम से आजीविका सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। रोज़गार-उन्मुख कार्यक्रमों का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को पारंपरिक आजीविका को बनाए रखते हुए मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना था। हालाँकि प्रगति असमान थी

और गरीबी, विस्थापन और कार्यान्वयन में कमियों जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं, कुल मिलाकर यह दिखाता है कि राज्य की नीति में आदिवासी मुद्दों को बढ़ती पहचान मिली है। निष्कर्ष रूप में, 2003 से 2023 तक की अवधि यह दर्शाती है कि कैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लगातार सरकारी ध्यान ने छत्तीसगढ़ के शासन ढांचे में आदिवासी विकास और रोज़गार सृजन को शामिल करने में मदद की, हालाँकि दीर्घकालिक, समावेशी विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता और प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

## संदर्भ


1. भारत सरकार. (1950). भारत का संविधान (अनुच्छेद 244-275, पृ. 65-112). नई दिल्ली : भारत सरकार प्रेस. ISBN: 978-81-230-1656-1
2. भारत सरकार. (1996). पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पृ. 1-18). नई दिल्ली
3. भारत सरकार. (2011). भारत की जनगणना 2011 : अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (पृ. 23-67). नई दिल्ली
4. छत्तीसगढ़ सरकार. (2022). पेसा नियम, छत्तीसगढ़ (पृ. 5-42). रायपुर : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
5. सिंह, के. एस. (2002). भारत की जनजातियाँ (पृ. 101-165). नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. ISBN: 978-0-195-64664-7
6. बेतेइल्ले, आंद्रे. (2008). भारत में सामाजिक असमानता (पृ. 89-132). नई दिल्ली : पेंगुइन इंडिया
7. वर्मा, आर. सी. (2015). भारतीय राजनीति में जनजातीय प्रतिनिधित्व (पृ. 55-118). नई दिल्ली : रावत पब्लिकेशन्स. ISBN: 978-81-7033-923-6
8. शर्मा, ए. एन. (2016). स्थानीय स्वशासन और जनजातीय विकास (पृ. 72-140). जयपुरः प्रिंटवेल प्रकाशन
9. योजना आयोग. (2014). अनुसूचित जनजातियों के विकास पर रिपोर्ट (पृ. 34-98). नई दिल्ली : भारत सरकार.
10. नीति आयोग. (2018). जनजातीय क्षेत्रों में समावेशी विकास (पृ. 41-89). नई दिल्ली : भारत सरकार.
11. पांडेय, एस. (2017). छत्तीसगढ़ की राजनीति और जनजातीय समाज (पृ. 60-121). रायपुर : छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी. ISBN: 978-81-86862-92-4
12. महापात्रा, एल. के. (2013). भारत में जनजातीय प्रशासन (पृ. 97-156). नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स. ISBN: 978-81-321-1735-4
13. मिश्रा, डी. (2019). पेसा अधिनियम और ग्राम सभा की भूमिका (पृ. 44-102). भोपाल : मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी. ISBN: 978-81-89248-67-1
14. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग. (2020). वार्षिक रिपोर्ट (पृ. 15-73). नई दिल्ली : भारत सरकार.
15. कुमार, एस. (2021). जनजातीय विकास योजनाएँरू एक आलोचनात्मक अध्ययन (पृ. 81-147). पटनारू ज्ञानदा प्रकाशन. ISBN: 978-93-82064-91-2
16. तिवारी, आर. (2018). भारतीय लोकतंत्र में जनजातीय भागीदारी (पृ. 69-128). इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन. ISBN: 978-93-5018-412-9
17. छत्तीसगढ़ सरकार. (2021). जनजातीय कल्याण विभाग : वार्षिक प्रतिवेदन (पृ. 22-84). रायपुर.
18. सिंह, बी. (2014). भारतीय संघवाद और क्षेत्रीय राजनीति (पृ. 90-155). नई दिल्ली : मैकमिलन इंडिया. ISBN: 978-0-230-32461-3
19. रॉय, बी. (2016). जनजातीय अधिकार और वन कानून (पृ. 47-110). नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स.ISBN: 978-81-321-2914-2
20. अग्रवाल, पी. (2020). अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण (पृ. 58-134). नई दिल्ली : अटल पब्लिकेशन्स. ISBN: 978-93-86002-77-5
21. ठाकुर, एम. (2019). छत्तीसगढ़ में जनजातीय प्रशासन और विकास (पृ. 33-96). बिलासपुररू दिशा प्रकाशन।

SHODH SAMALOCHAN ISSN : 2348-5639
An International Peer Reviewed, Refereed Multidisciplinary &
Multiple Languages Quarterly Research Journal

# आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता एवं अनुशासनात्मक स्थिति का अध्ययन

**पुर्नवसु चतुर्वेदी**
पी-एच.डी. (छात्र)
आईएएसई मानित विश्वविद्यालय

**डॉ. अल्पना शर्मा**
शोध निर्देशिका

**शोध आलेख सार**

समाज के प्रत्येक सदस्य से आशा की जाती है कि वह समूह के स्तर व आदर्श के अनुकूल व्यवहार करें। व्यक्ति जब समाज के स्वीकृत मूल्यों व आदर्शों के अनुकूल आचरण नहीं कर पाता है, तब वह अनेक कठिनाईयों का अनुभव करता है। ऐसी परिस्थिति मे अनुशासनहीनता व्यवहार की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं। समायोजन दो शब्दों को मिलाकर बना है-सम और आयोजन। सम का अर्थ है भली-भाँति, अच्छी तरह या समान रूप से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था अर्थात् अच्छी तरह व्यवस्था करना। अतएव समायोजन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी हो जायें, मानसिक द्वन्द न उत्पन्न होने पायें। अनेक आवश्यकताएं ही व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती हैं। जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, तो उसे संतोष का अनुभव होता है नहीं तो, उसे निराशा एवं असंतोष की अनुभूति होती है। ऐसे में जो व्यक्ति यदि सृजनात्मक और परिस्थितियों के अनुकूल रहकर समायोजन स्थापित कर लेता है, वही व्यक्ति यदि बाधाओं को दूर करने में असमर्थ रहता है तो उसमें कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। साधारणतयाः समायोजन की यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में निरन्तर चलती रहती है।

**मूल शब्द** - विद्यालय, समायोजन एवं अनुशासन।

## प्रस्तावना

बालक जिस वातावरण में रहता है वह उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति वातावरण द्वारा होती है चाहे वह आवासीय विद्यालय में हो या परिवार में। दोनों का ही वातावरण उसके समायोजन एवं अनुशासन को प्रभावित करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व को समायोजन, परिवार साहचर्य, सामाजिक-भौगोलिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आवासीय विद्यालय का वातावरण आदि सभी घटक प्रभावित करते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के विद्यार्थी अनुशासन की समस्याओं से ग्रसित है। प्राचीन समय में विद्यार्थी आवासीय विद्यालय में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। लेकिन वर्तमान में आवासीय विद्यालय अध्ययन का केन्द्र न बनकर विलासिता के केन्द्र बन गये हैं। सर्वत्र अनुशानहीनता विशृंखलता व तोड़-फोड़ का वातावरण है। ऐसे वातावरण में विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं भावात्मक रूप से असमायोजित हो जाते हैं। ये असमायोजित विद्यार्थी अध्यापन कार्य में कठिनाई का अनुभव करते हैं। आजकल विद्यार्थी

आवासीय विद्यालय के जिस वातावरण में वे रहते हैं उसकी गहरी छाप का उसके मन-मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसका शारीरिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है जो नवीन वातावरण से अपना समायोजन नहीं कर पाते है। उसका व्यवहार असमान्य हो जाता है। उसके व्यक्तित्व सम्बन्धी विषमताएँ उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है। ऐसे विद्यार्थी संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ कहे जा सकते है।

अनुशासन हर देश और समाज के लिए अमूल्य निधि है। जिस प्रकार देश और समाज के लिए जीवन में अनुशासन बहुत मूल्यवान है, उसी प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके व्यक्तिगत जीवन में भी यह महत्वपूर्ण है। समाज (राष्ट्र) के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय में तैयार किया जाता है। अतः विद्यालय में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है।

अनुशासन मानव की वह विशिष्टता है, जो उसे पशु व मानवेत्तर प्राणियों से ऊँचा स्थान प्रदान करती है, अनुशासन समग्र जीवन की वह शिक्षा है। जो मानव के आचरण, तन तथा आत्मा का परिष्कार करती है।

इस प्रकार शोधार्थी ने आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता एवं अनुशासनात्मक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर निम्न शोध प्रश्नों के बारे में सोचा कि -

आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनाशीलता में क्या अन्तर है? आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की अनुशासनात्मक स्थिति में क्या अन्तर है? उक्त सभी प्रश्नों के समाधान हेतु शोधार्थी ने इस विषय का चयन किया है जिसके माध्यम से आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता एवं अनुशासनात्मक स्थिति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया है।

**अध्ययन का महत्व**

प्राचीनकाल में कहा जाता था 'स्वयं को जानों, बीसवीं सदी में कहा गया अपना काम स्वयं करो' आत्मविकास से आत्मा को एक नया जीवन मिलता है। विद्यार्थी को एक बार उदार शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो वह हमेशा के लिए एक इंसान बना रहता है, लेकिन यदि उसे समुचित शिक्षा नहीं मिली है और उसे केवल एक रट्टू तोता बनाया गया है तो उसके सिकुड़ने या टूटने का खतरा बेहद अधिक रहता है। ऐसे अध्ययन से वह अपनी समायोजन शक्ति खो देगा, क्योंकि उसके रटे गये तथ्य कभी उसके व्यक्तित्व का अंग नहीं बन पायेगे और मौका पाते ही काफूर हो जायेगें। इस बात की पुश्टि आर्नोल्ड के अनुसार भी की गई है, कि अपनी क्षमताओं का विश्वास के साथ उपयोग करो वे बढ़ेगी। अपने ज्ञान का उपयोग करों तुम ज्ञान के उच्चतम शिखरों पर पहुंच जाओगे।

एक विद्यालय की प्रगति विद्यालय में व्याप्त अनुशासन पर निर्भर करती है, चाहे वह विद्यालय सरकारी हो या निजी। विद्यालय का अनुशासन, छात्र के अनुशासन पर निर्भर करता है। छात्र अनुशासन के बिना सम्पूर्ण शैक्षिक वातावरण पंगू बनकर रह जाता है। जब तक विद्यार्थी अनुशासित नहीं होंगे तब तक विद्यालय, समाज व राष्ट्र की प्रगति निरीह कल्पना है क्योंकि ये विद्यार्थी ही राष्ट्र के कर्णधार है।

प्राचीन समय में शिक्षक-शिक्षा शिश्यता पद्धति पर आधारित थी, तथा शिश्य गुरूकूल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अध्यापन व्यवसाय करते थे। वर्तमान में शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण पर आधारित है। यही कारण है जहां पर प्रशिक्षण कॉलेजों की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ के प्रशिक्षणार्थी तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते है, किन्तु जहाँ पर प्रशिक्षण कॉलेजों का अभाव है वहाँ प्रशिक्षणार्थी दूर-दराज क्षेत्रों या आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से ही क्यों न हो, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूर नगरों, तथा महानगरों में जाना पड़ता है, तथा आवासीय विद्यालय में रहना पड़ता है।

आवासीय विद्यालय की अच्छी व्यवस्था का उनके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कई बार आवासीय विद्यालय का वातावरण दूषित भी हो जाता है जिससे विद्यार्थियों के सामने कई कठिनाईयाँ आती है तथा वे असमायोजन का शिकार हो जाते हैं। किन्तु आवासीय विद्यालय में न रहने वाले विद्यार्थियों का व्यक्तित्व भी बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है क्योंकि परिवार द्वारा शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग प्राप्त होता है, जबकि कई परिवारों में शिक्षा के

प्रति उदासीनता और नकारात्मक दृष्टिकोण होता है जो असहयोग का प्रतीक बनता है।

उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता एवं अनुशासनात्मक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार का अध्ययन कार्य आज तक बहुत ही कम हो पाया है। शोधार्थी की जानकारी में आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता व अनुशासनात्मक स्थिति को एक साथ लेकर शोध अध्ययन नहीं हुआ है।

**समस्या कथन :-**

''आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता एवं अनुशासनात्मक स्थिति का अध्ययन''

**अध्ययन के उद्देश्य :-**

1. आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनाशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की अनुशासनात्मक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**अध्ययन की परिकल्पनाएँ :-**

1. आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनाशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की अनुशासनात्मक स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

**परिसीमन :-**

यह अध्ययन केवल जयपुर जिले तक सीमित रखा गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आवासीय विद्यालयों के 400 विद्यार्थी तथा गैर-आवासीय विद्यालयों के 400 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

**न्यादर्श एवं चयन विधि :-**

शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के कुल 400+400 विद्यार्थियों को Cluster Sampling विधि द्वारा न्यादर्श में शामिल किया है।

**शोधविधि :-**

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

**अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण :-**

**समायोजन मापनी :-**

शोधकर्ता द्वारा डॉ. ए.के.पी. सिन्हा एवं डॉ. आर.पी.सिंह द्वारा निर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है।

**अनुशासन मापनी :-**

शोधकर्ता द्वारा अनुशासन मापनी के लिए स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है।

**अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :-**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान प्रमाणिक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात मान की गणना की गई है।

## समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है–

सारणी संख्या - 1

आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना

| न्यादर्श (विद्यार्थी) | संख्या (N) | माध्य (Mean) | मानक विचलन (S.D.) | क्रांतिक अनुपात मान (C.R.Value) | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| आवासीय | 400 | 13.24 | 3.58 | | .05 .01 |
| गैर-आवासीय | 400 | 14.31 | 3.53 | 4.27 | सार्थक अन्तर हैं। |

**विश्लेषण :-**

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्रर्प्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की समायोजनशीलता में सार्थक अंतर है।

सारणी संख्या - 2

आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की अनुशासनात्मक स्थिति के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना

| न्यादर्श (विद्यार्थी) | संख्या (N) | माध्य (Mean) | मानक विचलन (S.D.) | क्रांतिक अनुपात मान (C.R.Value) | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | .05 .01 |
| आवासीय | 400 | 77.16 | 12.32 | | सार्थक अन्तर |
| गैर-आवासीय | 400 | 75.29 | 11.93 | 1.88 | नहीं हैं। |

**विश्लेषण :-**

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्रर्प्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है। अर्थात् आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की अनुशासनात्मक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. चतुर्वेदी, त्रिभुवननाथ (2005), पारिवारिक सुख के लिए हैः किशोर मन की समझ, नई-दिल्लीः श्रीविजय इन्द्र टाइम्स अंक-8, पृष्ठ संख्या-25
2. चौबे, सरयू प्रसाद (2005), शिक्षा मनोविज्ञान, मेरठः इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाऊस, पेज न.184
3. चौहान, एस.एस. (1996), सर्वांगीण बाल विकास, नई दिल्लीः करोल बाग, आर्य बुक डिपो, पेज प. 591
4. जायसवाल, सीताराम (1994), शिक्षा मनोविज्ञान, नई दिल्लीः करोल बाग, आर्य बुक डिपो, मंदिर पेज 221
5. ढोढियाल, एस. पाठक (1990), शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र. जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या-51
6. पाठक, पी.डी. (2007), शिक्षा मनोविज्ञान, आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर, पृ.सं. 245, 552,450
7. प्रकाश, जी. (1995), सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा, नई दिल्लीः शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार, पृष्ठ संख्या-27